दशम माला, खंड 33, अंक 1

सोमवार, 25 जुलाई 1994

3, श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दीं संस्करण

ग्याहरवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)



(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सोमवार, 25 जुलाई, 1994 के लोक सभा

वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
17	25	मिश्रिख	मिसरिख
106	16	शामाराम	शान्ताराम
118	18	(घ)	(ड॰)
259	14	(ख्र)	(ख) से (घ)
270	23	वायलैस	वायरलैस
309	25	शर्मा(सूचना)	शर्मा((क) से (व) सूचना
340	5	(नाम्कि)	(नासिक)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खंड 33, 11वां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 1, सोमवार, 25 जुलाई, 1994/3 श्रावण, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	**1-22**
भारत सरकार - मंत्रिमण्डल के सदस्य	**23-26**
राष्ट्र गान	**27**
निधन संबंधी उल्लेख	**27-34**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**34-44**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1	34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**44-317**
तारांकित प्रश्न संख्या : 2 से 20	44-73
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 73, 75 से 173 175 से 223	78-317
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	**318-327**
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**327-333**
नियम 377 के अधीन मामले	**330-333**
(एक) आकाशवाणी केन्द्र जयपोर में देसिया भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एक आदिवासी एकक स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री के. प्रधानी	330

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो)	बरेली, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक *(बाई पास) निर्मित करने की आवश्यकता*	
	श्री संतोष कुमार गंगवार	331
(तीन)	छपरा, बिहार में सादा ठाला रेल लाइन पर एक रेलवे उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
	श्री लाल बाबू राय	331
(चार)	जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की और अधिक एजेन्सियां आवंटित करने की आवश्यकता	
	श्री जितेन्द्र नाथ दास	331
(पांच)	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के लाभार्थ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	332
(छह)	बिजनौर (उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता	
	श्री मंगल राम प्रेमी	333
असम में चिन्ताजनक स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा		**333 तथा 342**
प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक		**333-369**
संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विचार के लिए प्रस्ताव		
श्री पबन सिंह घाटोवार		333
डा॰ आर॰ मल्लू		335
श्री सैयद शहाबुद्दीन		336
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय		337
डा॰ वसन्त पवार		340
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य		[illegible]

विषय	पृष्ठ
श्री वेंकटेश्वर डी. राव	348
डा. के.जी. जेस्वाणी	349
डा. कार्तिकेश्वर पात्र	352
श्रीमती गिरिजा देवी	354
पी रामाश्रय प्रसाद सिंह	356
श्री दाऊ दयाल जोशी	358
डा. गिरिजा व्यास	360
श्रीमती सुमित्रा महाजन	363
श्री जार्ज फर्नांडीज	367
असम में चिन्ताजनक स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा	**369-440**
श्री चन्द्रजीत यादव	369
श्री इन्द्रजीत	376
श्री जसवंत सिंह	382
श्री सैयद शहाबुद्दीन	391
श्री उद्धव बर्मन	396
श्री किरिप चालिहा	399
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	404
डा. मुमताज अंसारी	406
श्री अब्दुल गफूर	409
कुमारी ममता बनर्जी	410
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	413
श्रीमती बिभु कुमारी देवी	414
श्री ई. अहमद	417
श्री सन्तोष मोहन देव	419
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	423

विषय	पृष्ठ
श्री बालिन कुली	425
श्री शिबु सोरेन	426
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	428
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	429
श्री प्रमोथेस मुखर्जी	430
श्री लाईता उम्ब्रे	431
श्री राजेश पायलट	432
श्री चन्द्रजीत यादव	438
मंत्री द्वारा वक्तव्य	**440-441**
पत्तन और गोदी कर्मचारियों का वेतन संशोधन	
श्री जगदीश टाईटलर	440
कार्य मंत्रणा समिति	
इकतालीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	441

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी. (वेल्लौर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईंजलराजू, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए.आर. (कोलाबा)

अन्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)

अमर पाल सिंह, श्री आर. (मेरठ)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुराई)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेन्कासी)

अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (इनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा. फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यन, श्री आर. धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्चालम्बा, श्री (नागालैंड)

इस्लाम, श्री नुरूल (धंबरी)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के.पी. (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालंधर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

उम्मा रेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो. (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कांटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)

कनोजिया, डा. जी.एल. (खीरी)

कनाडिया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेंद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड. एम. (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

कामसन, प्रो॰ एम॰ (बाह्य मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरूमल, श्री पी.पी॰ (कुड्डालूपैर)

काले, श्री शंकर राव दे॰ (कोपरगांव)

कस्वा, श्री राम सिंह (चुरू)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुडुमुला, कुमारी पदम श्री (नेल्लौर)

कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पू स्वामी, श्री सी.के॰ (कोयम्बटूर)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी॰ धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुमारसामी, श्री पी॰ (पलानी)

कुरियन, प्रो॰ पी॰ जे॰ (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, डा॰ (रामकृष्णा दमोह)

कृष्ण कुमार, श्री एस॰ (क्विलोन)

कृष्ण स्वामी, श्री एम॰ (वन्डिवासी)

कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती (भरतपुर)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

केनिथी, डा॰ विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)

कोटला, श्री जय सूर्य प्रकाश रेड्डी (कुरनूल)

कौंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)

कारो, श्री गया प्रसाद (जालौन)

कोली, श्री गंगा राम (बयाना)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)

खनोरिया, मेजर डी.डी. (कांगड़ा)

खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खां, श्री असलम शेर (बेतुल)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खां, श्री सुखेन्दु (बिशनुपुर)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

गंगवार, डा. परशुराम (पीलीभीत)

गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)

गगोई, तरुण (कलियाबोर)

गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)

गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गालिब, श्री गुरचरण सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गिरियप्पा, श्री सी.पी. मुदाल (चित्रदुर्ग)

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)

गुडा डिन्नी, श्री बी.के. (बीजापुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिराचिंकिल)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोहिल, डा. महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)

गौड, प्रो. के. वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुडूर)

चन्द्राकार, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी. (कराड)

चाक्को, श्री पी.सी. (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चेन्नितला, श्री रमेश (कोटायम)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, स्कैवड्रन लीडर (होशियारपुर)

चौधरी, डा के.वी.आर. (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री रूद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौरै, श्री बापू हरि (धूले)

चौहान, श्री चेतन पी.एस. (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)

छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)

जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम.आर. कादम्बूर (तिरुनेलवेली)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयमोहन, श्री ए. (तिरुपत्तूर)

जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)

जांगड़े, श्री खेलत राम (विलासपुर)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा. बी.जी. (गुलबर्ग)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जीवरत्नम, श्री आर. (अर्कोनिम)

जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)

जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

जोशी, श्री अन्ना (पुणे)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी.जे. (दमन और दीव)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिंडिवलन, श्री के. राममूर्ति (टिंडिवनाम)

टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच. (बड़ौदा)

टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़बंज)

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामौर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)

डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

त

तंग्काबालु, श्री के.वी. (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वारस)

तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)

तोमर, डा. रमेशचन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो. के.वी. (एरणाकुलम)

थामस, श्री पी.सी. (मुक्तुपुजा)

थिटे, श्री बापूसाहिब (बारामती)

थुंगन, श्री पी.के. (अरुणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई–उत्तर पश्चिम)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई–उत्तर मध्य)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)

दीवान, श्री प्रवन (महासमुन्द)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा–पश्चिम)

देवगौड़ा, श्री एच.डी. (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई–दक्षिण)

देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)

देवी, श्रीमती विभू कुमारी (त्रिपुरा–पूर्व)

देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)

देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)

द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

धूमल, प्रो. प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)

नवले, श्री विदुरा बिठोबा (खेड़)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)

नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)

नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)

नायक, श्री डी.के. (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री पी.जी. (गोबिचेट्टिपालयम)

निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पांडियन, श्री डी. (मद्रास–उत्तर)

पंवार, श्री हरपाल (केराना)

पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)

पटेल, श्री बृशिण (सीवान)

पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)

पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हस्भिाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)

डा. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)

पवार, डा. बसंत (नासिक)

पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पाटील, श्री शिवराज वी. (लाटूर)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगौन)

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)

पाटील, श्री उत्तमराज देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)

पाटील, श्री विजय एन. (इरूदोल)

पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पात्र, डा. कार्तिकेश्वर (बालासौर)

पायलट, श्री राजेश (दोसा)

पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पालावोला, श्री वी.आर. नायडू (खम्माम)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)

पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री बलराज (नैनीताल)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)

पेरूमान, डा. पी. वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश, श्री शशि (चेल)

प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरिस)

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराज नगर)

प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)

प्रेम, श्री बी.एल. शर्मा (पूर्व दिल्ली)

प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)

फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता–दक्षिण)

बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)

बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)

बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बसु, श्री चित्त (बारसाट)

बाला, डा. असीम (नवद्वीप)

बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालपुरम)

बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)

बीरबल, श्री (गंगानगर)

बूटासिंह, श्री (जालौर)

बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)

बैठा, श्री महेन्द्र (बयहा)

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)

भोंसले, श्री तेजसिंह राव, (रामटेक)

भोंसले, श्री प्रतापराव बी. (सतारा)

भोई, डा. कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)

मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)

मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)

मरबनिआंग, श्री पीटर जी. (शिलांग)

मरन्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)

मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस. (तुमकुर)

मल्लू, डा. आर. (नगर कुरनूल)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)

महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)

माडे गोडा, श्री जी. (माण्डया)

माणे, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांची)

माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)

मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)

मिर्धा, श्री रामनिवास (बाडमेर)

मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्होर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखर्जी, श्री प्रमोथेस (बरहामपुर)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)

मुजाहिद, श्री बी. एम. (धारवाड़–दक्षिण)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, डा. एन. (करूर)

मुरुमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापटनम)

मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैथ्यू, श्री पाला के.एम. (इदुक्की)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)

मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)

मौर्य, श्री आनंन्द रत्न (वंदोली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)

यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री राम लखनसिंह (आरा)

यादव, श्री रामशरण सिंह (खगरिया)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, डा. एस.पी. सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्पाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

युमनाम, श्री याइमा सिंह (आतंरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला)

रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)

रांजनारायण, श्री (बासगांव)

राजरविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)

राजू, श्री भू. विजय कुमार (नरसापुर)

राजुलू, डा. आर.के.जी. (शिवकासी)

राजे, श्रीमती बसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रकुमार, श्री एस.एस.आर. (चिंगलपट्टू)

राजेश कुमार, श्री (गया)

राजेश्वरन, डा. वी. (रामनाथपुरम)

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)

राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द्र (नवादा)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामदेव, राम, श्री (पलामू)

राम बदन, श्री (लालगंज)

राम बाबू, श्री ए.जी.एस. (मदुरै)

राममूर्ति, श्री के. (कृष्णगिरि)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)

रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)

राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)

राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, डा. सुधीर (बर्दवान)

राय, श्री हाराधन (आसनसोल)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री डी. वेंकटेश्वर (बापतला)

राव, श्री जे. चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री पी.वी. नरसिंह (नन्दयाल)

राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)

राव, श्री वी. कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)

रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावल, डा. लाल बहादुर (हाथरस)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई–दक्षिण मध्य)

राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)

रेड्डय्या यादव, श्री के.पी. (मछलीपटनम)

रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)

रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री ए. वेंकट (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम. बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एम.जी. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बी.एन. (तिरपालगुडा)

रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर (कुडप्पा)

रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)

लालजान वाशा, श्री एस.एन. (गुन्टूर)

लोढ़ा, श्री गुमान मल (पाली)

लवली आनन्द, श्रीमती (वैशाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)

वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)

वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)

वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, कु. विमला (सिवनी)

वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)

वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)

वान्डायार, श्री के. तुलसिऐया (थंजावुर)

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी.एस. (पालघाट)

विलियम्स, मेजन जनरल आर.जी. (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी. (चिकोडी)

शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)

शिगडा, श्री डी.बी. (दहानू)

शिवप्पा, श्री के.जी. (शिमोगा)

शिवरामन, श्री एस. (ओट्टापलम)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)

शेल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)

शैलजा, कुमारी (सिरसा)

श्रीधरण, डा॰ राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री सी॰ (डिन्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए॰ (तुरा)

संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सईद, श्री पी॰एम॰ (लक्षद्वीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा॰ गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)

साक्षी, जी॰ डा॰ (मथुरा)

सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या (शोलापुर)

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)

साय, श्री ए॰ प्रताप (राजमपेट)

सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)

सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिदनाल, श्री एस॰बी॰ (बेलगांव)

सिद्धार्थ, श्रीमती डी॰के॰ तारादेवी (चिकमगलूर)

सिल्वेरा, डा॰सी॰ (मिजोरम)

सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अर्जुन (सतना)

सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, डा. छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, कु. पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रताप (बांका)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)

सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री रा.नरेश (औरंगाबाद)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरिया गंज)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

सिंहदेव, श्री के.पी. (देकानाल)

सुखराम, श्री (मंडी)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरुदासपुर)

सुन्दरराज, श्री एन. (पुडुक्कोट्टाई)

सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)

सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नान)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सैकिया, श्री मुहीराम (नौगोंग)

सैयद, श्री शहाबुद्दीन (किशनगंज)

सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)

सौन्द्रम, डा. (श्रीमती) के.एस. (तिरूचेंगोड़)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)

स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेड्डापल्ली)

स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जौरहाट)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

श्री पीटर जी. मरबनिआंग

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री तारा सिंह

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री राम नाईक

श्री पी.सी. चाक्को

श्रीमती संतोष चौधरी

प्रो. रीता वर्मा

महा-सचिव

श्री आर.सी. भारद्वाज

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलेक्ट्रॉनिकी, अंतरिक्ष, ग्रामीण विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योगमंत्रालय एवं अन्य विषयों, जिनका आवंटन किसी अन्यकैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को न किया गया हो, के भी अतिरिक्त प्रभारी	श्री पी.वी. नरसिंह राव
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री ए.के. एन्टनी
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री बी. शंकरानन्द
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
रेल मंत्री	श्री सी.के. जाफर शरीफ

विदेश मंत्री	श्री दिनेश सिंह
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	श्री एन.के.पी. साल्वे
वाणिज्य मंत्री	श्री प्रणव मुखर्जी
गृह मंत्री	श्री एस.बी. चव्हाण
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
रसायन तथा उर्वरक मंत्री	श्री राम लखन सिंह यादव

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जी. वेंकट स्वामी
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के.पी. सिंह देव
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी.ए. संगमा
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरुण गंगोई

राज्य मंत्री

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाण ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच.आर. भारद्वाज
कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के.वी. तंग्कबालू
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम. अरुणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी.के. थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी.एम. सईद
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी.वी. रंगय्या नायडु
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर.एल. भाटिया

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राव राम सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस. कृष्ण कुमार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई हरिजीभाई पटेल
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. सी. सिलवेरा

उप मंत्री

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पबन सिंह घाटोवार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

खण्ड तैंतीस, दसवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र का प्रथम दिन

लोक सभा

सोमवार, 25 जुलाई, 1994/3 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई

11.02 म.पू.

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम अपने भूतपूर्व सहयोगियों, जो अब नहीं रहे, के बारे में निधन संबंधी उल्लेख करने जा रहे हैं। परंतु, उनके बारे में निधन संबंधी उल्लेख करने के पूर्व हम उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम इल सुंग के निधन का उल्लेख करना चाहेंगे। यह सभा कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति किम इल सुंग के निधन पर अपना गहरा दुःख और संवेदना प्रकट करती है। राष्ट्रपति किम इल सुंग अपने देश के प्रति अपनी महान सेवाओं के लिए और एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त के रूप में काफी लंबे समय तक याद किए जाते रहेंगे। राष्ट्रपति किम इल सुंग अपनी जनता के लिए न सिर्फ पिता तुल्य थे, बल्कि उनके आकर्षक व्यक्तित्व को सभी स्वीकार करते थे। उनके निधन से, एक युग समाप्त हो गया। अपनी मृत्यु तक वह सबसे ज्यादा दिनों तक सेवा करने वाले नेता थे और अपने समय के युगपुरुष थे।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच संबंध सर्वदा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में भी राष्ट्रपति किम इल सुंग की भूमिका स्मरणीय रही। अप्रैल, 1992 में भारत के उप-राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कोरिया गणराज्य का दौरा किया था और उन्हें राष्ट्रपति किम इल सुंग के 80वें जन्मदिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला था।

यह सभा कोरिया गणराज्य की जनता तथा सरकार और स्वर्गीय राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करती है।

मैं सभा को अपनी तीन भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री अन्नत प्रसाद धूसिया, तुलाराम और कुमारी आभा मैती के निधन की भी सूचना देता हूं।

श्री अन्नत प्रसाद धूसिया, 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था। व्यवसाय से शिक्षाविद्, श्री धूसिया एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। शिक्षा, कुटीर उद्योग तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी। 27 जून 1994 को 81 वर्ष की उम्र में बस्ती में श्री अन्नत प्रसाद धूसिया का निधन हुआ।

श्री तुलाराम दूसरी से पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1957 से 1962 तक इटावा संसदीय क्षेत्र का और 1967 से 1977 तक घाटमपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वे 1952-57 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से किसान और शिक्षक, श्री तुलाराम लखनऊ विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य थे।

वह एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे और इन्होंने जिला दलित वर्ग लीग के महामंत्री के रूप में कार्य किया। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण में उनकी विशेष रुचि थी।

वह एक सक्रिय सांसद थे तथा उन्होंने प्राक्कलन समिति में भी सदस्य के रूप में कार्य किया।

27 जून 1994 को 80 वर्ष के आयु में एटा में श्री तुलाराम का निधन हुआ।

कुमारी आभा मैती 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा की सदस्या थीं और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पंसकुड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1960-62 के दौरान राज्य सभा की सदस्य भी रहीं। इससे पहले वे 1952-57 तथा 1962-69 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान सभा की सदस्य भी रहीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार में 1962-69 के दौरान गृह मंत्रालय, शरणार्थियों तथा समाज कल्याण संबंधी मंत्रालयों का पदभार भी ग्रहण किया था। कुमारी आभा मैती महान स्वतंत्रता सेनानी थीं और उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। समाज सेविका और राजनैतिक कार्यकर्ती के रूप में उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान तथा ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया। व्यवसाय से वह पत्रकार थीं और "सत्याग्रह" पत्रिका की संपादिका थीं तथा "जुगेर डाक" के संपादक मंडल की अध्यक्षा थीं। उन्होंने काफी भ्रमण किया था तथा 1971 में कनाडा में आयोजित फेडरेशन आफ प्रोफेशनल वुमैन की 12वीं कांग्रेस में भी भाग लिया था। सक्रिय सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान किया।

कुमारी आभा मैती का 2 जुलाई, 1994 को 69 वर्ष की आयु में क्वालालम्पुर में निधन हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करेगी।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने समय के एक महान नेता कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति किम इल सुंग के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने चार दशक से अधिक समय तक अपने राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, सबसे पहले एक क्रांतिकारी और सैनिक के रूप में और कोरिया गणराज्य बन जाने के पश्चात् प्रधान मंत्री और बाद में राष्ट्रपति के रूप में उनकी

पहचान अपने राष्ट्र से कुछ इस तरह बन गई थी कि उन्होंने उसे एक रूप दिया। उनके निधन से जो अभाव हुआ है उसे पूरा करना कठिन है।

राष्ट्रपति किम इल सुंग गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के दृढ़ समर्थक थे। उनके कार्यकाल में कोरिया गणराज्य के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे थे। भारत की जनता कोरिया गणराज्य की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। इस महान नेता के निधन पर, मैं इस सभा की संवेदना भी व्यक्त करता हूं।

हम कोरिया गणराज्य के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ बनाए रखेगें।

पिछले सत्र के बाद इस सभा के तीन भूतपूर्व सदस्यों का निधन हो गया। कुमारी आभा मैती एक वयोवृद्ध नेता थीं। उन दिनों वह कांग्रेस पार्टी में हमारी महत्वपूर्ण सहकर्मी थीं। वह एक स्वंतत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वह एक विख्यात पत्रकार भी थीं। जिनके लेखन में महिलाओं और निर्धन ग्रामीणों के प्रति चिन्ता झलकती थी। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री के रूप में तथा बाद में यहां उद्योग राज्य मंत्री के रूप में उनकी अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व के गुणों का पता चला। वह दो वर्षों तक राज्य सभा की भी सदस्य रहीं।

समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति वह जीवन पर्यन्त वचनबद्ध रहीं।

श्री अनंत प्रसाद धूसिया बस्ती से 1971 में सदस्य निर्वाचत हुए थे। उन्होंने सामाजिक कार्य विशेषतौर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा को बढ़ावा देने में अधिक रुचि दिखाई। उन्होंने ग्रामीण निर्धनों को अपने घरों में कुटीर उद्योग लगाने में मदद करने में विशेष रुचि दिखाया, ताकि वे गांव में ही अपनी आजीविका कमा सकें।

श्री तुलाराम 1957 से लगातार चार बार सदस्य रहे। वह प्राक्कलन समिति के भी सदस्य थे, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि के क्षेत्र में काफी कुछ किया। उन्होंने समाज के कमजोर तबकों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया।

महोदय, मैं इन सदस्यों के परिवारों तथा कोरिया गणराज्य की जनता के प्रति अपनी गहन संवेदना प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के अग्रणी विश्व नेता तथा राजनीतिज्ञ, राष्ट्रपति किम इल सुंग के देहान्त पर शोक व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति कि इल सुंग ने अल्पायु में ही अपने देश तथा लोगों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया तथा उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों, चाहे वह जापानी साम्राज्यवाद हो या अमेरिकी साम्राज्यवाद हो, के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष किया तथा वह इन देशों के चुंगल से अपने देश को मुक्त करवाने में समर्थ हुए।

महोदय, उन्होंने मार्क्सवाद - लेनिनवाद का व्यावहारिक प्रयोग में पूर्ण योगदान किया। उन्होंने यह महसूस किया कि मार्क्सवाद - लेनिनवाद के सिद्धान्त, जो कि वैज्ञानिक संकल्पना पर आधारित थे, उन्हें अपने देश की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए लागू करना था, और उसमें वह सफल हुए हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया एक ऐसा देशा है, जहां पर कोई बेरोजगारी,

निर्धनता तथा भुखमरी नहीं है। उन्होंने अपने देश के लोगों की स्थितियों को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और महोदय अब, कुछ पूर्व समाजवादी देशों में हम देखते हैं कि परिस्थितियां नितान्त विपरीत हैं। वह दोनों कोरिया राज्यों के एकीकरण के लिए भी निरन्तर संघर्षरत रहे। वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध जीवनपर्यन्त संघर्ष करने वाले, मार्क्सवाद - लेनिनवाद के वैज्ञानिक आधार में विश्वास रखने वाले, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रतिपादक और प्रबल समर्थक तथा जहां तक समाजवादी विश्व का सम्बन्ध है, वह उनके अग्रणी थे, उनका निधन न केवल हमारे मित्र उत्तरी कोरिया के लोगों के लिए, बल्कि उन सबके लिए, जो कि शोषणमुक्त तथा भुखमरीमुक्त समाज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक गहरा आघात है। उनकी मृत्यु असामयिक हुई है, क्योंकि आणविक हथियारों के प्रश्न पर वार्ताएं आरम्भ होने वाली हैं। हम आशा करते हैं कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, राष्ट्रपति किम इल सुंग के आदर्शों तथा उदाहरण का अनुसरण करता रहेगा, हम उत्तर कोरिया की सरकार व लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण निकट सम्बन्ध बनाए रखेंगे। महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से उत्तर कोरिया की सरकार और हमारे मित्र लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। हम आशा करते हैं कि इस त्रासदी में उत्तर कोरिया तथा वहां की हमारे मित्र लोगों की प्रगति पर कोई बाधा नहीं आयेगी।

जहां तक हमारे दूसरे साथियों, जिन्हें हमने खोया है, का सम्बन्ध है, मुझे पांचवीं लोक सभा में इसी सदन में उनके साथ काम करने का मौका मिला और मुझे संसद की कार्यवाही में उनके द्वारा बढ़चढ़ कर भाग लेना और इसमें उनका अपूर्व योगदान अच्छी तरह याद है। मैं उनकी मृत्यु पर भी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी हार्दिक संवेदना शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, अपनी पार्टी की ओर से मैं अपने उन तीन साथियों की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस सदन के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कुमारी आभा मैती का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से था, यह एक ऐसा जिला है जिसका स्वतंत्रता संग्राम विशेषकर 1942 के आन्दोलन के दौरान अपना एक विशेष स्थान रहा है। मुझे कहना चाहिए कि उनका सम्बन्ध मिदनापुर जिले से आने वाले कांग्रेसियों के एक ग्रुप से था। हम सभी श्री सतीश सामन्त तथा अन्य वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानियों-कांग्रेसी तथा कम्युनिस्ट दोनों-को याद करते हैं, जो कि मिदनापुर जिले में अपने ही तरीके से ताकतवर थे, जो कि बाद में स्वतन्त्रता संग्राम का एक गढ़ बना। कुमारी आभा मैती उस विरासत का ही एक हिस्सा थीं तथा उन्होंने सदन में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। उन्होंने एक मंत्री के रूप में भी इस सदन में कार्य किया।

हमें अपने अन्य दो साथियों--श्री तुलाराम तथा श्री अनन्त प्रसाद धूसिया का अभाव भी खल रहा है।

जहां तक राष्ट्रपति किम इल सुंग का सम्बन्ध है, मुझे दो वर्ष पूर्व 'वर्कर्स पार्टी आफ कोरिया' के अतिथि के रूप में अनके देश में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें मिला तथा उनके साथ विस्तार से बातचीत की थी।

अध्यक्ष महोदय, आपने तथा प्रधान मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि हमारे दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य की सरकार, शासक पार्टी तथा जनता की यह प्रबल इच्छा थी कि भारतीय प्रधान मंत्री को कम से कम एक बार उनके देश में सरकारी दौरे पर आना चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से अभी तक संभव नहीं हो पाया है। विशेषकर, चूंकि प्रधान मंत्री दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे, वे इसके लिए बहुत उत्सुक थे कि उनके देश के लिए भी दौरे की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री भी वहां जाने को बिल्कुल इच्छुक थे, किन्तु जो भी हो राष्ट्रपति किम इल सुंग के जीवनकाल में ऐसा संभव नहीं हो सका। यह एक दुखद विडंबना भी है कि यद्यपि उनकी मृत्यु पूर्ण वृद्धावस्था में ही हुई, ऐतिहासिक निर्णायक क्षण से पूर्व जबकि पहली बार राष्ट्रपति किम इल सुंग तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच आमने-सामने बैठकर एक शिखर बैठक होने ही वाली थी, इस बैठक से मैं समझता हूं कि विश्व के उस भाग में शांति स्थापित करने तथा सामान्य स्थिति लाने में बड़ी सफलता मिलती तथा जो उस देश के शांतिपूर्ण पुनः एकीकरण में सहायक होती, जिसे विभाजित कर दिया गया है। इस देश में हमारे अपने अनुभव के आधार पर, हम यह महसूस करते हैं कि एक बार विभाजित हो चुके किसी देश को यदि उसकी अपनी जनता के प्रयासों के द्वारा कुछ निश्चित स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर शांतिपूर्वक पुनः एकीकृत किया जा सके, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश उस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई।

महोदय, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में इस तथ्य के संबंध में काफी कटाक्ष और भर्त्सना की जाती थी कि उन्हें उनके अपने देश में सदैव एक महान नेता समझा गया था। जो भी कोई व्यक्ति एक बार उस देश का दौरा करता है और अपनी आंखों से यह देखता है कि उनके नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार उस देश का स्वरूप बदला है और उसका जो विकास हुआ है, उसे इस बात से तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा कि कम से कम उनकी जनता वास्तव में एक महान नेता के रूप में उनकी इज्जत करती है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके देश की स्वतंत्रता और इसकी प्रगति की जो वर्तमान स्थिति है, वह पूर्णतः उनके प्रयासों का ही परिणाम है।

आज, जब उनका देहांत हो गया है, तो यह उचित है कि हमारा देश उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करे। इसीलिए, महोदय, मैं भी अन्य सदस्यों के साथ इस बात की आशा करता हूं कि उनका देश उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर और अधिक उन्नति और प्रगति करेगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, हमारे सदन के तीन भूतपूर्व वरिष्ठ सदस्यों की मृत्यु से हम सबको दुख है।

श्री अन्नत प्रसाद धूसिया जी मेरे पड़ोसी थे, बस्ती जिले के थे और बहुधा हम साथ-साथ काम करते थे। उनका सरल स्वभाव और गरीब वर्गों के उत्थान में उनकी गहरी निष्ठा, यह सब पर अपना एक असर डालते थे, जो भी उनसे मिलता था। वह जब संसद सदस्य नहीं रहे, तब भी उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में निरन्तर गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं।

इसी तरह के श्री तुलाराम जी भी थे। इनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर मिला था। यह सामाजिक कामों में बहुत ही गहरी दिलचस्पी लेते थे और रचनात्मक कामों के अन्दर भी इन्होंने काफी काम किया। उन्होंने स्वयं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए और खास तौर से जो भूमिहीन मजदूर थे, उनके लिए निरन्तर, जीवन भर काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिखाये हुए रास्ते पर जिले के लोग चलकर उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे।

कुमारी आभा मैती का इतना सरल स्वभाव था कि जिससे भी वह मिलती थी, उनका हंसमुख चेहरा और उनका सरल व्यक्तित्व सबके ऊपर एक छाप छोड़ता था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे अधिक काम महिलाओं के उत्थान के लिए किया। उनके दिमाग में बराबर ऐसे रचनात्मक सुझाव थे और उनको निरन्तर इस सब के लिए चिन्ता लगी रहती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हमारे देश के निर्बल वर्गों और विशेषकर हमारी महिलाओं का उत्थान होगा।

इन परिवारों तक हमारी पार्टी की संवेदना आप पहुंचा दें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति किम इल सुंग को इतिहास में एक महान क्रांतिकारी और राजनेता के रूप में भी जाना जायेगा। उन्हें आधुनिक कोरिया गणराज्य के निर्माता के रूप में जाना जायेगा। मुझे दो बार उनके मिलने का मौका मिला, पहली बार लगभग 19 वर्ष पूर्व और अन्त में मैं उनसे चार वर्ष पहले ही मिला था।

मैंने अपनी दोनों यात्राओं के दौरान, यह देखा कि उत्तरी कोरिया ने किस प्रकार सभी पहलुओं में उन्नति की है। जीवनशक्ति से पूर्णतः युक्त नई पीढ़ी, उभरती हुई पीढ़ी और युवा पीढ़ी को देखकर हर्ष होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी समस्त भूमि का कृषि के लिए उपयोग किया गया है। वे एक ऐसे इंसान थे, जो हमेशा शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखना चाहते थे तथा वे भारत के एक अच्छे मित्र थे। मेरी पिछली मुलाकात में, उन्होंने विशेष रूप से यह भावना व्यक्त की कि वे चाहते हैं कि अन्य एशियाई देशों के साथ भारत और कोरिया एक साथ मिल कर कार्य करें।

उनका मुख्य उद्देश्य एशियाई देशों में एकता कायम करना था। उन्होंने यह देखा कि आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में विकासशील देशों पर अत्याचार किया जाता है। इसलिए उन्हें इन सभी बातों की चिन्ता थी।

वे विकासशील देशों, विशेष रूप से एशियाई लोगों की एकता के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे थे।

मुझे यह विश्वास है कि उनकी मृत्यु से न केवल कोरिया गणराज्य ही प्रभावित हुआ है, अपितु वे समस्त लोग भी प्रभावित हुये हैं, जो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो नये विश्व का निर्माण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो नई सभ्यता और नई संस्कृति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

अपने दल की ओर से मैं चाहता हूं कि आप हमारी संवेदनायें दक्षिण कोरिया के लोकतन्त्रीय लोगों तक पहुंचा दें।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : किम इल सुंग महोदय ने दूसरे विश्व युद्ध में जब दो कोरिया बने थे, उत्तरी कोरिया का नेतृत्व किया। वे पिछले 46 वर्षों से उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में भारत के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखे। मुझे आशा है कि नये शासनकाल में भी इसी तरह के संबंध बने रहेंगे।

वे शांति और भाई-चारे के लिए शक्तिस्रोत्र थे। उन्होंने संकटकाल के दौरान भारत को अपना समर्थन और सहयोग दिया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समर्थन किया। उनकी मृत्यु से, भारत ने एक अच्छा मित्र खो दिया है।

हमारे तीन भूतपूर्व संसद सदस्यों की मृत्यु हो गई है। उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें याद किया जायेगा।

अ.भा.अ.द्र.मु.क. की ओर से, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजति अर्पित करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं आपके और प्रधान मंत्री तथा सदन में अन्य गणमान्य सहयोगियों के साथ अपनी ओर से और अपने दल की ओर से कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति तथा कोरियन वर्कर्स पार्टी के महासचिव, किम इल सुंग को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

समूचा विश्व जानता है कि वे एक महान देशभक्त थे और समस्त कोरियावासी उनका आदर करते थे। वे साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध सतत और बहादुरी से लड़ते रहे। वे सदैव भारत के मित्र रहे।

कोरियावासियों और भारतवासियों के अनेक ऐसे समान नैतिक मूल्य हैं, जो स्थायी रहेंगे। वे अपने देश में समाजवाद लाने के लिए जीवनभर कार्य करते रहे। वे विश्वशांति बनाए रखने के लिए जीवनभर कार्य करते रहे। वे साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद तथा विश्व में युद्ध भड़काने वाले लोगों के सभी प्रकार के षड्यंत्रों के विरुद्ध जीवनभर लड़ते रहे और कार्य करते रहे। उनका अटल विश्वास था कि अन्ततः समाजवाद की ही विजय होगी। उन्होंने अपने वैज्ञानिक सिद्धान्त को जिसे मार्क्सवाद और लेनिनवाद का वैज्ञानिक और सार्वभौमिक सिद्धांत लागू करने का 'चूजी आइडिया' कहा जाता है, देश की मजबूत स्थिति में वैज्ञानिक समाजवाद के सार्वभौमिक सिद्धान्तों को और सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया।

उनकी मृत्यु से न केवल कोरियावासियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है, अपितु विश्व की उन शक्तियों को भी नुकसान पहुंचा है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रही हैं, जो नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रही हैं, जो शांति की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, जो समाजवाद की स्थापना करने के अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं।

अपने दल की ओर से, मैं एक बार फिर विश्व के उस महान नेता और महान राजनेता को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस बीच की अवधि के दौरान हमने अपने कुछ महत्वपूर्ण साथी खोये।

महोदय, मैं अपने दल और अपनी ओर से श्री अनन्त प्रसाद धूसिया, श्री तुलाराम और कुमारी आभा मैती के दुखद निधन पर गहरा शेक भी प्रकट करता हूं। मुझे कुमारी आभा मैती के साथ निकट से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने दलितों, विशेषकर महिलाओं के उद्धार के लिए कार्य किया।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री डी. वेकटेश्वर राव (बापतला) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति, किम इल सुंग के दुखद निधन पर सदन में व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं। वे एक महान योद्धा, राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और एक महान नेता थे। अध्यक्ष महोदय, वे संपूर्ण कोरिया का विकास उन्हीं की बदौलत हुआ और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उनका गहरा विश्वास था।

अध्यक्ष महोदय, वे पिछले चार दशकों से कोरिया के राष्ट्रपति थे। उनका दुखद निधन न केवल कोरियावासियों के लिए, अपितु सभी एशियावासियों और समस्त जनता के लिए एक दुख की बात है। मैं अपने दल तथा अपनी ओर से कोरिया के स्नेही लोगों को अपनी हार्दिक संवेदनायें प्रकट करता हूं। मैं श्री अनन्त प्रसाद धूसिया, श्री तुलाराम और कुमारी आभा मैती के परिवार के सदस्यों को भी अपनी हार्दिक संवेदनायें व्यक्त करता हूं। महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में दिवंगत आत्मा के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए थोड़ी देर तक मौन रखा जाये।

11.36 म.पू.

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.38 म.पू.

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की रूस यात्रा

*1. **डा. साक्षी† जी :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल ही में रूस की यात्रा पर गये थे;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने रूस के नेताओं के साथ किन-किन मुद्दों पर बातचीत की और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कोई समझौते किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा ये समझौते द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में कहां तक उपयोगी सिद्ध होंगे, और

(ङ) इन समझौतों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

– जी, हां। प्रधान मंत्री ने 29 जून से 2 जुलाई, 1994 तक रूस की यात्रा की।

– अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। विशेष रूप से, आर्थिक, वाणिज्यिक, रक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया गया।

– जी, हां। यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए :

(1) बहुवादी राज्यों के हितों के संरक्षण से सम्बद्ध मास्को घोषणा।

(2) भारत तथा रूसी परिसंघ के बीच विकास को बढ़ाने तथा सहयोग को गहन करने से सम्बद्ध घोषणा।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(5) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(6) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(7) शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष के अन्वेषण तथा उपयोग के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(8) मौसम-विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

(9) माप-विद्या के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

(10) भारत-रूस विमानन प्रा. लि. के गठन से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन।

(11) तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दीर्घावधिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए तथा विशेष उपकरणों की खरीद के लिए भारत गणराज्य को ऋण देने से सम्बद्ध करार का प्रोतोकोल।

प्रत्येक दस्तावेज की मुख्य-मुख्य बातों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। इन करारों तथा समझौता-ज्ञापनों से इन क्षेत्रों में सतत आधार पर सहयोग की एक रूपरेखा तैयार हुई है।

– विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध करारों और मौसम विज्ञान तथा मानकीकरण और माप. विद्या के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापनों में इस आशय के खण्ड हैं कि जब तक दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष इन्हें रद्द न कर दे, तब तक इनकी वैधता अवधि स्वतः बढ़ती जाएगी। संबंधित विभागों ने इन करारों और समझौता ज्ञापनों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी है। भारत-रूस विमानन प्रा॰ लि॰ के गठन से सम्बद्ध करार को कार्यात्मक स्वरूप देने की प्रक्रिया चल रही है और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र मे दीर्घावधिक परियोजनाओं के वित्त-पोषण तथा विशेष उपकरणों की खरीद के लिए भारत को ऋण देने से सम्बद्ध करार का प्रोतोकाल प्रवृत्त हो गया है।

अनुबन्ध

भारत और रूस के बीच सम्पन्न करार

---

1. बहुवादी राज्यों के हितों की रक्षा से सम्बद्ध मास्को घोषणा

आक्रामक राष्ट्रवाद, धार्मिक एवं राजनीतिक उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद से बहुवादी राज्यों को बढ़ते हुए खतरे की स्वीकृति। अन्तर-जातीय, अन्तर-धार्मिक घृणा को उकसाने की अस्वीकार्यता। इन राज्यों की प्रादेशिक अखण्डता का समर्थन। भारत ने रूस की इस चिन्ता को समझा कि पूर्व सोवियत संघ के राज्यों के सभी लोगों के आधारभूत मानवीय अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने तथा प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार तथा भारत के लोगों के प्रयासों की रूस प्रशंसा करता है, सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने, अपनी प्रादेशिक अखण्डता को बनाये रखने, दक्षिण एशिया में विश्वास का माहौल बनाने की दिशा में भारत द्वारा की गई कार्रवाइयों का रूस समर्थन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से इन राज्यों की अखण्डता का सम्मान करने का आह्वान।

2. सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा सघन करने के बारे में

आतंकवाद, विघटन, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने, निरस्त्रीकरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग, व्यापार और पूंजीनिवेश के क्षेत्रों में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, संयुक्त उद्यमों, पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नाभिकीय ऊर्जा,

बाह्य अन्तरिक्ष, यात्री विमान सूचना के क्षेत्रों में सहयोग, संस्कृति एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत ठोस कदम। ताजिक-अफगान सीमा पर तनाव जारी रहने पर चिन्ता। एशिया प्रशान्त क्षेत्र के बारे में तथा अफगानिस्तान की स्थिति के संबंध में दृष्टिकोण का साम्य। अन्तर-ताजिक वार्ता को समर्थन।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग

आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान में सहयोग, सीधे सम्पर्कों को प्रोत्साहन, वैज्ञानिकों वैज्ञानिक सूचना, संयुक्त अनुसंधान, प्रयोगशालाओं का आदान-प्रदान और डिजायन ब्यूरो की स्थापना। आई.एल.टी.पी. के अन्तर्गत अनुसंधान कार्यकलाप, नोडल विभाग-भारत का विज्ञाान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और रूस का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी नीति मंत्रालय।

4. पर्यटन सहयोग : संगठन और कम्पनियों के बीच सम्पर्कों की स्थापना

आप्रवासन/सीमा शुल्क का सरलीकरण/तीन महीने तक के वीजे जारी करने को सुविधाजनक बनाना। आयात और प्रचार-सामग्री के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना। होटल प्रबंध के क्षेत्र में सांख्यिकी तथा अनुभव का आदान-प्रदान। कर्मचारियों के प्रशिक्षण में एक-दूसरे की सहायता। एक-दूसरे के देश में प्रतिनिधित्व का प्रारम्भ दलों का आदान-प्रदान, व्यक्तिगत पर्यटन का संवर्द्धन। नोडल मंत्रालय/विभाग-पर्यटन विभाग, नागर विमानान मंत्रालय, भारत और भौतिक संस्कृति एवं पर्यटन की राज्य समिति, रूस।

5. शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अन्तरिक्ष का अन्वेषण और उपयोग

रूसी अन्तरिक्ष एजेन्सी; रूसी अन्तरिक्ष एजेन्सी और इसरो क्रियान्वयन अभिकरण होंगे। बाह्य अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष औषधि, मानव चालित उड़ान, अन्तरिक्ष उड़ानों के क्षेत्र में सहयोग। संयुक्त परियोजनाओं की आयोजना और संचालन, यान छोड़ने वाले वाहनों, अन्तरिक्ष तथा भू-सुविधाओं का संयुक्त प्रयोग। बौद्धिक सम्पदा संरक्षण। कार्यकारी अभिकरणों के प्रमुखों की बीच वार्षिक आधार पर विचार-विनिमय। आवश्यक होने पर विदेश मंत्रियों के बीच अतिरिक्त बैठकें।

6. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

नोडल एजेन्सी; भारतीय पक्ष की ओर से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा रूसी पक्ष की ओर से सूचना संबंधी राष्ट्रपति समिति नोडल एजेन्सियां होंगी। संयुक्त उद्यम, पाररिस्थितिकीय, चिकित्सा प्रबन्धन, बैंक-व्यवसाय, स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में संयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं आदि में सहयोग। सूचनाकरण नीति संबंधी राष्ट्रपतीय समिति, सूचना प्रौद्योगिकी की पारस्परिक खरीद को प्रोत्साहन। भारत-रूसी संयुक्त आयोग के अन्तर्गत एक कार्यदल की स्थापना।

7. भारत के मौसम विज्ञान विभाग और "रसियन फेडेरल सर्विस फार हाइड्रोमिटियोरोलॉजी एण्ड इन्वारमेंटल मानीटरिंग" के बीच मौसम-विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञापन

मौसम-विज्ञान, पर्यावरणीय मानिटरिंग तथा जलवायु संबंधी क्षेत्रों में संयुक्त कार्य, वैज्ञानिकों, सूचना का आदान-प्रदान और संयुक्त परियोजनाएं। नोडल एजेन्सी-भारत का मौसम विज्ञान विभाग और "रसियन फेडेरल सर्विस फार हाइड्रोमिटियोरोलॉजी एण्ड इन्वारमेंटल मानिटरिंग"।

8. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग

सहयोग के क्षेत्रों में सार्वभौम पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में अवक्षय, जैविकी विविधता का संरक्षण, चीतों और साइबेरिया सारसों का परिरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। लुप्त होती हुई प्रजातियों के व्यापार पर रोक। संगठनों (राजकीय, सार्वजनिक और निजी) के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क को सुविधाजनक बनाना, एक कार्यदल की स्थापना। सहयोग के विभिन्न रूप, संयुक्त परियोजनायें, सूचना का आदान-प्रदान। नोडल एजेन्सी-भारत का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और रूस पर्यावरण संरक्षण प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय।

9. मानकीकरण, माप-विज्ञान और प्रमाणीकरण

नोडल एजेन्सी-भारतीय मानक ब्यूरो और "कमेटी ऑफ रसियन फेडेरेसन फार स्टैण्डर्डाईजेशन मेट्रोलाजी एण्ड सर्टिफिकेसन, एक उप-कार्यदल की स्थापना। मानकीकरण, माप-विज्ञान और प्रमाणीकरण के क्षेत्र में सहयोग संयुक्त अनुसंधान तथा मानक नमूना जांच।

10. रक्षा से सम्बद्ध करार

भारत गणराज्य के लिए तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में दीर्घावधिक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए तथा विशेष उपस्कर खरीदने के के लिए ऋण प्रदान करने से संबद्ध करार – दिनांक 17 सितंम्बर, 1992 के लिए प्रोतोकोल

यह प्रोतोकोल 17 सितम्बर, 1992 के करार में संशोधन करता है तथा ऋण के इस्तेमाल की अवधि को सितम्बर 1996 तक बढ़ाता है। इस करार के तहत 830 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के विशेष उपस्कर वितरित किये जाने हैं। पांच प्रतिशत ब्याज की दर पर सात वर्ष में चुकाए जाने की शर्त कायम रखी गई है।

11. भारत-रूस विमानन (प्रा.) लिमिटेड के गठन से संबंधित करार

भारतीय और रूसी पक्षों की ओर से विमानन उद्योगों के बीच सम्पन्न हुआ। भारतीय साझीदार हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा भारतीय औद्योगिकी साख और विनियोग निगम लिमिटेड है। रूसी साझीदार द मास्को एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन आर्गेनाइजेशन, द मिकोयान डिजाइन ब्यूरो, स्टेट कार्पोरेशन फोर आर्मामेंट्स एक्सपोर्ट रोसबूरोजेनिये तथा द रियाझन स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट हैं।

भारतीय कानून के तहत इस संयुक्त उद्यम का शीघ्र ही पंजीकरण किया जाएगा और भारत तथा तीसरे देशों में रूस में निर्मित सभी वायुयानों के लिए विस्तृत रख-रखाव सहायता और सेवाएं मुहैया कराएगा। इस संयुक्त उद्यम की 400 मिलियन अमरीकी डालर की अधिकृत शेयर पूंजी होगी। इक्यूटी 50:50।

।हिन्दी।

डा. साक्षी जी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर जो सदन के पटल पर रखे हैं, उसके लिये मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रश्न ख में निवेदन किया था कि ये समझौते द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में कहां तक उपयोगी सिद्ध होंगे, माननीय मंत्री ने सुनिश्चित रूप से इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। इसके बाद मैंने प्रश्न किया था कि इन समझौतों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा इसकी भी कोई समय-सीमा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में निश्चित नहीं की है। मैं माननीय मंत्री जी से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर चाहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वह पहले इन प्रश्नों का उत्तर दें उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका यह प्रश्न सप्लीमेंटरी समझा जायेगा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : अध्यक्ष महोदय, जो समझौते भारत और रूस के दरम्यान हुए हैं, उसका सारा ब्यौरा दिया गया है और इसके बारे में जो इम्पलीमेंटेशन है, उसके बारे में भी हमने कुछ निर्णय लिये हैं। हमने कुछ ऐरियाज में कमेटियां बनाई हैं, कुछ ऐरियाज में डिसकशंस हो गये हैं और कुछ होने बाकी है। जो ज्वाइंट कमेटियां हैं, वे भारत में नवम्बर में मिट कर रही हैं और ये जो तमाम बातें हैं, उसमे फाइनली तय होंगी। इसके लिये 6 ग्रुप बना दिए गए हैं, जो कि नवम्बर तक इसकी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हमारी जो ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग होगी उसमें फाइनल निर्णय ले लिये जायेंगे।

डा. साक्षी जी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग "ग" के उत्तर में बताया है कि करार के संबंध में संबद्ध विभागों ने क्रियान्वयन प्रक्रिया पहले से ही शुरू की दी थी, जबकि माननीय प्रधान मंत्री जी 29 जून और 2 जुलाई के बीच रूस यात्रा पर गए थे, जिसके दौरान उन्होंने लगभग एक दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मैं जानना चाहता हूं कि जो समझौते किए गए हैं, इनका कार्यान्वयन कब तक हो जाएगा। आप नवंबर की बात करते हैं, पर इसमें मुझे आशंका इसलिए है, क्योंकि इस संबंध में कई बार लिखित रूप में बता देने के बावजूद भी समझौतों और वादों को पूरा नहीं किया जाता है। इस बारे में मैं छोटा-सा उद्धरण देना चाहता हूं कि अयोध्या के संबंध में जो मामला उठाया गया, उसको वादा करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया। ... **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस तरह से व्यवहार करेंगे तो कोई कैसे अपनी बात कह सकता है। ... **(व्यवधान)**

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने धारा 143 के तहत अयोध्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पर आइए।

डा. साक्षी जी : पूरक प्रश्न में मैं माननीय विदेश मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप निवेदन मत करिए, प्रश्न पूछिए।

डा. साक्षी जी : मेरा प्रश्न है कि द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में ये समझौते कहां तक उपयोगी सिद्ध होंगे और आज तक जो करार किए गए हैं, उनकी क्या उपयोगिता रही है। जब भी भारत से विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री विदेश जाते हैं, तो भीख का कटोरा लेकर जाते हैं, इस बार भी प्रधान मंत्री जी की विदेश यात्रा में यही हुआ है।... **(व्यवधान)**

अब भी ऋण देने का वादा किया गया है। आज तक हमारे मंत्री भीख का कटोरा ले कर विदेशों में जाते रहे हैं।... **(व्यवधान)**

मेरा प्रश्न है कि भारत के मंत्री कब तक भीख का कटोरा लेकर विदेशों में जाते रहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे जो करार होते हैं, इनकी उपयोगिता है?

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : मैं बताना चाहता हूं कि यह जो हाइएस्ट लेबल पर बातचीत होती है, इनमें कुछ मुद्दे तय किए जाते हैं, कुछ पालिसीज तय होती हैं और जो फैसले होते हैं, उनको संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। इस बार भी हाइएस्ट लेबल पर जो बातचीत हुई है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और रूस तथा भारत के संबंधित मंत्रालयों इन चीजों को बैठ कर तय करेंगे। जो बातें तय की गई हैं, उनको संबंधित मंत्रालयों को बता दिया गया है और मंत्रालय अपने काम में जुट गए हैं। सारे काम की हम मानेटरिंग कर रहे हैं, ताकि प्रधान मंत्री जी द्वारा किए गए फैसलों...

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री का चार दिन का रूस का दौरा दो महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित था। पहला रूस से लिए गए भारी ऋण को चुकाने के बारे में है। विशेषतः जब 30,000 करोड़ रु. भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरी में पड़े हैं। पहले जब श्री गोर्बोचोव की सरकार थी, रुबल का मूल्य भारतीय मुद्रा में 19 रुपये के बराबर था। किन्तु रूस के वर्तमान राजनैतिक और आर्थिक विघटन के कारण रुपये का मूल्य परिवर्तित हो गया है। अब एक रूबल 25 रु. के बराबर है।

अतः आज के संदर्भ में, मैं माननीय प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री को बताना चाहता हूं कि भुगतान का तरीका वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर आधारित होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह शर्त अथवा यह दृष्टिकोण भारत और रूस के बीच समझौते के दौरान उभरा है।

मेरा दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और वह प्रौद्योगिकी के अन्तरण के संबंध में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका के दबाव के कारण रूस यह प्रौद्योगिकी भारत को नहीं देना चाहता था। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस मुद्दे को समझौते के दौरान अथवा माननीय प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान चर्चा में उठाया गया था।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, जहां तक भारत द्वारा रूस से लिए ऋण के संबंध हैं। यह सच है कि कुछ समय पहले जब राष्ट्रपति येल्तिसिन भारत में थे, कुछ समझौता किया गया था कि भारत 12 वर्ष तक प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रु. का भुगतान करेगा और रूस इस ऋण के बदले वस्तुएं आयात करेगा।

माननीय सदस्य ने रुपये - रुबल अनुपात के मुद्दे को भी उठाया है। मैं समझता हूं कि जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो हमें भारत और रूस के बीच सम्बन्धों को व्यापक दृष्टि से देखना होगा। भारत को दिए गए यह सभी ऋण उस समय बाजार मूल्य की तुलना में बहुत ही कम दरों पर दिए गए थे।

दूसरे यह 2.5 प्रतिशत विशेष ब्याज पर दिया गया था। अतः इस सभी वर्षों में भारत ने इस ऋण का लाभ उठाया। ऋण के संबंध में समझौते के समय यह अनुपात निर्धारित किया गया था और तद्नुसार हम इससे निपट रहे हैं।

तीसरे, माननीय सदस्य ने क्रायोजनिक इंजन के बारे में भी प्रश्न को उठाया है। भारत की तरफ से आई.एस.आर.ओ. और रूस की तरफ से ग्लेवकोसमोस के बीच एक समझौता किया गया था कि वे हमें यह क्रायोजनिक इंजन सप्लाई करेंगे और दूसरा लाभ हमें यह दिया गया था कि वे हमें तकनीकी जानकारी आदि भी देंगे, लेकिन बाद में अमरीका ने आपत्ति उठाई और समझौते की पुनरीक्षा करने के लिए कहा इसलिए नए समझौते के अनुसार रूस हमें दो अतिरिक्त क्रायोजनिक इंजनों सहित दो क्रायोजनिक इंजन सप्लाई करने के साथ-साथ तीन और क्रायोजनिक इंजन देगा। इस प्रकार नए समझौते के अन्तर्गत भारत, रूस से सात क्रायोजनिक इंजन प्राप्त करेगा, लेकिन इस मामले में, रूस हमें तकनीकी जानकारी नहीं देगा, लेकिन भारत समझौते के अनुसार क्रायोजनिक इंजन लेना जारी रखेगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, प्रश्न तकनीक के अंतरण के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। उन्हें यह प्राप्त नहीं हाने जा रही है।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, विगत में पूर्ववर्ती सोवियत संघ ने कश्मीर के मामलें में दृढ़ता से समर्थन किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से, जो कि सौभाग्यवश यहां उपस्थित हैं, जानना चाहूंगा कि क्या हम अब भी रूस से उसके विघटन के पश्चात नए बने राज्यों से संयुक्त राष्ट्र और अन्यत्र मंचों पर कश्मीर के मामले में पूरे समर्थन की अपेक्षा कर सकते हैं।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, जहां तक कश्मीर मामले का संबंध है, हमनें उनके साथ इस समस्या पर चर्चा की है और अपने विचार रखें हैं कि पाकिस्तान इस प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने का प्रयास कर रहा है। उनके विचार बहुत स्पष्ट हैं और उन्होंने कहा है कि इस मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के अन्तर्गत बातचीत की जानी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रश्न का अन्तर्राष्ट्रीयकरण सहायक नहीं होगा।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : महोदय, भारत रूस को सबसे अधिक तम्बाकू सप्लाई करता है। प्रतिवर्ष भारत से रूस को 40000 टन तम्बाकू निर्यात किया जाता रहा है। लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से, इसमें अड़चन रही है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने रूस के लिए तम्बाकू खरीदने के लिए 100 करोड़ रु. का अग्रिम ऋण दिया है। 27,200 टन तम्बाकू खरीदने के लिए एक समझौता किया गया था, जिसमें से 8,777 टन भारत से नहीं उठाया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या तम्बाकू को ऋण भुगतान प्रक्रिया कार्यक्रम में रखा गया है। जहां तक आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक का संबंध है, यह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां कि तम्बाकू मुख्य फसल है।

श्री आर.एल. भाटिया : जी, हां। महोदय, तम्बाकू को इस करार में रखा गया है। प्रधान मंत्री तम्बाकू के इस मामले पर बहुत स्पष्ट थे कि तम्बाकू, चाय, चमड़े की वस्तुओं, जूतों के ऊपरी

भाग और सायाबा- क सबध में दोनों पार्टियों के बीच तीन वर्ष का भावी समझौता किया जाना चाहिए। इन मदों को इस ऋण व्यवस्था का भाग बनाने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई थी, ताकि भारत इसका निर्यात कर सके। तीन वर्ष योजना को सहमति दी गई है।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : मैं इस संबंध में कुछ और कहना चाहूंगा। मैं इस बात पर बार-बार बल दे रहा हूं कि आन्ध्र प्रदेश में और अन्य स्थानों पर तम्बाकू उगाने वाले किसानों को अब तम्बाकू उत्पादन कम कर देना चाहिए और कुछ अन्य फसलें उगानी चाहिए, क्योंकि सारे विश्व में तम्बाकू ऐसी वस्तु बन गया है, जिसे कोई उपयोग नहीं करना चाहता। इससे केंसर होता है। चिकित्सा विज्ञान ने इसे अनेकों बार सिद्ध किया है। मैं उनसे आम सभाओं में जनसभाओं में इस संबंध में अपील कर रहा हूं। मेरे अपने क्षेत्र में भी तम्बाकू उगाया जाता है और मैं उन्हें सतर्क कर रहा हूं कि हम अनिश्चित काल तक चीन अथवा रूस अथवा अन्य किसी देश में निर्यात की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए, विशेषकर जबकि उनके अपने हालात तम्बाकू को प्राथमिकता नहीं देते, ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें हम सुलझाने के पूरे प्रयास कर रहे है, लेकिन जब तक आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान और हमारे विपक्ष के साथी तम्बाकू के उत्पादन क्षेत्र में निरंतर कमी लाने और उसे अन्धाधुंध बढ़ाने, पर रोक लगाने के अभियान में हमारा साथ नहीं देते, तब तक हम एक सीमा स आग नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कुछ समय से इन राज्यों में ऐसा ही हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, रूस,और भारत में मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनः शुरुआत हुई है, यह स्वागत योग्य बात है और प्रधान मंत्री जी ने यह यात्रा की। मैं प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत रूस के संबंधों में आज की परिस्थिति में दृष्टकोण में कोई परिवर्तन आया है, अगर कोई परिवर्तन आया है, तो वह क्या है? दूसरा यह कि भारत की सुरक्षा परिषद की सदस्यता के बारे में कोई चर्चा हुई थी, यदि हां तो उसके बारे में कोई आश्वासन मिला?

श्री आर.एल. भाटिया : रूस और हमारे बहुत पुराने और गहरे संबंध में और तमाम ऐरियाज में हमारे एक दूसरे से काफी सहानुभूतिपूर्ण संबंध हैं। एक-दो ऐरियाज ऐसे हैं, जहां हमारे डिफ्रेंस परसैप्शन्स है, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारे दोनों मुल्कों में सहानुभूति है। आपने सिक्यूरिटी कौंसिल का जिक्र किया :

[अनुवाद]

जैसा कि मैंने कहा, जहां तक एन.पी.टी. और अन्य क्षेत्रों का संबंध है, हमारी कुछ भिन्न धारणाएं हैं।

[हिन्दी]

लेकिन जहां तक सुरक्षा परिषद की यू.एन.ओ. की बात की गयी है, शायद री-स्ट्रक्चर से आपका मतलब होगा तो वह भारत का दृष्टिकोण है कि इसका री-स्ट्रक्चर होना चाहिये, यह डैमोक्रटाईज होना चाहिये और इसमें तमाम

डा. छत्रपाल सिंह : सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है, उनमें भारत होगा या नहीं, यह अभिप्राय है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। उनका मतलब वह नहीं था, उनका मतलब दूसरा था, कुछ ऐसा मैं समझता हूं।

श्री आर.एल. भाटिया : तो हमारा ये ख्याल है कि जब ये बना था तो उस वक्त कम मैम्बर थे। आज बहुत ज्यादा तादाद हो गई है। ये रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए और इसमें तमाम लोगों के एरियाज का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है, रूस इसका समर्थक होगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे को और ठोस रूप में रखूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैत्री और सहयोग संधि, जो हमारी पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ थी, क्या उसी प्रकार इस क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में भी बनी रहेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान रूस भारत को पहले की भांति अत्यंत प्रिय राष्ट्र मानता है, जैसा कि अद्यपूर्व सोवियत संघ मानता था अथवा जहां तक इस क्षेत्र का संबंध है, वे हमें भी पाकिस्तान के बराबर मानते हैं।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, रूस भारत को घनिष्ठ मित्र मानता है और सभी स्तरों पर उनके हमारे साथ संबंध और सहयोग हैं। जहां तक 1971 के समझौते का संबंध है, समझौते का खंड 9 जो कि एक सुरक्षा खंड था, वह जब नहीं है। अन्यथा संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सहयोग है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो करार हुआ है प्रधान मंत्री जी और सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति जी के दरम्यान, उसमें डिफेन्स के स्तर पर हमारी एयर फोर्स को बहुत लाभ हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हम लोगों का 70% आर्डर डिलीवर करने के लिए नेवी के स्तर पर वह नहीं हो पाया है और क्या यह भी सही है कि रशियन नेवल चीफ ने जो 40,500 टन के एक बी क्लास ऐयरक्राफ्ट कैरियर देने के लिए वचन दिया था, वह अभी तक नहीं दे पाए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रूस में जो वार्ता हुई है, उसके दरम्यान हमारी नेवी को सहायता पहुंचाने के लिए क्या बात हुई है?

श्री आर.एल. भाटिया : जो हमारी डिफेन्स को-आपरेशन उनसे हुई है, उसमें एक तो भारत में जोइंट वेन्चर होगा जिसमें हमारे मिग वगैरह होंगे। दूसरा यह है कि एक कमेटी बनी है, जिसमें रूस और भारत के प्रतिनिधि होंगे जो देखेंगे कि डिफेन्स के मैटर्स में क्या को-आपरेशन और जरूरी है। जहां तक आपने नेवल शिप की बात की है, इसके लिए उनके डिफेन्स मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवयत यूनियन विघटित हो गया, वार्सा संधि भी समाप्त कर दी गई, लेकिन NATO अभी तक कायम है। न केवल कायम है, NATO का विस्तार किया जा रहा है। तो निःशस्त्रीकरण की जो बातें कहीं जाती हैं, उसके साथ NATO को सुदृढ़ करने और उसके विस्तृत करने में कहां तालमेल है? क्या रूस के नेताओं के साथ इस प्रश्न पर चर्चा हुई कि भारत ने NPT के संबंध में और मिसाइल विकसित करने के संबंध में जो नीति अपनाई है, उसमें उनका दृष्टिकोण क्या है, या हम समझे कि उनका और अमेरिका का दृष्टिकोण एक ही है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, वे हमारी स्थिति भलीभांति जानते हैं और उन्होंने मेरे दौरे के दौरान इसे बिल्कुल नहीं उठाया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर प्रधान मंत्री जी इस उत्तर से संतुष्ट है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं रक्षा के संबंध में ही एक सवाल प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं। आज की स्थिति में, रक्षा के मालमे में, भारत में 85 फीसदी हथियार रूप से खरीदे हुये हैं। यहां मैं देख रहा हूं कि डिफेंस रिलेटिड एग्रीमेंट के नाम पर जो कुछ लिखा हुआ है, उसमें रूस और हम लोगों के बीच हथियार खरीदने के बारे में कोई चीज स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई 830 मिलियन डालर की बात हो रही है, लेकिन जब 85 फीसदी हमारे हथियार रूस से खरीदे हुये हैं, उन्हें काम के लायक बनाये रखने के लिये, उनके लिये जो आवश्यक पुर्जे और अन्य सामग्री की आवश्यकता है, उस संबंध में प्रधान मंत्री जी की क्या बात हुई और क्या फैसले हुये।

श्री आर.एल. भाटिया : इस संबंध में रूस ने हमको 830 मिलियन डॉलर्स का कर्ज दिया है, जिससे हम अपने आवश्यक पुर्जे उनसे ले सकते हैं, ईक्विपमेंट्स उनसे ले सकते हैं और हमारे जो वैपन्स हैं उनको अपडेट करने के लिये आवश्यक उपकरण उनसे ले सकते हैं। इस कम के लिये रूस ने हमें 830 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रसोई गैस का समानांतर विपणन

*2. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों को देश में रसोई गैस के समानांतर विपणन की अनुमति दी गई तथा इस प्रकार की अनुमति के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या उनके द्वारा रसोई गैस के आयात, भंडारण, सुरक्षा, मूल्य तथा सिलेंडर भरने संबंधी प्रबंध कर लिए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली कोई प्रभार राशि निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या इन कम्पनियों का निर्धारित समयावधि के भीतर विपणन शुरू करने का विचार है, और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी कम्पनियों को एल.पी.जी. का आयात करने और बाजार आधारित कीमतों पर ऐसे आयतित एल.पी.जी. की बिक्री के लिए अपनी सुविधाओं तथा वितरण नेटवर्क की स्थापना करने/प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत जो निजी पार्टिया कार्य करने की इच्छुक हैं, उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अपने कार्य चलाने हेतु किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। तथापि उन्हें सुरक्षा, पर्यावरण आदि संचालित करने वाले संगत अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अनुरूप आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना है। फिलहाल कोई भी निजी पार्टी एल.पी.जी. के आयात के लिए अपनी सुविधाओं सहित तैयार नहीं है। 11 निजी पार्टियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के साथ एल.पी.जी. के आयत के लिए बंदरगाहों पर उनकी संभाल एवं भंडारण क्षमता के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनेक पार्टियों ने अपनी सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनायी है। विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक ने 14 भराई संयंत्रों के लिए लाइसेंस पहले ही दे दिए हैं तथा समानांतर विपणकर्त्ताओं द्वारा 61 अन्य एल.पी.जी. भराई संयंत्र स्थापित किए जाने संबंधी योजना को मंजूरी दी है।

(घ) से (च) सरकार ने ग्राहकों से लिया जाने वाला कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया है। तथापि सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ समानांतर विपणनकर्त्ता वितरकों और ग्राहकों से जमा ले रहे हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे उन समानांतर विपणनकर्त्ताओं द्वारा जमा राशि लेने पर पाबंदी लगाएं, जो इन उत्पादों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था किए बगैर ऐसा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि वे समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलापों को हाथ में लेने के इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों की यथार्थता, पूर्ववृत्त और क्षमताओं को सत्यापित करा लें और उन व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करें जो धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं। आम जनता को भी उचित सुझाव दिया गया है तथा प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे समानांतर विपणनकर्त्ताओं के साथ किसी भी तरह का कार्य व्यापार करने से पूर्व उनके पूर्ववृत्त, यथार्थता और क्षमता के बारे में अवश्य पता लगाएं। एम.आर.टी.पी. आयोग भी उन व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, जो कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं।

(छ) और (ज) आशा है कि निजी पार्टियां अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलाप आरंभ करेंगी। यद्यपि कुछ पार्टियों ने पहले ही एल.पी.जी. का आयात कर लिया है, जिसके एक बड़े भाग को सिर्फ थोक ग्राहकों को बेचा गया है।

[हिन्दी]

तेल आयात बिल

*3. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल आयात बिल में कटौती करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) गत वर्ष की तुलना में 1993-94 के दौरान तेल आयात बिल में कितने प्रतिशत कटौती की गई, और

(घ) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की मात्रा स्वदेशी स्रोतों से कच्चे तेल और उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाती है। बढ़ाए गए तेल उत्पादन, बढ़ाए गए रिफाइनरी उत्पादन, तेल उत्पादों के संरक्षण और प्रतिस्पर्द्धात्मक खरीद के माध्यम से बिल में कमी करने के प्रयास किए जाते हैं।

1993-94 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए 6.958 बिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई थी। इसकी तुलना में 1993-94 का वास्तविक आयात बिल लगभग 785.471 बिलियन अमरीकी डालर था। मूल अनुमोदित आयात बिल की तुलना में 1993-94 के दौरान तेल आयात बिल में 1.487 बिलियन अमरीकी डालर की कमी अनुमानित है।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 का तेल आयात बिल लगभग 10 प्रतिशत कम है।

(घ) सरकार ने वर्ष 1994-95 हेतु 5.980 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित मूल्य पर 24.230 एम.एम.टी. कच्चे तेल और 14.773 एम.एम.टी. पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का अनुमोदन किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*4. **श्री ललित उरांव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी धनराशि दी गई;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए राज्य को शीर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है, और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान बिहार में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को आबंटित और जारी की गई तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :

(लाख रु.)

वर्ष	विकास		रखरखाव और मरम्मत	
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1991-92	1142.00	1292.81	1012.30	1089.73
1992-93	1385.00	1384.91	1072.66	1072.73
1993-94	1920.00	1920.00 (अनन्तिम)	1276.45	1276.45 (अनन्तिम)

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए राज्य को आबंटित/जारी की गई राशि के शीर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(लाख रु.)

वर्ष	विकास	रखरखाव
	आबंटित राशि	जारी की गई राशि
1994-95	1700.00	581.78 (6/94 तक)

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है तथा निधियां राष्ट्रीय राजमार्गवार आबंटित नहीं की जाती, बल्कि राज्यवार आबंटित की जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान खर्च की जाने वाली संभावित राशि के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

किराये के भवनों में डाकघर

*5. **श्री छेदी पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई डाकघर किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार किराये के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) डाकघर भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं, और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डाक प्रचालन कार्यों की कार्यकुशलता बहुत हद तक खुले और भली-भांति डिजाइन किए गए भवनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अतः डाक विभाग की आनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में एक उद्देश्य डाकघरों और डाक कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण करना भी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, डाक विभाग ने भवनों के निर्माण पर 155.55 करोड़ रुपये खर्च किए। डाकघरों और डाक कार्यालयों के लिए भवनों के निर्माण के प्रयोजन से गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई धनराशि निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

1991-92	1992-93	1993-94
19.30	20.00	25.95

2. किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों और डाक कार्यालयों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए किराए का सर्किलवार ब्यौरा इस संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि, राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते, इसलिए विवरण में जानकारी डाक सर्किलवार दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान डाकघरों के लिए दिए गए किराए का सर्किलवार ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र.सं.	डाकघर सर्किल	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13995136	15095962	16246145
2.	असम	2430550	2436740	2512975
3.	बिहार	5239900	5239900	5239900
4.	दिल्ली	2294278.58	2811738.04	2568638.09

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	6054970	6297930	6308044
6.	हरियाणा	1301994	1397758	1522638
7.	हिमाचल प्रदेश	1574000	1703000	1814000
8.	जम्मू और कश्मीर	1471226	1350871	1365386
9.	कर्नाटक	9311419	10387443	12078012
10.	केरल	13190155	12300066	13273668
11.	मध्य प्रदेश	6024194	5648120	6513740
12.	महाराष्ट्र	28431099.72	30652682.54	24237881.51
13.	उत्तर पूर्व	2487178	2764829	2930810
14.	उड़ीसा	4877010	4726840	5732116
15.	पंजाब	2371611.48	2383477.10	2485168
16.	राजस्थान	3377564.48	3697264.48	4227442.92
17.	तमिलनाडु	14674708	14047428	15243947
18.	उत्तर प्रदेश	11122916.07	12535774.65	13657437.48
19.	पश्चिम बंगाल	12500000	10600000	12200000
	कुल	142729910	146077823.81	150157949

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र

*6. **श्री चित्त बसु :**
श्री मंजय लाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य राज्यों में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बिजली की मांग और उत्पादन संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) भारत में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितनी विदेशी/गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया जायेगा;

(घ) ऐसी विद्युत परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इनकी स्थापना कहां-कहां की जायेगी, और

(ङ) विदेशी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के लिए निर्धारित की गई शर्तें क्या-क्या हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) दिल्ली तथा अन्य राज्यों में अप्रैल-जून, 1993 और अप्रैल-जून, 1994 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) 73386 करोड रुपये के निवेश से 22432 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने के लिए अभी तक विदेश अवस्थित निजी कम्पनियों (अनिवासी भारतीयों समेत) और संयुक्त उद्यमों से 35 परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कम्पनियों (विदेशी तथा स्वदेशी दोनों प्रकार की कम्पनियों) द्वारा निवेश किए जाने से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

अप्रैल, 93-जून, 93 और अप्रैल 94-जून, 94 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/ प्रणाली का नाम	ऊर्जा की आवश्यकता (आंकड़े मि.यू. निवल में)	
	अप्रैल, 1993 – जून, 93	अप्रैल, 94-जून, 1994
1	2	3
चंडीगढ़	173	192
दिल्ली	2860	3140
हरियाणा	2730	2790
हिमाचल प्रदेश	356	402
जम्मू और कश्मीर	855	955
पंजाब	5040	5360

1	2	3
राजस्थान	3625	3970
उत्तर प्रदेश	8020	9185
गुजरात	7620	8110
मध्य प्रदेश	5490	6210
महाराष्ट्र	11295	11895
गोवा	205	242
आंध्र प्रदेश	6665	6885
कर्नाटक	5370	5460
केरल	1905	2072
तमिलनाडु	6675	7325
बिहार	2175	2280
डी.वी.सी.	1920	1920
उड़ीसा	2135	2250
पश्चिम बंगाल	3185	3360
अरुणाचल प्रदेश	37.4	41.3
असम	558.4	567.8
मणिपुर	70.3	77.2
मेघालय	65.6	75.8
मिजोरम	27.6	32.6
नागालैंड	30.6	31.3
त्रिपुरा	66.1	73.0
अखिल भारत	79155	84902

विवरण-II

अप्रैल, 93-जून, 93 एवं अप्रैल, 94-जून, 94 के दौरान राज्यवार/प्रणालीवार विद्युत उत्पादन

राज्य/प्रणाली का नाम	ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.)	
	अप्रैल, 93-जून, 93	अप्रैल, 94-जून, 94
1	2	3
बी.बी.एम.बी.	3243	2761
दिल्ली	1656	1703
जम्मू व कश्मीर	868	892
हिमाचल प्रदेश	673	1344
हरियाणा	659	876
राजस्थान	2060	2240
पंजाब	2903	3015
उत्तर प्रदेश	11917	13205
गुजरात	6731	7522
महाराष्ट्र	10429	11717
मध्य प्रदेश	8536	8908
आंध प्रदेश	7821	6985
कर्नाटक	3642	3786
केरल	1504	1495
तमिलनाडु	7108	8286
बिहार	783	705
उड़ीसा	1046	804
पश्चिम बंगाल	4092	4717

1	2	3
डी.वी.सी.	1504	1767
सिक्किम	7	9
असम	215	294
मेघालय	382	330
त्रिपुरा	38	41
मणिपुर	160	154
जोड़ अखिल भारत	77977	83556

विवरण-III

परियोजनाओं की सूची, जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा रुचि दर्शाई गई

क्र. सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जैगुरूपाडु जी.बी.पी.पी./ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	827.00	जी.वी.के. इण्डस्ट्रीज, यू.एस.ए.
2.	काकीनाडा जी.बी.पी.पी./ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. यू.एस.ए.
3.	विशाखापट्टनम टी.पी.एस./ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	3000.00	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर (यू.के.)
4.	कामेंग एच.ई.पी./ अरुणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय	600.00 (हाइडल)	1800.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्नोवी माउंटेन्स इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)

5.	खारसांग जी.बी.पी.पी./ अरुणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	48.00 गैस	168.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्नोवी माउंटेन्स इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)
6.	अमगुरी जी.बी.पी.पी./असम	विदेशी	360.00	1280.00	नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्क. यू.एस.ए./ आगरा इण्डस्ट्रीज
7.	पागथान जी.बी.पी.पी./ गुजरात	विदेशी/भारतीय	645.70 (गैस)	2178.14	गुजरात टोररेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./ सिमेंस, जर्मनी
8.	लिग्नाइट आधारित टी.पी.एस./ गुजरात	विदेशी	250.00 (लिग्नाइट)	875.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल
9.	हिसार टी.पी.एस./हरियाणा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.00	कांजेंट्रिक्स इन्क. यू.एस.ए.
10.	यमुनानगर टी.पी.एस./	विदेशी	1000.00 (4x250) (कोयला)	3500.00	आईजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल
11.	हिब्रा एच.ई.पी./हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (हाइडल)	708.50	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यू.एस.ए.
12.	धामवारी एच.ई.पी./ हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाइडल)	245.00	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6
13.	मंगलौर टी.पी.एस./कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कांजेट्रिक्स इन्क. यू.एस.ए.
14.	मंगलौर टी.पी.एस./कर्नाटक	भारतीय/ विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. नेशनल पावर (यू.के.)
15.	अलमाट्टी डैम एच.ई.पी./ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (हाइडल)	1800.00	एशिया पावर कं. लि. (टापको) यू.एस.ए., कर्नाटक पावर कारपोरेशन
16.	होस्पैट टी.पी.एस./कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1x500) (कोयला)	1350.00	हॉक इन्टरकोंटिनेंटल लि., यू.एस.ए.
17.	रायचूर चरण-5 टी.पी.एस./ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इण्ड, इन्क. (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यू.एस. कर्नाटक पावर कारपोरेशन
18.	थ्रिक्कारीपुर टी.पी.पी./ केरल	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	1480.00	एम.ए.एल.–मजरूई जन. ट्रेडिंग एस्ट यूएई स्कैप्चर पावर कं. यू.एस.ए.
19.	दभोल सी.सी.जी.टी. (एस.एन.जी.) महाराष्ट्र	विदेशी/	2015.00 (लिग्नाइट)	9051.27	एन्रोन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन एण्ड जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, यू.एस.ए.

20. खापरखेड़ा टी.पी.एस. यूनिट 5 व 6/महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1632.00	अरान्को लाइन शिप्पिंग कं. (माल्टा/सिंगापुर) आर.आर. एसोसिएट्स
21. भद्रावती टी.पी.एस./ महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	इस्पात एल्लॉयस लि./मित्सुई (जापान)
22. तलचेर टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज यू.एस.ए.
23. कामलांगा (धानकनाल टी.पी.एस.)। उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	इण्टरनेशनल इक्वीटी पार्टनर्स एल.पी. यू.एस.ए.
24. इब घाटी टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	2025.60	ए.ई.एस. कारपोरेशन, यू.एस.ए.
25. इब घाटी टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (कोयला)	10500.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं., इजरायल
26. डुबरी टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी/ भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन/नार्थ-ईस्ट एनर्जी सर्विसिज इन्क. यू.एस.ए./उड़ीसा सरकार

1	2	3	4	5	6
27.	लापांगा टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1750.00	पायोनियर एनर्जी इन्क. यू.एस.ए./ड्यूक इंजीनियरिंग सर्विसिज
28.	बरसिंहसर टी.पी.एस./ राजस्थान	विदेशी	240.00 (2x120) (लिग्नाइट)	585.73	कोलमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम) (अब बोली के अंतर्गत सौंपी जा रही हैं)
29.	कुड्डालूर टी.पी.एस./ तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	इण्टरनेशनल कन्ट्राक्टिंग एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, यू.एस.ए.
30.	पिल्लईपैरूमलनैल्लूर सी.सी.जी.टी./तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (2x100+ 1x100) (गैस)	429.49	पी. विजयकुमार रेड्डी, माकोवस्की एसोसिएट्स, यू.एस.ए.
31.	जीरो यूनिट (एन.एल.सी.)/ तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1x210) (लिग्नाइट)	750.00	एस.टी. पावर सिस्टम्स इन्क. यू.एस.ए.
32.	जायमकोण्डम लिग्नाइट/ टी.पी.एस./तमिलनाडु	भारतीय/विदेशी	1500.00 (3x500) (लिग्नाइट)	4500.00	जायमकोण्डम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन लि. (टिडको), मकनैल्ली भारत जर्मनी

33. रोसा टी.पी.एस./उत्तर प्रदेश	विदेशी/भारतीय	750.00 (3x250) (कोयला)	2625.00	इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स/ पावर जेनरेशन यू.के.
34. सागरदीघी टी.पी.एस./ प. बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. सीएमएस, यू.एस.ए. जेनरेशन एण्ड डब्ल्यूबीएसईबी
35. डान्कूनी जी.बी.पी.पी./	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	40.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज यू.एस.ए.
		22431.70	73385.86	

विवरण-IV

विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए अधिकाधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त

विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है :

* विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों हेतु नया विधि सम्मत, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को संशोधित किया गया है।

* निजी क्षेत्र की किसी भी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पवन/सौर ऊर्जा परियोजना अधिष्ठापित कर सकते हैं।

* ऐसी विद्युत परियोजनाएं, जिनकी कुल मिलाकर परिव्यय की राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती, उन्हें केन्द्रीय प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

* निजी क्षेत्र की कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम अधिष्ठापित कर सकती हैं।

* इसके पश्चात्, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी निजी कंपनियां ऋण इक्विटी 4 : 1 के अनुपात में अनुमत्य होगी।

* प्रवर्तक के अंशदान की न्यूनतम राशि समग्र परिव्यय की राशि का 11 प्रतिशत होनी चाहिये।

* यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र हेतु निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने में परियोजना की समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा की कम से कम 60 प्रतिशत राशि निश्चय ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिये।

* विदेशी निजी निवेशकों द्वारा परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के मामलों में शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

* निर्यात अर्जन के जरिए तुलन लाभांश की शर्त, जो कि 51 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के मामलों में सामान्यतः लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निजी निवेश पर लागू नहीं होगी।

* परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

* ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्त्ता (सप्लाईकर्त्ताओं) अथवा एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के अनुमोदन से विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात की अनुमति भी दी जाएगी।

* विद्युत उपस्कर के आयात हेतु सीमा शुल्क की राशि में 20% की कटौती की गई है तथा विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी हेतु भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।

* विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु भारत में किसी भी स्थान पर नए औद्योगिक उपक्रम अधिष्ठापित करने पर लाभांश के बारे में पांच वर्ष तक कर की छूट की अनुमति दी जाएगी। पांच वर्ष की कर छूट की अवधि की शुरुआत वह वर्ष माना जाएगा, जिस वर्ष से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा।

* विद्युत क्षेत्र के अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों पर उत्पादन शुल्क को घटाकर कम दर पर कर दिया गया है।

* टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है।

* निर्धारित लागतें 68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर वसूल की जा सकेंगी। अधिक संयंत्र भार अनुपात पर कार्य निष्पादित किए जाने के लिए आकर्ष का प्रावधान किया गया है।

विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए निम्न प्रोत्साहनों के प्रस्ताव रखे गए हैं :

* मानक मानदंड, जिनके अधीन विद्युत उत्पादन कंपनियां प्रचालन कार्य करेगी, इनको अधिसूचित कर दिया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रदत्त एवं निर्धारित इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश अर्जित किया जाए।

* विद्युत उत्पादन कंपनियां, जिनका प्रचालन कोयला, गैस पर आधारित है और जल विद्युत परियोजनाएं समुचित निर्धारित टू-पार्ट-टैरिफ के आधार पर विद्युत बेच सकेंगी।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन निम्नवत हैं :

* दीर्घावधि के लाइसेंस पहली बार 30 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा तथा अनुवर्ती नवीकरणों की अवधि 20 वर्ष होगी, जबकि पहले यह अवधि क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष थी।

* आर.बी.आई. की दर से 2 प्रतिशत अधिक पहले की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत उच्च लाभांश की दर।

* आर.बी.आई. की दर से एक प्रतिशत अधिक पहले वाली दर की अपेक्षा वास्तविक लागत (विस्तार परियोजनाओं हेतु भी) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण।

* ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोजन।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

*7. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में विदेशी साम्य पूंजी भागीदारी को ध्यान में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भागीदारी में विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कितने-कितने प्रतिशत साम्य पूंजी लगाई जायेगी और अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मार्ग निर्देश तैयार किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सी-हॉट आधारित प्रौद्योगिक का भविष्य क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, संसाधनों का अंतर कम करने के लिए निजी निवेश और निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी अनुसंधान और विकास के लिए उपयुक्त वित्त पोषण तंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया है, ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय मांग की पूर्ति कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी कर सके।

ताप्ती गैस क्षेत्र

*8. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के अपतटीय ताप्ती गैस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में गैस की उपलब्धता संबंधी नवीनतम आंकलन क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र से उपलब्ध गैस हजीरा तथा पोपावाव प्रस्तावित विद्युत संयंत्र में गैस की कमी को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने ताप्ती गैस क्षेत्र से गैस सप्लाई करने तथा सड़क मार्ग से हजीरा तक गैस ले जाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(च) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य ताप्ती तथा दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों में दोहन योग्य भंडार 31526 एम.एम. 3 हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जिस कम्पनी संघ ने मध्य ताप्ती क्षेत्रों के विकास के लिए बोली दी थी, उसमें गुजरात सरकार के दो उपक्रम भागीदार थे। बोली को स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

पर्यावरणीय कार्य योजना

*9. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने विश्व बैंक की स्वीकृति से विभिन्न राज्यों में विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक से इस कार्य हेतु कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की यह सुनिश्चित करने हेतु कौन-सी योजनाएं हैं, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन निम्नतम हो, और

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सभी संयंत्रों में पर्यावरणीय योजना कब तक लागू कर दी जाएगी ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में अपने विद्युत संयंत्रों के सम्बन्ध में एन.टी.पी.सी. की पर्यावरणीय कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

(1) जहां कहीं भी आवश्यक हो इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों में सुधार लाना।

(2) व्यापक अपगामी उत्सर्जन स्कीमों का कार्यान्वयन।

(3) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन और पुनर्वास (आर एण्ड आर) नीति के अनुसार पुनः स्थापन और पुनर्वास कार्य योजना का क्रियान्वयन।

(4) पारिस्थितिकी मानिटरिंग अध्ययन कार्य, भूमि पर होने वाले प्रदूषण की मानिटरिंग से सम्बन्धित अध्ययनकार्य आदि करना।

कार्ययोजना के एक भाग के लिए आवश्यक निधियां, एन.टी.पी.सी. के विद्युत उत्पादन परियोजना ऋण, जिसकी राशि 400 मिलियन अमरीकी डालर है, के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के निम्नतम उत्सर्जनों की संभावनाओं का पता लगाने हेतु अध्ययन कार्य कर दिए गए हैं।

(घ) वर्तमान में कार्यनिष्पादित की जाने वाली गतिविधियों को अभिज्ञात करने हेतु, 1998-99 तक सोपानबद्ध रूप से क्रियान्वयन के लिए पर्यावरणीय कार्ययोजना तैयार की गई है।

तेल और गैस की खोज

*10. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में तेल और गैस की खोज के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं तथा इस संबंध में क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने अब तक दोहन खंडों के लिए बोली देने के लिए बोली के सात दौरों में भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है। हाल ही में सम्पन्न हुए बोली के सातवें दौर में निम्नलिखित बेसिनों में से 45 खंड इस कार्य हेतु सौंपे गए हैं :

क्र.सं.	बेसिन
1	2
	तटीय
1.	असम-अराकन
2.	बंगाल
3.	कम्बे
4.	कावेरी
5.	गुजरात-कच्छ
6.	कृष्णा-गोदावरी

1	2
7.	पंजाब
8.	पूर्णिया
9.	राजस्थान
	तट से दूर
10.	अंडमान
11.	बंगाल
12.	कावेरी
13.	कृष्णा-गोदावरी
14.	सौराष्ट्र

बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 30-6-1994 तक 10 खंडों के लिए 12 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) तथा (घ) बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

जल विद्युत क्षमता

*11. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अत्यधिक जल विद्युत क्षमता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कितनी जल विद्युत क्षमता उपलब्ध होने का अनुमान है, और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्वीकृत की गई जल विद्युत इकाइयों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 60 प्र. भार तत्व के आधार पर आंकी गई पन बिजली क्षमता उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रमशः 30155 मे.वा. और 31857 मे.वा. है।

(ग) विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा तथा राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये योजना आयोग द्वारा पन बिजली योजनावार अनुमोदित निवेश संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों में योजना आयोग/भारत सरकार द्वारा उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वीकृत पन बिजली परियोजनाएं

परियोजना का क्षेत्र/राज्य/ नाम तथा कार्यान्वयन एजेंसी	स्थापित क्षमता मे.वा.	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4
1991-92			
उत्तरी क्षेत्र			
धोली गंगा	4x70=280	601.98	8-4-91
चरण-I			
(एन.ई.पी.सी.)			
(केन्द्रीय सरकार का उपक्रम)			
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
नौरंग			
(अरुणाचल प्रदेश सरकार)	3x2=6	9.85	19-8-91
सरलुयुई "ख"			
(मिजोरम सरकार)	2x4.5=9	41.57	31-10-91
1992-93			
उत्तरी क्षेत्र			
शून्य			
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
शून्य			

1	2	3	4
1993-94			
उत्तरी क्षेत्र			
टिहरी-चरण-I (उ.प्र.)	4x250=1000	3391.40	15-3-94
टी.एच.डी.सी.			
(भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)			
शाहपुर कांडी	2x40+2x40+	895.08	5-7-93
(पंजाब सरकार)	1x6=168		
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
कोपिली चरण-I विस्तार	2x50=100	110.00	14-5-93
(नेपको)			
(केन्द्रीय सरकार का उपक्रम)			

दूर संचार तंत्र का विस्तार

*12. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार तंत्र के विकास और विस्तार के लिए सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या स्वीडन दूरसंचार विस्तार कार्यक्रमों में भारत की सहायता करने के लिए राजी हो गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों ने इस संबंध में रुचि दिखाई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के आधार पर धनराशि की आवश्यकता का अनुमान 40555 करोड़ रुपये लगाया गया है। तथापि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के अन्तर्गत लक्ष्यों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

(1) 1-4-97 तक मांग करने पर दूरभाष सेवा प्रदान करना।

(2) सभी गांवों में सार्वजनिक दूरभाष सुविधा प्रदान करना।

इन संशोधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये लगभग 23000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी, जोकि अंशतः निजी क्षेत्र से और अंशतः दूरसंचार विभाग की ओर से जुटाया जाना है।

(ख) इस संबंध में स्वीडन से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*13. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार किन-किन सड़कों/राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की जाने वाली सड़कों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों के कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित आबंटन के आधार पर, अभी तक केवल एक सड़क अर्थात आंध्र प्रदेश में कुरनूल-चितूर को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना संभव हो पाया है।

(ख) अभी से उन सड़कों के ब्यौरे बता पाना संभव नहीं है, जिन्हें 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है।

(ग) वार्षिक योजना (1994-95) में 336.05 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 245 पुलों और 8वीं योजना में 80 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के 429 पुलों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है।

मुरारी समिति की रिपोर्ट

*14. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग संबंधी मुरारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि, हां, तो 1994 के दौरान, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में किन-किन सिफारिशों को लागू करने का विचार है; और

(ग) क्या देश में रुग्ण एककों के लिए 1 जुलाई, 1994 से किसी राहत की घोषणा की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर अभी तक राहतों की कोई घोषणा नहीं की गयी है, परन्तु अन्तर-मंत्रालयी स्तर पर सिफारिशों पर विचार करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गयी है।

राष्ट्रीय खनिज नीति

*15. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई राष्ट्रीय खनिज नीति में संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों में विदेशी निवेश संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं, और

(ग) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी और हिन्दुस्तान जिंक लि. तथा विदेशी खनन कम्पनियों के बीच जिन नई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के बारे में विचार किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। गैस-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के बारे में राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि उच्च मूल्य एवं दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन के क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी भागीदारी का प्रवेश बढ़ाया जायेगा। भारतीय कम्पनियों द्वारा खनन के क्षेत्र में प्रवृत संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर साम्य पूंजी के विदेशी निवेश को 50 प्र. तक सीमित रखा जाएगा, परन्तु यह सीमा किसी खनिज संसाधन उद्योग की अपनी खानों पर लागू नहीं होगी। अलग-अलग मामलों के आधार पर बढ़ी हुई साम्य पूंजी धारिता पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) उद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि. ने किसी संयुक्त उद्यम परियोजना में प्रवेश नहीं किया है। हिन्दुस्तान जिंक लि. व आस्ट्रेलिया की न्यूगिनी खनन कम्पनी ने भारत में ज्ञात स्वर्ण संभावना/भंडारों का मूल्यांकन और विकास करने के लिए दिनांक 18-7-1994 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि

*16. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** :
श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 28 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 761 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के दल ने केन्द्रीय सड़क निधि के संबंध में पारित संकल्प को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में संशोधित प्रास्कलनों के अनुसार वृद्धि की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सड़क निधि से धन आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं, और

(ङ) केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि का आबंटन न किये जाने के कारण जिन निर्माणाधीन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होने तक, निधियों का आबंटन पुराने संकल्प के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें राज्य के लिए अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत, पहले जारी की जा चुकी कुल निधियों, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता, राज्य सरकार द्वारा परियोजित आवश्यकताओं तथा बजट प्रावधानों की उपलब्धता को मद्देनजर रखा जाता है।

(ङ) केन्द्र सरकार केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियों का आबंटन योजनावार नहीं करती है। अनुमोदित स्कीमों के लिए राज्यों को केवल एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

दुलहस्ती पनबिजली परियोजना

*17. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**
श्री सन्दीपान भगवान थोरात :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा दुलहस्ती में एक पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत पहले से इस काम को बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस कार्य को पुनः आरंभ करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कार्य को बन्द करने अथवा परियोजना का कार्य पुनः आरंभ करने के कारण सरकार को कोई वित्तीय हानि हुई है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। फ्रेंच कन्सोर्टियम फर्मों ने परियोजना स्थल पर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के कारण का उल्लेख करते हुए अगस्त, 1992 से परियोजना स्थल पर कार्य रोक दिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और फ्रेंच कन्सोर्टियम फर्मों के बीच कार्य पुनः आरंभ करने संबंधी शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है। इस दृष्टि से इनके द्वारा हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) और (छ) जी, हां। परियोजना पूरी करने में विलम्ब होने से लागत में अभिवृद्धि हो जायेगी।

निवेश को बढ़ावा देना

*18. **श्री हरिन पाठक :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों की तुलना में भारत में निवेश करने के लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए कोई निवेश संवर्धन नीति तैयार करके उसे विदेशों में कार्यान्वित किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक व्यापक पूंजी निवेश संवर्धन नीति बनाई है और उसका क्रियान्वयन कर रही है।

इस नीति की बृहत रूपरेखा के भीतर कई कदम उठाये गये हैं, जिनका उद्देश्य भारत की नई आर्थिक नीतियों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा भारत में पूंजी निवेश के तुलनात्मक लाभों को उजागर करना है।

(1). विदेशों तथा भारत दोनों में ही कई संवर्धनात्मक आयोजन किये गये, जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमित क्षेत्र और व्यावसायियों को देश को एक वैकल्पिक पूंजी निवेश स्थल के रूप में पेश करना है। इन संवर्धनात्मक आयोजनों को मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा व्यसाय एवं उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया गया।

(2) इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिनिधि मंडलों की महत्वपूर्ण देशों की द्विपक्षीय यात्राओं का उपयोग लक्ष्य व्यवसायियों को संबोधित करने और उन्हें हमारी उदारीकृत आर्थिक नीतियों से अवगत कराने के लिए किया जाता है।

(3) विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के अपने प्रयासों के रूप में सरकार शीर्षस्थ उद्योग संगठनों के साथ कार्य कर रही है। भारत को उजागर करने के लिए विशेष रूप से भारतीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं का उपयोग किया जा रहा है। हमारे शीर्षस्थ मंडलों ने विदेश स्थित अपने समकक्ष संगठनों के सहयोग

से तथा विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों की सक्रिय सहभागिता से भारत में निवेश के अवसरों पर कई संवर्धनात्मक आयोजन किये हैं।

(4) भारत आये कई उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ पूंजी निवेश संबंधी मसलों पर गहन क्रियाकलाप किया गया है, ऐसे प्रतिनिधिमंडलों की संगत संस्थाओं और मंत्रालयों से मुलाकात करवाने में उन्हें सहायता भी दी गई।

(5) भारत को एक आकृष्ट पूंजी निवेश स्थल के रूप में पेश करने के उद्देश्य से समुचित प्रचार सामग्री कि विकसित करने को महत्व दिया गया है। प्रचार किटें नियमित रूप से तैयार की जाती रही हैं और उन्हें अद्यतन बनाया जाता रहा है। इन प्रचार किटों में ब्रोशर, "डूइंग बीजनिस विद इंडिया" नाम फ्लोफी डिस्क और वीडियो प्रस्तुतियां हैं। उदारीकृत आर्थिक नीतियों को उजागर करने के उद्देश्य को लेकर सरकार ने इस सामग्री को तैयार करने के लिए शीर्षस्थ मंडलों और व्यवसाय तथा उद्योग के साथ मिलकर कार्य किया है।

(6) विदेशी स्थित भारतीय राजदूतावासों ने भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों को उजागर करने और विशेष रूप से भारत में विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रयास के अंग के रूप में मिशन प्रमुखों और अन्य अधिकारियों ने स्थानीय व्यावसायिक समुदायों तथा अनिवासी भारतीय व्यावसायियों से व्यापक संपर्क बनाए हैं और वे भारत में पूंजी निवेश करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का बराबर प्रयास कर रहे हैं।

सरकार का विचार इन विभिन्न कदमों को जारी रखने का है, ताकि विदेशी पूंजी निवेशकों के बीच हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार और बढ़ सके। विशेष रूप से मंशा यह है कि पूंजी निवेश संवर्धन प्रयासों में क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण पर अधिकाधिक बल दिया जाए। सरकार और विदेश स्थित हमारे राजदूतावास यह प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे कि भारत को पूंजी निवेश स्थल के रूप में उजागर करने के हर उपलब्ध अवसर का उपयोग किया जाए।

[हिन्दी]

भारत-चीन सम्बन्ध

*19. **श्री साईमन मरान्डी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान चीन के साथ व्यापार, सांस्कृतिक तथा अन्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ख) इस संबंध में चीन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सितंबर, 1993 में प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के बाद से सरकार ने कृषि, संस्कृति, पेट्रोलियम, कोयला और धातुविज्ञान

के क्षेत्रों में मंत्रियों के स्तर पर यात्राओं के माध्यम से चीन के साथ उच्चस्तरीय आदान-प्रदान का सिलसिला बनाए रखा। भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की सातवीं बैठक 6-7 जुलाई, 1994 को बीजिंग में हुई। चीन के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री छियान छी चेन ने 17-19 जुलाई, 1994 तक भारत की यात्रा की।

पिछले दो वर्षों में कुल दुतरफा व्यापार बढ़कर 675 मिलियन अमरीकी डालर हो गया अर्थात यह 1992 की तुलना में 1993 में लगभग दुगना हो गया। दोनों देशों में 25 से अधिक भारत-चीन सहयोग परियोजनायें चल रही हैं। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की अध्यक्षता में संयुक्त आर्थिक दल की नई दिल्ली में 14 से 17 जून, 1994 तक सम्पन्न बैठक में 1993-95 के लिए व्यापार प्रोतोकोल सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में लिपूलेख दर्रे के जरिए मौजूदा सीमावर्ती व्यापार मार्ग के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से होकर एक नया सीमावर्ती व्यापार मार्ग 16 जुलाई, 1994 को खुल गया।

चीन में भारत महोत्सव (मई-जून, 1994) के दौरान भारतीय कला, संस्कृति, संगीत, गीत, नृत्य, वस्त्रों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पुस्तकों, फिल्मों, फैशन तथा दर्शन का चीन के 16 नगरों में प्रदर्शन किया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, अन्तरिक्ष, समाज कल्याण, लेखा-परीक्षा, असैनिक सेवा प्रशिक्षण तथा कार्मिक प्रबंधन जैसे अन्य आदान-प्रदान बढ़ रहे हैं।

चीन के साथ बढ़ रहा व्यापार और अन्य आदान-प्रदान भी इन क्षेत्रों में चीन की सकारात्मक और रचनात्मक रुचि का ही परिणाम है।

इस्पात का उत्पादन

*20. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीन ने इस्पात के उत्पादन और लौह अयस्क के खनन हेतु अधिक सस्ती प्रौद्योगिकी की पेशकश की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान विक्रय इस्पात के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकन) अपने लाइसेंसर चीन के मैसर्स सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इन्कारपोरेशन, बीजिंग (सी.ई.आर.आई.एस.) की तकनीकी जानकारी के आधार पर चूर्णित कोयला अन्तःक्षेपण प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहा है, जबकि लघु धमन भट्टी प्रौद्योगिकी के लिए एक भारतीय फर्म मैसर्स सिम्पलैक्स ने मैसर्स चीन मेटलर्जिकल

इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट के साथ एक करार किया है। भारत और चीन के बीच लोहा और इस्पात के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

भारत में लौह अयस्क की खानों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम लगाने में चीन की कम्पनियों ने रुचि ली है।

विवरण-I

विक्रय इस्पात का राज्यवार उत्पादन
(मिश्र इस्पात सहित)

(हजार टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन 1993-94 (अनन्तिम)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1204.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	–
3.	असम	4.2
4.	बिहार	5522.1
5.	गोवा	5.2
6.	गुजरात	56.3
7.	हरियाणा	93.1
8.	हिमाचल प्रदेश	–
9.	जम्मू एंड कश्मीर	43.5
10.	कर्नाटक	269.0
11.	केरल	0.1
12.	मध्य प्रदेश	3553.7
13.	महाराष्ट्र	565.6
14.	मणिपुर	–

1	2	3
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैण्ड	–
18.	उड़ीसा	1152.7
19.	पंजाब	212.9
20.	राजस्थान	39.8
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	73.1
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	106.2
25.	पश्चिम बंगाल	1286.8
26.	अण्डमान एंड निकोबार	–
27.	चण्डीगढ़	23.8
28.	दादरा एवं नागर हवेली	–
29.	दमन एवं दीव	–
30.	दिल्ली	–
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पाण्डिचेरी	31.9
	कुल	14244.7
	विद्युत चाप भट्टी/प्रेरण भट्टी इकाइयों, जिनका राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, का अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन	1660.0
	कुल योग	15904.7

विवरण-II

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा स्थान	विदेशी सहयोगी का नाम	विनिर्माण की मद तथा क्षमता	विदेशी साम्या शेयर का प्रतिशत तथा राशि
1.	मैसर्स मिड–ईस्ट इन्टिग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड, कलिंगा नगर, इंडस्ट्रियल यूनिट, उड़ीसा	मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट इन्कारपोरेशन, चीन	कच्चा लोहा क्षमता 0.5 एम.टी.पी.ए.	4.55% (538 लाख रुपये) एन.आर.आई. होल्डिंग 15.62% (1846.36 लाख रु.)
2.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि., नई दिल्ली	(I) मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कार. चीन	लघुधमन भट्टी आदि की स्थापना करने के लिए इंजीनियरी/ड्राइंगों की सप्लाई।	24% (320.0 लाख रु. की कुल प्रदत्त पूंजी का कुल 49%
		(II) मैसर्स बीजिंग सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इन्कारपोरेशन, चीन	–वही–	25%
3.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि., नई दिल्ली	मैसर्स बाओस्टील इंजी. एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन, चीन	धातुकर्मीय उद्योगों के क्षेत्र में तकनीकी/परियोजना परामर्शी सेवाएं।	64.0 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत

4.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि., नई दिल्ली	मैसर्स चीन नेशनल टेक्नीकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार. चीन।	कच्चे लोहे का निर्माण करने के लिए विभिन्न आकारों की लघु धमन भट्टी परियोजनाओं की टर्न की सप्लाई।	20.47 लाख अमरीकन डालर
5.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि., नई दिल्ली	–वही–	इस्पात का निर्माण करने के लिए विभिन्न आकार के लघु एल.डी. कन्वर्टरों की टर्न की सप्लाई।	11.2 लाख अमरीकन डालर
6.	मैसर्स नागपुर अलॉय कास्टिंग्स लिमिटेड, नागपुर।	मैसर्स चीन स्नोनगेंग इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड इंजी., चीन।	अमिश्र कच्चा लोहा	6.46 लाख अमरीकन डालर

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रसोई गैस कनेक्शन

1. **श्री राम कापसे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 तक ठाणे जिले में रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने आवेदन रसोई गैस वितरकों के पास लंबित हैं और वे कब से लंबित हैं;

(ख) आबंटन की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) लंबित अवधि को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार जिला ठाणे में 2.46 लाख आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं। नए एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रतीक्षा में दर्ज व्यक्तियों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लैक और नए ग्राहकों के पंजीकरण के लिए वार्षिक कार्यक्रम पर निर्भर करती है। उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर यथासंभव अधिकाधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नए कनेक्शन प्रतीक्षा सूची और डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैकों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर हुआ समझौता

2. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशों से पाकिस्तान को मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के बजाए दोनों देशों के बीच परस्पर समझौते द्वारा कश्मीर सहित अन्य लंबित पड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए मनाने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन देश हैं और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) दूसरे देशों के साथ मंत्रियों, अधिकारियों और राजनयिक स्तर पर विचार-विमर्शों के दौरान सरकार उन्हें इस वचनबद्धता से अवगत कराती रही है और कराती रहेगी कि वह पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को शिमला समझौते की संरचना के भीतर शान्तिपूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहती है। तथापि, इस संबंध में किसी तृतीय देश की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं हो सकती। इस संबंध में भारत के दृष्टिकोण की आमतौर पर सराहना हुई है।

पेप्सी द्वारा भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलों की बिक्री

3. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से पेप्सी की प्लास्टिक की बोतलों की भारत में भारी मात्रा में बिक्री की जा रही है;

(ख) क्या इस प्रकार की प्लास्टिक बोतलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार के संभावित खतरों को रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवाद से निपटने के लिए समझौता

4. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अनेक देशों के साथ आतंकवाद से निपटने और नशीली औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं, और

(ग) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने आतंकवाद का दमन करने तथा/अथवा नशीली दवाइयों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित देशों के साथ करार सम्पन्न किए हैं;

1. मारीशस
2. जाम्बिया
3. यू.के.
4. संयुक्त अरब अमीरात
5. रूस
6. बुल्गारिया
7. रोमानिया
8. म्यांमार

इनके अतिरिक्त,

(i) भारत और अमरीका नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए स्वापकों के संबंध में भारत-अमरीकी संयुक्त कार्यदल के माध्यम से सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। मई, 1994 में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने गैर-कानूनी औषध-द्रव्यों के उत्पादन और वितरण अथवा इस्तेमाल को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक उपायों से सम्बद्ध एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न किया।

(ii) भारत और स्पेन ने आतंकवाद, औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार तथा संगठित अपराधों को रोकने से सम्बद्ध एक संयुक्त घोषणा फरवरी, 1993 में जारी की।

(iii) औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए भारत-पाकिस्तान समिति की दिसम्बर, 1986 में स्थापना की गई थी। दोनों देशों में औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी की स्थिति की समीक्षा करने तथा सूचना के आदान-प्रदान के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से इस समिति की बैठक समय-समय पर होती रहती है।

(iv) भारत ने उजबेकिस्तान, कजाकस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान तथा तुर्कमनीस्तान के साथ सहयोग के सिद्धान्तों से सम्बद्ध घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके एक अनुच्छेद में अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद, नशीली दवाइयों के गैर-कानूनी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने आदि के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

(ग) ऐसी बहुत कम वारदातें हुई हैं, जिनमें उपर्युक्त करारों आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी हो। तथापि, भारतीय औषध-द्रव्य प्रवर्तन अभिकरण दवाइयों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए अन्य देशों के साथ सीधा सम्पर्क बनाये रखते हैं। संयुक्त प्रयासों से पर्याप्त सफलता मिली है।

अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक सम्मेलन

5. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 1991, 1992 और 1993 के दौरान आयोजित उन अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है, जिनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा भेजा गया था अथवा वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) भाग लेने वाले भारतीय व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सम्मेलनों में भारत के हितों से संबंधित मामलों के संबंध में कोई संकल्प अथवा घोषणा स्वीकार की गई थी, और

(घ) यदि हां, तो उन संकल्पों और घोषणाओं का क्रियात्मक भाग क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हावड़ा पश्चिम बंगाल में पंचायतों को टेलीफोन

6. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा जिला परिषद से पंचायत घरों में टेलीफोन लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इन पंचायत घरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) हावड़ा जिले में अब तक कितने पंचायत घरों को टेलीफोन प्रदान किये गये हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) शेष पंचायतों को कब तक टेलीफोन मिल जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं। सरकार को हावड़ा जिला परिषद के ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। तथापि, ग्राम पंचायतों में टेलीफोन संस्थापित करने की योजना बना ली गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अब तक 71 पंचायत घरों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) मार्च, 1995 तक शेष पंचायत ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल दूरसंचार के अन्तर्गत हावड़ा जिले में टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत घर

क्रम सं.	नाम	टेलीफोन नं.	संस्थापना की तारीख
1	2	3	4
1.	अमरागुडी	अमरा 302	20-12-93
2.	आमता	आमता 264	01-01-91
3.	अनटिला	बगनन 215	16-10-92
4.	अनुलिया	आमता 284	01-12-93
5.	बदयानाथपुर	बीजीएन 288	15-09-92
6.	बगनन-I	बीजीएन 203	02-06-92
7.	बगनन-II	बीजीएन 204	02-06-92
8.	बैनन	बीजीएन 253	02-09-92

1	2	3	4
9.	बक्शीघाट	बीजीएन 285	03-09-93
10.	बालचक्र	आमता 307	03-01-94
11.	बंगेलपारा	बीजीएन 282	16-09-92
12.	बरगाचिया	जे6पीआर 42	01-01-91
13.	बसंतपुरा	केपीपीएस 40	01-01-92
14.	भंदरगैचा	आमता 283	01-12-93
15.	शतौरा	बीजीएन 293	13-09-92
16.	विधिचन्द्रपुर	सीपी 35	01-04-93
17.	बौनाहरिशपुर	आमता 234	01-01-94
18.	चन्द्रबाग	बीजीएन 218	10-08-92
19.	देहीमंडलघाट-I	एयूडीएच 34	01-01-92
20.	देहीमंडलघाट-II	एयूडीएच 32	01-01-92
21.	गंगाधरपुर	गंगाधरपुर 37	02-03-92
22.	गरबेरियाछिनन	बीजीएन 292	10-08-92
23.	गरभवानीपुर	सीपी 40	01-05-93
24.	गोविन्दपुर	जेवीपीआर 27	01-01-91
25.	हेलयान	बीजीएन 283	02-08-92
26.	हतुरिया-I	बीजीएन 290	05-08-92
27.	हतुरिया-II	बीजीएन 289	05-08-92
28.	जगतबल्लवपुर	जेवीपीआर 31	01-01-91
29.	जयपुर	आमता 301	20-12-93
30.	पामतिया	आमता 305	23-12-93
31.	झिकिरा	आमता 287	15-12-93

1	2	3	4
32.	कल्याणपुर	बीजीएन 284	07-05-92
33.	कानपुर	केपीपीएस 30	01-01-91
34.	कासमौली	बीजीएन 291	06-01-92
35.	खालना	आमता 303	22-12-93
36.	खरदाहा	आमता 306	17-01-94
37.	खालते	बैगनन 214	10-07-92
38.	खासलपुर	आमता 285	02-12-93
39.	कृष्णाबाद	आमता 288	17-12-93
40.	कुरची-सिबपुर	उदयनारायणपुर 34	01-02-92
41.	मुगकल्याण	बैगनन 281	12-09-92
42.	ओफुली	बैगनन 286	12-08-92
43.	पंछला	पंछला 30	28-12-91
44.	पानूहल	जगतबल्लवपुर 39	12-02-91
45.	राशपुर	आमता 286	02-07-92
46.	शंकरहटी	जगतबल्लवपुर 24	02-04-91
47.	सरतचन्द्र	बैगनन 259	01-05-93
48.	सुवसित	बैगनन 287	12-07-92
49.	ताजपुर	आमता 304	22-12-93
50.	उडांग	आमता 262	20-11-93
51.	सियामाऊं	फालदा 2315	93-94 के दौरान
52.	दिंगईघाट	फालदा 2317	
53.	कमलतारा	फालदा 2318	
54.	बानेशियर	फालदा 2307	

विवरण-I

कलकत्ता टेलीफोन के अंतर्गत हावड़ा जिले में टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत घर

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन (टेलीफोन सं./खुलने की तारीख)
1	2	3
1.	उत्तर झापरदाह ग्राम और डाकघर उत्तर झापरदाह	6690-008 30/8/93
2.	डोमजुर-3 ग्राम और डाकघर डोमजुर 2	6690-810 21/3/93
3.	दक्षिण झापरदाह-2 ग्राम और डाकघर-दक्षिण झापरदाह-2	6690-811 31/3/93
4.	बिगरी-2 ग्राम एवं डाकघर, बिगरी-2	6690-013 10/9/93
5.	मोहिअरी-4 ग्राम – उत्तर मोहिअरी डाकघर–मोहिअरी-4	6690-007 30/8/93
6.	मराकरदाह-1,3 ग्राम एवं डाकघर–माकरदाह-3	6690-014 11/9/90
7.	बंकरा-I ग्राम एवं डाकघर–बंकरा	665-1897 3/3/93
8.	बंकरा-II ग्राम और डाकघर–बंकरा	665-1897 3/3/93
9.	दुर्गापुर अभयनगर ग्राम–दुर्गापुर, डाकघर – समाबेगली	64-1686 5/3/94
10.	बल्लीग्राम–बल्ली डाकघर–घोषपारा (बल्ली)	64-2749 23/3/94
11.	सपुईपारा बासुकुटी ग्राम एवं डाकघर–सपुईपारा	64-3842 30/5/94.

1	2	3
12.	मशिला ग्राम एवं डाकघर–मशिला	6690-015 11/9/93
13.	अंडुल ग्राम एवं डाकघर–अंडुल मौरी	6690-011 11/9/93
14.	दुईल्लया, ग्राम–दुईल्लया डाकघर–अंडुल मौरी	6690-016 11/9/93
15.	जोहराट ग्राम–कामरंग, डाकघर–जोहराट	6690-017 11/9/93
16.	संकरेल ग्राम व डाकघर–संकरेल	6690-020 28/2/94
17.	बानीपुर ग्राम व डाकघर–बानीपुर	6690-019 24/1/94

कच्चे तेल का आयात

7. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे तेल के आयात का क्या रुख रहा है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने कच्चे तेल का आयात किया जाएगा, और

(ग) सरकार ने देश से बाहर जा रही विदेशी मुद्रा को बचाने हेतु तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रूड आयल का आयात निम्नवत रहा है :

वर्ष	मात्रा (मि.मी. टन में)
1991-92*	23.90
1992-93*	29.25
1993-94*	30.82

*अस्थायी

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए 24.23 मि.मी. टन [illegible]यल के आयात के संबंध में विचार किया गया है।

(ग) विद्यमान रिफाइनरियों का विस्तार करके तथा उत्पादों के आयात पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्धेश्य से सार्वजनिक क्षेत्र संयुक्त उद्यम तथा निजी क्षेत्र में नई ग्रासरूट रिफाइनरियां स्थापित करके शोधन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्मृति डाक टिकटें

8. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमद नगर पंचशत वर्षीय समिति ने अहमद नगर शहर और किले के 500 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रानी चांद बीबी और अहमदनगर किले की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुरोध स्वीकार न करने के क्या कारण हैं, और

(ग) स्मृति डाक टिकट कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) अहमदनगर दुर्ग के पांच सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तथा चांद बीबी पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने के संबंध में श्री यशवंत राव पाटील, संसद सदस्य (लोक सभा) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव फिलैटेलिक सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 11-5-92 को विचारार्थ रखा गया था तथा बाद में फिलैटेलिक सलाहकार समिति की उप-समिति ने इस प्रस्ताव की जांच की थी, तथापि, समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुतही बलान नदी पर पुल

9. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुतही बलान और बागमती नदी पर पुल न होने के कारण भारत-नेपाल सीमा के लगभग समानान्तर जाने वाली सड़क पर यातायात अवरुद्ध रहता है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) प्रश्नगत सड़क राज्यीय सड़क नेटवर्क का एक हिस्सा है। केन्द्र सरकार पारंपरिक रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कें और उन पर बने पुलों के लिए ही जिम्मेदार है। इसलिए केन्द्र सरकार के लिए इस मामले में कार्रवाई करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में डीजल पर आधारित विद्युत संयंत्र

10. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में डीजल पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर आने वाली अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन प्रस्तावों को लागू करने संबंधी कार्य कब तक आरंभ किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) केरल में डीजल विद्युत उत्पादन (डीजी) परियोजनाएं अधिष्ठापित करने हेतु केरल राज्य बिजली बोर्ड (के.एस.ई.बी.) से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज की राशि भी शामिल है (करोड़ रुपये)
1.	ब्रह्मपुरम डीजी जिला इरनाकुलम	6x20	281.00
2.	कसार गोडे डीजी जिला कसारगोडे	3x20	178.00
3.	कोजीकोडे डीजी जिला कोजीकोडे	6x20	357.00

ब्रह्मपुरम डीजी केन्द्र को, योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु अब स्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और भू-समतलन कार्य प्रगति पर है। मुख्य संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति के आर्डर अभी आपूर्तिकारों को नहीं दिए गए हैं।

कसारगोडे में डीजी केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिसम्बर, 1992 में दी गई थी। तदुपरान्त केरल राज्य बिजली बोर्ड ने परियोजना स्थल में परिवर्तन करने का निर्णय लिया, क्योंकि पूर्वस्थल उच्च ज्वारीय तरंगों के 500 मीटर के क्षेत्र में आता था। केरल राज्य बिजली बोर्ड को एक अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है, जिसमें स्थल में परिवर्तन के कारण स्कीम में आने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किया गया हो। जहां तक कोजीकोडे डीजी केन्द्र (120 मे.वा.) का संबंध है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

ने इसे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति देने पर विचार नहीं किया है, क्योंकि राज्य प्राधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित नहीं की गई हैं।

कसारगोडे और कोशीगोड डीजी केन्द्रों पर निर्माण कार्य योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान किए जाने और उनके क्रियान्वयन के लिए निधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आरम्भ हो पायेगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर पथ कर

11. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर पथ कर की दरों में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा मोटर वाहनों पर सड़क कर राज्यीय विधायन के अंतर्गत उनके द्वारा बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार लगाया जाता है। संभवतः माननीय सदस्य, दिनांक 13-5-88 को संसद द्वारा पारित केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि किए जाने संबंधी संकल्प का उल्लेख कर रहे हैं, तथापि संकल्प को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। चूंकि इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है, इसलिए अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में प्राकृतिक गैस का उपयोग

12. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से इसके जन जातीय क्षेत्रों में इस समय प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) रसोई गैस की औसतन कितनी मात्रा का प्रतिदिन उपयोग होता है;

(ग) राज्य में प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा का रसोई गैस में परिष्कृत किया जा रहा है और रसोई गैस के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल रहित कुओं की गैस को ढक कर संरक्षित रखा जाता है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इस समय गुजरात में प्राकृतिक गैस का औसत उपयोग 14.8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ख) गुजरात में एल.पी.जी. की औसत दैनिक खपत 1993-94 में 731.95 एम.टी (अनन्तिम) थी।

(ग) एल.पी.जी. के निष्कर्षण (एक्सट्रैक्शन) के लिए फिलहाल लगभग 7.3 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस संसाधित की जा रही है। गेल ने गंधार में एक एल.पी.जी. और सी2/सी3 निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) से (ङ) फ्री गैस के उत्पादन का विनियमन मांग के अनुसार किया जाता है।

गुजरात में एस.टी.डी. सुविधा

13. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन शहरों में केवल एक तरफा एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध है, और

(ख) इन शहरों में दो तरफा एस.टी.डी. सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) गुजरात के उन स्थानों के नाम विवरण में दिए गए हैं, जहां एक तरफा एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) दिसम्बर 1994 तक इन सभी स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से दो तरफा एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

गुजरात के उन स्थानों की सूची, जहां 21-7-94 तक एक तरफा एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

क्र.सं.	स्थानों के नाम
1	2
1.	नानडेज
2.	सादरा
3.	नवगांव
4.	मातर
5.	अदास
6.	नापाड

1	2
7.	संदेशर
8.	कंजारी
9.	लसुन्द्रा
10.	तारापुर
11.	लिलियामोटा
12.	देरोल
13.	नाबीपुर
14.	बुधेल
15.	वेजलपुर
16.	गंभोह
17.	सलात
18.	राणवाव
19.	आदित्यगण
20.	कोराड
21.	शेरबाग·
22.	बालवा
23.	झुलेसेन
24.	सान्तेज
25.	धेनोज

राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

14. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1992-93 और 1993-94 के दौरान आरंभ किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान राज्य में नए एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने/आधुनिकीकरण करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) राजस्थान में 1993-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 386 तथा 368 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चालू किए गए थे। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित का प्रस्ताव है :

(i) मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार करना।

(ii) मियाद समाप्त एवं घिसे-पिटे सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेजों को बदलना।

(iii) सभी लाइन फाइंडर टाइप एम.ए.एक्स-II तथा स्ट्रोजर टाइप एम.ए.एक्स-III के इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाना।

विवरण-I

1992-93 और 1993-94 के दौरान चालू किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के ब्यौरे

प्रौद्योगिकी	वर्ष	
	1992-93	1993-94
1	2	3
सीमेन्स	–	1
सीमेन्स आर.एस.यू.	–	2
ई-10बी	1	2
सी-डॉट एम.ए.एक्स-I	1	3
सी-डॉट एस.बी.एम. 1400 लाइन	5	1

1	2	3
सी-डॉट एस.बी.एम. 1000 लाइन	15	2
सी-डॉट एस.बी.एम. 424 लाइनें	2	–
आई.एल.टी. 512 पोर्ट	21	–
ई.एस.ए.एक्स 200 लाइनें	10	–
सी-डॉट 256 पोर्ट	–	1
सी-डॉट 128 पोर्ट	209	210
एम.आई.एल.टी. पोर्ट	122	146
जोड़	386	268

विवरण-II

1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए एक्सचेंजों के जिलेवार ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
1.	जयपुर	16
2.	दौसा	4
3.	अलवर	1
4.	भरतपुर	2
5.	धोलपुर	1
6.	कोटा	2
7.	बारन	शून्य
8.	झालवाड़	1
9.	सीकर	5

1	2	3
10.	झुनझुनू	3
11.	सवाई माधोपुर	3
12.	बुमडी	2
13.	टोंक	शून्य
14.	बीकानेर	4
15.	बाड़मेर	7
16.	जेसलमेर	3
17.	नागौर	5
18.	चुरू	1
19.	श्रीगंगानगर	8
20.	जोधपुर	2
21.	अजमेर	5
22.	भीलवाड़ा	5
23.	चित्तौडगढ़	2
24.	बांसवाड़ा	1
25.	डूंगरपुर	2
26.	उदयपुर	1
27.	राजसमंद	2
28.	पाली	4
29.	सिरोही	4
30.	जालोर	4

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करना

15. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि के पश्चात् भी पासपोर्ट प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) पासपोर्ट जारी करने में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा लिया जाने वाला समय कार्यालय-दर-कार्यालय अलग-अलग है और इसके कई कारण हैं, जिनमें कर्मचारियों की संख्या, कार्य की मात्रा, कार्यालय की आधारभूत संरचना और निर्धारित क्रियाविधि को पूरा करना शामिल है। जुलाई, 1993 में पासपोर्ट शुल्क (जैसा संलग्न विवरण में दिखाया गया है) बढ़ाये जाने से पहले की तुलना में कुछ कार्यालय अब पासपोर्ट जारी करने में कम समय ले रहे हैं।

(ग) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना, समय-समय पर निरीक्षण और पासपोर्ट कार्यालयों का एक चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण शामिल है।

विवरण

प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय

क्र.सं.	कार्यालय	दिसम्बर, 92 में लगने वाला समय	31-3-94 के अनुसार लगने वाला समय
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	105 दिन	80 दिन
2.	बंगलौर	28 दिन	73 दिन
3.	बरेली	70 दिन	49 दिन
4.	भोपाल	40 दिन	79 दिल
5.	भुवनेश्वर	60 दिन	44 दिन
6.	बम्बई	50 दिन	52 दिन
7.	कलकत्ता	90 दिन	30 दिन
8.	चंडीगढ़	270 दिन	291 दिन

1	2	3	4
9.	कोचीन	180 दिन	48 दिन
10.	दिल्ली	70 दिन	24 दिन
11.	गोवा	40 दिन	32 दिन *
12.	गुवाहाटी	60 दिन	28 दिन *
13.	हैदराबाद	80 दिन	45 दिन
14.	जयपुर	240 दिन	44 दिन
15.	जालंधर	270 दिन	106 दिन
16.	कोषीकोड़	330 दिन	66 दिन
17.	लखनऊ	180 दिन	114 दिन
18.	मद्रास	150 दिन	37 दिन
19.	नागपुर	28 दिन	35 दिन
20.	पटना	300 दिन	280 दिन
21.	चिची	300 दिन	50 दिन
22.	त्रिवेंद्रम	240 दिन	35 दिन

* 4-2-94 के अनुसार लगने वाला समय

[हिन्दी]

महिलाओं को रसोई गैस एजेंसी देना

16. **श्री ए. अशोकराज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रसोई गैस के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या महिलाओं द्वारा चलाई जा रही रसोई गैस के खुदरा बिक्री केन्द्र को कोई विशेष रियायतें दी जाती हैं, और

(ग) क्या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली महिलाओं को ये एजेंसियां देने पर विचार किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1-6-1994 की स्थिति के अनुसार सारे देश में महिलाओं द्वारा 780 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें या तो मालिकाना आधार पर या साझेदारी आधार पर चलाई जा रही थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) डीलर चयन की वर्तमान नीति के अनुसार महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। यदि वे पात्रता के मापदंड को पूरा करती हैं, तो विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में वे भी आवेदन कर सकती हैं।

बिहार में शाखा डाकघर

17. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान बिहार में कितने नए शाखा डाकघर खोलने की स्वीकृति दी गई है और उनमें से कितने डाकघर खोले जा चुके हैं, और

(ख) 1994-95 में कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान बिहार में 90 शाखा डाकघर मंजूर किए गए थे और ये सभी शाखा डाकघर पहले ही खोले चा चुके हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्रों का निजीकरण

18. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनेक छोटे तेल क्षेत्रों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तेल क्षेत्रों के निजीकरण हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं और इसके फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है, और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों का पुनर्वास किस प्रकार किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 31 छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए भागीदारी हेतु विदेशी और भारतीय निजी कंपनियों को अगस्त, 1992 में आमंत्रित किया।

पुनः अक्तूबर, 1993 में 33 छोटे आकार के क्षेत्रों के लिए एक प्रस्ताव किया गया था।

(ग) इन क्षेत्रों को ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. की भागीदारी के बगैर कंपनियों द्वारा स्वयं उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के तहत विकसित किया जाएगा।

पार्टियों को रायल्टी और उपकर जैसे अपने हिस्से के सांविधिक अधिभारों को वहन करना होगा। निजी कंपनियों के हिस्से के तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा. उत्पादित गैस का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सिद्धान्तों के आधार पर होगा।

तेल के उत्पादन में निजी कंपनियों को शामिल करने से देश में हाइड्रोकार्बन के खोजे गए भण्डारों से उत्पादन शीघ्र आरम्भ होगा तथा पेट्रोलियम की देशी उपलब्धता में वृद्धि होगी, इससे विदेशी मुद्रा के भंडारों की बचत होगी।

(घ) भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के फलस्वरूप ओ.एन.जी.सी. का कोई कर्मचारी प्रभावित नहीं होगा।

[हिन्दी]

नहाटौर, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप

19. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नहाटौर शहर में भारतीय तेल निगम की रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन हेतु आवेदन पत्रों को निपटा दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता के अधीन, 20000 की जनसंख्या वाले स्थानों में चरणबद्ध ढंग से एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए विचार किया जाता है। वर्तमान एल.पी.जी. विपणन योजना 1992-94 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहाटौर कस्बे को शामिल नही किया गया है।

इस्पात का निर्यात

20. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के विचाराधीन इस्पात के आयात और निर्यात के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात से अर्जित आय और इस्पात के आयात पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस्पात के वार्षिक आयात और निर्यात पर नयी आर्थिक नीति का प्रभाव क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) विद्यमान आयात-निर्यात नीति के अनुसार इस्पात का आयात और निर्यात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है। इस्पात का आयात

मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से स्वदेशी उपलब्धता को पूरा करने के लिए आयातकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। इस्पात का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्भर करता है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात और आयात का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात	आयात
1991-92	283 करोड़ रुपए	1360 करोड रुपए
1992-93	708 करोड़ रुपए	1625 करोड़ रुपए
1993-94 (अनन्तिम)	1678 करोड़ रुपए	1433 करोड़ रुपए

(ग) व्यापार नीति के उदारीकरण, जिसमें निर्यात के लिए कच्चे माल के बिना शुल्क के आयात की सुविधा, रुपए की परिवर्तनीयता आदि शामिल हैं, से इस्पात का निर्यात 1993-94 में बढ़कर 22.18 लाख टन (अनन्तिम) हो गया जबकि 1991-92 में 3.87 लाख टन का निर्यात हुआ था। दूसरी तरफ इस्पात के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

मूल्य वर्धित सेवाएं

21. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में शुरू की जाने वाली पेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दूरसंचार नीति के लिए मार्ग निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इससे अलग-अलग राज्यों में ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार के संदर्भ में क्या कठिनाइयां हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्य वर्धित सेवाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फिलहाल यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

मूल्य वर्धित सेवाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा :

1. जहां तक मूल्यवर्धित सेवाओं का संबंध है, भारतीय पंजीकृत कंपनियों से गैर विशिष्ट आधार पर पहले चरण में 4 महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं, 27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा और दूसरे चरण में इन सेवाओं को देश के शेष भाग में फ्रेंचाइज आधार पर चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों के पास अपेक्षित अनुभव होना चाहिए और यदि उनके पास ऐसा अनुभव नहीं है तो वे अपेक्षित अनुभव वाली किसी विदेशी कंपनी के साथ इक्विटी भागीदारी पर एक संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकती हैं।

2. अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को गैर विशिष्ट आधार पर फ्रेंचाइज करने के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इन सेवाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उनका निरंतर अध्ययन किया जा रहा है। इनके लिए केवल भारतीय पंजीकृत कंपनियां ही पात्र हैं।

3. इन सेवाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

(क) सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवा

बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता के महानगरों के लिए 2-2 अर्थात 8 कंपनियों को अनंतिम तौर पर चुना गया है। कुछ कंपनियों ने न्यायालय की शरण ली है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है और निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) रेडियो पेजिंग सेवा

निविदा के पहले चरण में, 15 कंपनियों को आशयपत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 7 कंपनियों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह मामला भी दिल्ली उच्चन्यायालय में न्यायाधीन है और इस पर कोई स्थगनादेश नहीं है।

निविदा के दूसरे चरण में मूल्यांकन का कार्य हो रहा है।

(ग) अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं

सेवा	प्राप्त प्रस्ताव	जारी किए गए आशय पत्र	जांच के अधीन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
इलेक्ट्रॉनिक मेल	19	*14	5	*इसमें वे 3 शामिल हैं, जिन्होंने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

1	2	3	4	5
वायस मेल	4	3	1	–
64 के.बी.पी.एस. डाटा सेवा	9	7	2	–
आडियो टेक्स	3	–	3	–
वीडियो कांफ्रेंसिंग	1	–	1	–
अन्य	3	–	3	–
जोड़	39	*24	15	–

सीसा रहित डीजल

22. **श्री राम नाईक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 1996 से 0.5 प्रतिशत से भी कम मात्रा सीसे वाले डीजल को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो डीजल में सीसे की मात्रा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या है और क्या इस प्रकार के परिवर्तन से डीजल के मूल्य में कोई वृद्धि होगी, और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक सीसा रहित डीजल उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिजनेस चैनल

23. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विशेष डाक सेवा "बिजनेस चैनल" शुरू करने का है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सेवा कब से शुरू हो जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) देश के 6 महत्वपूर्ण शहरों अर्थात् दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलूर और हैदराबाद में 1 जुलाई, 1994 से बिजनैस चैनल शुरू किया गया है। इय योजना में विभिन्न संगठनों द्वारा डाकघरों में डाली गई या डाक कार्यालयों में काउंटर पर दी गई एकमुश्त व्यावसायिक डाक को लेते समय, छंटाई करते व भेजते समय ही अलग करने की व्यवस्था की गई है। इससे मेल आफिसों की कार्यप्रणाली को सरल व कारगर बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया से न केवल एकमुश्त भेजी गई डाक का, बल्कि दूसरी डाक का भी बेहतर ढंग से निपटान सुनिश्चित होगा।

[अनुवाद]

इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड एफेयर्स

24. **डा. अमृत लाल कालिदास पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड एफेयर्स का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को काउंसिल की कार्य-दशा में गिरावट तथा कर्मचारियों के वेतन में असंगता की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार काउंसिल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए संसद में कोई विधेयक लाने की सम्भावना सहित विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उपायों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) आई.सी.डब्ल्यू.ए. एम्प्लाईज ट्रेड यूनियन का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए सरकार को समय-समय पर अभ्यावेदन देती रही है।

(ग) आई.सी.डब्ल्यू.ए. एम्प्लाईज ट्रेड यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदनों में ऐसी सूचनायें दी गई थीं।

(घ) भारतीय विश्व कार्य परिषद एक स्वायत्त निकाय है और भारत सरकार का उसकी प्रबन्ध व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रकार यह इस संबंध में कोई भी कदम उठाने की स्थिति में नहीं है।

(ङ) और (च) नीति के अनुसार सरकार स्वायत्त निकायों का प्रबन्धन अपने हाथ में लेने के हक में नहीं है। तथापि, सरकार ने भारतीय विश्व कार्य परिषद के कार्य संचालन की निगरानी रखने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है। तथापि, चूंकि परिषद एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए सरकार ऐसी समिति का गठन केवल उसकी सहमति से ही कर सकती है। इस समय भारतीय विश्व कार्य परिषद के शासी-निकाय को इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि वह एक संकल्प पारित करके सरकार से इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का अनुरोध करें। इस समिति का गठन हो जाने पर यह कर्मचारियों के आरोपों, मांगों और शिकायतों की जांच भी कर सकती है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र

25. **श्री सत्यदेव सिंह : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की स्वदेशी एवं विदेशी कंपनियों के हाथ में सौंपने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के उद्देश्य से सरकार ने 1991 में एक नीति प्रतिपादित की थी, ताकि विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(ख) नीति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस नीति को आरम्भ करने का कारण, विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तराल का बढ़ना और राज्य बिजली बोर्डों तथा केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के उत्पादन निगमों के-सम्मुख आने वाली संसाधनों की अत्यधिक चरमराई स्थिति का होना था।

विवरण

विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए अधिकाधिक निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त

विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है :

* विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों हेतु नया विधि सम्मत, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को संशोधित किया गया है।

* निजी क्षेत्र की किसी भी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पवन/सौर ऊर्जा परियोजना अधिष्ठापित कर सकते हैं।

* ऐसी विद्युत परियोजनाएं, जिनकी कुल मिलाकर परिव्यय की राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती, उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

* निजी क्षेत्र की कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम अधिष्ठापित कर सकती हैं।

* इसके पश्चात्, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सभी निजी कंपनियां ऋण इक्विटी 4 : 1 के अनुपात में अनुमत्य होंगी।

* प्रवर्तक के अंशदान की न्यूनतम राशि समग्र परिव्यय की राशि का 11 प्रतिशत होनी चाहिये।

* यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र हेतु निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाऐ जाने में परियोजना की समग्र परिव्यय की राशि की मात्रा की कम से कम 60 प्रतिशत राशि निश्चय ही सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटाई जानी चाहिये।

* विदेशी निजी निवेशकों द्वारा परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के मामलों में शत प्रतिशत (100%) विदेश इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

* निर्यात अर्जन के जरिए तुलन लाभांश की शर्त, जोकि 51 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश के मामलों में सामान्यतः लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निजी निवेश पर लागू नहीं होगी ।

* परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

* ऐसे मामले, जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेंसी (एजेंसियों) द्वारा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सरकार के अनुमोदन से विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर के आयात को अनुमति भी दी जाएगी।

* विद्युत उपस्कर के आयात हेतु सीमा शुल्क की राशि में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है तथा विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण के लिए अपेक्षित मशीनरी हेतु भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।

* विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत उत्पादन एवं वितरण हेतु भारत में किसी भी स्थान पर नए औद्योगिक उपक्रम अधिष्ठापित करने पर लाभांश के बारे में पांच वर्ष तक कर की छूट की अनुमति दी जाएगी। पांच वर्ष की कर छूट की अवधि की शुरुआत वह वर्ष माना जाएगा, जिस वर्ष से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा।

* विद्युत क्षेत्र के अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों पर उत्पादन शुल्क को घटा कर कम दर पर कर दिया गया है।

* टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश की राशि सम्बन्धित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है।

* निर्धारित लागतें 68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर वसूल की जा सकेंगी। इससे अधिक संयंत्र भार अनुपात पर कार्य निष्पादित किए जाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए निम्न प्रोत्साहनों के प्रस्ताव रखे गए हैं :

* मानक मानदंड जिनके अधीन विद्युत उत्पादन कम्पनियां प्रचालन कार्य करेंगी, इनको अधिसूचित कर दिया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रदत्त एवं निर्धारित इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश अर्जित किया जाए।

* विद्युत उत्पादन कम्पनियां जिनका प्रचालन कोयला, गैस पर आधरित है और जल विद्युत परियोजनाएं समुचित निर्धारित टू-पार्ट टैरिफ के आधार पर विद्युत बेच सकेंगी।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन निम्नवत् हैं :

* दीर्घावधि के लाइसेंस पहली बार 30 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा तथा अनुवर्ती नवीकरणों की अवधि 20 वर्ष होगी, जबकि पहले यह अवधि क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष थी।

* आर.बी.आई. की दर से 2 प्रतिशत अधिक पहले की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत उच्च लाभांश की दर।

* आर.बी.आई. की दर से एक प्रतिशत अधिक पहले वाली दर की अपेक्षा वास्तविक लागत (विस्तार परियोजनाओं हेतु भी) पर निर्माण के दौरान ब्याज की राशि का पूंजीकरण।

* ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोजन।

[अनुवाद]

तेल चयन बोर्ड

26. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें अब तक नये तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है;

(ख) पुराने तेल चयन बोर्डों को बदलने के क्या कारण हैं, और

(ग) नये तेल चयन बोर्डों का गठन करने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सात तेल चयन बोर्डों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के कार्यकाल को 2 मार्च, 1994 को इस लिए

समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इन बोर्डों का कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं पाया गया था। सात तेल चयन बोर्डों में से निम्नलिखित राज्यों के लिए छः का पुनर्गठन कर दिया गया है :

1. बिहार
2. हरियाणा
3. कर्नाटक
4. महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव
5. पंजाब
6. उत्तर प्रदेश

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार तेल चयन बोर्डों को निम्नानुसार गठित/पुनर्गठित किया जाता है :

(1) उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश – अध्यक्ष

(2) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य कमजोर वर्गों का प्रतिनिधि – सदस्य

(3) एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति – सदस्य

बूचड़खाने की स्थापना

27. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नए बूचड़खानों की स्थापना के लिए अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार जनता के विरोध को ध्यान में रखते हुए विद्यमान बूचड़खानों को बंद करने का है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) बूचड़खानों की स्थापना की अनुमति राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है।

पशुपालन और डेरी विभाग (कृषि मंत्रालय) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए और एकीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सहायता देने की विभिन्न स्कीमें बनायी गयी हैं। दोनों मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दी कुल सहायता 1992-93 में एवं 1993-94 में 10.02 करोड़ रु. है तथा 1994-95 के लिए 13.6 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीधी एक्सचेंज लाइनें

28. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तक कुल कितनी सीधी एक्सचेंज लाइनों की स्थापना की गई;

(ख) 1993-94 के अंत तक कुल कितनी लाइनों की स्थापना की गई;

(ग) 1994-95 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(घ) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31-03-91 तक की स्थिति के अनुसार, सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल संख्या 50,74,734 थी।

(ख) 31-3-94 तक की स्थिति के अनुसार, सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल संख्या 80,37,384 है। 31-03-91 से 31-03-94 तक सीधी एक्सचेंज लाइनों में वृद्धि=29,62,650।

(ग) वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना के आधार पर 14 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की जानी हैं।

(घ) सीधी एक्सचेंज लाइनों के उपर्युक्त लक्ष्य को 31-03-95 तक हासिल करने की योजना है

[अनुवाद]

दिल्ली में बढ़ी हुई धनराशि के बिल

29. **श्री शामाराम पोतदुखे :**
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री राजवीर सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम, दिल्ली में **बढ़ी** हुई धनराशि के बिलों **के संबंध** में अब तक कितनी शिकायतें दर्ज की गईं;

(ख) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) प्रयोक्ताओं को सही बिल भेजा जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए **हैं?**

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्राप्त अधिक राशि के बिलों की शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1993-94	11,581
1994-95 (जून, 94 तक)	3,124

(ख) अधिक राशि के बिलों की जांच निर्धारित कार्यविधि के अनुसार लिपिकीय तथा तकनीकी दोषों सहित सभी पहलुओं की दृष्टि से की जाती है। लिपिकीय गलती के मामले में बिल तत्काल ठीक कर दिया जाता है। अन्य मामलों में फाल्ट रिकार्ड, एक्सचेंज उपस्कर और बाह्य-संयंत्र की जांच की जाती है। उपभोक्ता की "कालिंग पद्धति" का सत्यापन भी उसके पूर्ववर्ती रिकार्ड और प्रेक्षण (आब्जरवेशन) रिपोर्ट के संदर्भ में किया जाता है।

इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् शिकायत पर निर्णय लिया जाता है और यदि शिकायत ठीक पायी जाती है तो उपभोक्ता को उचित रिबेट दिया जाता है।

(ग) कम्प्यूटर पर बिल जारी करने के अलावा, अधिक रकम के बिलों की शिकायतों की घटना को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

जिन उपभोक्ताओं के पास एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा है, उन्हें संभव सीमा तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से जोड़ा जाता है, जिनके माध्यम से उन्हें डायनामिक एस.टी.डी./आई.एस.डी. लाकिंग सुविधा प्रदान की जाती है।

भीतरी (इण्डोर) उपस्कर तथा बाह्य संयंत्रों की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें कोई तकनीकी दोष नहीं है।

सभी वितरक बिन्दुओं, खम्भों पर ताले लगा दिये जाते हैं, ताकि किसी बेइमान व्यक्ति द्वारा इनका दुरुपयोग न किया जा सके। एक्सचेंजों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

सतर्कता एकक भी संभावित दुरुपयोग अथवा लाइन के विपथन के सम्बन्ध में आकस्मिक जांच करते हैं।

गुजरात की सड़कें

30. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत गुजरात में चल रहे सडक निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा और अनुमानित लागत क्या है;

(ग) योजनाओं के लिए सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण राशि स्वीकृत कर दी है, और

(ङ) यदि नहीं, तो शेष राशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत संस्वीकृत, गुजरात में चल रहे, निर्माण कार्यों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य के लिए अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत, पहले जारी की गई कुल निधियों, अखिल भारतीय स्तर पर पारस्परिक प्राथमिकता, राज्य द्वारा बताई गई आवश्यकताओं और उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रख कर ही हर वर्ष निधियों का आवंटन किया जाता है। से आवंटन कार्यवार नहीं, बल्कि एकमुश्त किए जाते हैं। तथापि, गत पांच वर्षों में, केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों के लिए, गुजरात को जारी की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	(लाख रुपये)
1989-90	100.00
1990-91	150.00
1991-92	60.00
1992-93	70.00
1993-94	80.00

(ङ) चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियों का जारी किया जाना बजट प्रावधान की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि शेष धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी।

विवरण

क्रम सं.	निर्माण कार्यों का नाम	संस्वीकृति की तारीख	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4
	सड़क निर्माण कार्य		
1.	10 स्थानों पर जिला प्रयोगशालाओं (परीक्षण) की स्थापना	27-10-83	17.00
2.	यातायात अभियांत्रिकी कक्ष	13-1-86	30.12

1	2	3	4
3.	आर/प्रयोगशाला और विकास कक्ष की स्थापना	6-3-86	11.75
4.	उच्छल-निसार सड़क की इंटरमिडिएट लेन तक (35 कि.मी.) चौड़ा करना	15-1-87	50.00
5.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर पांच टूरिंग लेनों का निर्माण और विश्राम क्षेत्रों का विकास	14-5-87	11.50
6.	10 चुनिंदा भारी यातायात वाले मार्गों पर, यातायात की मात्रा, दुर्घटना प्रणव क्षेत्रों पार्किंग, स्टापिंग स्थानों से संबंधित अध्ययन और अस्थाई सुरक्षा और उच्च क्षमता के लिए पुनः निर्माण।	14-5-87	14.00
7.	लिनखाड़े-लिडी-चेकलिया सड़क के चुनिंदा 15 कि.मी. (99.85 कि.मी. से 145 कि.मी.) को चौड़ा करके दो लेन का बनाना।	14-7-87	50.00
8.	गुजरात में अहमदाबाद-मेहसाना सड़क को चौडा करके 4-लेन का कैरिजवे बनाना (चुनिंदा 12 कि.मी.)	14-7-87	65.00
9.	6/0 से 13/230 कि.मी. तक अहमदाबाद बाईपास पर एक समानान्तर सर्विस रोड का निर्माण	28-2-92	98.67
	पुल निर्माण कार्य		
10.	सुरेन्द्र नगर जिले में फोल्कू नदी पर पुल और इसके पहुंच मार्गों का निर्माण तथा अहमदाबाद विरमगान-धंगाधरा सड़क पर धंगाधरा के निकट डायवर्शन का निर्माण।	19-6-80	40.00

1	2	3	4
11.	जामनगर खनभालिया-द्वारका सड़क पर शिहान नदी पर पुल और इसके पहुंच मार्गों का निर्माण।	15-4-87	14.71

[हिन्दी]

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाने

31. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों से इन राज्यों में तेल शोधक कारखानों की स्थापना करते हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) क्रमशः पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में संयुक्त उद्यम में 6 मि.मि. टन प्रतिवर्ष की ग्रासरूट रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) और मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बी.पी.सी.एल.) को विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रथम चरण का अनुमोदन दिया है। उपर्युक्त प्रस्तावित रिफाइनरियों के लिए क्रमशः महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले के देवधर और मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना नामक स्थानों के बारे में निर्णय लिया गया है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

32. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली राज्य में मांग पर तत्काल टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा;

(ग) क्या वर्ष 1991 के पहले तीन से चार महीनों के दौरान दिल्ली में बडी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन जारी किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बीच सभी स्वीकृत टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ङ) यह टेलीफोन लगाने में न्यूनतम और अधिकतम कितना समय लगाया गया;

(च) क्या टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि के कारण रख-रखाव के स्तर में गिरावट आयी है, और

(छ) यदि नहीं, तो गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में सरकार द्वारा रख-रखाव के विस्तार का कितना काम किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) एवं (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार, वर्ष 1997 के अंत तक मांग होने पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस कार्य में कुछ दिन अवश्य लगते हैं। अधिकतम समय सीमा नहीं बताई जा सकती, क्योंकि क्षेत्र विशेष के तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होने के कारण कुछ टेलीफोन नहीं लगाए जा सके हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। तथापि, अधिक संख्या में टेलीफोन प्रदान किए जाने के कारण आयोजना स्तर पर अनुमान से अधिक परियात होने से कुछ एक्सचेंज मार्गों पर संकुलन (कंजेक्शन) हो गया था। जिन इण्टर एक्सचेंज मार्गों पर संकुलन हो गया था, उन पर जंक्शनों में समुचित वृद्धि की गई है।

गैस के सिलिंडरों को बदलना

33. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित संगत तेल कम्पनियां रिसने वाले गैस के सिलिंडरों को नहीं बदलती हैं, जबकि गैस डीलरों को रिसने वाले गैस सिलिंडरों के बदले उपभोक्ताओं को दूसरे गैस सिलिंडर देने होते हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटरों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि उपभोक्ताओं को वितरण करने से पहले वे प्रत्येक सिलेंडर के वजन और रिसाव के संबंध में जांच पड़ताल कर लें। डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा सिलेंडरों के वितरण से पहले की गई पांच पड़ताल में रिसते पाए गए सिलेंडर आपूर्ति केन्द्र को वापस भेज दिए जाते हैं, जिनके लिए तेल कम्पनियों द्वारा पूरी की पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है।

उपयोग के दौरान उपभोक्ता के परिसर में रिसते पाए गए सिलेंडरों के बदले निःशुल्क अथवा आनुपातिक प्रतिपूर्ति आधार पर नए सिलेंडरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

34. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या किन-किन स्थानों पर जून, 1994 तक एक हजार से अधिक थी;

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में, विशेष रूप से उज्जैन में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) मध्य प्रदेश में

(1) भोपाल

(2) भिलाई

(3) ग्वालियर

(4) इन्दौर

(5) रामपुर

(6) रीवा

(7) सागर

(8) सतना में एक हजार से अधिक आवेदकों की प्रतीक्षा सूची है।

(ख) और (ग) दूरसंचार नीति - 1994 में समग्र देश में 1-4-1997 तक व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 1994-95 के दौरान, मध्य प्रदेश में 57,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 1994-95 के दौरान, मध्य प्रदेश में 91,600 स्विचन लाइनों की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2000 लाइनें उज्जैन में लगाई जाएंगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलीफोन एक्सचेंज

35. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ने के लिए चुना गया है;

(ख) इनमें से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ दिया गया है, और

(ग) कितने स्थानों को एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 2496 स्थानों पर एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव था।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कुल 3475 स्थानों को एस.टी.डी. नेटवर्क से जोड़ा गया है। तथापि, योजनागत कुछ स्थानों को निधि, उपस्कर, भूमि, भवन आदि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक एस.टी.डी. नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 112 स्थानों को एस.टी.डी. नेटवर्क से जोड़ा गया है।

(ग) 1994-95 के दौरान 1294 स्थानों को एस.टी.डी. नेटवर्क से जोड़े जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधि, उपस्कर, भूमि, भवन आदि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पंचायतों को टेलीफोन

36. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पश्चिम बंगाल में कितने अंचल पंचायत घरों में टेलीफोन सुविधा है और ऐसे कितने पंचायत घरों में यह सुविधा नहीं है, और

(ख) सभी अंचल पंचायतों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध की जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन सुविधायुक्त और टेलीफोन सुविधा रहित अंचल पंचायत घरों की संख्या क्रमशः 2,748 और 323 है।

(ख) मार्च 1995 तक, ऐसी सभी पंचायतों को यह सुविधा प्रदान कर दिये जाने की संभावना है।

विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग

37. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों ने अपने घरेलू दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग के लिए क्या मानदंड अपनाये हैं;

(ख) क्या अमरीका घरेलू दूरसंचार क्षेत्र में 20 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति नहीं देता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त तथ्यों की दृष्टि से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की अधिक इक्विटी धारिता की अनुमति देने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) कुछ देशों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय दूरसंचार निर्माण क्षेत्र में 51% तक की विदेशी इक्विटी के प्रस्तावों को स्वतः अनुमोदन आधार पर अनुमति दी जाती है। दूरसंचार मूल्यवर्धित सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी इक्विटी के प्रस्तावों पर और दूरसंचार निर्माण के क्षेत्र 51 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में विदेशी कम्पनियों की इक्विटी धारिता, जिसके लिए 13-5-94 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अंतर्गत भारतीय पंजीकृत कम्पनियों को अनुमति दी गई है, के मानदण्डों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग के मानदण्ड :

1. **इण्डोनेशिया**

इंडोनेशिया सरकार द्वारा 2-6-94 को घोषित उदार विनियमों के अंतर्गत दूरसंचार क्षेत्र में 95% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इण्डोनेशिया के साझीदार के लिए न्यूनतम इक्विटी धारिता जो पहले 20% थी, घटाकर 5% कर दी गई है।

2. **आस्ट्रेलिया**

दूरसंचार में "सेवा प्रदायकों" के लिए विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस पर विदेशी कम्पनियों का 100% तक स्वामित्व हो सकता हे। "सेवा प्रदायक" ऐसे व्यक्ति हैं, जो लाइसेंस धारक कैरियरों से पट्टे पर दूरसंचार क्षमता प्राप्त करते हैं और वाइस सेवाओं सहित सभी दूरसंचार सेवा प्रदान करते हैं।

तथापि, आस्ट्रेलिया ने दो सामान्य कैरियरों को अनुमति दी है, इनमें से एक 100% सरकारी स्वामित्व और दूसरा 51% आस्ट्रेलियाई स्वामित्व के हैं। इसके अलावा, 3 सचल कैरियर हैं, एक 100% सरकारी स्वामित्व दूरसंचार, 51% आस्ट्रेलियाई स्वामित्व और तीसरा 100% विदेशी स्वामित्व का है। सचल कैरियर की तीसरी लाइसेंसशुदा कम्पनी के मामले में 100% विदेशी स्वामित्व लाइसेंस मंजूर होने के 10 वर्ष के भीतर अर्थात्, 2003 तक अधिसंख्य आस्ट्रेलियाई स्वामित्व में परिवर्तित किया जाना है।

3. **श्रीलंका**

दूरसंचार के क्षेत्र में स्वतः आधार पर 40% तक विदेशी निवेश की अनुमति है और मामला-दर-मामला अनुमोदन की शर्त पर 40% से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति है।

4. मयनमार

मयनमार विदेशी निवेश कानून में, दूरसंचार क्षेत्र में संयुक्त सहयोग/संयुक्त उपक्रम सहित विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र पर एक सरकारी उपक्रम, मयनमार डाक व दूरसंचार का पूर्ण एकाधिकार है। तथापि, मयनमार में समय-समय पर दूरसंचार क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बहुराष्ट्रीक कम्पनियों जैसे एरिक्सन और सीमेन्स को ठेके दिए जाते हैं।

5. जर्मनी

दूरसंचार क्षेत्र पर अब तक सरकारी एकाधिकार रहा है। दूरसंचार के निजीकरण के लिए एक नया कानून पारित किया गया है। यह कानून 1-1-95 से लागू होगा। इस कानून के अंतर्गत सरकारी निगम "टेलीकाम" अपनी इक्विटी का 49%, 1996 से आगे स्टाक एक्सचेंजों में रखेगा और 51% उसके पास रहेगा। दूरसंचार सेवाओं में विदेशी कम्पनियों की भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

6. फ्रांस

फ्रांस में फ्रांसिसी दूरसंचार उद्योग का विनियामक ढांचा उनके दिसम्बर, 90 के कानून द्वारा शासित है। दूरसंचार नेटवर्क अब संरचना के अंतर्गत, 20% से अधिक की पंजीकृत पूंजी वाली कंपनी अथवा यूरोपीय समुदाय से भिन्न विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित मताधिकार वाली कंपनी है, को फ्रांस में स्वदेशी (डोमेस्टिक) दूरसंचार क्षेत्र में भागेदारी का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार निर्धारित स्थानों के बीच टेलीफोन सेवा और टेलेक्स सेवाओं से संबंधित दूरसंचार सेवाएं केवल फ्रांस के सार्वजनिक दूरसंचार आपरेटर फ्रांस टेलीकाम के लिए आरक्षित की गई है।

7. सिंगापुर

सिंगापुर में इस समय मूल दूरसंचार सेवाओं में विदेशी भागीदारी की अनुमति नहीं है। मूल्यवर्धित सेवाओं में विदेशी भागीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और प्रत्येक मामले पर, मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है।

8. वियतनाम

वियतनाम में स्थानीय दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति नहीं है। इक्विटी भागीदारी के बगैर ठेके पर कारोबार करने संबंधी सहयोग के रूप में विदेशी कंपनियों की भागेदारी की अनुमति है। दूरसंचार उपस्कर बनाने के लिए 99% इक्विटी भागीदारी की अनुमति है, लेकिन व्यवहार में केवल 70% तक की भागीदारी की अनुमति है।

बिहार में इस्पात संयंत्र के लिए स्वीकृति

38. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इस्पात संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) इसे स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) जून, 1994 में दीघा-घाट, पटना, बिहार में 13,500 मी.टन वार्षिक क्षमता से मृदु इस्पात पिंड तथा ढलवा इस्पात तैयार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु मैसर्स आशियाना अलायस एण्ड स्टील्स लि. से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच कर ली गयी है और आवेदक को शीघ्र ही उपयुक्त सूचना दे दी जाएगी।

सिलीगुड़ी दार्जिलिंग सेक्शन

39. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग सड़क पर अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच की सड़क पहले ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। कभी-कभी बारिश के दौरान भूस्खलन से यह मार्ग प्रभावित हो जाता है। पतली चिकनी मिट्टी (स्लिप्स) को हटाने और सड़क को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

40. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है, और

(ख) इस पर कुल कितना व्यय किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस पर लगभग कुल 84 करोड़ रु. व्यय हुआ है।

विवरण

गुजरात में टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा

जिले	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
अहमदाबाद	2	58	194	126
गांधीनगर	–	7	19	1
बड़ौदा	–	31	47	323
राजकोट	3	89	35	231
सूरत	–	188	27	127
नडियाड	–	116	266	344
भावनगर	3	46	78	160
भुज	5	46	85	158
जामनगर	1	22	106	121
जूनागढ़	3	69	61	175
मेहसाना	–	242	145	244
वलसाड	2	111	63	134
हिम्मतनगर	2	99	182	190
पालनपुर	6	106	129	206
सुरेन्द्रनगर	6	92	55	295
भड़ौच	5	48	153	183
गोधरा	–	82	27	277
अमरेली	–	121	83	75

1	2	3	4	5
डांग	–	1	–	–
संघ-शासित क्षेत्र	–	2	–	–
जोड़	38	1576	1755	3370

[अनुवाद]

तेल फैलाव

41. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सप्ताह दुर्घटनाओं या बड़े-बड़े टैंकरों की धुलाई अथवा तेल की उतराई चढ़ाई में पत्तनों पर हजारों टन तेल फैला है;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी मात्रा में तेल फैलने से सैनजोन की मूंगा भित्ति में तेल भर जाने के कारण तटीय पर्यटक स्थान प्रदूषित होते जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का कोई आकलन किया है कि प्रत्येक वर्ष देश में कितनी मूंगा भित्ति की क्षति हो रही है;

(घ) देश में तेल फैलाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं, और

(ङ) इस तेल फैलाव के विभिन्न कारक कौन-कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोइल-कारो जल विद्युत परियोजना

42. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोइल-कारो जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यह वचन किस सीमा तक निभाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना के निष्पादन के लिए प्रयास नहीं किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1993 में

भारत सरकार ने बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि वह परियोजना को निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कार्यनिष्पादित कराने की सम्भावना का पता लगाये क्योंकि एन.एच.पी.सी. की मौजूदा संसाधन स्थिति इस योग्य नहीं है कि वह परियोजना पर कार्य को तुरन्त शुरू कर सके, तथापि बिहार सरकार ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि या तो वह स्वयं निधियां उपलब्ध कराए अथवा एन.एच.पी.सी. को यह निर्देश दे कि वह बाहरी एजेंसियों के माध्यम से निधियों की व्यवस्था करे। आठवीं योजना के लिए मौजूदा योजना आवंटन से, परियोजना के शीघ्र कार्यनिष्पादन के लिए निधियां उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है। यदि बाहरी निधियां उपलब्ध हो जाएं, तो भी इससे परियोजना की लागत के केवल एक घटक की ही पूर्ति हो पाएगी।

[हिन्दी]

भारत-चीन समझौता

43. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने हाल ही में तेल के क्षेत्र में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह समझौता कब से कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) राज्य मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के हाल के चीन दौरे की समाप्ति पर तेल क्षेत्र के अन्तर्गत सहयोग के संबंध में विचार करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा चीन नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन के बीच एक सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किया गया था।

"इस्को" द्वारा कोयले का उत्पादन

44. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) की रामनगर, छाजनाला, जितपुर कोयला खानों द्वारा एस.एल.वी. तथा अलग किये गये झामा कोयले का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) 1993-94 के दौरान इनमें से प्रत्येक कोयला खान में अलग किये गये झामा कोयले तथा एस.एल.वी. कोयले की बिक्री का माहवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) 31 मार्च, 1994 को "इस्को" की तीनों कोयला खानों में एस.एल.वी. तथा अलग किये गये झामा कोयले का आरंभिक स्टाक कितना था?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और

1993-94 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. (इस्को) की रामनगर, चासनाला और जितपुर कोयला खानों द्वारा उत्पादित सेग्रीगेटिड लो वैल्यू तथा सेग्रीगेटिड झामा कोयले की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

इकाई : मी. टन

वर्ष	रामनगर	चासनाला	जितपुर
1991-92	133309	शून्य	शून्य
1992-93	182661	शून्य	शून्य
1993-94	128285	17331	शून्य

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान सेग्रीगेटिड झामा/सेग्रीगेटिड लो वैल्यू कोयले की बिक्री का मासिक ब्यौरा निम्नानुसार है :

इकाई : मी. टन

माह	बिक्री की मात्रा		
	रामनगर	चासनाला	जितपुर
1	2	3	4
अप्रैल, 93	6925.400	शून्य	शून्य
मई, 93	5723.060	शून्य	शून्य
जून, 93	3520.980	शून्य	शून्य
जुलाई, 93	273.060	शून्य	शून्य
अगस्त, 93	942.140	शून्य	शून्य
सितम्बर, 93	11196.880	शून्य	शून्य
अक्तूबर, 93	18969.720	शून्य	शून्य
नवम्बर, 93	14406.560	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 93	11180.120	1116.20	शून्य
जनवरी, 94	11110.380	1998.48	शून्य

1	2	3	4
फरवरी, 94	10303.700	2547.60	शून्य
मार्च, 94	14240.920	1491.58	शून्य
कुल	108792.920	7153.86	

(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार सेग्रीगेटिड लो वैल्यू तथा सेग्रीगेटिड झामा कोयले के प्रारंभिक स्टाक का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	चासनाला	रामनगर	जितपुर
	10,053	53,455	शून्य

[अनुवाद]

तेल विकास उपकर

45. **श्री मोहन रावले :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल विकास उपकर लगाने के उद्देश्य क्या है;

(ख) इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) इस समय किस दर पर तेल विकास उपकर लगाया जा रहा है;

(घ) इस समय तेल विकास उपकर निधि में कुल कितनी धनराशि है;

(ङ) विगत में वसूल की गयी धनराशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया;

(च) क्या इस धनराशि को तेल उद्योग विकास बोर्ड को देने का विचार है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 स्वदेशी कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर का उदग्रहण उपबंधित करता है, जो भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी तथा केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस विषय में विधि द्वारा तैयार विनियोजन की ऐसी व्यवस्था करती

है, तो वह धनराशि ऐसी आय में से जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों अर्थात तेल उद्योग विकास तथा उससे संबद्ध मामलों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे, समय-समय पर तेल उद्योग विकास बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

(ख) अधिनियम की शुरुआत से लेकर मार्च, 1994 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने तेल उद्योग को इसकी अपनी पूंजी तथा प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में इसके स्रोतों की सम्पूर्ति के लिए 5175.00 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी है। इस अवधि के दौरान 93.11 करोड़ रुपये तक की सहायता अनुदान तेल क्षेत्र के क्रियाकलापों के लिए भी वितरित की गई थी।

(ग) क्रूड आयल के संबंध में उपकर उद्ग्रहण की वर्तमान दर रुपये 900.00 प्रति टन है।

(घ) 31 मार्च, 1994 की स्थिति में तेल उद्योग विकास निधि में कुल संचित निधि 3007 करोड़ रुपये है।

(ङ) इस धनराशि को तेल उद्योग के पूंजी वित्तपोषण तथा प्रचालन संबंधी जरूरतों के लिए उपयोग में लाया गया है। आंशिक रूप से इन निधियों को तेल उद्योग से संगत अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए आसान आवधिक ऋणों तथा सहायता अनुदान देने के लिए भी उपयोग में लाया गया है।

(च) और (छ) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार धन की ऐसी राशि बोर्ड को भुगतान कर सकती है, जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

अन्तर्राज्यीय बस सेवा

46. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, आगरा, जयपुर, जम्मू, कटरा इत्यादि के लिए समानान्तर अंतर्राज्यीय बस सेवा नियमित रूप से चलाई जा रही है;

(ख) क्या ये बसें मोटरयान अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करके चलाई जा रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कितनी बसें पकड़ी गईं, और

(घ) इन बस आपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि कन्ट्रेक्ट कैरिज बसों को दिल्ली से बाहर जाने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के तहत अस्थायी परमिट दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया है कि परमिट की शर्तों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की जांच उनके प्रवर्तन कक्ष द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह भी सूचित किया है कि मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालानों के बारे में वें अलग-अलग आंकड़े नहीं रखते। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी प्रकार के वाहनों के चालानों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	दि.प.नि. बसों, कन्ट्रेक्ट कैरिज बसों, मिनी बसों, रेडलाईन और पर्यटक बसों, के (किए गए) चालानों की कुल संख्या	अन्य राज्यों की बसों के (किए गए) चालानों की कुल संख्या
अप्रैल, 91 – मार्च, 92	3182	564
अप्रैल, 92 – मार्च, 93	8553	821
अप्रैल, 93 – मार्च, 94	27619	593

[हिन्दी]

हजीरा में शिपयार्ड

47. **श्री महेश कनोड़िया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हजीरा में शिपयार्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारत सरकार का हजीरा में कोई शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालयों में उपग्रह मनीआर्डर सेवा

48. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों को उपग्रह मनीआर्डर सेवा से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मुख्यालयों की कुल संख्या क्या है, जिन्हें इस सेवा से जोड़ दिया गया है और ऐसे कितने मुख्यालय हैं, जिन्हें इस सेवा से जोड़ा जाना बाकी है, और

(ग) इस संबंध में 1993-94 के दौरान कितना कार्य किया गया और 1994-95 के लिए सरकार की क्या योजना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) त्वरित और अधिक प्रभावी मनीआर्डर सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से डाक विभाग में उपग्रह माध्यम के जरिए मनीआर्डर सूचना भेजने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में राज्यों की राजधानियों तथा दूरदराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करते हुए देश में 75 माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित करने का विचार है। इन माइक्रो-अर्थ स्टेशनों के लिए चुने गए 75 स्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। प्रत्येक माइक्रो अर्थ स्टेशन में उसके आस-पास के अन्य डाक-घरों को अधिक कार्यकुशल मनीआर्डर सेवा देने के प्रयोजन से एक्सपिडिशियस लिंक प्रदान करने के लिए एक वी.एस.ए.टी. (वैरी स्माल अपर्चर टर्मिनल) और अन्य आवश्यक सहायक उपकरण लगे होंगे। बाद में देश के और अधिक स्थानों को मनीआर्डर उपग्रह के माध्यम से भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिए माइक्रो-अर्थ स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान विभाग ने 6 स्थानों अर्थात् दिल्ली, मद्रास, बेंगलूर, लखनऊ, शिमला और पटना में एक प्रायोगिक योजना आरम्भ की है, जहां इस प्रणाली की विस्तृत कार्यविधि तैयार करने और उसे परिमार्जित करने के लिए माइक्रो-अर्थ स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

इस प्रायोगिक योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ, शेष स्थानों में माइक्रो-अर्थ स्टेशनों की स्थापना के साथ 1994-95 से यह परियोजना चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित की जाएगी।

विवरण

माइक्रो अर्थ स्टेशनों (वी.एस.ए.टी.एस.) के लिए प्रस्तावित स्थानों की सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	शहर/नगर
1	2	3
1.	असम	1. गुवाहाटी 2. सिलचर 3. तेजपुर 4. डिब्रूगढ़ 5. उत्तरी लखीमपुर
2.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद 2. विजयवाड़ा 3. विशाखापट्टनम 4. तिरुपति 5. कुरनूल
3.	बिहार	1. पटना 2. रांची 3. गया 4. पूर्णिया 5. दरभंगा 6. माधेपुरा 7. मुजफ्फरपुर
4.	दिल्ली	1. नई दिल्ली जी.पी.ओ.
5.	गुजरात	1. राजकोट 2. बड़ौदा 3. अहमदाबाद

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	1. शिमला 2. मंडी
7.	हरियाणा	1. अम्बाला 2. रोहतक
8.	जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू 2. श्रीनगर
9.	कर्नाटक	1. बेंगलूर 2. मैसूर 3. धारवाड़ 4. मंगलौर 5. रायचूर
10.	केरल	1. त्रिवेन्द्रम् 2. कालीकट 3. कोचीन
11.	मध्य प्रदेश	1. रायपुर 2. जबलपुर 3. इन्दौर 4. रतलाम 5. भोपाल 6. ग्वालियर
12.	महाराष्ट्र	1. नागपुर 2.बंबई 3. पुणे 4. पणजी 5. औरंगाबाद
13.	उत्तर पूर्वी	1. शिलांग 2. ऐजल 3. अगरतला 4. कोहिमा
14.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर 2. सम्बलपुर
15.	पंजाब	1. लुधियाना 2. जालंधर
16.	राजस्थान	1. जयपुर 2. जोधपुर 3. उदयपुर 4. अजमेर 5. कोटा
17.	तमिलनाडु	1. मद्रास 2. कोयम्बटूर 3. मदुरै 4. त्रिची 5. तंजावुर
18.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ 2. कानपुर 3. वाराणसी 4. आगरा 5. इलाहाबाद 6. सहारनपुर 7. बरेली 8. रुद्र प्रयाग
19.	पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता 2. सिलीगुड़ी 3. पोर्ट ब्लेयर

[अनुवाद]

पेट्रेक्स द्वारा विकसित पेट्रोल का विकल्प

49. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रेक्स फ्यूल इंडिया ने पेट्रोल का विकल्प विकसित किया है, जैसा कि दिनांक 24 जून, 1994 के टाइम्स आफ इंडिया में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने पेट्रेक्स फ्यूल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित उत्पाद का परीक्षण किया है, और

(ग) यदि हां, तो इसे बाजार में कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 24 जून, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में बताये गये अनुसार पैटरेक्स फ्यूल इंडिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने पेट्रोल के लिए एक विकल्प विकसित किया है।

(ख) **बी.पी.सी.एल.** ने पैटरेक्स फ्यूल इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पाद का परीक्षण किया है।

(ग) सरकार ने पेट्रोल अथवा इसके समतुल्य के लिए निजी विपणन की आज्ञा नहीं दी है।

कर्नाटक में रसोई गैस भण्डार

50. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रसोई गैस के गैर सरकारी डीलर कितने हैं;

(ख) क्या सरकार ने रसोई गैस के गैर सरकारी डीलरों द्वारा बेची जा रही रसोई गैस के लिए कोई अधिकतम जमा राशि और अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक में गैर सरकारी डीलरों द्वारा कितनी जमा राशि ली जा रही है तथा रसोई गैस किस दर से बेची जा रही है;

(ङ) क्या रसोई गैस के कुछ गैर-सरकारी डीलर जमा राशि के रूप में भारी धनराशि ले रहे हैं और रसोई गैस अत्यधिक ऊंची दरों पर बेच रहे हैं, और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियां डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त करने तथा ग्राहकों का नाम दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) से (घ) उक्त प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियों को एल.पी.जी. का आयात करने तथा अपनी शर्तों पर बाजार नियंत्रित कीमतों पर इस प्रकार आयातित एल.पी.जी. की बिक्री के लिए अपनी सुविधाओं और वितरण नेटवर्क स्थापित करने/उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(ङ) से (च) सरकार कोई शुल्क कीमत निर्धारित नहीं करती है। सरकार के ध्यान में कुछ रिपोर्ट आई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे उन समानांतर विपणनकर्त्ताओं द्वारा जमा राशि लेने पर पाबंदी लगाएं, जो इन उत्पादों की आपूर्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था किए बगैर ऐसा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि वे समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत कार्यकलापों को हाथ में लेने के इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों की यथार्थता पूर्ववृत्त और क्षमताओं को सत्यापित करा लें और उन व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करें, जो धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं। आम जनता को भी उचित सुझाव दिया गया है तथा प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे समानांतर विपणनकर्त्ताओं के साथ किसी भी तरह का कार्यव्यापार करने से पूर्व उनके पूर्ववृत्त, यथार्थता और क्षमता के बारे में अवश्य पता लगाएं। एम.आर.टी.पी. आयोग भी उन व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, जो कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं।

काजू का उत्पादन और प्रसंस्करण

51. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितनी-कितनी काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कच्चे काजू की प्रतिवर्ष कितनी मात्रा प्रसंस्कृत की गयी;

(ग) क्या काजू उत्पादकों को उनके उत्पादनों का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यवार काजू की खेती करने वाले किसानों की सहकारी समितियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए काजू की खेती करने वाले किसानों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (छ) जैसा कि काजू का प्रसंस्करण अधिकतर लघु और असंगठित सेक्टर में किया जा रहा है, अतः यूनिटों की राज्य-वार संख्या के बारे में सूचना, प्रसंस्करण की मात्रा, सहकारी समितियों आदि की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। किंतु, उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में 690 फैक्टरियां कच्चे काजू का प्रसंस्करण कर रही हैं, जो अधिकतर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम-बंगाल, पांडिचेरी और त्रिपुरा जैसे काजू उत्पादक राज्यों में स्थित हैं। 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान कच्चे काजू का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में उत्पन्न काजू के प्रसंस्करण के अतिरिक्त भारत कच्चे काजू का आयात भी करता है और फैक्टरियों में उनका प्रसंस्करण भी करता है। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में क्रमशः 82,639 मी. टन, 1,06,322

मी. टन और 1,33,293 मी. टन कच्चे काजू का आयात किया गया। इस प्रकार देश में प्रसंस्कृत काजू की कुल मात्रा, जिसमें घरेलू कच्चे काजू का प्रसंस्करण शामिल है, वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्रमशः 3,77,229 मी. टन, 4,11,632 मी. टन और 4,82,683 मी. टन होने का अनुमान है।

विवरण

कच्चे काजू का उत्पादन

(यूनिट : मीट्रिक टन)

राज्य	वर्ष		
	1990-91	1991-92	1992-93
केरल	1,42,100	1,43,200	1,51,600
कर्नाटक	25,770	26,750	31,260
आंध्र प्रदेश	37,770	40,360	44,880
उड़ीसा	29,100	31,840	39,060
महाराष्ट्र	29,510	31,960	25,590
गोवा	14,100	14,490	33,810
तमिलनाडु	12,470	12,710	19,190
पश्चिम बंगाल	3,440	3,660	3,660
पांडिचेरी	280	290	290
त्रिपुरा	50	50	50
	2,94,590	3,05,310	3,49,390

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का उपयोग

52. **श्रीमती विभू कुमारी देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए अगरतला शहर में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में पाइप लाइनों के जरिए उसके घरेलू वितरण हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है, और

(घ) इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी (टी.एन.जी.सी.) अगरतला में तथा उसके आसपास के औद्योगिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस वितरित कर रही है। इस समय टी.एन.जी.सी. भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से 500 एस.सी.एम.डी. गैस प्राप्त कर रही है।

गुजरात की ग्राम पंचायतों में डाकघर

51. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) मार्च, 1994 तक उनमें से कितनी ग्राम पंचायतों को डाकघर सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, और

(ग) शेष ग्राम पंचायतों में डाकघर कब तक खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) गुजरात में 13108 ग्राम पंचायतें हैं। इस समय इनमें से 8077 ग्राम पंचायतों में डाकघर सुविधा है।

(ग) डाकघर वार्षिक योजनाओं के तहत खोले जाते हैं, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। यद्यपि, डाकघर खोलने के संबंध में ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाती है, तथापि, सभी ग्राम-पंचायतों में डाकघर खोलने के बारे में कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

गुजरात में निजी क्षेत्र के रसोई गैस वितरक

54. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 तक गुजरात के प्रत्येक जिले में निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कुल कितने रसोई गैस वितरक कार्यरत हैं;

(ख) इन गैस एजेंसियों में कुल कितने उपभोक्ता पंजीकृत है तथा प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, और

(ग) सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं को कब तक गैस कनेक्शन दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) समानांतर विपणन प्रणाली के तहत निजी एजेंसियां सरकार के किसी हस्तक्षेप के बिना वितरकों को नियुक्त करने तथा ग्राहकों का पंजीयन करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा सरकार के पास इस संबंध में और सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

उपकरणों की कमी

55. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास टेलीफोन एक्सचेंजों में लगाये जाने वाले उपकरणों की भारी कमी हो रही है, जिसके कारण पुराने एक्सचेंजों को बदलने में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण टेलीफोन तंत्र के कार्यकरण पर कितना प्रभाव पड़ा है, और

(ग) इससे उभरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं। पुराने और मियाद समाप्त एक्सचेंजों की चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस वितरकों को निर्देश

56. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस वितरकों को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि उनके कर्मचारी गैस सिलेंडर को पहुंचाते समय वजन मापने का उपकरण भी अपने साथ ले जाएं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्देश कब जारी किए गए थे और इन्हें कब से कार्यान्वित किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों को ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों को यह अनुदेश दिए जा चुके हैं कि वे अपने गोदामों में भरे हुए एल.पी.जी. सिलेंडरों की सही भार आदि के संबंध में वितरण से पहले जांच कर लें।

बरेली, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

5 . **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बरेली में फतेहगंज वैस्ट मीरगंज और नवाबगंज नगरपालिका क्षेत्र में रसोई गैस एजेंसी स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद की उपलब्धता होने पर एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

20,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर चरणों में स्थापित की जाती हैं। फिलहाल बरेली (उत्तर प्रदेश) के फतेहगंज पश्चिम, मीरगंज और नवाबगंज नगर पालिका में एल.पी.जी. की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तेल की खोज

58. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के लिए तेल की खोज हेतु योजना तैयार करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिए गए, और

(ग) देश में तेल खोजने के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है और अनुमानतः कितने तेल का उत्पादन होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) आठवीं योजना के अंतर्गत अन्वेषण प्रयास को बढ़ाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रतिपादित किया गया है, जिसमें निम्नांकित सम्मिलित हैं :

(1) राष्ट्रीय भूकम्पीय कार्यक्रम

(2) गहन जल अन्वेषण

(3) सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण

(4) विदेश में क्षेत्र/भण्डारों का अधिग्रहण

दक्षिण अफ्रीका को सहायता

59. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की नई सरकार ने अपनी विकास योजनाओं हेतु भारत से कुशल/व्यावसायिक जनशक्ति तथा मशीनरी आदि के संबंध में सहायता के लिए सरकार से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सरकार, दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका की नयी सरकार को तकनीकी और अन्य सहायता की पेशकश की है।

पारादीप पत्तन न्यास

60. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तनन्यास में प्रस्तावित श्रम न्यासी मनोनीत कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पारादीप पत्तन में 31-12-1990 की स्थिति के अनुसार इस अवधि के लिए पत्तन और गोदी कामगारों की सदस्यता के बारे में श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर उत्कल पत्तन और गोदी कामगार संघ दोनों सीटों की हकदार है। संघ में दो गुट होने के कारण इसके नेता के बारे में विवाद है। इस बारे में हक संबंधी दावा लंबित है। चूंकि, यह संघ दोनों सीटों की हकदार हैं, इसलिए हक संबंधी दावे का निपटान होने तक न्यासियों को मनोनीत कर पाना संभव नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा रसोई गैस का आयात

61. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की रसोई गैस कम्पनियों को रसोई गैस का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी रसोई गैस का आयात किया जाएगा;

(ग) क्या निजी कम्पनियों ने रसोई गैस के भंडारण की व्यवस्था कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची का वितरकवार ब्यौरा क्या है, और

(छ) पंजीकृत उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियों को बाजार आधारित मूल्यों पर विक्रय के लिए अपनी स्वयं की सुविधाओं और वितरण नेटवर्क का प्रयोग/स्थापना करके तथा एल.पी.जी.

का आयात करने की अनुमति दी गई है। व्यक्तिगत पार्टियों को समानांतर विपणन शुरू करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, उन्हें सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि के संबंध में यथा लागू संबंधित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। 11 पार्टियों ने सरकारी तेल कम्पनियों के साथ, उनकी आयात और भण्डारण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं। 15-7-1994 तक प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 20424 मि.टन एल.पी.जी. का आयात किया गया है। इसके अलावा एक पार्टी द्वारा प्रत्येक 11 कि.ग्रा. क्षमता के 5000 सिलेंडरों का आयात कर लिए जाने की भी रिपोर्ट है।

(च) और (छ) उक्त योजना के अंतर्गत निजी कम्पनियां डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने के लिए और बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के ग्राहकों का पंजीकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

खोई वस्तुओं की मूल्य अदायगी

62. **श्री काशीराम राणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बीमा हुए सामान के रास्ते में खो जाने की स्थिति में मुआवजे की राशि के अनुपात में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव है और क्या इस तरह की घटनाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) किसी बीमाकृत वस्तु के गुम हो जाने के मामले में डाक वस्तु का जितनी राशि का बीमा कराया गया है, मात्र उतनी राशि तक की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान नियमों में पहले से ही है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति की देय राशि किसी भी हालत में गुम हुई वस्तुओं के मूल्य या नुकसान की राशि से अधिक न हो। डाक सेवाएं पहले से ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। तथापि, सरकार की देयता उस हद तक सीमित है, जितना भारतीय डाकघर अधिनियम में निर्धारित है।

टैंकरों का किराये पर लिया जाना

63. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" में "तेल परिवहन के पुराने फार्मूले से सरकार को करोड़ों का नुकसान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या टैंकरों के किराये पर लिये जाने के संबंध में अपनाए गए भारतीय फार्मूले की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टैंकर के किराया प्रभार कम होते हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पुराने राष्ट्रीय बेड़े के कास्ट प्लस फार्मूले के अंतर्गत किराया प्रभार फिलहाल बाजार दरों से कम हैं, परन्तु नए पोतों के अर्जन में अपेक्षाकृत अधिक लागत आ रही है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

64. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और वितरण कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने रिफाइनिंग के अंतर्गत विदेशी निवेश को सम्मिलित करते हुए इस संबंध में निजी निवेश संबंधी प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया है तथा देश के अन्तर्गत तेल रिफाइनरियां स्थापित करने के संबंध में सात निजी पार्टियों को आशय पत्र दे दिए हैं।

एल.पी.जी. (रसोई गैस), एस.के.ओ. तथा एल.एस.एच.एस. एवं अन्य नियंत्रण मुक्त उत्पादों के विपणन में निजी क्षेत्र की पहल एवं निवेश को प्रोत्साहित करने तथा देश में इन उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से समानान्तर विपणन आरंभ किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी शिष्टमंडलों का दौरा

65. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 से जून, 1994 की अवधि में राज्यों और सरकारों के प्रमुखों के नेतृत्व में किन-किन देशों के उच्च शक्ति प्राप्त शिष्टमंडलों ने भारत के दौरे किए;

(ख) इन शिष्टमंडलों के साथ हुई वार्ताओं के देशवार विस्तृत विवरण क्या है और इनके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) इन शिष्टमंडलों ने देशवार कश्मीर के मुद्दे पर क्या विचार व्यक्त किए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जिन देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के नेतृत्व में उनके उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडलों ने मार्च 1994 से जून, 1994 तक भारत की यात्रा की उन देशों के नाम मालदीव और अर्जेंटीना हैं।

इसके अतिरिक्त मार्च, 1994 में नीचे लिखे देशों के राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष पुनरायोजित जी-15 शिखर सम्मेलन में भाग लेने नई दिल्ली आए :

1. इंडोनेशिया
2. जिम्बाब्वे
3. नाइजीरिया
4. सेनेगल
5. मलेशिया
6. अर्जेंटीना

(ख) देशवार सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

1. पोलैंड

अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों से संबंधित मसलों तथा द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। निरस्त्रीकरण पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। द्विपक्षीय पहलुओं के संबंध में दोनों पक्षों ने व्यापार और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने और भारत-पोलैंड संयुक्त व्यापार परिषद तथा भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग को सक्रिय करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और उरुग्वे दौर तथा विशेष रूप से बहुआयामी करार पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में "गैट" में सहयोग और किए जा रहे प्रयासों को समन्वित करेंगे।

2. मालदीव

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के आपसी हित के मसलों तथा भारत और मालदीव के बीच वर्तमान और भावी सहयोग के क्षेत्रों पर बातचीत हुई। इस यात्रा से एक-दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझने और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने में सहायता मिली।

3. अर्जेंटीना

अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। चार करारों पर हस्ताक्षर हुए :

(i) राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्ति करार;

(ii) भारत-अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की स्थापना;

(iii) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम से संबद्ध मंतव्य और

(iv) भारतीय एक्जिम बैंक और अर्जेंटीना में इसके समकक्ष संगठन के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

4. जी-15 शिखर सम्मेलन

तथापि, जी-15 शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श मुख्यतः जी-15 के परिप्रेक्ष्य में था, जिसमें ठोस सहयोग के क्षेत्रों को तय करना और इस बात की पुनः पुष्टि करना शामिल है कि इसकी प्रासंगिकता बराबर बनी हुई है। इन नेताओं के साथ लाभप्रद द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी हुआ।

(ग) देशवार स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

1. पोलैंड

भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मसले द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए तथा यह भी कि वे इस मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के खिलाफ थे।

2. मालदीव

कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से सौहार्द तथा शन्तिपूर्ण ढंग से सुलझाई जानी चाहिए।

3. अर्जेंटीना

कश्मीर के मसले पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया।

4. जी-15 शिखर सम्मेलन

जी-15 शिखर सम्मेलन में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कश्मीर को कोई जिक्र तो नहीं था, फिर भी आतंकवाद से उत्पन्न खतरे का इसमें नीचे लिखे शब्दों में विशेष उल्लेख किया गया था :

"आतंकवाद मानवाधिकारों के उपभोग को सबसे गंभीर खतरों में से एक खतरे के रूप में उभरा है। आतंकवादी और उनके संगठन निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन तो करते ही हैं, साथ ही लोकतान्त्रिक संस्थाओं के स्वतंत्र कार्य संचालन को भी कमजोर बनाते हैं। आतंकवाद विशेष रूप से तब एक घातक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जब उसे विदेशों से सहायता प्राप्त होती है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह आतंकवाद को रोकने तथा उसका सफाया करने के लिए प्रभावी ढंग से सहयोग करें।"

[अनुवाद]

पेट्रोल में मिलावट

66. **श्री जगमीत सिंह बरार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्प और इस विभाग से संबंधित दुकानों को निर्देशिका जारी किए हैं, ताकि पेट्रोल में मिलावट को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सतर्कता विभाग को जांच हेतु सुपुर्द किए गए;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मिलावट का पता चलने की दशा में कार्यवाही की गई है तथा उन पेट्रोल पम्पों की राज्यवार संख्या क्या है, जिन्हें सरकार ने रद्द किया;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है, जिससे सामान्य उपभोक्ता को मिलावटी पेट्रोल द्वारा ठगी से बचाया जा सके, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावट/कदाचारों पर नियंत्रण रखने के लिए एम.एस./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश, 1990 तथा विपणन अनुशासन दिशा निर्देश, कार्यवाही में हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार तेल कम्पनी अधिकारियों एवं संयुक्त उद्यम टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। चलती फिरती प्रयोगशालाओं द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं। डीलरों और तेल कम्पनियों द्वारा एम.एस./एच.एस.डी. नियंत्रण आदेश के तहत घनत्व जांचें की जाती हैं। मिलावट के संबंध में जांच करने के लिए फिल्टर पेपर परीक्षण तथा फरफ्यूरल डोपिंग परीक्षण भी किए जाते हैं। मिलावट साबित हुए मामलों में डीलरशिप के समापन समेत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों द्वारा पता लगाए गए मिलावट के मामलों में तेल कम्पनियों द्वारा स्वतः कार्यवाही की जाती है।

मिलावट साबित हुए मामले जिनके संबंध में तेल कम्पनियों द्वारा कार्यवाही की गई है, तत्संबंधित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	डीलर का नाम एवं स्थान	कृत कार्यवाही
1.	उड़ीसा	1. केदार गौरी सर्विस स्टेशन, भुवनेश्वर	डीलरशिप समाप्त की गई।
		2. जनपथ सर्विस स्टेशन, भुवनेश्वर	डीलरशिप समाप्त की गई।
		3. बद्री नारायण, काशी प्रसाद भादरक	डीलरशिप समाप्त की गई।
2.	उत्तर प्रदेश	1. सिंह सर्विस स्टेशन, देहरादून	डीलरशिप समाप्त की गई।
3.	महाराष्ट्र	1. मैसर्स एम.पी. आटो, काम्पटी रोड, नागपुर	डीलरशिप समाप्त की गई।
		2. जय आटो, बम्बई	डीलरशिप समाप्त की गई।
		3. मैसर्स राम एजेंसीज, साओनेर	डीलरशिप समाप्त की गई।
		4. मैसर्स पार्थसारथी, शाहपुर	डीलरशिप समाप्त की गई।
4.	कनार्टक	1. मैसर्स एन.ए. सर्विस स्टेशन, बंगलौर	डीलरशिप समाप्त की गई।

सड़क निर्माण परियोजनाएं

67. **श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास सड़क निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाएं बड़ी संख्या में लंबित हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ताइवान के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

68. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ताइवान के प्रधान मंत्री भारत यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी भारतीय नेताओं के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) भारत-ताइवान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में यह यात्रा कितनी उपयोगी रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बसों का रखरखाव

69. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार "डर्टी बसेज ऐड टू कम्यूटर्स वूज" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो डी.टी.सी. और एस.टी.ए. परमिट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलने वाली बसों में सुविधाएं, ढांचा और रख-रखाव के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या अब तक इन सभी बसों का कोई निरीक्षण और सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 30 अप्रैल, 1994 तक डी.टी.सी. के बेडे में कुल कितनी बसें थी;

(ङ) क्या सरकार का विचार डी.टी.सी. बेड़े को कम करने का है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 के प्रावधानों के तहत स्टेज कैरिज परमिट वाली बसों के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है, जो 1 वर्ष के लिए वैध होता है। उपयुक्तता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय निरीक्षक मंडल द्वारा निरीक्षण किया जाता है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 91 से 122 में निर्धारित शर्तों के अनुसार बसों के आयाम, सुविधाओं ढांचे आदि की जांच की जाती है। स्टेज कैरिज परमिट के तहत चलने वाली बस के मालिक की यह जिम्मेदारी है कि वह परमिट की शर्तों के अनुसार बस को साफ-सुथरा रखे। जहां तक दि.प.नि. की बसों का संबंध है, सभी दि.प.नि. बसों की रोजाना, डिपुओं से बाहर निकालते समय, स्वच्छता/दर्शनीयता के बारे में जांच की जाती है।

(घ) 30-4-1994 की स्थिति के अनुसार दि.प.नि. के बेड़े में 3505 बसें थीं।

(ङ) और (च) दि.प.नि. के बेड़े में बसों की संख्या 3500 नियत करने का निर्णय लिया गया है।

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

70. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
प्रो. के.वी. थामस :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है और इसके लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी और कब तक वित्तीय आवंटन कर दिया जायेगा, और

(ग) इस परियोजना के लिए वित्त पोषण करने वाली वित्तीय संस्था कौन-सी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) भारत सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि केरल में कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आंशिक रूप से अपने संसाधनों और आंशिक रूप से वाणिज्यिक ऋण, बाण्ड जारी करके आदि के जरिए अपेक्षित वित्त व्यवस्था करेगा। स्थापना आदि के व्यय हेतु लम्बित निवेश अनुमोदन के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये की सांकेतिक राशि का प्रावधान किया गया है। लागत अनुमानों को अद्यतन किए जाने के पश्चात परियोजना हेतु निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा।

मैच वैक्स

71. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित आवंटन के बाद भी देश में मैच वैक्स फालतू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा को मैच वैक्स का कोई नियमित आवंटन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार के पास हरियाणा की मांग लंबित पड़ी है और यदि हां, तो आवंटन में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी और मामले में मैच वैक्स के नियमित आवंटन पर हाल ही में विचार किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल पैराफिन मोम टाइप-3 (मैच वैक्स) की अधिशेष उपलब्ध नहीं है। इस उत्पाद को आसानी से उपलब्ध कराने हेतु, पैराफिन मोम को 1-4-92 की प्रभावी तिथि से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।

(ख) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पैराफिन मोम टाइप-3 का आवंटन नियमित आधार पर किया जाता है, तथापि विगत में विशेष समय में उपलब्ध अधिशेष को समाप्त करने के लिए हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मैच वैक्स का तदर्थ आवंटन किया गया है।

(ग) से (ङ) हरियाणा के उद्योग महानिदेशालय ने पैराफिन मोम टाइप-3 (मैच वैक्स) की नियमित आधार पर करीब 700 मि.ट. प्रति माह की आपूर्ति का अनुरोध किया है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मांग पर गुण-दोष के आधार पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों को एस.टी.डी. सुविधा

72. **श्री जंगबीर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने ग्राम पंचायतों को एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) 1994-95 के दौरान कितने ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का विचार है, और

(ग) हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित बहल, लोहारू, दादरी, बोनी-खेड़ा, तोशाम और बांड में उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(1) दादरी, भिवानी-खेड़ा और तोशाम में मार्च, 1994 के दौरान दोतरफा एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(2) लोहारू में भी मार्च, 1994 के दौरान बाहर जाने वाली (आउट-गोइंग) एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है।

(3) बहल, बांड और लोहारू में 1994-95 के दौरान दोतरफा एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशों के साथ समझौते

73. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1994 के दौरान भारत सरकार ने किन-किन देशों के साथ विद्युत उत्पादन से संबंधित समझौते किए हैं;

(ख) भारत के विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश करने हेतु आगे आने वाली कंपनियों के देशवार नाम क्या हैं और प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा, और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए विदेशों के साथ जून, 1994 में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रकट की गई रुचि का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जैगुरूपाडु जी.बी.पी.पी./ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	827.00	जी.वी.के. इण्डस्ट्रीज, यू.एस.ए.
2.	काकीनाडा जी.बी.पी.पी./ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.4	स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. यू.एस.ए.
3.	विशाखापट्टनम टी.पी.एस./ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	3000.00	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर (यू.के.)
4.	कामेंग एच.ई.पी./ अरुणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय	600.00 (हाइडल)	1800.00	इन्द्ररकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्नोवी माउंटेन्स इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)

5.	खारसांग जी.बी.पी.पी./ अरुणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	48.00 गैस	168.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्नोवी माउंटेन्स इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)
6.	अमगुरी जी.बी.पी.पी./असम	विदेशी	360.00	1280.00	नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्क. यू.एस.ए./ आगरा इण्डस्ट्रीज
7.	पागथान जी.बी.पी.पी./ गुजरात	विदेशी/भारतीय	645.70 (गैस)	2178.14	गुजरात टोररेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./ सिमेंस, जर्मनी
8.	लिग्नाइट आधारित टी.पी.एस./ गुजरात	विदेशी	250.00 (लिग्नाइट)	875.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल
9.	हिसार टी.पी.एस./हरियाणा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.00	कांजेंट्रिक्स इन्क. यू.एस.ए.
10.	यमुनानगर टी.पी.एस./	विदेशी	1000.00 (4x250) (कोयला)	3500.00	आईजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल
11.	हिब्रा एच.ई.पी./हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (हाइडल)	708.50	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यू.एस.ए.
12.	धामवारी एच.ई.पी./ हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाइडल)	245.00	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6
13.	मंगलौर टी.पी.एस./कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कांजेट्रिक्स इन्क. यू.एस.ए.
14.	मंगलौर टी.पी.एस./कर्नाटक	भारतीय/ विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. नेशनल पावर (यू.के.)
15.	अलमाट्टी डैम एच.ई.पी./ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (हाइडल)	1800.00	एशिया पावर कं. लि. (टापको) यू.एस.ए., कर्नाटक पावर कारपोरेशन
16.	होस्पैट टी.पी.एस./कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1x500) (कोयला)	1350.00	हॉक इन्टरकोंटिनेंटल लि., यू.एस.ए.
17.	रायचूर चरण-5 टी.पी.एस./ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2x250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इण्ड, इन्क. (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यू.एस. कर्नाटक पावर कारपोरेशन
18.	थ्रिक्कारीपुर टी.पी.पी./ केरल	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	1480.00	एम.ए.एल.–मजरूई जन. ट्रेडिंग एस्ट यूएई स्कैप्चर पावर कं. यू.एस.ए.
19.	दभोल सी.सी.जी.टी. (एस.एन.जी.) महाराष्ट्र	विदेशी/	2015.00 (लिग्नाइट)	9051.27	एन्रोन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन एण्ड जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, यू.एस.ए.

20. खापरखेड़ा टी.पी.एस. यूनिट 5 व 6/महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1632.00	अरान्को लाइन शिप्पिंग कं. (माल्टा/सिंगापुर) आर.आर. एसोसिएट्स
21. भद्रावती टी.पी.एस./ महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	इस्पात एल्लॉयस लि./मित्सुई (जापान)
22. तलचेर टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज यू.एस.ए.
23. कामलांगा (धानकनाल टी.पी.एस.)। उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1500.00	इण्टरनेशनल इक्वीटी पार्टनर्स एल.पी. यू.एस.ए.
24. इब घाटी टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2x210) (कोयला)	2025.60	ए.ई.एस. कारपोरेशन, यू.एस.ए.
25. इब घाटी टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (कोयला)	10500.00	आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कं., इजरायल
26. डुबरी टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी/ भारतीय	500.00 (2x250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन/नार्थ-ईस्ट एनर्जी सर्विसिज इन्क. यू.एस.ए./उड़ीसा सरकार

1	2	3	4	5	6
27.	लापांगा टी.पी.एस./उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2x250) (कोयला)	1750.00	पायोनियर एनर्जी इन्क. यू.एस.ए./ड्यूक इंजीनियरिंग सर्विसिज
28.	बरसिंहसर टी.पी.एस./ राजस्थान	विदेशी	240.00 (2x120) (लिग्नाइट)	585.73	कोलमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम) (अब बोली के अंतर्गत सौंपी जा रही हैं)
29.	कुड्डालूर टी.पी.एस./ तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	इण्टरनेशनल कन्ट्राक्टिंग एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, यू.एस.ए.
30.	पिल्लईपैरूमलनैल्लूर सी.सी.जी.टी./तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (2x100+ 1x100) (गैस)	429.49	पी. विजयकुमार रेड्डी, माकोवस्की एसोसिएट्स, यू.एस.ए.
31.	जीरो यूनिट (एन.एल.सी.)/ तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1x210) (लिग्नाइट)	750.00	एस.टी. पावर सिस्टम्स इन्क. यू.एस.ए.
32.	जायमकोण्डम लिग्नाइट/ टी.पी.एस./तमिलनाडु	भारतीय/विदेशी	1500.00 (3x500) (लिग्नाइट)	4500.00	जायमकोण्डम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन लि. (टिडको), मकनैल्ली भारत जर्मनी

33. रोसा टी.पी.एस./उत्तर प्रदेश	विदेशी/भारतीय	750.00 (3x250) (कोयला)	2625.00	इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स/ पावर जेनरेशन यू.के.
34. सागरदीघी टी.पी.एस./ प. बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2x500) (कोयला)	2000.00	डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. सीएमएस, यू.एस.ए. जेनरेशन एण्ड डब्ल्यूबीएसईबी
35. डान्कूनी जी.बी.पी.पी./	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	40.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज यू.एस.ए.
		22431.70	73385.86	

[अनुवाद]

असम में सोने की उपलब्धता

75. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सोने की उपलब्धता का पुनः आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या असम में सुबनसीरी नदी की बालू में सोने के मंजर पाये गये थे, और

(ग) यदि हां, तो मंजरों की खुदाई के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट तथा भूविज्ञान व खनन निदेशालय (असम) द्वारा किए गए अध्ययन से असम में सुबनसीरी नदी में कुछ स्थानों पर सोने के बहुत कम अर्थात 0.37 ग्राम/टन होने का संकेत मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गैस सिलेण्डर भरने का संयंत्र

76. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से गोरखपुर में गैस सिलेण्डर भरने का एक संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है, और

(ग) गैस भरने के इस संयंत्र की स्थापना पर कितनी अनुमानित धनराशि व्यय की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। गोरखपुर में एक एल.पी.जी. भरण संयंत्र पहले ही काम कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पारपत्र कार्यालय

77. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्र निर्गत करने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या पारपत्र कार्यालयों में सार्वजनिक कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत एक वर्ष के दौरान पारपत्र आवेदनों को प्रोसेस करने की प्रणाली में सरकार द्वारा कोई नवीनता लाई गई है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य संचालन को सुव्यवस्थित बनाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न कदम शामिल हैं जैसे चरणबद्ध तरीके से पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, पासपोर्ट कार्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार लाना, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि।

इस्पात एकक

78. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में स्थापित की जा रही बड़ी, छोटी मझोली इस्पात एककों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पांच इस्पात संयंत्र और एक शीत बेलन मिल स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन संयंत्रों तथा उनकी प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	इकाई का नाम तथा स्थान-स्थिति	उत्पाद एवं क्षमता (लाख टन)	प्रगति
1	2	3	4
1.	मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील लि., दैतारी	चरण-I कच्चा लोहा 4.64 चरण-II इस्पात 5.00	कंपनी द्वारा 531 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। स्थल कार्य प्रारंभ हो चुका है। चीन के साथ सहयोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

1	2	3	4
2.	ब्रह्माणी आयरन एंड स्टील कंपनी दैतारी	कंकास्ट स्लैब 5.50	भूमि आवंटित हो गयी है।
3.	नीलांचल इस्पात निगम लि. दैतारी	बिलेट और स्लैब 10.00	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन दे दिया गया है। पर्यावरण संबंधी अनुमति के लिए आवेदन दे दिया गया है।
4.	ओरिन्ड स्टील्स	सी.आर. स्टील क्वायल - 5.00	भूमि आवंटित हो गयी है।
5.	भूषण स्टील्स एंड स्ट्रिप्स लि. दैतारी	ककांस्ट स्लैब 6.50	भूमि आवंटित हो गयी है। स्थल सीमांकन का कार्य चल रहा है।
6.	मेस्को-कलिंगा स्टील्स लि. दैतारी	तप्त बेल्लित इस्पात क्वायलें 12.00	भूमि आवंटित हो गयी है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

भारतीय मिशन

79. **श्री प्रेमचंद राम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-से देश हैं, जहां पर कोई भारतीय मिशन नहीं है, और

(ख) उन देशों का क्या नाम है, जहां 1994 के दौरान भारतीय दूतावास खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) इस समय जिन देशों में भारतीय मिशन नहीं हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कोलम्बिया में भारतीय मिशन खोला जाना है, तथापि, इस संबंध में औपचारिक घोषणा आवश्यक प्रशासनिक क्रियाविधि पूर्ण होने के बाद की जाएगी।

विवरण

उन देशों की सूची जिनमें निवासी भारतीय मिशन नहीं हैं

क्रम सं.	देश
1	2
1.	बेनिन
2.	बुरकिना फासो
3.	बुरूंडी
4.	कैमरून
5.	केप वर्डी आइलैंड
6.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य
7.	चाड
8.	कांमा रॉस
9.	कॉगों
10.	इकिवाटोरियल गिनी
11.	एरीनिया
12.	गेबॉन
13.	गाम्बिया
14.	गिनी
15.	गिनी बिसाऊ
16.	लेसॉथो
17.	लाइबेरिया
18.	मलावी
19.	माली
20.	नाइजर

1	2
21.	रूआंडा
22.	साओ टोम एंड प्रिंसिपे
23.	सियरा लियोन
24.	स्वाजीलैंड
25.	टोगो
26.	जाइरे
27.	द बहमास
28.	कुक आइलैंड्स
29.	मार्शल आइलैंड्स
30.	नारू
31.	न्यू कैलेन्डोनिया
32.	सोसायटी आईलैंड्स
33.	टोगां
34.	तुवालू
35.	फिजी
36.	किरीबाती
37.	पापुआ न्यू गिनी
38.	सोलोमन आईलैंड्स
39.	वनॉतू
40.	वेस्टर्न समोआ
41.	आजरबैजान
42.	अल्बानिया
43.	अर्मेनिया
44.	बोस्निया हर्जेगोविना

1	2
45.	क्रोशिया
46.	एस्तोनिया
47.	जॉर्जिया
48.	लात्विया
49.	लिथुआनिया
50.	मालदोवा
51.	स्लोवाक गणराज्य
52.	स्लोवेनिया
53.	द होली सी
54.	आइसलैंड
55.	लिछटेन्स्टीन
56.	लक्समबर्ग
57.	मॉनाको
58.	सॉन मेरीनो
59.	एन्टीगुआ एंड बरबूडा
60.	बारबाडोस
61.	बेलीज
62.	बोलिविया
63.	कैनन आइलैंड्स
64.	कोलम्बिया
65.	कोस्टारिका
66.	कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका
67.	डोमिनिकन गणराज्य
68.	इक्वाडोर

1	2
69.	अल साल्वाडोर
70.	ग्रेनाडा
71.	ग्वाटेमाला
72.	हैती
73.	होंडुरास
74.	नीदरलैंड्स एंटीलेस
75.	पराग्वे
76.	सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविन
77.	सेंट लूसिया
78.	सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेविटेड
79.	तुर्कस एंड कैइकस आइलैंड्स
80.	उरुग्वे
81.	ताइवान
82.	जिबूती
83.	मॉरीतानिया
84.	सोमालिया
85.	जिब्राल्टर

केरल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

80. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, वे कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी होगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पैरा (ख) : वर्ष 1994-95 के दौरान, केरल में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए स्वचालित एक्सचेंज।

	अल्लेप्पी		
(1)	अरथिंकाल	–	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"
(2)	पथीरापल्ली	–	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"
(3)	अल्लेप्पी यूनिट-III	–	2000 लाइनों वाला आर.एल.यू.
	कन्नानोर		
(1)	वनियापाड़ा	–	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"
(2)	तेल्लीचेरी यूनिट	–	3000 लाइनों वाला आर.एल.यू.
	कालीकट		
(1)	आर.ई.सी. कालीकट	–	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"
(2)	कालीकट यूनिट II	–	10000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(3)	कालीकट यूनिट III	–	5000 लाइनें ई-10-बी मैन
	एरनाकुलम		
(1)	मंजापरा	–	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"
(2)	मुरूक्कुमपदम	–	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"
(3)	एरनाकुलम यूनिट IV	–	2000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(4)	एरनाकुलम-वेलिंग-टन आईलैंड यूनिट II	–	3000 लाइनें सी-डॉट मैक्स
(5)	कोठामंगलम यूनिट II	–	2000 लाइनें सी-डॉट मैक्स
(6)	पेरूम्बवूर यूनिट II	–	3000 लाइनें सी-डॉट मैक्स
	पालघाट		
(1)	पालघाट यूनिट II	–	5000 लाइनों वाला आर.एल.यू.
	पथनमचिट्टा		
(1)	वल्लीकोडे-कोट्टायम	-	256 पोर्ट सी-डॉट "रैक्स"

क्विलोन		
(1) क्विलोन-वेलेइत्ताम्बालोम	–	2000 लाइनों वाला आर.एल.यू.
त्रिवेंद्रम		
(1) त्रिवेंद्रम-कैथामुक्कू	–	4000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(2) त्रिवेंद्रम-कैमानाम	–	2000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(3) त्रिवेंद्रम-मेडिकल कॉलेज यूनिट-II	–	ई-10-बी (एम) 4000 लाइनें
जोड़	=	20 एक्सचेंज

[हिन्दी]

झांसी और कानपुर के बीच स्थित रसोई गैस गोदाम

81. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में झांसी और कानपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रसोई गैस गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विदेशी सहायता का कोई प्रावधान रखा गया था, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस.टी.डी. टेलीफ़ोन कालों की दरें

82. **डा. आर. मल्लू** : क्या **संचार मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.टी.डी. कालों और फैक्स की चालू दरें रात्रि 9 बजे के बाद और छुट्टियों में आधी हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी ही सुविधा विदेशों में किए जाने वाली कालों के लिए भी प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) एस.टी.डी. कालों और फैक्स के लिए स्थानीय दरें कार्य दिनों में 2100 बजे से 2400 बजे तक और 0000 बजे से 0600 बजे के बीच राष्ट्रीय अवकाश के दिनों और रविवारों को किन्हीं दो एक्सचेंजों के बीच, अथवा दो लंबी दूरी के प्रभरण केन्द्रों के बीच 50 कि.मी. से अधिक की अरीय दूरी के लिए सामान्य शुल्क के 25 प्रतिशत तक चार्ज की जाती है।

(ग) से (ङ) आई.एस.डी. कॉल की शुल्क दरें अन्य देशों के साथ राजस्व में हिस्सेदारी सहित अनेक कारकों पर निर्भर करती है और इसलिए सरकार द्वारा इसकी समय-समय पर जांच की जाती है।

स्मारक टिकटें

83. **डा. वसंत पवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को उनके मंत्रालय के पास स्मारक टिकटें जारी करने के संबंध में कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों सहित ऐसी कितनी टिकटें जारी की गईं;

(ग) क्या स्मारक टिकटें जारी करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की कुछ सिफारिशें लंबित पड़ी हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) फिलैटलिक सलाहकार समिति, जो ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए डाक विभाग में कार्य करती है, के विचारार्थ लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या, 30-6-94 की स्थिति के अनुसार, उन्नतीस है।

(ख) जून, 1993 से जून, 1994 तक अवधि के दौरान जारी किए गए डाक टिकटों की कुल संख्या 31 है, जिनमें से 15 डाक टिकट प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हीरा खनन क्षेत्र

84. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय हीरा बाजार में देश की कितनी भागीदारी है;

(ख) क्या विदेशों में भारतीय हीरे का विक्रय मूल्य घरेलू मूल्य की तुलना में कम है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप हीरा खनन एवं व्यापार क्षेत्र को हो रहे लाभों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) हीरा खनन क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्यरत हैं और निकट भविष्य में इस क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारत का तराशे हुए तथा परिष्कृत हीरों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सा 40 प्रतिशत है।

(ख) हीरों का विक्रय मूल्य उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

(ग) संघ सरकार की नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप कुछ विख्यात अंतर्राष्ट्रीय हीरा खनन कंपनियां हीरे के उत्पादन के लिए नई खानों की खोज करने में रुचि ले रही हैं। कुछ कंपनियों ने हीरा खनन परियोजना, पन्ना, मध्य प्रदेश से हीरे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एन.एम.डी.सी. के साथ तकनीकी सहयोग में रुचि दिखाई है।

(घ) 30-6-94 को एन.एम.डी.सी. द्वारा पन्ना स्थित अपनी हीरा खनन परियोजना में रोजगार पर रखे कुल 681 कर्मचारी हैं।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग और आयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन

85. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग और आयल इंडिया लिमिटेड ने बिहार में "ऐरोमैगेटिक" सर्वेक्षण के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त समझौते को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की घाटी के कुछ भागों के ऊपर दो वर्ष तक, उच्च कोटि हवाई-चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिए, 16 सितंबर, 1993 को आयल इंडिया लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसका उद्देश्य उच्च कोटि हवाई-चुम्बकीय आंकड़े प्राप्त कर उनका संसाधन और विश्लेषण करके तेल के गवेषणात्मक लक्ष्यों की पहचान करना है।

(ग) हवाई-चुम्बकीय सर्वेक्षण 20 नवम्बर, 1993 को शुरू हुए हैं।

शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां

86. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा शीतल पेयों का उत्पादन किए जाने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश में शीतल पेय बनाने वाली स्वदेशी और विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मृदु पेयों का आशय सामान्यता मृदु वातित जल से होता है। मृदु वातित जल तैयार करने के लिए 1-1-94 की स्थिति के अनुसार फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त देशी कंपनियों की संख्या 650 है। भारत में कोई विदेशी कंपनी मृदु वातित जल तैयार नहीं कर रही है। परंतु मै. पेप्सी फूड्स लि. तथा ब्रिटकॉ फूडस कंपनी प्रा. लि. द्वारा मृदु पेय सान्द्रण का निर्माण किया जा रहा है।

बाम्बे हाई में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उत्पादन

87. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई में कच्चे तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन हुआ और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किस प्रकार से करने का विचार है;

(ग) क्या बाम्बे हाई की प्राकृतिक गैस की सप्लाई मुख्य भूमि से टर्मिनलों के लिए करने हेतु कोई पाइप लाइन बिछायी जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1993-94 के दौरान बम्बई हाई से गैस का उत्पादन करीब 4539 एम.एम.एस.सी.एम. था। उर्वरक, विद्युत, पेट्रोरसायन आदि उद्योगों द्वारा प्रयोग के लिए फिलहाल इसे समुद्र के भीतर पाइपलाइन से परिवहन करके उरान ले जाया जा रहा है। विद्यमान ट्रंक लाइन के माध्यम से बम्बई हाई से अतिरिक्त गैस के परिवहन की सुविधा के लिए बम्बई हाई (आई.सी.पी. प्लेटफार्म) से हीरा क्षेत्र तक एक दूसरी पाइपलाइन निर्मित की जा रही है।

[अनुवाद]

मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड

88. **श्री रामचन्द्र घंगारे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 1994-95 के लिए भारत सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार के साथ मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड (मॉयल) द्वारा हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार मॉयल को आशा है कि वह 6.25 लाख टन मैंगनीज अयस्क और 385 टन इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज आयक्साइड (ई.एम.डी.) का उत्पादन करेगी और वह 82.76 करोड़ रुपये का निवल कारोबार तथा (कर-पश्चात) 9.19 करोड़ रुपये का लाभ कमाने की आशा करती है।

[हिन्दी]

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

89. **श्री राज नारायण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 और 1995-96 के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थानों सहित वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) 30 जून, 1991 और 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के देहरादून, गोरखपुर और वाराणसी मंडलों और दिल्ली के पश्चिम विहार में टेलीफोन कनैक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजनाएं

90. **श्री राम निहोर राय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चालू की जाने वाली तेज तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कतिपय परियोजनाओं की लागत निर्धारित से अधिक बैठ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नीलम परियोजनाएं कब से उत्पादन कार्य शुरू कर देंगी;

(घ) मूल लागत में वृद्धि से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अनेक तेल क्षेत्र भारतीय और विदेशी उद्यमियों को सौंपे हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से चालू हो जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की तीन परियोजनायें नामतः नीलम डेवलपमेंट, एल-2 डेवलपमेंट तथा एल-3 डेवलपमेंट, जिनका इस वर्ष में उत्पादन आरंभ करने का कार्यक्रम था, उनके संबंध में लागत वृद्धि देखी गई है। जबकि एल-2 तथा एल-3 परियोजनाओं के संबंध में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन से संशोधित लागत अनुमान प्राप्त हो गए हैं, वहीं नीलम डेवलपमेंट परियोजना के लिए संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) नीलम परियोजना से उत्पादन आरंभ हो गया है।

(घ) लागत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गये कदमों में निम्नांकित सम्मिलित हैं :

(1) परियोजनाओं को समय से क्रियान्वयन को समन्वित करने के लिए कर्मचारियों के मात्र समर्पित समूह मुहैय्या करना।

(2) संभव सीमा तक संविदाएं नियम एक मुश्त आधार पर एवार्ड करना।

(ङ) और (च) चार मध्यम आकार की परियोजनाओं–मुक्ता, पन्ना, मध्य और दक्षिण ताप्ती तथा राव्वा को संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत विकास हेतु भारतीय और विदेशी कम्पनियों के दो परिसंघों को एवार्ड किया गया है। संविदाओं पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

91. **श्री राम कापसे :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिलावार तथा श्रेणीवार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दी जाएगी, और

(ग) इस प्रयोजनार्थ यदि कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो वह क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) दूरसंचार नीति 1994 में 1-4-97 तक संपूर्ण देश में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। 1994-95 के दौरान, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बंबई, सहित महाराष्ट्र में 2,47,000 नए टैलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

महाराष्ट्र में 31-3-94 की स्थिति के अनुसार जिलेवार और श्रेणीवार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	जिला	ओ.वाई.टी.	विशेष	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	बंबई (एमटीएनएल)	5316	937	87043	93296
2.	थाणे (कल्याण)	3901	123	31019	35043
3.	नासिक	805	828	17746	19379
4.	नागपुर	1498	1304	25088	27890
5.	जलगांव	131	292	7263	7686
6.	रायगढ़	73	10	2020	2103
7.	अहमदनगर	59	234	10051	10344
8.	औरंगाबाद	635	612	11256	12503
9	जालना	1	शून्य	1416	1417
10.	नानदेड	164	51	3559	3774
11	परभनी	5	9	1587	1601
12.	लातूर	147	310	4172	4629
13.	बीड	14	33	1612	1659
14.	ओस्मानाबाद	3	5	912	920
15.	कोल्हापुर	210	233	11470	11913
16.	शोलापुर	1020	791	8926	10737
17.	सांगली	322	223	6485	7030
18.	सतारा	5	12	1561	1578
19.	रतनागिरी	138	123	3425	3686

1	2	3	4	5	6
20.	सिंधुदुर्ग	8	39	1131	1178
21.	पुणे	187	1033	53688	54908
22.	धुले	65	46	3274	3385
23.	अकोला	152	140	4341	4633
24.	अमरावती	47	91	3794	3932
25.	भंडारा	34	30	1189	1253
26.	बुलडाना	1	84	875	960
27.	वर्धा	4	2	1173	1179
28.	यवतमाल	76	82	1664	1822
29.	चन्द्रपुर	5	शून्य	2109	2114
30.	गडचिरोली	शून्य	2	388	390
		15026	7679	310237	332942

पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमाएं

92. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ अरब सागर तथा बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी के संबंध में समुद्री-सीमा के निर्धारण हेतु द्विपक्षीय वार्ता में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वार्ता की वास्तविक स्थिति क्या है, और

(ग) समझौते की परिणति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. पाकिस्तान

(क) से (ग) सरक्रीक क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान-समुद्री सीमा के अंकन के उद्देश्य से हमने पाकिस्तान के साथ वार्ता के 5 दौर किए हैं। इस मसले पर वार्ता का अन्तिम

दौर नई दिल्ली में 5 से 6 नवम्बर, 1992 को हुआ था, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। तथापि, सरक्रीक क्षेत्र की सीमा की व्याख्या संबंधी मतभेद बने हुए हैं।

सरकार ने अब कुछ रचनात्मक और विशिष्ट सुझाव पाकिस्तान सरकार को भेजे हैं, जो इस मसले पर एक व्यापक और सार्थक बातचीत का आधार बन सकते हैं।

2. **बांग्लादेश**

(क) बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के संबंध में भारत-बांग्लादेश वार्ता पहली बार नवंबर, 1994 में हुई थी। वार्ता का अन्तिम दौर अगस्त, 1982 में हुआ था। इन वार्ताओं के बावजूद अभी तक कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

(ख) समुद्री सीमा का अंकन करने के संबंध में भारत-बांग्लादेश के बीच वार्ता की बहाली के उद्देश्य से इस मामले को राजनयिक माध्यमों के जरिए उठाया जा रहा है।

(ग) दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों में भिन्नता होने के कारण कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है।

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

93. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा बंगलौर में वाहनों से प्रतिदिन होने वाले प्रदूषण के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) इन नगरों में वातावरण के कुल प्रदूषण का कितने प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से होता है, और

(ग) प्रमुख महानगरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

94. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा है ?

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खनिज विकास निगम के कारोबार लाभ और इसके द्वारा किए गये लाभांश का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या हाल ही में निगम ने 1994-95 के लिए उनके मंत्रालय के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) यद्यपि नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) द्वारा किये जा रहे लौह अयस्क तथा हीरे का उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ता रहा है, परन्तु पिछले तीन वर्षों में मुख्यतः प्रचालन लागत में वृद्धि होने तथा लौह अयस्क के निर्यात मूल्यों में गिरावट आने के कारण लाभार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये कारोबार लाभार्जन तथा लाभांश की अदायगी का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

	1991-92	1992-93	1993-94 (अनन्तिम)
(1) बिक्री कारोबार (इसमें अन्य आय भी शामिल है)	304.74	299.37	306.54
(2) कर-पूर्व निवल लाभ	145.21	116.30	96.74
(3) अदा किया गया लाभांश	26.43	26.43	26.43 (प्रस्तावित)

(ग) और (घ) हाल ही में इस्पात मंत्रालय तथा एन.एम.डी.सी. के बीच 1994-95 के लिए किये गये समझौते ज्ञापन में कम्पनी ने 1994-95 के दौरान निम्नलिखित वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्य शुरू कर दिये हैं :

(1)	लौह आयस्क का उत्पादन	112 लाख टन
(2)	हीरे का उत्पादन	17800 कैरेट
(3)	सकल मार्जिन	78.26 करोड़ रुपये
(4)	लगायी गयी पूंजी पर निवल लाभ	11.51 प्रतिशत

केरल में रसोई गैस/पेट्रोल/डीजल के लिए डीलरशिप का वितरण

95. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में रसोई गैस और पेट्रोल/डीजल पम्पों के लिए डीलरशिप के वितरण के संबंध में शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केरल में तेल चयन बोर्ड को इसके सामान्य कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) केरल और लक्षद्वीप के तेल चयन बोर्ड के क्रियाकलापों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इस तेल चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयनों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके मद्देनजर तेल चयन बोर्ड (केरल और लक्षद्वीप) के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यावधि को लोक हित में 2-3-1994 को समाप्त कर दिया गया। यह कार्यावधि वैसे 31-12-1994 को समाप्त होनी थी।

[हिन्दी]

डीलरशिप का आवंटन

96. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पेट्रोल पम्पों, डीजल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन हेतु सरकार ने कितने लाइसेंस जारी किए;

(ख) इनमें से राज्यवार कितने लाइसेंस अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों, विकलांगों, शिक्षित बेरोजगारों और सशस्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवा निवृत्त व्यक्तियों को दिये गये;

(ग) कितने लाइसेंस धारकों के विरुद्ध कम तोलने और मिलावट करने के संबंध में शिकायतें मिली हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) कितनी विदेशी कम्पनियों ने पेट्रोल/डीजल पम्पों तथा रसोई गैस एजेंसियों के लिए लाइसेंस जारी किए हैं और उन्होंने राज्यवार कितने लाइसेंस जारी किए हैं, और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में कितने लाइसेंस जारी किए जाने का विचार है, और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आशय पत्र तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों तथा सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए अनुमोदनों के आधार पर जारी किए जाते हैं। तदनुसार गत 2 वर्षों के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों के बारे में निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया है :

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल.वी.जी.
1992-93	32	104
1993-94	671	381

(ख) वर्तमान नीति में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण की व्यवस्था है :

अ.जा./अ.ज.जा.	–	25 प्रतिशत
विकलांग	–	7.5 प्रतिशत
प्रतिरक्षा	–	7.5 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी	–	5 प्रतिशत
खुली श्रेणी	–	55 प्रतिशत

पिछले वर्गों और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) मिलावट के आरोपों के प्रमाणित हो जाने पर 6 डीलरशिपों को समाप्त कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) पहले से ही विपणन योजनाओं में शामिल किए गए 1400 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 850 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा आबंटित किया जाना है। वास्तविक संख्या विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों की संख्या और उन साक्षात्कारों की संख्या जो तेल चयन बोर्ड ले सकते हैं, शामिल हैं। समानान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेन्सियां बिना सरकार के हस्तक्षेप के एल.पी.जी./मिट्टी के तेल के डिस्ट्रीब्यूटरों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। पेट्रोल/डीजल के विपणन के लिए विदेशी कंपनियों सहित निजी एजेंसियों को अनुमति नहीं दी गई है।

गुजरात में पुल

97. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में पुलों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में पुलों के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) ओ.एन.जी.सी.लि. ने गुजरात में पुलों के निर्माण के लिए विशेष रूप से धनराशि आबंटित नहीं की है। तथापि, अहमदाबाद में साबरमती रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु कारपोरेशन ने गुजरात सरकार को 2 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसमें से 1 करोड़ रुपया 1992-93 में दिया गया और बाकी 1 करोड़ रुपया 1993-94 में दिया गया।

भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व सदस्यों पर बकाया टेलीफोन बिल

98. **श्री ललित उरांव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 तक उन भूतपूर्व मंत्रियों/भूतपूर्व सदस्यों तथा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिन पर टेलीफोन बिल की दस हजार रुपये से अधिक की राशि बकाया है और उन्होंने गत छह माह या उससे अधिक समय से इस संबंध में कोई राशि अदा नहीं की है, और

(ख) उन पर बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना मंगवाई गई है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास

99. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में कतिपय विकसित देशों के वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वित्त निगम

100. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम का बांडों के माध्यम से संसाधन जुटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) बांडों के माध्यम से प्राप्त हुई धनराशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) बांडों के माध्यम से संसाधन जुटाने का विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) के सम्मुख इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तेल की खोज

101. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 में विभिन्न खंडों में तेल की खोज हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विदेशी और भारतीय कंपनियों ने निविदाओं का प्रत्युत्तर दिया है;

(ग) जिन कंपनियों को तेल की खोज का कार्य आबंटित किया गया है, उनका कंपनीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी खंड आबंटित कर दिए गए हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1993-94 के दौरान विनिर्दिष्ट ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए पांचवें, छठे और सातवें दौर में भारतीय और विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया था। इन तीन दौरों में जिन भारतीय और विदेशी कम्पनियों ने बोलियां दी थीं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जबकि पांचवें दौर के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, छठे दौर में बोलियां पेश करने वाले बोलीदाताओं के साथ चल रही वार्ताएं प्रगति पर हैं। सातवें दौर के अंतर्गत प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

विवरण

पाँचवा दौर

भारतीय कम्पनियां

हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., बड़ौदा

एस्सार आयल बम्बई

वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि., अहमदाबाद

फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड, इंडिया

रुपसा पेट्रोलियम

टाटा पेट्रोडायन (प्रा.) लि.

विदेशी कम्पनियां

रैक्सवुड कारपोरेशन, यू.एस.ए.

आकलैंड आयल कंपनी, यू.एस.ए.

कमांड पेट्रोलियम होल्डिंग एनएल, आस्ट्रेलिया

वाल्को एनर्जी इंक., यू.एस.ए.

ह्युनदाई हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि., कोरिया

छठा दौर

भारतीय कंपनियां

टाटा पेट्रोडायन, नई दिल्ली

रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बंबई

वीडियोकॉन पेट्रोलियम, औरंगाबाद

लार्सन एण्ड टूर्बो, बंबई

हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., बड़ौदा

रुपसा पेट्रोलियम, वेस्ट बंगाल

गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स का., अहमदाबाद

फिनिक्स ओवरसीज, नई दिल्ली

हर्ष आयल एण्ड गैस कंसलटेंट्स, नई दिल्ली

नहरवार मार्केटिंग प्रा. लि. नई दिल्ली

पेट्रोड्रिल (प्रा) लि., नई दिल्ली

विदेशी कम्पनियां

बी.एच.पी. पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया

एमको पेट्रोलियम कं., यू.एस.ए.

एनरॉन एक्स्प्लोरेशन कं., यू.एस.ए.

कर्माड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया

वाल्को एनर्जी, यू.एस.ए.

फिनिक्स जियोफिजिक्स, कनाडा

सैमसन इंटरनेशनल, यू.एस.ए.

रैक्सवुड कारपोरेशन, यू.एस.ए.

आकलैंड आयल कंपनी, यू.एस.ए.

सातवां दौर

भारतीय कंपनियां

गुजरात एटेट पेट्रोकैमिकल्स लि.

इसार आयल लिमिटेड

हर्ष आयल एण्ड गैस कंसलटैंट्स प्रा.लि.

फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.

टाटा पेट्रोडायन

हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लारेशन कं.

विदेशी कम्पनियां

फिनिक्स जियोफिजिक्स लि., कनाडा

वाल्को एनर्जी, इंक. यू.एस.ए.

रैक्सवुड का. एण्ड आकलैंड आयल कं., यू.एस.ए.

आपसेस जियोफिजिकल सिस्टम, यू.एस.ए.

वी.एस.एन.एल. का यूरो इश्यू

102. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वी.एस.एन.एल. के यूरो इश्यू को पुनः जारी करने के संबंध में 11 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वी.एस.एन.एल. लूजिंग 1 करोड़ ए डे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी संचार निगम लि. ने सरकार के अनुमोदन पर यूरो इश्यू के 2 करोड़ शेयरों के संबंध में कार्रवाई शुरू की थी। तथापि, चूंकि प्रारंभिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (बुक बिल्डिंग प्रौसेस) के अंत में सूचक मूल्य 1400 रु. से कम पाया गया था, अतः कम्पनी ने सरकार के परामर्श से इस इश्यू को आस्थगित कर दिया।

(ग) समाचार-पत्रों में उल्लिखित घाटे की रकम आनुमानिक है और बिना आधार के है।

टेलीफोन कनेक्शन

100. **श्री रमेश चेन्नितला :**
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में बकाया आवेदन पत्रों का आज तक का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बकाया आवेदन पत्रों के निपटान हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गयी है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 30-6-94 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में 1-4-1997 तक मांगे जाने पर ही टेलीफोन कनेक्शन करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक्सचेंजों की

योजना बनायी जा रही है। 1994-95 की वार्षिक योजना के दौरान 14 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या कम करने के लिए पट्टे पर अतिरिक्त उपस्कर प्राप्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	30-6-94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	160880
2.	असम	12798
3.	बिहार	34901
4.	गुजरात (दादर, दमन, दीव एव नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित)	211636
5.	हरियाणा	62811
6.	हिमाचल प्रदेश	16801
7.	जम्मू एवं कश्मीर	19958
8.	कर्नाटक	176812
9.	केरल (लक्षद्वीप संघ राज्य सहित)	325434
10.	मध्य प्रदेश	51933
11.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	353248
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	6715
13.	उड़ीसा	6636
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ राज्य सहित)	204440
15.	राजस्थान	174383
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य सहित)	319811
17.	उत्तर प्रदेश	121057
18.	पश्चिम बंगाल (सिकिक्म राज्य सहित)	77584
19.	दिल्ली	260669

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

104. **डा. साक्षी जी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ऐसे कितने मामलों का पता चला है, जिनमें टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं तथा उनके ओ.बी. नम्बर जारी किया जा चुके हैं, परन्तु अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कुल 429 मामले विचाराधीन पड़े हैं, जिनमें ओ.बी. नंबर जारी किए जा चुके हैं, किन्तु कनेक्शन अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) बाह्य संयंत्र के अभाव में तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होने के कारण मामले विचाराधीन हैं और इन्हें सितम्बर, 1994 तक निपटा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दूरसंचार संबंधी समिति

105. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड :**
श्री मंजय लाल :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम प्रसाद सिंह :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री मोहन रावले :
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :
श्री पी.सी. थामस :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री पंकज चौधरी :
श्री शिवशरण वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र के निजीकरण करने के संबंध में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिश की गई है,

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां। जोशी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाने हेतु नियुक्त किया गया था।

(ख) से (ङ) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, अंतिम निर्णय, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करते समय किया जाएगा।

गैस आधारित विद्युत उत्पादन

106. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने गैस आधारित आधारित विद्युत उत्पादन में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन एककों में फिर से पूरा उत्पादन शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। 1-4-94 से 31-7-94 की समयावधि के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गैस विद्युत आधारित केन्द्रों ने अपने 3248 मि.यू. विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में पहले ही 17-7-94 तक 3259.3 मि.यू. विद्युत उत्पादन कर चुके हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

हल्लर मिल

107. **श्री छेदी पासवान** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हल्लर मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, और

(ग) हल्लर मिलों की स्थापना के लिए गत वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी राजसहायता दी गई ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों से सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) हल्लर मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गयी राज सहायता की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

मणिपुर	12.10 लाख रु.
उत्तर प्रदेश	45.00 लाख रु.
तमिलनाडु	30.00 लाख रु.
हिमाचल प्रदेश	1.80 लाख रु.
केरल	5.00 लाख रु.
योग	93.90 लाख रु.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराए बढ़ाना

108. **श्री मुमताज अंसारी :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ दिन पहले दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों के और गैर सरकारी बसों के किराए बढ़ाए हैं,

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब से और कितने प्रतिशत की गई है, और

(ग) इस के मुख्य कारण क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) सरकार ने दिनांक 21-6-1994 से दिल्ली परिवहन निगम की बसों के भाड़े बढ़ा दिए हैं। बढ़े हुए भाड़ों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा भी एस.टी.ए. परमिटों के अधीन दिल्ली में चल रहीं निजी बसों के संबंध में अपना लिया गया है। भिन्न-भिन्न दूरियों के लिए वृद्धि का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

दूरी (स्लेब)	प्रतिशत वृद्धि
1	2
5 कि.मी. तक	शून्य

1	2
5 कि.मी से अधिक 6 कि.मी. तक	100%
6 कि.मी. से अधिक 8 कि.मी. तक	शून्य
8 कि.मी. से अधिक 15 कि.मी. तक	50%
15 कि.मी. से अधिक 16 कि.मी. तक	100%
16 कि.मी. से अधिक	33%
ग्रीन लाइन सेवा	25%
लिमिटेड सेवा	33%

(ग) प्रचालन की लागत जो कि ईंधन, स्नेहकों और अन्य निवेशों की लागत में वृद्धि के कारण पर्याप्त रूप से बढ़ गई हैं, को पूरा करने के लिए भाड़ा संशोधित किया गया है।

[अनुवाद]

सौराष्ट्र में रसोई गैस के बॉटलिंग प्लांट

109. **श्री शंकर सिंह बाघेला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नए रसोई गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा है और बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कहां की जाएगी;

(घ) क्या इस प्लांट की स्थापना के लिए किसी विदेशी कंपनी से सहयोग प्राप्त हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो उक्त विदेशी कंपनी का नाम क्या है तथा इस संबंध में कौन-कौन-सी शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर के पास तागाडी में 36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 44 टी.एम.टी.पी.ए. की क्षमता वाला एक भरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लीड मुक्त पेट्रोल

110. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :
श्री फूल चंद वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महानगरों में लीड मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि के व्यय होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने महानगरों के लिए पेट्रोल के संबंध में लेड फेजिंग योजना प्रतिपादित की है। योजना के अनुसार दिसम्बर, 1994 तक महानगरों (बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास) के लिए पेट्रोल आपूर्ति का अधिकतम लेड स्तर चालू बीआईएस विनिर्देश के 0.56 ग्राम/प्रति लीटर अधिकतम की तुलना में 0.15 ग्राम/प्रति लीटर होना चाहिए। सभी चार महानगरों को निम्न लेड की (0.15 ग्राम/लीटर अधिकतम) एम.एस. की आपूर्ति पहले ही आरंभ कर दी गई है।

दिसंबर, 1997 तक दिल्ली तथा बंबई को शून्य लेड वाले एम.एस. की आपूर्ति कर दी जाएगी जबकि शेष देश को ऐसे लेड तत्व वाले एम.एस. की आपूर्तियां की जाएंगी, जो 0.15 ग्राम/प्रति लीटर से अधिक नहीं होगा। तथापि चार महानगरों में नई गाड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिनमें कि केटेलिटिक कनवर्टर लगाए जाएंगे, अप्रैल, 1995 से कतिपय चुने हुए खुदरा बिक्री केन्द्रों में लेड वाले पेट्रोल की आपूर्ति आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

(ग) विद्यमान रिफाइनरियों के अन्तर्गत केटेलिटिक रिफार्मरों को लगाने के संबंध में अनुमानित व्यय लगभग 960 करोड़ रुपए होगा।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस

111. **डा. अमृतलाल कालिदास :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्राकृतिक गैस का क्षेत्रवार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) राज्य में प्रत्येक वर्ष उद्योगों हेतु आबंटित गैस की मात्रा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के विभिन्न उद्योगों को उनकी जरूरत के हिसाब से गैस नहीं पहुंचायी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार द्वारा इन उद्योगों की मांग को देखते हुए तथा राज्य में गैस चालित उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 में गुजरात में गैस का उत्पादन निम्नवत हुआ है :

(एम.एम.एस. सी.एम. डी.)

उत्तरी गुजरात	–	2.13
दक्षिणी गुजरात	–	3.80

(ख) गुजरात में परियोजनाओं को 21.21 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस आबंटित की गई है। आबंटन वार्षिक आधार पर नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अनुमानित उपलब्ध गैस का पूर्णतया आबंटन किये जा चुकने के कारण नई परियोजनाओं से गैस और विद्यमान परियोजनाओं से प्राप्त अतिरिक्त गैस के लिए अनुरोधों पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ङ) सरकार ने राज्य में तटीय व अपतटीय क्षेत्रों में गैस का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाएं आरंभ की हैं।

जलविज्ञान और खनन पर राष्ट्रीय सेमिनार

112. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जलविज्ञान और खनन विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में पानी की समस्या के समाधान हेतु इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय ने जल विज्ञान तथा खनन में विशेषज्ञों का कोई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग को निगम में बदला जाना

113. **श्री मंजय लाल :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1994 के दैनिक "जनसत्ता" में "दूरसंचार विभाग को निगम में नहीं बदला जायेगा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन से संबद्ध अत्रैय समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया था तथा नई दूरसंचार नीति की रोशनी में इसका निपटान हो गया है।

बल्गारिया के साथ समझौता

114. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बल्गारिया ने हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। राष्ट्रपति की बल्गारिया यात्रा (26-29 मई, 1994) के दौरान 26 मई, 1994 को बल्गारिया के साथ छह करार सम्पन्न हुए थे अर्थात् संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीली दवाइयों तथा मनः प्रभावी पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने से सम्बद्ध करार; दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार, पर्यटन; पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार; संगरोध और पादप संरक्षण से सम्बद्ध करार, पशु-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य से सम्बद्ध करार और हमारे विदेश मंत्रालय तथा बल्गारिया के विदेशी मंत्रालय के बीच परामर्श और सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

(ख) इन करारों की मुख्य-मुख्य बातें नीच लिखे अनुसार है :

(i) संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नशीली दवाइयों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने से सम्बद्ध करार को भारत का गृह मंत्रालय तथा बल्गारिया का आन्तरिक मंत्रालय क्रियान्वित करेगा। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद, नशीली दवाइयों, संगठित अपराध, जिसमें आर्थिक अपराध, जालसाजी, गैर-कानूनी हथियारों के सौदे आदि शामिल हैं, को रोकने के उद्देश्य से सूचना, विनियमों, अनुसंधान की उपलब्धियों उपकरणों तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

(ii) दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार का क्रियान्वयन दोनों देशों के वित्त मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस करार में नागरिकों को उनके देश में व्यवसाय, नियोजन, खेल-कूद अथवा कलात्मक कार्यक्रमों से अर्जित आय पर दोहरे कराधान संरक्षण प्रदान करने और कर-अपवंचन को रोकने की व्यवस्था है। यह एक बुनियादी करार है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विशेष रूप से व्यावसायिक और उद्यमशील समुदायों के बीच अपेक्षाकृत अधिक क्रियाकलाप को सुविधाजनक बनाना है।

(iii) पर्यटन में सहयोग से सम्बद्ध करार का क्रियान्वयन दोनों देशों के पर्यटन विभागों द्वारा किया जाएगा। इसमें संयुक्त पर्यटन संवर्धन तथा प्रचार, यात्रा औपचारिकताओं के सरलीकरण, पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने, सूचना तथा कार्मिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इस करार के क्रियान्वयन पर संयुक्त कार्य दल निगाह रखेगा।

(iv) संरोध तथा पादप-संरक्षण से सम्बद्ध करार का क्रियान्वयन दोनों देशों के कृषि मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस करार में पादपों और वनस्पति-उत्पादों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम में सहयोग की व्यवस्था है। इसमें वनस्पति-आरोग्यता प्रमाणपत्र जारी करने में संयुक्त कार्रवाई, सूचना के आदान-प्रदान, पादपों, बीजों, वनस्पति उत्पादों के आयात, निर्यात और पारगमन पर निगाह रखने की व्यवस्था है, ताकि संक्रामक बीमारियों पर काबू पाया जा सके।

(v) पशु-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य से सम्बद्ध करार का क्रियान्वयन दोनों देशों के कृषि मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इस करार में पशुओं, पशु-प्रजनन के लिए सामग्रियों के आयात निर्यात तथा पारगमन के मामले में दोनों देशों के प्रदेशों को पशु महामारियों तथा संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सहयोग की व्यवस्था है। इसमें सूचना, विनियमों, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के साथ-साथ अनुसंधान, विकास तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों की बात भी कही गई है।

(vi) भारत के विदेश मंत्रालय तथा बल्गारिया के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श तथा सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल में मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों, तीसरे देशों में राजदूतावासों और कोसलावासों के स्तर पर द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा सार्वभौमिक मसलों पर परामर्श की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड

115. **श्री ए. अशोक राज** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड गठित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) मत्स्यन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस बोर्ड की आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पी.एम.जी. जोन

116. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नए पोस्टमास्टर जनरल जोन बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में गत तीन वर्षों में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में पोस्टमास्टर जनरलों के वर्तमान जोन डाक संगठन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकारी व्यय में निश्चित मितव्ययिता के साथ-साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी, किसी नए पोस्टमास्टर जनरल जोन का सृजन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

पाक जलडमरूमध्य में मछलियां पकड़ने संबंधी समस्याएं

117. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चाटीव समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरे पाक जलडमरूमध्य में मछलियां पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मछुआरों को पाक जलडमरूमध्य में मछलियां पकड़ने से रोका जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम जानकारी क्या है और सरकार को क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ङ) भारत और श्रीलंका के बीच 1974 और 1976 के समुद्री सीमा करारों के अनुसार भारतीय मछुआरे इन करारों द्वारा यथानिर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भारतीय क्षेत्र में पाल्क स्ट्रेट में मछली पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इन करारों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से श्रीलंका क्षेत्र में स्थित कच्चाटिव द्वीप के संबंध में भारतीय मछुआरों के परंपरागत अधिकारों का भी प्रावधान है। पाल्क-स्ट्रेट में भारतीय मछुआरों पर हमलों का मसला सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए तय किए गए उपायों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेंगे। इस मसले से संबंधित सभी संगत पहलुओं पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी है।

कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें

118. **श्री सनत कुमार मंडुल :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1994 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "स्पर्ट इन ग्लोबल क्रूड प्राइसिस सैट्स बू अलार्म बेल्स रिगिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्र में दी गई रिपोर्ट के तथ्य और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या भुगतान संतुलन पर विपरीत असर न पड़ने देने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बाजार संबंधित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। विश्व के विभिन्न घटकों के कारण मूल्य समय-समय पर घटते बढ़ते रहते हैं। तेल आयात बिल में ऐसे उतार-चढ़ावों के प्रभाव का निर्धारण करना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में एल.पी.जी. एजेंसियां

119. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर एल.पी.जी. वितरण केन्द्र स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर 1991 की जनगणनानुसार 20,000 और अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों पर चरणबद्ध रूप से एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए विचार किया जाता है। तदनुसार महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर 76 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए प्रस्तावों को महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1992-94 की वर्तमान एल.पी.जी. विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज परिवर्तित करना

120. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित नहीं किये गये टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार नाम क्या हैं, और

(ख) इन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में कब तक परिवर्तित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I "क" तथा "ख" में दी गई है।

(ख) संलग्न विवरण II में दी गई सूचना के अनुसार VIII वीं योजना के अंत तक सभी एम.ए.एक्स-III, एम.ए.एक्स-II (एल.एफ. किस्म) और मयाद समाप्त इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है।

विवरण-I "क"

एम.टी.एन.एल. बंबई के गैर-इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	कोपरेज-2
2.	कोपरेज-3
3.	फाउन्टेन-1
4.	गामदेवी-3
5.	मालावार हिल-1
6.	मालावार हिल-2
7.	मजगांव-1
8.	मजगांव-2

1	2
9.	वायकुला-3
10.	वर्ली-1
11.	वर्ली-2
12.	प्रभादेवी-1
13.	शिवाजी पार्क-1
14.	शिवाजी पार्क-2
15.	बड़ाला-1
16.	मातुंगा-2
17.	विलेपार्ले-1
18.	विलेपार्ले-2
19.	अंधेरी-2
20.	मरोल-1
21.	मरोल-2
22.	मान खुर्द-1
23.	घाटकोपर
24.	मुलुन्द-1
25.	थाने-2
26.	तुरभे-1

विवरण-I "ख"

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

एम.टी.एन.एल. बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में गैर-इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

क्र.सं.	नाम	जिला
1	2	3
1.	अहमदनगर	अहमदनगर

1	2	3
2.	अहमद नगर एमआईडीसी	अहमद नगर
3.	अलकुट्टी	-वही-
4.	अमरापुर	-वही-
5.	भालवानी	-वही-
6.	भमबोरो	-वही-
7.	चपड़गांव	-वही-
8.	चिन्चोड़ी सिराल	-वही-
9.	दही गोने	-वही-
10.	गेवरई	-वही-
11.	गोरेगांव	-वही-
12.	हेम्बेवाड़ी	-वही-
13.	जलका	-वही-
14.	जमगांव	-वही-
15.	ज्वाला	-वही-
16.	कन्होर पठार	-वही-
17.	कसारा पिम्पलगांव	-वही-
18.	खरवान्डी	-वही-
19.	खेड़	-वही-
20.	कोलगांव	-वही-
21.	कोम्हाली	-वही-
22.	कोपरगांव	-वही-
23.	कोराड़गांव	-वही-
24.	महीजलगांव	-वही-
25.	मांका	-वही-
26.	मांडवगांव	-वही-

1	2	3
27.	मंगलापुर	अहमदनगर
28.	दांऊन्डी	-वही-
29.	मोरी	-वही-
30.	नारायणभवन	-वही-
31.	पलभी	-वही-
32.	राहोरी	-वही-
33.	संगमनेर	-वही-
34.	सहर तकाली	-वही-
35.	सिन्डे	-वही-
36.	श्रीरामपुर	-वही-
37.	टाकली धोकेश्वा	-वही-
38.	विसापुर	-वही-
39.	अड़गांव	-वही-
40.	अकोला	-वही-
41.	अलेगांव	-वही-
42.	अंडूरा	-वही-
43.	असेगांव बाजार	-वही-
44.	दानापुर	-वही-
45.	घामीखाड़ी	-वही-
46.	गिरौली	-वही-
47.	हतरून	-वही-
48.	मसालपेन	-वही-
49.	मेडसी	-वही-
50.	निम्बा	-वही-
51.	रिहाड़	-वही-

1	2	3
52.	सेलूबाजार	अहमदनगर
53.	सेन्डीरियन	-वही-
54.	वाडगांव	-वही-
55.	अड़गांव	अमरावती
56.	अमरावती	-वही-
57.	अंजनगांव (वाड़ी)	-वही-
58.	असाड़पुर	-वही-
59.	बांडेरा	-वही-
60.	बड़गांव	-वही-
61.	कापसतल्नी	-वही-
62.	रिटपुर	-वही-
63.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
64.	अमलनेर	-वही-
65.	ढोन्डराई	-वही-
66.	पारली वैजनाथ	-वही-
67.	टकरांव	-वही-
68.	तालखेड	-वही-
69.	भंडारा	भंडारा
70.	चमदूर विश्वा	बुलढाना
71.	देवलगांव माली	-वही-
72.	धामनगांव भाडे	-वही-
73.	डोगर खण्डाला	-वही-
74.	दूषा	-वही-
75.	दूसारविड	-वही-
76.	एकलारा	-वही-
77.	हिवाड़ (वी के)	-वही-

1	2	3
78.	केल्वाड़	-वही-
79.	रवामगांव	-वही-
80.	मेरा बिके	-वही-
81.	नारखेड़	-वही-
82.	पिम्पलगांव काले	-वही-
83.	पॉफाली	-वही-
84.	सिरला	-वही-
85.	सुल्तानपुर	-वही-
86.	निकोडी	-वही-
87.	उतराड़पेट	-वही-
88.	बुल्ढाना	-वही-
89.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
90.	चन्द्रपुर एमआईडीसी	-वही-
91.	कम्बाड़ा	-वही-
92.	कोलारी	-वही-
93.	कोठारी	-वही-
94.	नावरी	-वही-
95.	पठारी	-वही-
96.	पोम्भूराना	-वही-
97.	शंकरपुर	-वही-
98.	भड़ाने	धुले
99.	भाटपुरा	-वही-
100.	वीराड़ी	-वही-
101.	चिलाने	-वही-
102.	धुले	-वही-
103.	गिधाड़े	-वही-

1	2	3
104.	हिसाले	धुले
105.	खण्डामाली	-वही-
106.	खेंकडा	-वही-
107.	कुठवाड़	-वही-
108.	लभकानी	-वही-
109.	गेहरगांव	-वही-
110.	मोड़	-वही-
111.	निम्गुल	-वही-
112.	पडालडे	-वही-
113.	सुले	-वही-
114.	टोरखेड़ा	-वही-
115.	बड़कालंवी	-वही-
116	वाडी वीके	-वही-
117.	अम्दाडे	जलगांव
118.	अमलनेर	-वही-
119.	अनिआले	-वही-
120.	बहादुरपुर	
121.	भादामी	-वही-
122.	धुसानल	-वही-
123.	चालीसगांव	-वही-
124.	चन्दसार	-वही-
125.	गाहुखेड़ा	-वही-
126.	गोन्डेगांव	-वही-
127.	गुधे	-वही-
128.	मटाले	-वही-
129.	ईदगांव	-वही-

1	2	3
130.	जलगांव	जलगांव
131.	जानवे	-वही-
132.	कारकी	-वही-
133.	कठोरा	-वही-
134.	खचाने	-वही-
135.	खर्ची	-वही-
136.	किन्ही	-वही-
137.	लासुर	-वही-
138.	लोहारा	-वही-
139.	मेहुरवारे	-वही-
140.	मायाखेड़ (डी)	-वही-
141.	मुडी	-वही-
142.	नान्देड़	-वही-
143.	निमखेड़	-वही-
144.	परधाड़े	-वही-
145.	पिम्पलकोटा	-वही-
146.	साइगांव	-वही-
147.	साल्वे	-वही-
148.	सोनवाड	-वही-
149.	सुनासगांव	-वही-
150.	तमसवाड़ी	-वही-
151.	उम्बरखेड़ा	-वही-
152.	उन्तखेड़ा	-वही-
153.	वरदी	-वही-
154.	वरखेड़ी	-वही-

1	2	3
155.	वाकड़ी	जलगांव
156.	वाकू	-वही-
157.	ड़हीहड़	जालना
158.	बोलापांगरी	-वही-
159.	जालना	-वही-
160.	पादढ़	-वही-
161.	पतोड़ा	-वही-
162.	रांनीऊंचेगांव	-वही-
163.	सतोना	-वही-
164.	सृष्टि	-वही-
165.	इचलकरंजी	कोल्हापुर
166.	कोल्हापुर-1	-वही-
167.	लामान्जम	-वही-
168.	इतवारी	नागपुर
169.	बेतमोब्रा	नान्देड
170.	चिरवाली	-वही-
171.	कालम्बर	-वही-
172.	कामरी	-वही-
173.	कोठा	-वही-
174.	नान्देड	-वही-
175.	निक्धा	-वही-
176.	देमननगर	-वही-
177.	राजुरा	-वही-
178.	रतड़ली	-वही-
179.	सरसाम	-वही-
180.	गोनुद	-वही-

1	2	3
181.	तलनी	नान्देड
182.	उमरा	-वही-
183.	वाघी	-वही-
184.	अबबार	नासिक
185.	अंबड़ (नासिक)	-वही-
186.	बेज	-वही-
187.	देवलाली (नासिक)	-वही-
188.	देसारना	-वही-
189	कलवाड़ी	-वही-
190.	कंघाना	-वही-
191.	करन जवान	-वही-
192.	खड़क-सुकनी	-वही-
193.	मालेगांव	-वही-
194.	मारलगोट	-वही-
195.	मेशी	-वही-
196.	नासिक शहर	-वही-
197.	नासिक रोड	-वही-
198.	नीमगांव	-वही-
199.	सावकरवाड़ी	-वही-
200.	उमरेली	-वही-
201.	वाड़ेल	-वही-
202.	वीरगांव	-वही-
203.	ओसमानाबाद	ओसमानाबाद
204.	अदगांव बाजार	परभानी
205.	गोरेगांव	-वही-

1	2	3
206.	कन्हेरगांव	परभानी
207.	नंदापुर	-वही-
208.	परभानी	-वही-
209.	पोतरा	-वही-
210.	रामपुरी	-वही-
211.	शेलगांव	-वही-
212.	वरंगा	-वही-
213.	अणे	पुणे
214.	बारामती	-वही-
215.	बेलहा	-वही-
216.	डोपगांव	-वही-
217.	डोंड	-वही-
218.	इनामगांव	-वही-
219	कदुस	-वही-
220.	कारड़े	-वही-
221.	खेड शिवपुर	-वही-
222.	खुतबब	-वही-
223.	कोरे गांव (भीमा)	-वही-
224.	एम. पड़याल	-वही-
225.	माण्डकी	-वही-
226.	ननगांव	-वही-
227.	नीरानरसिंहपुर	-वही-
228.	पेत	-वही-
229.	पुणे सिटी-I	-वही-
230.	पुणे सिटी-II	-वही-
231.	पुणे सिटी-III	-वही-

1	2	3
232.	पुणे एम, शिंदे-I	पुणे
233.	पुणे पी.आई.एम. चिंद-I	-वही-
234.	पुणे शिवाजीनगर	-वही-
235.	पुणे उराल (कंचन)	-वही-
236.	शेल गांव	-वही-
237.	वाधापुर	-वही-
238.	अबलोली	रतनगिरी
239.	बुरंडी	-वही-
240.	ड़मील	-वही-
241.	लावेल	-वही-
242.	पालशेट	-वही-
243.	पोसारे	-वही-
244.	अनकली	साम्बली
245.	बिल्लुर	-वही-
246.	जरण्डी	-वही-
247.	मदस्याल	-वही-
248.	नबई	-वही-
249.	सनमारज-एमआईडीसी	-वही-
250.	सांगली	-वही-
251.	संख	-वही-
252.	वीटा	-वहीं-
253.	कारड	सतारा
254.	सतारा	-वही-
255.	कुदलि	सिंधदुर्ग
256.	पांढरपुर	सोलापुर

1	2	3
257.	सोलापुर	सोलापुर
258.	भिवंडी	थाने
259.	बिरवाडी	-वही-
260.	डांडी	-वही-
261.	धकती धानू	-वही-
262.	ढुंढलवाडी	-वही-
263.	डोलखम	-वही-
264.	डोम्बीवली	-वही-
265.	एड़वन	-वही-
266.	कल्याण	-वही-
267.	पालघर	-वही-
268.	सारावाली	-वही-
269.	शेनवा	थाने
270.	उलसम्बूर-I	-वही-
271.	अन्तोरा	वर्धा
272.	कांढली	-वही-
273.	मंगुल	-वही-
274.	पिम्पलखुटा	-वही-
275.	साहुर	-वही-
276.	सरवाड़ी	-वही-
277.	थानेगांव	-वही-
278.	वर्धा	वर्धा
279.	अंजनखेड़	येवतमाल
280.	बड़ेगांव	-वही-
281.	ब्राह्मणगांव	-वही-

1	2	3
282.	करंजी	येवतमाल
283.	खेरी	-वही-
284.	लोही	-वही-
285.	मोहडा	-वही-
286.	रामनगर	-वही-
287.	रूंजा	-वही-
288.	शेम्बलपिम्परी	-वही-
289.	वसंतनगर	-वही-
290.	येवतमाल	-वही-

. विवरण-II

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एम.ए. एक्स-I के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जायेंगे।

पुणे

1. छावनी
2. शिवाजीनगर
3. शहर-I, पीसी क्रासबार

बंबई

1. कूपरेज-2
2. कूपरेज-3
3. फाउन्टेन-1
4. गामदेवी-3
5. वायकुला-3
6. शिवाजी पार्क-1
7. शिवाजी पार्क-2

8. मातुंगा-2

9. अंधेरी-2

10. थाणे-2

11. तुरभे-1

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एम.ए.एक्स.-11 के स्थान पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज :

1. खंडशिवापुर

2. भंडारा

3. बुलढाना

4. यवतमाल

5. भुसावाल

6. परभनी

7. अक्कलकोट

8. ओसमानाबाद

9. बारसी

10. शिरोली

11. कराड़

12. फलटन

13. चिपलुन

14. रत्नागिरी

15. श्रीरामपुर

16. कोपरगांव

17. सातपर

(ग) एम.ए.एक्स.-III :

231 एम.ए.एक्स.-III एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाएंगे।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के डाकघरों में टेलीफोन

121. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सुविधा वाले तथा बिना टेलीफोन सुविधा वाले डाकघरों की अलग-अलग संख्या कितनी है, और

(ख) सभी डाकघरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पश्चिम बंगाल सर्किल में ऐसे डाकघरों की संख्या 1323 है, जिनमें टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल सर्किल में ऐसे डाकघरों की संख्या 7440 है, जिनमें टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की नीति अपनाई है। ये सार्वजनिक टेलीफोन उपयुक्त स्थानों पर, जैसे : (1) डाकघरों (2) पंचायत मुख्यालयों (3) पनसारी की दुकानों या ऐसे अन्य स्थानों पर लगाए जायेंगे जहां लोग आते-जाते रहते हों। चूंकि, डाकघर सुझाए गए स्थानों में से एक है, अतः ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

गहरे समुद्र में झींगा पकड़ना

122. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से दूर गहरे समुद्र में झींगा के संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि उक्त क्षेत्र में अत्यधिक मछली पकड़ी जाती हैं, और

(घ) यदि हां, तो इन समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1980-88 के दौरान भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा पूर्वी समुद्री तट पर गहरे समुद्र में झींगा के संबंध में आंकलन किया गया था। किन्तु, मात्र आंध्र प्रदेश के तट के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) गहरे समुद्र में 100-300 मीटर की गहराई तक पूर्वी समुद्री तट के साथ-साथ झींगा की संभावित वार्षिक पैदावार का आंकलन 2000 टन किया गया है।

(ग) यद्यपि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से गहरे समुद्र में अत्यधिक मछली पकड़ने के कोई संकेत नहीं मिलते हैं, किन्तु विभिन्न प्रकार के जलयानों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी के कारण प्रति नाव पकड़/प्रति यूनिट पकड़ कम हो गई है।

(घ) क्षेत्र में संसाधनों का संरक्षण करने के लिए ऊपरी पूर्वी समुद्र तट में झींगा के लिए नए गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों को चलाने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता

123. **श्री छीतू भाई गामीत :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक एकक को कितनी राज सहायता प्रदान की जाती है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रति वर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में होता है, इसलिए सम्पूर्ण देश में कार्यरत, सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों के यूनिट भी शामिल हैं, के राज्यवार ब्यौरे केन्द्र के पास नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग)-मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है, जिनमें आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कुछ योजनाओं के अतर्गत सहायता का स्तर अन्य क्षेत्रों से 25 प्र. अधिक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता के वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

राज्य	वर्ष	धनराशि (लाख रु. में)
उत्तर प्रदेश	91-92	12.39
	92-93	66.30
	93-94	20.48
बिहार	91-92	9.65
	92-93	शून्य
	93-94	33.628

[अनुवाद]

मचकुंद जल विद्युत परियोजना

124. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलाशय का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण मचकुंद जल विद्युत परियोजना में मई तथा जून, 1994 के महीनों में विद्युत उत्पादन रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है, और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) मचकुंद जलाशय का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण मचकुंद जल विद्युत परियोजना ने 8-6-1994 से 3-6-94 तक विद्युत उत्पादन कार्य रोक दिया था। मई 1994 में पावर हाउस कार्य कर रहा था।

(ग) जलाशय के जल स्तर में सुधार आने के पश्चातु मचकुंद जल विद्युत परियोजना ने 1-7-1994 से विद्युत उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है।

(घ) 40 मि.यू. प्रति माह के लक्ष्य की तुलना में मई तथा जून 1994 में विद्युत उत्पादन क्रमशः 23 मि.यू. तथा 5 मि.यू. था। 24 मि.यू. विद्युत उत्पादन के लक्ष्य तुलना में जुलाई 1994 में 15 जुलाई 1994 तक विद्युत उत्पादन 21 मि.यू. था।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

125. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इन बोर्डों पर वित्तीय ऋण का भारी बोझ है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 59 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.वी.) के लिए वर्ष के आरंभ में निवल अचल सम्पत्ति पर कम से कम 3 प्र. अधिशेष अर्जित करना अपेक्षित होता है। राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.वी.) के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे के आधार पर, 17 बोर्डों में से केवल छः राज्य बिजली बोर्डों नामशः हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और उड़ीसा 3 प्र. लाभांश की दर प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर 31-3-93 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के सरकारी ऋणों तथा अन्य ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31-3-1993 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के सरकारी तथा अन्य ऋण

राज्य बिजली बोर्डों का नाम	सरकारी ऋण	अन्य ऋण	कुल ऋण
1	2	3	4
म.प्र.रा.बि. बोर्ड	2417.40	3309.90	5727.30
पं.रा.बि.बोर्ड	3028.50	755.70	3784.20
मणिपुर रा.बि.बोर्ड	3959.20	3054.90	7014.10
आ.प्र.रा.बि. बोर्ड	2155.03	1626.62	3791.65
गु.रा.बि. बोर्ड	2568.80	1670.80	4239.60
कर्नाटक रा.बि. बोर्ड	437.70	503.80	941.50
केरल रा.बि. बोर्ड	538.30	615.30	1153.60
रा.रा.बि. बोर्ड	1178.61	1320.25	2498.86
प.बं.रा.बि. बो	93.68	2001.22	2094.90
उ.प्र.रा.बि. बोर्ड	7610.52	4851.94	12470.46
उड़ीसा रा.बि. बोर्ड	548.08	684.97	1233.05
हि.प्र.रा.बि. बोर्ड	381.51	1252.95	1934.46
तमिलनाडु रा.बि. बोर्ड	920.06	2181.92	3101.98
बि.रा.बि. बोर्ड (91&92½	1073.90	1951.23	3025.18
असम रा.बि. बोर्ड (अनुमानित)	593.70	700.60	1294.30
कुल	27822.99	26482.15	54305.14

नोट : एच.पी.एस.ई.वी. और मेघालय राज्य बिजली बोर्ड से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में खोदे गये खनिज

126. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में खोदे गए खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य से निर्यात किये गये इन खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खनिजों के निर्यात से राजस्थान सरकार की कितनी आय हुई है, और

(घ) राज्य में खनिज खनन उद्योग के विकास/विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए खनिज उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) व (ग) निर्यात किए गए खनिजों के राज्यवार ब्यौरे तथा उनसे होने वाली आय का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

(घ) मार्च, 1993 में एक उदारवादी राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की गई थी और खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के संशोधनों में उसका अनुसरण किया गया, ताकि खनिज क्षेत्र में निवेश को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

विवरण

(मूल्य हजारों रु. में)

खनिज	इकाई की मात्रा	1989-90			1990-91			1991-92		
		खान की संख्या	मात्रा	मूल्य	खान की संख्या	मात्रा	मूल्य	खान की संख्या	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सभी खनिज	–	884	–	534,32,21	827	–	572,16,15	750	–	626,64,10
तांबा अयस्क	टन	4	1,751,709	52,51,19	4	1,825,239	53,55,52	4	1,859,125	56,39,10
स्वर्ण	टन	4	381	10,07,55	–	202	5,26,10	–	N.A.	N.A.
लौह अयस्क	टन	14	37	18,84	12	34	24,36	8	24	12.04
सीसा सांद्र	टन	4	34,125	23,43,19	5	32,005	23,71,73	5	39,855	27,02,93
टंगस्टन सांद्र	टन	2	21,333	39,47	2	20,881	38,63	2	7,755	14,35
चांदी	टन	–	14,635	9,74,66	–	8,912	6,01,09	–	6,866	4,62,08
जिंक सांद्र	टन	–	134,963	91,81,44	–	136,556	100,31,00	–	251,711	169,22,33

फास्फोराइट	टन	7	384,947	38,95,33	7	372,112	39,16,61	7	263,394	25,27,64
एस्बेस्टस	टन	63	39,625	34,12	61	36,181	35,95	54	37,494	35,64
बालक्ले	टन	55	191,180	1,60,64	47	2,08,986	1,79,61	48	218,785	1,53,16
बैराइट	टन	13	148,56	49,13	11	7,942	41,39	10	6,987	32,73
कैल्साइट	टन	12	55,715	1,00,31	15	65,416	1,34,22	11	86,303	1,57,92
ब्याक	टन	0	20	3	1	28	4	1	37	6
कोरंडम	टन	1	3,470	17	1	1,130	5	1	615	3
डोलोमाइट	टन	8	3,637	2,10	7	4,019	238	6	2,780	1,79
इमराल्ड	टन	2	–	–	2	–	–	2	–	–
फेल्सपार	टन	95	48,640	27,79	77	34,507	22,29	60	34,229	22,49
फायरक्ले	टन	19	57,260	34,04	21	83,352	79,01	23	75,625	64,42
फ्लोराइट (ग्रेडिड)	टन	9	4,880	1,15,91	8	3,902	1,02,16	9	2,888	76,72
ग्रेनाइट (एब्रेसिव)	टन	8	259	61	6	341	105	6	126	55
ग्रेनाइल्ड (हीरा)	कि.ग्रा.	–	2482	60	–	1639	90	–	1013	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ग्रेफाइट (आर.ओ.एम.)	टन	–	–	–	1	174	52	–	–	–
जिप्सम	टन	31	1600239	118751	31	1524624	138881	28	1498067	146490
जैस्पार	टन	24	6239	1028	24	5018	843	24	4691	752
कोलिया	टन	41	191502	6412	41	217060	6881	36	193615	6721
कायनाइट	टन	1	205	41	1	172	34	1	79	16
चूनापत्थर	ह.टन	32	7239	320376	30	7312	351462	30	8196	365097
मेग्नेसाइट	टन	6	381	165	1	5	5	–	–	–
अभ्रक कच्चा	टन	32	433	3938	34	507	4558	31	231	1991
अभ्रक टूट-फूट	टन	–	1744	उपलब्ध नहीं	–	1738	उपलब्ध नहीं	–	413	उपलब्ध नहीं
ओकर	टन	13	107248	1868	13	114708	2141	8	133608	2721
पैराइट	टन	1	50	20	1	–	–	1	–	–
पायरोफलाइट	टन	9	12375	1310	9	11189	1237	9	9734	988
क्वार्ट्ज	टन	115	63228	2484	112	54474	2812	95	44658	2229

क्वाजाइट	टन	1	1524	146	1	5619	618	1	9728	680
सिलिकासैंड	टन	63	228426	16765	61	207117	15943	58	213320	17740
इस्टेटाइट	टन	192	386932	95499	175	382495	112326	167	367573	100496
वर्मीक्यूलाइट	टन	2	142	20	1	122	18	–	–	–
बोलोस्टोनाइट	टन	2	54511	20122	2	59722	21398	2	61768	21870
लेटेराइट	टन	2	4054	48	2	9743	199	2	5486	136
गौण खनिज				2430516			2715786			2715786

टोलस्लाइन/स्मैल्टिंग के लिए खेतड़ी कापर कम्पलेक्स से हिन्दुस्तान कापर लि. अनोडस्लाइम के सिपमेंट के स्थान पर विदेश से प्राप्त किया।

खानों की संख्या में परमाणु खनिज और लघु खनिज शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में डाकघर

127. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक नए डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) चालू योजना 1994-95 के लिए अभी तक लक्ष्यों की अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखेते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर पत्तन

128. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई हेतु मंगलौर पत्तन पर वर्तमान आयल जेटी का दर्जा बढ़ाने का है,

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है,

(ग) क्या मंगलौर तेल शोधक कारखाना प्रस्तावित परियोजना के व्यय में हिस्सा देने को सहमत हो गया है, और

(घ) यह परियोज़ना कब तक शुरू हो जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 238.14 करोड़ रु. है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस परियोजना के 30 महीनों के अन्दर पूरी होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

डाकघरों में कम्प्यूटर

129. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्री बलराज पासी :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ शहरों में कंप्यूटरों से डाक की छंटनी करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ और शहरों में इस कार्य का कंप्यूटरीकरण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस पर कितना खर्च आयेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। दो छंटाई मशीनों एक मैनुअल कोडिंग डेस्क तथा सहायक मशीनों से युक्त एक आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग प्रणाली बंबई एयरपोर्ट छंटाई कार्यालय में स्थापित की गई है और यह प्रणाली अप्रैल, 1993 से कार्य कर रही है बंबई में इस प्रणाली की स्थापना की कुल लागत लगभग 22 करोड़ रुपये थी, जिसमें सीमा शुल्क भवन तथा अन्य प्रभार सम्मिलित थे।

(ग) से (ङ) मद्रास में एक आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए आदेश दिए गए हैं और मद्रास एयरपोर्ट छंटाई कार्यालय में इस वर्ष के अंत तक इसके स्थापित होने की आशा है। इसी प्रकार की प्रणालियां यथा समय दिल्ली, बेंगलूर तथा कुछेक अन्य मेल कन्सन्ट्रेशन केन्द्रों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। मद्रास एयरपोर्ट छंटाई कार्यालय पर लगाई जाने वाली प्रणाली की लागत अनुमानतः 10 करोड़ रुपये होगी। इसमें सीमा-शुल्क, भवन तथा अन्य प्रभार शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शन

130. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिलावार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) क्या नई दूरसंचार नीति में आवेदनकर्ताओं को तत्काल टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रावधान है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 30 जून 1994 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में 1-4-97 तक व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है तदनुसार, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक्सचेंजों की योजना बनाई जा रही है। 1994-95 के दौरान, कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में 79,000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा सूची

में दर्ज आवेदकों की संख्या कम करने के लिए पट्टे पर अतिरिक्त उपस्कर प्राप्त करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल प्रतीक्षा-सूची
1.	बंगलौर	107008
2.	दक्षिण कन्नड़	19700
3.	मैसूर	9422
4.	हुबली	6696
5.	बेलगांव	5132
6.	बेल्लारी	1036
7.	बैदुर	886
8.	बीजापुर	1412
9.	गुलबर्गा	2030
10.	रायचूर	769
11.	देवांगीरी	2905
12.	हासन	2309
13.	मंड्या	1136
14.	कोलार	2641
15.	तुमकुर	3212
16.	चिंकमंगलूर	1844
17.	मदिकेरी	2409
18.	शिमोगा	3843
19.	उत्तरी कनारा	2423
	जोड़	176813

गुजरात में रसोई गैस पाइपलाइन

131. **श्री हरिन पाठक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के अहमदाबाद, बडौदा, सूरत, राजकोट और गांधीधाम शहरों में रसोई गैस पाइपलाइनें बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन शहरों में पाइपलाइनों के द्वारा कब तक उपभोक्ताओं को रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाम्बे हाई से उत्पादन

132. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बाम्बे हाई से तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विदेशी कंपनियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विदेशी कंपनियों से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये विदेशी कम्पनियां बाम्बे हाई से सारे कच्चे तेल के उत्पादन में हिस्से की मांग कर रही है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने बाम्बे हाई फील्ड के अतिरिक्त विकास के संबंध में उपयुक्त प्रौद्योगिकीय तथा वित्तीय सामर्थ्यों वाली कम्पनियों से उनकी अभिरुचि के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। 10 अप्रैल, 1994 की बोलियों की पावती की अंतिम तारीख तक पांच बोलियां प्राप्त की गई हैं।

जिन कम्पनियों ने अभिरुचि दर्शायी है वे हैं, अमोको, शेवरन, ओक्सीडेन्टल तथा आर्को (सभी संयुक्त राज्य अमरीकी की) तथा टोटल फ्रांस की। बोलियों का मूल्यांकन आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलिंडरों का निर्माण

133. **श्री राजबीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कुल कितने रसोई गैस सिलिंडरों का निर्माण किया गया है;

(ख) रसोई गैस सिलिंडरों की उपलब्धता के बावजूद क्या रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षित लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1991-92 से 1993-94 के दौरान सरकारी तेल कम्पनियों ने सिलिंडर निर्माता यूनिटों से 81.56 लाख एल.पी.जी. (रसोई गैस) सिलेंडर प्राप्त किए थे।

(ख) और (ग) प्रतीक्षा सूची के लोगों को एल.पी.जी. (रसोई गैस) कनेक्शनों का दिया जाना न केवल सिलिण्डरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद की उपलब्धता, वितरकों के पास विद्यमान उपलब्ध बकाया तथा नए ग्राहकों की नियोजित पंजीयन स्थिति पर निर्भर करता है। स्वदेशी स्त्रोतों तथा आयातों से एल.पी.जी. (रसोई गैस) की उपलब्धता में वृद्धि को सुनिश्चित करके यथाशीघ्र अधिक से अधिक आवेदकों को एल.पी.जी. (रसोई गैस) कनेक्शन देने के प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

बंबई हाई पेट्रोलियम उत्पाद

134. **श्री अन्ना जोशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई स्थित बंबई हाई पेट्रोलियम उत्पाद परियोजना में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परियोजना का उत्पादन कितना था और 1994-95 के लिए कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) पूर्व वर्षों में कम उत्पादन के क्या कारण थे;

(घ) क्या परियोजना के उत्पादों की घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग होती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) अधिकतम क्षमता दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार बंबई अपतटीय परियोजना पर किया गया कुल निवेश 20047 करोड़ रुपए था।

(ख) बंबई अपतटीय परियोजना से वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान सकल आय क्रमशः 5933 करोड़ रुपए, 6205 करोड़ रुपए और 6741 करोड़ रुपए (अनन्तिम) थी। वर्ष 1994-95 के लिए अनुमानित आय 8306.73 करोड़ रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वर्ष 1993-94 की आय वर्ष 1992-93 की आय से अधिक है।

(घ) और (ङ) ओ.एन.जी.सी. बंबई अपतटीय क्षेत्रों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहा है, जिनकी मांग विद्यमान है।

(च) बंबई हाई से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई हैं। इनमें (1) नीलम, दक्षिण हीरा नामक कुछ नए क्षेत्रों का विकास, (2) एल-II व एल-III नामक कुछ वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास शामिल है। इसी प्रकार बैसीन मुक्त गैस क्षेत्र का भी अतिरिक्त विकास किया गया है।

[हिन्दी]

बांग्लादेश से होकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिवहन सुविधाएं

135. **श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटील** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांग्लादेश से होकर पूर्वोत्तर राज्यों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में बांग्लादेश से बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीतों के क्या परिणाम निकले, और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) भारत सरकार यह चाहती रही है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बांग्लादेश के प्रदेश से बहुविध पारगमन सुविधाएं प्राप्त हों और सरकार इस मामले को बांग्लादेश की सरकार के साथ कई अवसरों पर उठाती रही है।

(ख) और (ग) बांग्लादेश सरकार ने हमारे प्रस्तावों पर अभी सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

136. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान स्वीकार की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और राज्यवार तापीय एवं जलविद्युत परियोजनाओं की लागत क्षमता, समय का ब्यौरा, स्थान की अलग-अलग मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार विद्युत की अनुमानित मांग और उत्पादन क्या है और इसकी पूर्ति के लिए सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से गोवा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(घ) विद्युत परियोजना के क्षेत्र में विदेशी निवेश/सहायता के लिए अब तक किए गए वायदों/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो स्वीकृति हेतु सक्रिय रूप से विचाराधीन है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 8वीं योजना के अंतिम वर्ष में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार प्रत्याशित स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है

विद्युत आपूर्ति की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें ये शामिल हैं, नयी विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा के संवर्धन उपायों का क्रियान्वयन करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कम ऊर्जा वाले क्षेत्रों में ऊर्जा के अंतरण की व्यवस्था करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना।

गोवा राज्य में कोई भी विद्युत उत्पादन यूटिलिटी नहीं है। तथापि गोवा राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नलिखित है :

	मांग	उपलब्धता	अधिशेष ऊर्जा/ऊर्जा की कमी	प्रतिशत
व्यस्तम कालीन मे.वा.	185	236	+51	+27.3
ऊर्जा मे.वा.	932	1960	+1028	+110.3

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु कई उपाय आरंभ किये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रचालन और वित्तीय कार्य योजना (ओ.एफ.ए.पी.) पर विद्युत वित्त निगम के साथ हस्ताक्षर और उसकी मानिटरिंग करना, टैरिफ को युक्ति संगत बनाना, राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण अनुदान का नियमित रूप से भुगतान करना, संयत्र भार अनुपात और संयत्र उपलब्धता में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, राज्य सरकार के ऋणों को इक्विटी में बदलना आदि शामिल हैं।

(घ) विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश अब तक की आश्वस्त सहायता/विचाराधीन सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	एजेंसी/देश	ऋण/अनुदान (डी.सी. में) (मिलियन)
1.	आई.डी.ए	583.49
2.	आई.वी.आर.डी.	6205.32
3.	ए.डी.वी.	990.00
4.	कनाड़ा	194.07
5.	फ्रांस	1903.43
6.	जापान (ऋण)	386990.00
7.	कुवैत निधि	7.00
8.	साऊदी निधि	172.00
9.	स्वीडन	1480.00
10.	यूके	222.39
11.	जर्मन	1871.31
12.	जापान (अनुदान)	148.50

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नीति की अनुक्रिया में निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा, 75 विद्युत परियोजनाओं को अधिस्थापित करने हेतु, जिसमें लगभग 1,04,152 करोड रुपये का निवेश शामिल है, रुचि प्रकट की गई है।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण

विगत के दो वर्षों के दौरान के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत स्कीमों की सूची

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्षमता (मे.वा.)	लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
	(क) ताप विद्युत		
	उत्तर प्रदेश		
1.	ऊंचाहार टीपी चरण-2 (जिला-रायबरेली)	2x210	1154.34
	गुजरात		
2.	गांधीनगर टीपीएस विस्तार (जिला-गांधीनगर)	1x210	682.00
	केरल		
3.	कासारकोडे डीज सैट्स (जिला-कासारकोडे)	3x20	178.00
	बिहार		
4.	मुजफ्फपुर टीपीएस विस्तार चरण-2 (जिला-मुजफ्फपुर)	2x250	1452.13
	त्रिपुरा		
5.	अगरतला डीजी सैट्स (जिला-प. त्रिपुरा)	4x21	295.83
	बिहार		
6.	कटिहार टीपीएस (जिला-कटिहार)	2x250	1783.00
	प. बंगाल		
7.	कोलाघाटी टीपीएस	1x25	9686.00

1	2	3	4
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
8.	बम्बू फ्लैट डीजल विद्युत केन्द्र पोर्ट ब्लेयर-साउथ अंडमान	4x5	69.94
	(ख) निजी		
	उत्तरी क्षेत्र		
	हिमाचल प्रदेश		
1.	बास्पा एचई परियोजना जिला किन्नौर (मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज)	3x100	949.23
	प. क्षेत्र		
	महाराष्ट्र		
2.	दभोल जीटीसीसी टीपीएस जिला-रत्नगिरी (मै. दभोल पावर कं. एण्ड एन्रोन डेवलपमेंट कारपोरेशन)	2015	9051.27
	गुजरात		
3.	गांधार (पागुथान) सीसीजीटी जिला-भरूच मै. गुजरात टोररेंट एनर्जी कारपोरेशन लि.	655	2298.14
	मध्य प्रदेश		
4.	पेंच टीपीएस जिला-छिन्दवाड़ा मै. सैंच्यूरी पावर	2x210	1272.23
5.	महेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट	10x40	1073.00
	दक्षिणी क्षेत्र		
	आंध्र प्रदेश		
6.	जेगुरुपाडु जीटीसीसी टीपीएस	216	827.00

1	2	3	4
	जिला पूर्वी गोदावरी मै. जीवीके इण्डस्ट्रीज़		
7.	गोदावरी जीआईसीसी टीपीएस जिला ईस्ट गोदावरी मै. स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि.	208	748.43

ग. जल विद्युत

क्र.सं.	स्कीम का नाम	लागत (करोड़ रुपये)	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अवस्थिति (राज्य)
1	2	3	4	5
1.	चमेरा चरण-2	1025.18	3x100=300	हिमाचल प्रदेश
2.	पुरलिया पीएसएल	1456.66	4x225=900	प.बंगाल
3.	तूईरियल	158.95	2x30=60	मिजोरम
4.	परनाई	143.00	3x12.50=37.50	जम्मू एवं कश्मीर
5.	लोकतक डी/ग्स	349.00	3x30=90	मणिपुर
6.	बारगट कैनाल	28.37	3x3=9	उड़ीसा
7.	सावालकोट	1550.35	3x200=600	जम्मू एवं कश्मीर
8.	कियोगल	50.47	2x6=12	हिमाचल प्रदेश
9.	मालाना	214.78	2x43=86	हिमाचल प्रदेश
10.	तीस्ता चरण-5	1445.96	3x170=510	सिक्किम
11.	मारनिकेडा	106.94	2x20=40	हिमाचल प्रदेश
12.	तूईवात	659.27	3x210	मिजोरम
13.	महेश्वर (निजी क्षेत्र)	1073.00	10x40=400	
14.	ओंकारेश्वर	1216.95	8x65=520	मध्य प्रदेश

विवरण-II

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्याशित विद्युत सप्लाई की स्थिति

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य	ऊर्जा मांग (मि.यू.)	ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)
1	2	3
हरियाणा	15183	11254
हिमाचल प्रदेश	3254	2831
जम्मू एवं कश्मीर	5836	7317
पंजाब	23851	21488
राजस्थान	22232	12463
उत्तर प्रदेश	43957	38712
चंडीगढ़	459	436
दिल्ली	14416	16275
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	129587	114188
गुजरात	33645	27645
मध्य प्रदेश	28104	26251
महाराष्ट्र	58036	52613
गोवा	932	1960
दादरा एवं नागर हवेली	313	54
दमन और दीव	130	50
जोड़ (प. क्षेत्र)	121159	112417
आंध्र प्रदेश	35062	24375
कर्नाटक	24188	20228

1	2	3
केरल	11893	8322
तमिलनाडु	30528	27786
पाण्डिचेरी	1519	770
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	103191	84173
बिहार	12190	10767
उड़ीसा	14919	11856
प.बंगाल	17159	18605
डीवीसी	11670	15446
सिक्किम	72	390
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	56011	59125
अरुणाचल प्रदेश	199	340
असम	4264	5619
मणिपुर	426	391
मेघालय	454	659
मिजोरम	193	198
नागालैंड	200	372
त्रिपुरा	432	492
जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	6169	8601
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	140	105
लक्षद्वीप	17	18
अखिल भारत	416274	378626

विवरण-III

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निजी क्षेत्र की परीक्षाधीन स्कीमें

क्र. सं.	परियोजना का नाम, क्षमता, ईंधन, जिला प्रर्वतक का नाम	पी.आर. के अनुसार अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
	उत्तरी क्षेत्र	
1.	**राजस्थान**	
	चित्तौड़गढ़ ता.वि.के.	1384.0
	– 1x500 मे.वा.	
	– कोल	
	– जिला चित्तौड़गढ़	
	– मैसर्स सेंच्युरी टैक्सटाइल्स एंड इण्डस्ट्रीज	
	पूर्वी क्षेत्र	
	उड़ीसा	
2.	डुबरी ता.वि.के.	1548.7
	– 2x250 मे.वा.	
	– कोल	
	– जिला कटक	
	– मैसर्स/कलिंगा पावर कारपो. लि. (इक्विटी भागेदारी समेत मैसर्स नोर्थ ईस्ट इन्जी सर्विसेज इन्क. यू.एस.ए.)	
3.	दूब वैली ता.वि.के.	2077.1
	यूनिट्स 3 एवं 4	
	– 2x210 मे.वा.	

1	2	3
	– कोल	
	– जिला सामबालपुर	
	– मैसर्स आई.बी. वैली पावर लि.	
	(ए.ई.एस. ट्रांसपावर - जोकि ए.ई.एस. कारपोरेशन यू.एस.ए. की एक सहायक कंपनी है और ओ.पी. जी.सी.एल. के बीच एक संयुक्त उद्यम)	
	बिहार	
4.	जोजोबेरा ता.वि.के.	
	3x67 5 एन.एम.	1239.77
	– कोल	
	– जिला पश्चिम सिंगबूम	
	– मैसर्स जमशेदपुर पावर कारपो. लि.	
	(प्रवर्तक - टिस्को एवं टेलको)	
5.	चांडील ता.वि.के.	
	– 2x250 मे.वा.	
	– कोल	
	– जिला सिंगबूम	
	मैसर्स आर.पी.जी. इन्टरप्राइजिज	
	पश्चिम बंगाल	
6.	गौरोपोर ता.वि.के.	
	2x67.5 मे.वा.	500.0
	– कोल	
	– जिला 24 उत्तरी पारगानास	
	– मैसर्स गोरीपोर पावर कंपनी लि. (प. बंगाल रा. बि. बोर्ड और बिरला टैक्नीकल सर्विस प्रवर्तक)	

1	2	3
7.	बालागड ता.वि.के. यूनिट्स 1 एवं 2 –. 2x250 मे.वा. – कोल – जिला हुगली – मैसर्स सी.ई.एस.सी. लिमिटेड	1671.48
	उत्तरी - पूर्वी क्षेत्र	
	अरुणाचल प्रदेश	
8.	खारसंग गैस इंजन आधारित टी.पी.एस. – 2x4 मे.वा. – गैस – जिला चांगलेंग – मैसर्स इण्टरकारपोरेप इंडस्ट्रीज लि.	31.00
	पश्चिमी क्षेत्र	
	महाराष्ट्र	
9.	खापरखेड़ा ता.वि.के. यूनिट 5 और 6 – 2x210 मे.वा. – कोल – जिला नागपुर – मैसर्स अरानको लाइन सिंपिंग कंपनी लि. वालेट्टा, माल्टा।	1353 करोड़
10.	भाद्रावती ता.वि.के. 2x500 मे.वा. – कोल – जिला चन्द्रपुर	5235.2 करोड़

1	2	3
	– मैसर्स निप्पलोन ग्रुप, इंडिया, सी.ई.जी. यू.के., और ई.डी.एफ., फ्रांस	
	गुजरात	
11.	मंगरोल (लिग्नाइट) ता.वि.के.	
	– 1x250 मे.वा.	1082.81
	– लिंगनाइट	
	– जिला सूरत	
	– मैसर्स गुजरात पावर कारपोरेशन लि.	
12.	हाजिरा जी.आई.सी.सी.ता.वि. केन्द्र	1650.00
	– 500 मे.वा.	
	– नाफथा	
	– जिला सूरत	
	– मैसर्स इसार पावर लि. (मैसर्स इसार गुजरात लि. - प्रवर्तक)	
13.	पावर प्लाट (जी.आई.सी.सी. फार जी.आई.पी.सी.एल.)	415.25
	– 145 मे.वा.	
	– नाफथा/डिस्टीलेट/गैस	
	– जिला बड़ौद।	
	– मैसर्स गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कंपनी लि.	
	मध्य प्रदेश	
14.	कोरबा (पश्चिमी) ता.वि.के.	1600.45
	यूनिट 5 एवं 6	
	– 2x210 मे.वा.	
	– कोल	

1	2	3
	– जिला बिलासपुर	
	– मैसर्स इंडिया थर्मल पावर लि.	
	– मैसर्स मुकुन्द लि. - प्रवर्तक	
	दक्षिणी क्षेत्र	
	तमिलनाडु	
15.	कूड्डालोर ता.वि.के.	
	– 2x535 मे.वा.	5575.00
	– कोल	
	– जिला साऊथ अरकोट	
	– मैसर्स कूड्डालोर पावर कंपनी (मैसर्स इण्टरनेशनल कॉन्ट्रटिंग एंड मार्किटिंग कारपोरेशन यू.एस.ए. के नेतृत्व में विदेशी और भारतीय कंपनियों का सहायता संघ)	
16.	नवेली (जीरो यूनिट) ता.वि.के.	
	– 1x250 मे.वा.	
	– लिग्नाइट	
	– जिला साऊथ अरकोट	
	– मैसर्स एस.टी.-सी.एम.एस. इलेक्ट्रीक कंपनी, पावर सिस्टम्स, यू.एस.ए. और सी.एम.एस. जनरेशन, यू.एस.ए.)	
	कर्नाटक	
17.	मंगलौर ता.वि.के.	4776.84
	– 6x167 मे.वा.	
	– कोल	
	– जिला दक्षिणी कान्नदा	

1	2	3
	– मैसर्स मंगलौर पावर कंपनी) कोजन्ट्रीक इन्क. यू.एस.ए. और जनरल इलेक्ट्रीक केपिटल कारपोरेशन की एक सहायक)	
	आन्ध्र प्रदेश	
18.	विशाखापट्टनम ताप विद्युत केन्द्र	5817.00
	– 2x500 मे.वा.	
	– कोल	
	– जिला विशाखापट्टनम प्रवर्तक - मैसर्स अशोक लिलैण्ड लि., इंडिया और नेशनल प्लक ऑफ यू.के.	

(बी) थर्मल

क्र.सं.	जिला एवं स्कीम का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
	राजस्थान		
1.	सूरतगढ़ ता.वि.के. स्टे-II जिला श्रीगंगानगर	2x250	2129.20
	गुजरात		
1.	वानकबोरी ता.वि.के. एक्टेशन (यू-7) जिला खेड़ा	1x210	657.83
2.	लिग्नाइट आधारित ता.वि.के. अकरीमोटा जिला कच्छ	2x120	1163.22
3.	लिग्नाइट आधारित ता.वि.के. घोघा जिला भावनगर	2x120	856.22

1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	कृष्णापट्टनम ता.वि.के. चरण-I जिला नैल्लोकर	2x500	4365.41
2.	रामागुण्डम ता.वि.के. विस्तार जिला करीमनगर	2x250	1673.73
3.	सोमाहादरी ता.वि.के. जिला विशाखापट्टनम	2x250	3100.88
	केरल		
1.	कोझीकोड डी.जी.पी.पी., इड्ड़ाकक्रा थालाकोलाथूर के समीप जिला कोझीकोड	120	357.00
	तमिलनाडु		
1.	सामालपट्टी में डीजल ईंजन विद्युत संयंत्र जिला धर्मापुरी	100	302.93
	(सी) जल विद्युत		
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	नागार्जुन सागर, टेलपोंड बांध एच.ई.पी. जिला नालगौंडा एवं गूंडूर	50	273.02
	असम		
1.	कारबी लागंपी (लोवर बोरपानी) (कोरबी अनालोंग)	100	284.30
	हिमाचल प्रदेश		
	पारबती विस्तार-II जिला कूल्लू	800	1115.80
2.	पारबती विस्तार-III जिला कूल्लू	501	660.14
3.	रेनुका बांध एम.पी.पी. जिला सिरमोर	40	93.84

1	2	3	4
	जम्मू एवं कश्मीर		
1.	अंस चरण-II जिला धिरमारी	30	110.83
2.	सितकारी कूलां जिला श्रीनगर	84	383.43
	कर्नाटक		
1.	बराही तेल रेस जिला दक्षिणी कन्नाडा	15	65.42
	केरल		
1.	अदिरापल्ली जिला त्रिचूर	160	150.16
	मध्य प्रदेश		
1.	गांधी सागर फेज-II जिला मन्दसौर	160	228.60
	महाराष्ट्र		
1.	चिकलधारा जिला अमरावती	400	513.40
	उड़ीसा		
1.	सिंदोल	320	2246.14
2.	हिराकूड-बी और चिप्लीमा-बी जिला सम्बलपुर	408	1339.65
	पंजाब		
1.	शाहपुरकंडी जिला गुरदासपुर	168	945.45
	उत्तर प्रदेश		
1.	गौरी गंगा चरण-III क एवं ख जिला पिथौरागढ़	140	396.27

1	2	3	4
2.	बोवाला नन्द प्रयाग जिला चमोली	132	380.66
3.	तपोवन विष्णुगढ़ जिला चमोली	360	555.62
4.	विष्णु प्रयाग जिला चमोली	400	868.00
	पश्चिम बंगाल		
1.	रामम चरण-III जिला दार्जिलिंग	60	169.07

गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

137. **श्री काशीराम राणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) अन्य राज्यों की तुलना से गुजरात में कितने आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 31-3-94 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में आधुनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या 1048 है और यह संख्या अखिल भारतीय 83.07 की तुलना में राज्य में 83 प्रतिशत बैठती है।

[हिन्दी]

गुजरात को मिट्टी का तेल

138. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मछली पकड़ने के उद्योग के लिए मिट्टी के तेल की वांछित मात्रा के नियतन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य को मिट्टी के तेल की वांछित मात्रा नियत करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) 1993-94 के दौरान गुजरात में मछली पकड़ने के उद्योग के लिए मिट्टी के तेल की मासिक मांग कितनी है और कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरोसीन एक कमी वाला उत्पाद है तथा हमारी जरूरत का 40% से अधिक की आयात द्वारा पूर्ति होती हैं। देश के अन्तर्गत केरोसीन की कम उपलब्धता, विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों तथा आवश्यक भारी आर्थिक सहायताओं के कारण राज्यों की पूरी मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

तथापि, अब केरोसीन बाजार मूल्य पर बिक्री किये जाने के लिए समानांतर विपणन प्रणाली के तहत आयात किया जा रहा है। गुजरात में केरोसीन खुले बाजार में उपलब्ध है।

(घ) गुजरात सरकार द्वारा मतस्य उद्योग के लिए केरोसीन के संबंध में की गई मासिक मांग 1940 मि.मी. की है। वर्ष 1993-94 के लिए मत्स्य उद्योग के संबंध में 390 मी. टन सहित गुजरात के लिए केरोसीन का कुल आबंटन 790313 मी. टन का था।

[अनुवाद]

तेल शोधन क्षमता

139. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान तेल शोधन कारखाने स्थापित करने संबंधी लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में 1993-94 के अंत तक कुल कितने तेल शोधन की स्वदेशी क्षमता स्थापित की गई;

(घ) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्वदेशी कच्चे तेल के शोधन में कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया;

(ङ) क्या देश में निकाले जाने वाले कच्चे तेल की कुछ मात्रा का स्वदेशी तेल शोधन कारखानों में शोधन नहीं किया जाता, और

(च) यदि हां, तो 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान तेल शोधन के लिए कच्चे तेल की कितनी मात्रा विदेशों में भेजी गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 से पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग का अधिकतम 102 एम.एम.टी.पी.ए. होना अनुमानित है। देश के अन्तर्गत रिफाइनिंग क्षमता 53.4 एम.एम.टी.पी.ए. है। विद्यमान रिफाइनरियों के प्रस्तावित विस्तार पर विचार करते हुए तथा अभी तक विविध पार्टियों को निर्गत किए गए आशय पत्रों के आधार पर रिफाइनिंग क्षमता के 2001-2002 तक को पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने हेतु 119 एम.एम.टी.पी.ए. के इर्द-गिर्द तक बढ़ाना प्रत्याशित है।

(ग) देश के अन्तर्गत 1993-94 के अन्त तक की कुल रिफाइनिंग क्षमता 53.40 एम.एम.टी.पी.ए. है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कुल परिष्कृत क्रूड में से स्वदेशी क्रूड आयल का प्रतिशत निम्नवत है :

वर्ष	प्रतिशत
1991-92	54.7
1992-93	45.2
1993-94	43.7

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

"सेवा कर"

140. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने बजट के अन्तर्गत टेलीफोन कम्पनियों/निगमा पर लगाये गये "सेवा कर" को उपभोक्ताओं पर डालने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 1994 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, टेलीफोन कनेक्शन के उपभोक्ताओं से सेवा कर वसूली योग्य है।

[हिन्दी]

संयुक्त अरब अमीरात के साथ वार्ता

141. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात के साथ राजनीतिक स्तर पर हाल ही में कोई वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच समझौतों के दौरान प्रत्यर्पण संधि के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ था;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) संयुक्त अरब अमीरात के साथ राजनीतिक स्तर पर अभी हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई है। तथापि, प्रत्यर्पण संधि के मुद्दे, जिस पर सर्वप्रथम नई दिल्ली में जनवरी, 1994 में भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक में विचार-विमर्श हुआ था, के संबंध में 7-8 फरवरी, 1994 को आबूधाबी में तकनीकी स्तर पर विचार किया गया, ताकि प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न की जा सके।

(ग) अभी तक कोई करार संपन्न नहीं हुआ है और अब दोनों पक्ष फरवरी, 1994 में हुई बातचीत के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा वितरित एल.पी.जी. का मूल्य

142. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी समानान्तर बाजार व्यवस्था के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले एल.पी.जी. का मूल्य सरकारी क्षेत्र के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे एल.पी.जी. के मूल्य से कम है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत आयातित उत्पादों को बाजार द्वारा नियत कीमतों पर बेचा जा सकता है। सरकार द्वारा मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है।

उड़ीसा में रुग्ण खानें

143. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थित रुग्ण लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खानों की रुग्णता के क्या कारण हैं, और

(ग) इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार चार लौह अयस्क खानों–मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिले में एक-एक लौह अयस्क खान और क्योंझर जिले में 2 लौह अयस्क खानों के बन्द होने की सूचना है। इसी प्रकार सुन्दरगढ़ जिले में 2 मैंगनीज अयस्क खानों के बन्द होने की सूचना है। इन खानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कुछ अन्य खानों के उत्पादन में वर्ष 1992 में हुए उत्पादन की तुलना में वर्ष 1993 के दौरान गिरावट आने के बारे में भी बताया गया है।

(ख) खानों के बन्द होने और खानों के उत्पादन में गिरावट आने का मुख्य कारण निर्यात और घरेलू मांग में कमी होना बताया गया है।

(ग) कुछ खान मालिकों के कैलिब्रेटिड लौह अयस्क, जिसकी इस समय बाजार-स्थिति अच्छी है, तैयार करने के प्रयास किए जाने की सूचना दी गई है। बाजार स्थिति में सुधार से भी खानों के पुनर्रुद्धार में सहायता मिलेगी।

विवरण

क्र. सं.	पट्टाधारक का नाम	खान की स्थान-स्थिति
1	2	3
	लौह अयस्क खानें	
1.	परथ्रा दास	महाराजपुर, जिला-मयूरभंज
2.	जे.के. चौबे	पारुनापानी, भूयानबारा, जिला-मयूरभंज
3.	जे.के. चौबे	बुद्धराजपहाड़, जिला-मयूरभंज
4.	स्वर्गीय आर.के. पडिया	बादामरिन्डा, जिला-मयूरभंज
5.	उड़ीसा माइनिंग कार.	कसीरा, जिला-सुन्दरगढ़
6.	उड़ीसा माइनिंग कार.	भंजापाली, जिला-सुन्दरगढ़
7.	ए.एम.टी.सी.	नारायणपोसी, जिला-सुन्दरगढ़
8.	एस.डी. शर्मा	रायलेला, जिला-सुन्दरगढ़
9.	मिनरल ट्रेडिंग सिन्डीकेट	भालूबेडा, जिला-क्योंझर

1	2	3
10.	एम.आर. दास	भालूबेडा, जिला-क्योंझर
	मैंगनीज अयस्क खानें	
1.	यू.सी. मिश्रा	कुसुमडीही, जिला-सुन्दरगढ़
2.	बी.आई. कंपनी	कुसुमडीही, जिला-सुन्दरगढ़

भारत में अध्ययन हेतु विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति

144. **श्री प्रेमचंद राम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक साल में सरकार द्वारा भारत में अध्ययन हेतु राष्ट्रवार कितने विदेशी छात्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा कितनों को छात्रवृत्ति दी जाती है, और

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा अन्य पड़ौसी देशों से कितने ऐसे छात्र भारत आए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) 1993-94 के दौरान विदेशी छात्रों को प्रदत्त और उनके द्वारा उपयोग किए गए स्लाटों को देशवार दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) विगत 3 वर्ष के दौरान पड़ौसी देशों के द्वारा उपयोग की गई छात्रवृत्तियों को दर्शाने वाला विवरण-II भी संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94 के दौरान देशवार विदेशी छात्रों को प्रस्तावित तथा उपयोग किए गए स्लॉट

क्र.सं.	देश	प्रस्तावित किया गया	उपयोग किया गया
1	2	3	4
1.	अफगानिस्तान	8	8
2.	अल्जीरिया	3	2
3.	आस्ट्रेलिया	7	2
4.	अजरबेजान	2	–

1	2	3	4
5.	अरब गणराज्य मिस्र	12	6
6.	भूटान	6	6
7.	बांग्लादेश	113	100
8.	बेल्जियम	3	1
9.	बारबादोस	2	–
10.	बल्गारिया	2	–
11.	बहरीन	4	–
12.	चेकोस्लोवाकिया	5	1
13.	चीन	25	17
14.	कनाड़ा	2	1
15.	साइप्रस	4	1
16.	कंबोडिया	2	–
17.	कैमरून	1	–
18.	डोमिनिका	1	–
19.	इथोपिया	11	3
20.	फ्रांस	16	13
21.	फिजी	11	7
22.	यूनान	2	–
23.	घाना	8	4
24.	जर्मनी	1	1
25.	गाम्बिया	8	7
26.	गयाना	5	2
27.	हंगरी	3	2
28.	इराक	13	10
29.	ईरान	3	1

1	2	3	4
30.	इजराइल	1	–
31.	इटली	5	4
32.	इण्डोनेशिया	15	15
33.	जापान	8	5
34.	जोर्डन	6	3
35.	जमैका	2	–
36.	कीनिया	20	13
37.	कुवैत	1	–
38.	कजाकिस्तान	5	1
39.	खिर्गिस्तान		
40.	लेसोथो	1	–
41.	लाओस	2	–
42.	लेबनान	1	–
43.	मालदीव	7	–
44.	म्यांमा	7	5
45.	मारीशस	51	38
46.	मलेशिया	9	3
47.	मेक्सिको	4	3
48.	मंगोलिया	10	10
49.	माल्टा	2	2
50	मोरक्को	1	0
51.	नार्वे	4	1
52.	नाइजीरिया	12	–
53.	नीदरलैण्ड	3	–
54.	न्यूजीलैण्ड	2	1

1	2	3	4
55.	नेपाल	92	90
56.	नामीबिया	4	–
57.	उत्तरी कोरिया	1	1
58.	ओमान	1	–
59.	पोलैण्ड	8	1
60.	फिलिपीन्स	5	4
61.	पुर्तगाल	2	1
62.	पाकिस्तान	2	–
63.	फिलिस्तीन	8	3
64.	कतर	1	–
65.	रोमानिया	3	1
66.	रूस	8	8
67.	सीरिया	8	6
68.	सोमालिया	5	5
69.	सूडान	6	5
70.	श्रीलंका	60	44
71.	दक्षिण कोरिया	3	2
72.	सऊदी अरब	1	–
73.	स्वीडन	2	–
74.	स्पेन	5	3
75.	सेनेगल	1	–
76.	दक्षिण अफ्रीका	15	4

.1	2	3	4
77.	सेशेल्स	1	–
78.	एस.ए.डी.आर.	2	–
79.	दक्षिण प्रशांत द्वीप	2	–
80.	सूरीनाम	2	–
81.	तुर्की	4	1
82.	थाइलैण्ड	15	16
83.	तंजानिया	6	6
84.	ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो	6	4
85.	ताजिकिस्तान	2	–
86.	ट्यूनिशिया	1	–
87.	तुर्कमेनिस्तान	2	–
88.	उगांडा	12	9
89.	उजबेकिस्तान	7	5
90.	यू.के.	2	2
91.	संयुक्त अरब अमीरात	1	–
92.	वियतनाम	17	14
93.	यमन	27	24
94.	जाम्बिया	7	2
95.	जिम्बाब्वे	15	–
96.	जैरे	3	3
	योग	837	563

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों द्वारा उपयोग की गई छात्रवृत्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	देश	1991-1992 उपयोग किया गया	1992-1993 उपयोग किया गया	1993-1994 उपयोग किया गया
1.	अफगानिस्तान	10	14	8
2.	बांग्लादेश	78	112	100
3.	भूटान	2	2	6
4.	चीन	17	15	17
5.	मालदीव	8	1	–
6.	मारीशस	39	42	38
7.	म्यामां	4	3	5
8.	नेपाल	85	83	90
9	श्रीलंका	54	64	44
10.	पाकिस्तान	1		
		298	336	308

केरल में अंतर्देशीय जलपरिवहन

145. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के विकास के लिए केरल को कुल कितनी राशि दी, और

(ख) इस संबध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जलमार्गों में यात्री-फैरियों के लिए 55 जैट्टियों के आधुनिकीकरण की एक योजना, जो केरल सरकार द्वारा निष्पादित की जानी है, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 136.38 लाख रु. की लागत पर

जनवरी, 93 में भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में पश्चिमी तटीय नहरों के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 62.00 करोड़ रु. का प्रावधान है, तथापि, 3.00 करोड़ रु. के प्रावधान में से 1993-94 के दौरान इस कार्य के लिए 65.00 लाख रु. खर्च किए गए। वर्ष 1994-95 के दौरान 1.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। चम्पाकारा और उद्योग मंडल नहरों का पहले ही अपेक्षित गहराई तक निकर्षण किया जा चुका है, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन का निर्बाध प्रचालन हो सके।

खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना

146. **डा. वसंत पवार :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री लाल बाबू राय :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में नये खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, इसलिए इनके वास्ते औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। परंतु अल्कोहल युक्त पेयों के किण्वन और आसवन में कार्यरत यूनिटों हेतु और उन मदों के निर्माण, जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बीयर निर्माण के लिए 28 आवेदन और पेय अल्कोहल/भारत में बनी विदेशी शराब के निर्माण के लिए 5 आवेदन 30-6-94 की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय में लंबित थे।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र

147. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1994 के इकोनोमिक टाइम्स में "फोरिन मैजर्स इन रैस फार गोल्ड माइनिंग इन कोलार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) स्वर्ण खनन में विदेशी भागीदारी को अनुमति देने के संबंध में की गयी या प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में स्वर्ण खनन में विदेशी फर्मों को घुसने की अनुमति देने के क्या लाभ हैं, और

(च) देश में स्वर्ण खनन के कार्य को बढ़ावा देने के संबंध में भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ विदेशी कंपनियों ने स्वर्ण खनन में लगे भारत सरकार के उपक्रम अर्थात भारत गोल्ड माइन्स लि. (बीजीएमएल) के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है। कंपनी ने हाल ही में सोने की खोज तथा विदोहन करने और 1-8-94 तक मिलटेलिंग के परिष्करण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

(घ) से (च) स्वर्ण का विदोहन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाने के साथ ही सोने की खोज में निजी पार्टियों की सहभागिता और आशा है कि इससे इस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन और अद्यतन तकनीक आयेगी।

[हिन्दी]

चलनशील विपणन योजना के अंतर्गत रसोई गैस वितरक

148. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चलनशील विपणन योजना के अंतर्गत रसोई गैस वितरकों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) एल.पी.जी. (रसोई गैस) विपणन योजना 1992-94 में 623 एल.पी.जी. (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तथा यह उद्योग द्वारा क्रियान्वयनाधीन है।

मध्य प्रदेश में पंचायत घरों में टेलीफोनों को स्थानान्तरित करना

149. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक कितने डाक घरों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गये हैं और कितने डाक घरों से टेलीफोन कनेक्शन हटा कर विभिन्न पंचायत भवनों में लगाए गये हैं;

(ख) कितने पंचायतों में अभी तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और

(ग) कितने पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और 1993-94 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा रहित पंचायत गांवों की संख्या 5216 है।

(ग) जिन पंचायत गांवों को वर्ष 1993-94 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है, उनकी संख्या 6157 है तथा उन पर व्यय की गई राशि लगभग 77 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

केरल में पासपोर्ट कार्यालय

150. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कोझीकोड, कोचीन और त्रिवेन्द्रम पासपोर्ट कार्यालयों से कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) 30 जून, 1994 तक इन कार्यालयों में कितने आवेदन पत्र लंबित थे, और

(ग) इन कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन कार्यालयों में शीघ्रता से पासपोर्ट जारी करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं–कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, इन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन योजना, इन कार्यालयों का निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्टों का क्रियान्वयन।

विवरण

1993-94 (1-4-93 से 31-3-94) के दौरान केरल में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या तथा 30-6-94 को बकाया आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	कार्यालय	जारी पासपोर्टों की संख्या	30-6-94 को कुल बकाया	30-6-94 को एक माह से अधिक का बकाया।
1.	कोचीन	129260	4530	2835
2.	कोझीकोड	330722	5225	1782
3.	त्रिवेन्द्रम	179002	8490	980
		638984	18245	5597

[हिन्दी]

भारतीय खान ब्यूरो

151. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भारतीय खान ब्यूरो का कोई क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अहमदाबाद में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो के प्रस्ताव को वित्तीय बाधाओं के कारण अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में बाईपास

152. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1994-95 के दौरान बाईपासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार प्राथमिक रूप से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। संभवतः माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों का उल्लेख कर रहे हैं। विजयवाड़ा से इलूरू तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 के सुधार के एक हिस्से के रूप में, इलूरू कस्बे के चारों ओर 17.88 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार से 1993-94 के दौरान प्राप्त हुआ था। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) चूंकि परियोजना अभी संस्वीकृति से पूर्व की स्थिति में है, इसलिए अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि अपेक्षित निधियां कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है।

करोडों रुपयों की परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

153. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "बिल्ड, आप्रेट एण्ड ट्रान्सफर" आधार पर करोड़ों रुपयों की सडक परियोजनाएं गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दी हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या ऐसी कई परियोजनाओं का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अनिवासी भारतीयों सहित उन निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इस संबंध में रुचि दिखाई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) जी, हां। निजी क्षेत्र में सहभागिता के लिए पता लगाई गई और उनके लिए खोली गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

(ङ) स्वदेशी तथा यू.के., मलेशिया, कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि देशों की कंपनियों ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) आधार पर राजमार्ग परियोजनाएं शुरू करने में रुचि दिखाई है।

विवरण

क्र. स.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लम्बाई कि.मी. में	अनुमानित लागत मिलियन रु. में
	2	3	4	5
		(क) बाईपास		
1.	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	20	600
2.	कोयम्बतूर	तमिलनाडु	27	400
3.	अकोला	महाराष्ट्र	14	300
4.	अमरावती	महाराष्ट्र	18	300
5.	हुबली धारवाड	कर्नाटक	30	400
6.	उदयपुर	राजस्थान	17	250
7.	नेल्लोर	आन्ध्र प्रदेश	18	250
8.	शिलांग	मेघालय	27	650

2	3		5
	(ख) पुल		
1.	कुल्लू बाईपास पर पुल	हिमाचल प्रदेश	202
2.	तालपोना और गालगीबाग पर पुल	गोवा	200
3.	पेरीयार पर वारापूजा पुल	केरल	260
4.	दुर्ग बाईपास पर शोनाथ पुल	मध्य प्रदेश (दुर्ग बाईपास सहित)	240
5	दूसरा विवेकानन्द पुल	पश्चिम बंगाल	2200
6.	जियाभरेली पुल	असम	700
7.	निजामुद्दीन पुल	दिल्ली	430
8.	शरावती पुल	कर्नाटक	300
9.	जदेश्वर में दूसरा नर्मदा पुल	गुजरात	450
	(ग) एक्सप्रैस मार्ग		
1.	दिल्ली-करनाल-अम्बाला	दिल्ली और हरियाणा 200	10,000
2.	दिल्ली-गाजियाबाद-कानपुर	दिल्ली और उत्तर प्रदेश 414	25,000
3.	कानपुर-वाराणसी	उत्तर प्रदेश 310	20,000
4.	बम्बई-सूरत-	महाराष्ट्र और गुजरात 375	45,000
5	बम्बई-पूना	महाराष्ट्र 150	9,000
6	फरीदाबाद-नौएडा-गाजियाबाद	हरियाणा और उत्तर प्रदेश 45	3,000
7.	बम्बई-नासिक	महाराष्ट्र 145	8,700

1	2	3	4	5
8.	बंगलौर-मैसूर	कर्नाटक	140	9,000
9.	गाजियाबाद-मेरठ	उत्तर प्रदेश	49	3,000

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

154. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान और अधिक गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की संख्या 1,42,552 है और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1994-95 का लक्ष्य 105883 अतिरिक्त गांवों को यह सुविधा प्रदान करना है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

1-4-1994 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	आबाद गांवों की कुल संख्या	1-4-1994 की स्थिति के अनुसार ग्रामीणं सार्वजनिक टेलीफोन	1994-95 के लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29341	19260	4250
2.	असम	20459	4405	4000
3.	बिहार	79208	8202	18000
4.	गुजरात, दादरा नागर, दमन और दीव सहित	18735	9226	4435

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	7190	4816	1130
6.	हिमाचल प्रदेश	16997	2316	1000
7.	जम्मू और कश्मीर	6447	881	700
8.	कर्नाटक	27024	5108	7000
9.	केरल, लक्षद्वीप टापू सहित	1530	1512	18
10.	मध्य प्रदेश	71386	18117	13000
11.	महाराष्ट्र, गोवा सहित	36187	14309	6500
12.	उत्तर-पूर्व, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा सहित	15192	1574	1000
13.	उड़ीसा	51057	5258	10000
14.	पंजाब	13252	7558	1550
15.	राजस्थान	37889	6141	5000
16.	तमिलनाडु, पांडिचेरी सहित	15826	11777	2000
17.	उत्तर प्रदेश	112568	18564	16300
18.	प. बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम सहित	43306	3528	10000
	कुल	603594	142552	105883

[हिन्दी]

नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना

155. **डा. साक्षी जी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाथपा-झाखड़ी विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) क्या इस परियोजना की निर्माण लागत उसकी आरंभिक लागत से कई गुणा बढ़ गई है;

(ग) यदि हां तो निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों का पता लगाया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) नाथपा-झाखड़ी जल विद्युत परियोजना के सिविल निर्माण कार्य कुछ ही मास पूर्व आरम्भ किए गए हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपस्कर की आपूर्ति, उत्थापन तथा इसे चालू करने के लिए हाल ही में ठेका दे दिया गया है। यह आशा की जाती है कि निर्माण की अवधि लगभग पांच वर्ष होगी।

(ख) और (ग) परियोजना की अनुमानित लागत 1678.02 करोड़ से बढ़कर मार्च 1993 के मूल्य स्तर पर 4337.95 करोड रुपये हो गई है।

(घ) और (ङ) परियोजना की संशोधित अनुमोदित लागत मार्च 1993 के मूल्य स्तर पर आधारित है, जबकि पूर्व की अनुमानित लागत सितम्बर 1988 के मूल्य स्तर पर आधारित थी।

अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधि

156. **श्री राजेश कुमार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री की हाल की अमरीका यात्रा के दौरान उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि किए जाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : भारत और अमरीका ने एक नई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि पर विचार-विमर्श के एक दौर की बातचीत सितंबर, 1993 में की। इसके पाठ पर काफी हद तक सहमति हो चुकी है। शेष अनसुलझे मसलों की दोनों सरकारें जांच और समीक्षा कर रही हैं। करार को अन्तिम रूप देने के लिए आगे और बातचीत होने की उम्मीद है।

मई, 1994 में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान जारी संयुक्त भारत-अमरीकी वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर गौर किया कि एक नई प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत शुरू हो गई है और उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि वे इसे निकट भविष्य में पूरा कर लेंगे।

तेल की खोज

157. **श्री राजेश कुमार** :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे हाल ही में सिंगापुर की यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार की उदार आर्थिक नीति के अन्तर्गत तेल की खोज तथा विकास के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के कोई पेशकश की थी;

(ग) क्या सिंगापुर सरकार के साथ तेल की खोज के क्षेत्र में कोई बातचीत हुई थी, और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम रूप दिये जाने वाले तथा कार्यान्वित किये जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) भारत में तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश के अवसरों के प्रति तेल कंपनियों को जानकारी देने के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मार्च, 1994 के अंतिम सप्ताह में सिंगापुर की यात्रा की थी। भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र में सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों की भागीदारी की संभावनाओं के संबंध में भी सिंगापुर के आर्थिक विकास बोर्ड के साथ विचार-विमर्श हुए थे।

बोकारो इस्पात संयंत्र

158. **श्री ललित उरांव** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य किसी विदेशी फर्म को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भारतीय कम्पनी ने आधुनिकीकरण का कार्य बहुत ही कम लागत पर करने की पेशकश थी, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्व अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं, जिसमें भारतीय पार्टियां भी शामिल हैं, से अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियां आमंत्रित की गई थीं तथा प्राप्त हुई थीं। बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए न्यूनतम तथा तकनीकी रूप से स्वीकार्य निविदाकर्ताओं, जिनमें भारतीय कम्पनियां भी शामिल हैं, को आर्डर दे दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों का दुरुपयोग

159. **श्री छेदी पासवान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दिल्ली में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो एस.टी.डी. और आई.एस.डी. टेलीफोन कालें सस्ती दरों पर दिला रहे हैं और सरकार को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचा रहे हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में ऐसे गिरोहों को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिनमें टेलीफोन विभाग के कर्मचारी भी शामिल पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा का ऐसा दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार कौन से प्रभावी कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली, जयपुर, मद्रास, आगरा, बेंगलूर, बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों से एस.टी.डी./आई.एस.डी. काल करने के लिए टेलीफोन लाइनों के विपथन के मामले जानकारी में आए

हैं। ऐसे मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस की सहायता ली गई है तथा अन्तर्ग्रस्त कुछ बाहरी व्यक्तियों और विभागीय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई पहली ही शुरू की जा चुकी है।

(घ) दूरसंचार नेटवर्क में सभी नाजुक स्थानों पर अक्सर ऐसे निरीक्षण तेज कर दिये गए हैं। हाल ही में अलग-अलग उपपुलिस अधीक्षकों की देख-रेख में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के चार विशेष कक्ष गठित करने की मंजूरी दी गई है। ये कक्ष चार महानगरीय शहरों में कार्य करेंगे तथा टेलीफोन के विपथन के मामलों में सख्ती से कार्यवाही के लिए ये कक्ष विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। टेलीफोनों का विपथन करने, विपथन से लाभ उठाने या विपथन को उत्प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को सख्त दण्ड देने की व्यवस्था करने के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 में संशोधन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं को एस.टी.डी. डायनामिक नियंत्रण सुविधा का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि इस सुविधा के दुरुपयोग को रोका जा सके।

[अनुवाद]

गुजरात में विद्युत की मांग

260. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न भागों में इस समय बिजली की कमी है;

(ख) गुजरात में बिजली की कुल कितनी मांग है तथा राज्य में कुल कितनी बिजली का वर्षवार उत्पादन होता है;

(ग) राज्य में कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं, तथा 1993-94 के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(घ) राज्य के किन-किन स्थानों को जलविद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए चुना गया है तथा उनकी अनुमानित लागत, लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) पवन विद्युत के उत्पादन के लिए राज्य में किन-किन स्थानों पर परियोजनाएं स्थापित की जायंगी और इनसे कितनी बिजली पैदा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) अप्रैल 1994 के दौरान गुजरात में विद्युत की आवश्यकता, इसकी उपलब्धता और कमी की मात्रा निम्नवत् है :

(सभी आंकड़े निविल मि.यू. में)
अप्रैल 94–जून 1994

आवश्कता	8100
उपलब्धता	7801
कमी	309
कमी प्रतिशत	3.8

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने हेतु आठ विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त किये हैं। इनमें से गन्धार स्कीम (64.7 मे.वा.) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(घ) दो जल विद्युत परियोजनाएं यथा 1950.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सरदार सरोवर (6x200+5x50 मे.वा.) परियोजना और 120.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कडाना पी.एस.एस. विस्तार परियोजना (2x60 मेगावाट) वर्तमान में निर्माणाधीन है।

(ङ) प्रत्येक 2 मे.वा. की दो पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाएं बमनबोर और धनक उत्थापनाधीन है।

भारत-चीन संयुक्त कार्यदल

161. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री शरद दिघे :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री अन्ना जोशी :
श्री तारा सिंह :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की सीमा संबंधी मुददे पर हाल ही में बीजिंग में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण और सीमा पर सैनिक टुकड़ियों को कम करने के संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ङ) उन परिणामों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ङ) सीमा के प्रश्न से सम्बद्ध भारत-चीन संयुक्त कार्य दल की 7वीं बैठक बीजिंग में 6-7 जुलाई, 1994 को सम्पन्न हुई।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा के प्रश्न का उचित, न्यायसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल ढूढने के उददेश्य से बातचीत जारी रखी। दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शान्ति और अमन बनाये रखने से सम्बद्ध करार के कार्यान्वयन पर चर्चा की, जो प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के दौरान 7 सितम्बर, 1993 को सम्पन्न हुआ था। जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण के संबंध में दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं, उसका स्पष्टीकरण इस करार

में देने के साथ-साथ इसमें सीमा पर सैन्य बलों की पुनः तैनाती की भी व्यवस्था है। संयुक्त कार्य दल के इस सत्र के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमांकन या सैन्यबलों में कटौती करने के संबंध में चीन के साथ अलग से कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति शान्तिपूर्ण है और विश्वास पैदा करने के जो उपाय किए गए हैं, वे सही काम कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने विश्वास पैदा करने के अतिरिक्त उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और सिद्धान्त रूप में इस बात से सहमत हुए कि दोनों देशों के सीमा कार्मिकों के बीच बैठकें आयोजित करने के लिए अतिरिक्त स्थल तय किए जाएंगे। भारत-चीन विशेषज्ञ दल की बैठक में इन अतिरिक्त स्थलों के बारे में विशिष्ट ब्यौरे तैयार किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ दल के पहले दो सत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति पर भी गौर किया। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि विशेषज्ञ दल में अपने कार्य विनियमों के बारे में सहमति हो गई है। दोनों प्रतिनिधिमण्डलों के नेताओं ने विशेषज्ञ दल को निदेश दिया कि वह भावी कार्य में रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें।

दोनों पक्षों ने इस अवसर पर भारत-चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे अविरल और प्रत्यक्ष सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त की और अपनी-अपनी इस वचनबद्धता को दोहराया कि वे अपने पारस्परिक संबंधों में इस सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाये रखेंगे। आपसी हित के क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। कई अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर स्थितियों में समानता थी।

संयुक्त कार्य दल की अगली बैठक 1995 में परस्पर सुविधा जनक तारीख को नई दिल्ली में होगी और उससे पहले 1995 के प्रारम्भ में विशेषज्ञ दल की बैठक होगी।

[हिन्दी]

गांवों में दूरसंचार सुविधाएं

162. **श्री सत्य देव सिंह :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) देश में किन-किन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और

(ग) 1994-95 के दौरान ऐसे गांवों की संख्या में वृद्धि करने के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार संचार सुविधा युक्त गांवों की संख्या 14,2,552 है।

(ख) राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है, जो राज्यों में मुहैया करायी गई दूरसंचार सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

(ग) 1994-95 के लिए संचार सुविधायुक्त गांवों की संख्या को 1,05,883 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यवार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन/दूरसंचार सुविधा

1 अप्रैल, 1994 की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल/राज्य	गांवों की कुल संख्या	1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	1994-95 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	29341	29260	4250
2.	असम	20459	4405	4000
3.	बिहार	79208	8202	18000
4.	गुजरात दादरा नागर, दमन एवं दीव सहित)	18735	9226	4435
5.	हरियाणा	7190	4816	1130
6.	हिमाचल प्रदेश	16997	2316	1000
7.	जम्मू-कश्मीर	6447	881	700
8.	कर्नाटक	27024	5108	7000
9.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	1530	1512	18
10.	मध्य प्रदेश	71386	18117	13000
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	36187	14309	6500
12.	उत्तर-पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा सहित)	15192	1574	1000

1	2	3	4	5
13.	उड़ीसा	51057	5258	10000
14.	पंजाब	13252	7558	1550
15.	राजस्थान	37889	6141	5000
16.	तमिलनाडु (पाण्डिचेरी)	15826	11777	2000
17.	उत्तर प्रदेश	112568	18564	16300
18.	पश्चिम बंगाल (अण्डमान, निकोबार एवं सिक्किम सहित)	43306	3529	1000
	जोड़	603594	142552	105883

[अनुवाद]

पोस्ट कार्ड

163. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीविजन कार्यक्रमों को उत्तर भेजने के लिए बड़ी मात्रा में पोस्ट कार्डों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे आम जनता के लिए पोस्ट कार्डों की कमी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो पोस्ट कार्डों का ऐसे दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) यह सच है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि में जवाब भेजने के लिए पोस्टकार्डों का बड़ी संख्या में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए, डाक विभाग, पोस्टकार्ड की एक अलग श्रेणी शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसका प्रयोग, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार-पत्रों आदि द्वारा आयोजित पुरस्कार जीतने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किया जाएगा।

भारत-ईरान पाईप लाइन परियोजना

164. **श्री ए. अशोकराज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिये भारत-ईरान पाईपलाइन परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) इस योजना के अंतर्गत भारत में किन-किन स्थानों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ईरान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के संबंध में पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक एजेंसी का चयन करने हेतु भारत और ईरान के विशेषज्ञ दल संयुक्त रूप से मानक तैयार कर रहे हैं।

(ख) गैस पाइपलाइन के संबंध में व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के उपरांत ही गैस के वितरण के संबंध में विचार किया जा सकता है।

विद्युत नीति

165. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवसी :**
श्री बोल्ली बुल्ली रामय्या :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को नई विद्युत नीति पर गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) 1994-95 के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाएं शुरू की जायेगी और उनसे कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होगा तथा इसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी।

(ग) क्या इन परियोजनाओं से अनेक राज्यों में इस समय विद्यमान विद्युत की कमी पूरी की जा सकेगी, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में 42 निर्माणाधीन परियोजनाओं, जिनकी कुल क्षमता 4598.75 मे.वा. है, को चालू करने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं विद्युत की कमी को कुछ हद तक कम करने में सहायक होंगी।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (बर्नपुर)
का आधुनिकीकरण

166. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री सुधीर गिरि :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण कार्य में विलम्ब हो

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप आधुनिकीकरण की लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम ने निजी कम्पनियों की तुलना में कम लागत पर आधुनिकीकरण की पेशकश की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (इस्को जिसकी सहायक कम्पनी है) के पास संसाधनों की कठिनाइयों के कारण सरकार द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) के आधुनिकीकरण के बारे में पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय ले पाना सम्भव नहीं है।

अतएव, सरकार ने बर्नपुर स्थित इस्पात कारखाने का शीघ्र आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "इस्को" की साम्या तथा प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने सम्बन्धी निर्णय लिया है। "इस्को" में "सेल" की शेयरधारिता को निजी व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने की अनुमति देने के लिए सरकार को शक्तियां प्रदान करने हेतु सरकार ने एक विधेयक लाने का प्रस्ताव दिया। यह विधेयक विभागों से सम्बद्ध उद्योग विषयक संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन था। समिति ने अप्रैल, 1994 में अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

इस दौरान "इस्को" रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की शर्तों के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन गयी तथा कम्पनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा-15 के तहत अपेक्षितानुसार कम्पनी के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया है।

(ग) और (घ) सरकार को केन्द्र सरकार के किसी अन्य उपक्रम से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच.एस.सी.एल.) ने पूर्णतः वैयक्तिक हैसियत से सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के एक नेता को यह सुझाव देते हुए लिखा है कि 2130 करोड़ रुपये के निवेश से "इस्को" में 14.5 लाख टन वार्षिक तप्त धातु का उत्पादन करना सम्भव हो सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक आम अवधारणा है, जो किसी विस्तृत शक्यता अध्ययन पर आधारित नहीं है।

[हिन्दी]

नेपाल के साथ सीमापार बस सेवा

167. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल और भारत के बीच सीमापार बस सेवा शुरू करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस के आयात की अनुमति

168. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितनी स्वदेशी तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस के आयात के लिए अनुमति दी है;

(ख) इस कंपनियों को राज्यवार, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की बिक्री की भविष्य योजनाएं क्या हैं और इसकी मात्रा कितनी होगी;

(ग) उन्हें दी जाने वाली अनुमति के आधार पर उनकी बिक्री कब तक आरंभ होगी;

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों के कार्यकरण और प्रबंधन पर निगरानी रखने के लिए कुछ समझौते किए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) सरकार ने समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत निजी एजेंसियों को अपनी निजी आयात सुविधाओं तथा वितरण नेटवर्क को स्थापित करके तथा इनका उपयोग करके कैरोसीन, एल.पी.जी. (रसोई गैस) तथा एल.एस.एच.एस. का आयात करने तथा इनका विपणन करने के संबंध में अनुमति दी थी। उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि उनसे, यथा लागू सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि के संबंध में संबद्ध अधिनियमों तथा नियमों के तहत केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में अपेक्षा की जाती है। सरकार ने निम्नांकित वस्तुओं के आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया है :

1. एल.पी.जी. (रसोई गैस)
2. एस.के.ओ.
3. नेफ्था
4. स्नेहक
5. एल.एस.एच.एस./एल.एस.डब्ल्यू.आर.
6. हेक्सेन
7. बेन्जीन/टोल्यून

8. आर.पी.सी./सी.पी.सी.

9. सी.बी.एफ.एस.

10. पैराफिन मोम

समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत कैरोसीन, एल.पी.जी. (रसोई गैस), एल.एस.एच.एस./एल.एस.डब्ल्यू. और निजी एजेंसियों द्वारा आयात किए गए हैं। इसी प्रकार सी.बी.एफ.एस., आर.पी.सी./सी.पी.सी. हैक्सीन तथा बेन्जीन और टोल्यून जैसे पेट्रोलियम उत्पाद भी आयात किए जा रहे हैं। स्नेहकों के निर्माण एवं विपणन के लिए सरकार ने यथा अद्योवर्णित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिल कर संयुक्त उद्यमों की स्थापना को भी अनुमोदित कर दिया है।

1. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. को शैल के साथ

2. आई.बी.पी. को कालटेक्स के साथ

3. इंडियन आयल कारपोरेशन को माबिल के साथ

4. इंडियन आयल कारपोरेशन को बामर लारी और नाइको के साथ

5. बामर लारी को फुक्स के साथ

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

169. **श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1994-95 के दौरान पूरी होने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने संबंधी चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी विभिन्न योजनाओं विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 5 के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ऐसी कुछ योजनाओं में विलम्ब हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) रा.रा.-7 को चौड़ा किए जाने संबंधी दो योजनाएं तथा रा.रा.-43 को चौड़ा किए जाने संबंधी एक योजना 1994-95 के दौरान पूरी होनी है। इनमें पर्याप्त प्रगति हो चुकी है।

(ग) और (घ) ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के कारण रा.रा.-7 की दो योजनाओं में कुछ विलम्ब हुआ है।

भारत-नार्वे समझौता

170. **श्री डी. वैंकटेश्वर राव :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे के तेल विशेषज्ञों के उच्चस्तरीय तकनीकी शिष्टमंडल ने तेल और गैस के क्षेत्र में भारत और नार्वे के बीच सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में नार्वे के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है, और

(घ) नार्वे भारत में तेल और गैस की खोज में कितनी सहायता देगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लौह एवं इस्पात अनुसंधान और विकास केन्द्र रांची

171. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लौह एवं इस्पात अनुसंधान और विकास केन्द्र, रांची ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी प्रगति की है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अनुसंधान तथा विकास केन्द्र ऐसी परियोजनाओं का चयन करता है तथा उन पर कार्रवाई करता है, जो उत्पादकता, गुणता और उत्पादन में सुधार, अस्वीकृतता की मात्रा में कमी करने, आदान लागत में कमी और ऊर्जा तथा माल की विशिष्ट खपत में कमी करने तथा नए उत्पादों का विकास करने की दृष्टि से अधिकतम लाभ देंगी। इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान तथा विकास केन्द्र द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया गया है :

- संयंत्र निष्पादन सुधार (पी.पी.आई.), जो अनुसंधान और विकास प्रयासों का काफी बड़ा भाग है और जो सेल के इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता, गुणता, उत्पादन तथा ऊर्जा संरक्षण में सुधार करने और नए उत्पादों का विकास करने के लिए है।

- नई इस्पात प्रौद्योगिकियों के लिए आधारभूत अनुसंधान (बी.एस.आर.) तथा प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास (एम.टी.डी.)
- जांच तथा परामर्शी कार्य (आई.सी.ए.)।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, लोहा तथा इस्पात (आर.डी.सी.आई.एस.) रांची द्वारा की गई प्रगति की मुख्य-मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

1991-92

- सिन्टर मिक्स के चार्जिंग सिस्टम का उन्नयन, सी.आर.एम. में उन्नत रोल पास ल्यूबरिकेशन सिस्टम शुरू करना, ट्रिवएर प्राचलों का इष्टतमीकरण, टी.सी.एम. के लिए स्वदेशी कोल्ड रोलिंग ऑयल (06 आर.ओ.एम. 2) का विकास और टन्डिश लाइनिंग के लिए न्यून आर्द्रता कांस्टेबल का अनुप्रयोग, जिससे उत्पादकता और उत्पादन में सुधार हुआ।
- उन्नत लैडल पूर्व-तापन प्रणाली के अतिरिक्त परिवर्तनीय वोल्टेज बारम्बारता ब्लोवर कम्प्यूटर नियंत्रण प्रणाली और दोहरी परत इन्सूलेशन प्रणाली शुरू करके ऊर्जा खपत में कमी।
- बाजारोन्मुखी उत्पादों का विकास।
- पतली पत्तियों की ढलाई के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।

1992-93

- उन्नत सिन्टर निर्माण, स्वचलित कटिंग प्रणाली की स्थापना से ब्लूमों की अस्वीकृति में कमी। परिस्थिति आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, सिन्टर और कोक की उन्नत स्क्रीनिंग, न्यूनतम स्लैग प्रणाली, उच्च आर.ए.एफ.टी. का उपयोग, कन्कास्ट ब्लूम साइज और रोल पास डिजाइन का इष्टतमीकरण, सोकिंग पिट वाल्स में एल.एम.सी. प्रयोग करने आदि से गुणता में सुधार हुआ और उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा उत्पादन बढ़ा।
- पुनर्तापन भट्टियों में स्किड्स के अन्सूलेशन के संशोधन द्वारा विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी, लैडल तापन समय में कमी से इस्पात संयंत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी हुई।
- रेलवे, जी.ए.आई.एल. और चीनी उद्योग आदि के लिए तप्त बेल्लित प्लेटों, ई.आर.डब्ल्यू. पाइपों और संक्षारण रोधी इस्पात जैसे उपयुक्त उत्पादों का विकास।
- बेलन दर में वृद्धि करने के लिए कोल्ड रोलिंग आयल, कार्टिग्रेड केसों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली एम.ई. 10 ग्रेड प्लेटों, स्केल्पमिल के लिए इन्फ्रारैड फोटोसैल

लूपर नियंत्रकों, तार छड़ मिल के लिए नान-कान्टेक्ट टाइप मेन्टीनैन्स फ्री सेन्सर और कोक ओवनों के लिए 92% एस.आई.ओ. 2 आधारित एक्सोथर्मिक हॉट रिपेयर मास आदि जैसी आयात एवजी मदों का विकास।

1993-94

- अर्थमूवर्स इम्पैलर्स और एक्सकावेटरों आयातों को प्रतिस्थापित करते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र में सेलमा-450 एच.आई. ग्रेड इस्पात का विकास।
- बाजार की आवश्यकता के अनुरूप भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल के लिए स्लैब लेन्थ कटिंग का इष्टतमीकरण।
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हीट ट्रीटमेन्ट और लोकोमोटिव पहियों को निर्माण प्रक्रिया का प्रणाली विकास।
- रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ए.एस.पी.-बी.एस. प्रक्रिया के जरिए शीत बेल्लित कोर्टन-स्टील का विकास।

[अनुवाद]

पावर ग्रिड को विश्व बैंक की सहायता

172. **प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड ने 1993 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में दक्षिणी क्षेत्र के लिए एकीकृत लोड़ डिसपैच और संचार परियोजना भी सम्मिलित है, और

(ग) यदि हां, तो दक्षिणी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 621.57 करोड़ रुपये है।

रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर देय राशि

173. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) पर रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देय बहुत धनराशि बकाया है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार तथा वर्षवार देय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) देय राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या डी.ओ.टी. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की देय बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करता है;

(ङ) यदि हां, तो किस दर पर, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कश्मीर में आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ

175. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री परस राम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका और अन्य देशों को कश्मीर में आतंकवाद में पाकिस्तान का हाथ होने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने आतंकवादी तत्वों को अफगानिस्तान में प्रशिक्षण दिये जाने तथा कश्मीर में उनका उपयोग किए जाने के बारे में भी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से अवगत कराती रही है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध विघटन और आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की जानकारी देती रही है कि पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को सहायता देने दुष्प्रेरित करने तथा उसका समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका की सामान्य तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी है।

पाकिस्तानी नागरिकों को वीसा

176. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान प्रत्येक वर्ष इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग तथा कराची स्थित महावाणिज्य दूत द्वारा कितने पाकिस्तानी नागरिकों से भारत भ्रमण हेतु वीसा प्राप्त किए गए;

(ख) कितने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत-घूमने हेतु प्रत्येक वर्ष वीसा प्रदान किए गए;

(ग) कितने पाकिस्तानी नागरिक वस्तुतः प्रत्येक वर्ष भारत घूमने आए, और

(घ) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक साल हमारे उत्प्रवास अभिलेखों के अनुसार कितने भारतीय नागरिक पाकिस्तान घूमने गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :

	1991	1992	1993
(क) भारत यात्रा के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से प्राप्त वीजा आवेदनों की वर्षवार संख्या			
(1) भारत का हाईकमीशन, इस्लामाबाद	40480	34886	36200
(2) भारत का प्रधान कोंसलावास, कराची	160933	152094	16831
(ख) भारत यात्रा के लिए जिन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान किया गया उनकी संख्या	194182	178431	45927
(ग) जिन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारत की यात्रा की उनकी संख्या	196878	166728	52898
(घ) जिन भारतीय राष्ट्रिकों ने पाकिस्तान की यात्रा की उनकी संख्या	72994	67752	65723

ओमान से महाराष्ट्र की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

177. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि ओमान/ईरान से आयात की जाने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति राज्य को की जाए;

(ख) क्या राज्य सरकार ने समुद्री पाइप लाइन के लिए तटीय टर्मिनलों को स्थापना हेतु मुफ्त में भूमि और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने ऊसर में एक नया गैस टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) समुद्र के भीतर की पाइप लाइन के भूमि के उतराई स्थल के बारे में तकनीकी आर्थिक बातों पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

178. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ के आवंटन हेतु जिला-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने आवेदनों का निपटान किया गया और अभी तक कितने बूथ आवंटित किए गए हैं;

(ग) बकाया आवेदनों को कब तक निपटा दिया जायेगा; और

(घ) राज्य में जिला-वार विभिन्न पंचायतों को कुल कितने टेलीफोन दिए गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (घ) आपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पत्तन कार्यों का निजीकरण

179. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 11 प्रमुख पत्तनों में ऐसे पत्तन संबंधी कार्यों का पता लगाया है जिन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करने के प्रयोजन से 11 महापत्तनों में मौटे तौर पर निम्नलिखित कार्यों का पता लगाया गया है :-

(i) कन्टेनर टर्मिनलों की स्थापना।

(ii) भंडारण और स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना।

(iii) विभिन्न कार्गो हैंडलिंग टर्मिनलों का प्रचालन तथा रख-रखाव।

(iv) पायलटेज और क्रेनेज सेवाओं की व्यवस्था।

(v) निकर्षण।

(vi) विभिन्न पत्तन-जलयानों और अन्य उपस्करों का रख-रखाव।

(vii) उपस्करों को पट्टे पर देना।

[हिन्दी]

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

180. **श्री पंकज चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिवीजन में कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ख) गोरखपुर डिवीजन में रसोई गैस की वर्तमान मांग और पूर्ति की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर जिलों में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए आवेदन पत्र मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में 22 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें काम कर रही थी।।

(ख) गोरखपुर मंडल में एल.पी.जी. की वर्तमान औसत मांग लगभग 80,000 सिलेंडर प्रति माह है। उद्योग द्वारा इसे पूरा किया जा रहा है।

(ग) से (च) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल सहित देश के विभिन्न भागों में और अधिक एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरशिपें खोलने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। इन्हें तेल उद्योग को सर्वेक्षण के लिए भेजा जाता है। आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता के अधीन 20000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों को चरणबद्ध ढंग से एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरशिपें खोलने के लिए विपणन योजना में शामिल किया जाता है। तद्नुसार, उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड के

माध्यम से डिस्ट्रब्यूटरों के चयन हेतु गोरखपुर मंडल में 8 एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरशिपों के संबंध में विज्ञापन दे दिया गया है।

[अनुवाद]

एस.टी.डी./पी.सी.ओ. समितियां

181. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों को टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने हेतु जनवरी, 1994 में पूरे देश में एस.टी.डी./पी.सी.ओ. समितियां स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1994 से जून, 1994 के दौरान इन समितियों की कितनी बैठकें हुई; और

(ग) इस अवधि के दौरान जिलावार, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में कितने एस.टी.डी./पी.सी.ओ. स्वीकृत किए गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) देश में 320 गौण स्विचन क्षेत्रों में से 121 एस.एस.ए.एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आबंटन समितियों के लिए गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का आयात

182. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश से कितनी गैस का आयात किया जाएगा;

(ग) क्या आयातित गैस का कुछ हिस्सा बिहार को उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो राज्य को कितनी गैस उपलब्ध करायी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों को यह गैस उपलब्ध करायी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओमान आयल कम्पनी (ओ.ओ.सी.) ने भारत को 56.6 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस की परिवहन के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिया है। ओमान से गैस का आयात

करने के लिए निबन्धों और शर्तों पर ओ.ओ.सी. के साथ चर्चा की जा रही है। ईरान से गैस का आयात करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन अभी किया जाना है।

(ग) से (ङ) आयातित गैस का राज्य-वार वितरण परिवहन की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और गैस के उपभोग पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश में तेल क्षेत्र की योजनाएं

183. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की तेल क्षेत्र से संबंधित उन परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कम्पनी, ओमान के बीच बने एक संयुक्त उद्यम द्वारा बीना (मध्य प्रदेश) में एक रिफाइनरी स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने के संबंध में प्रथम चरण अनुमोदन दे दिया है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन

184. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में जिलावार अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) इनमें से कितनी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा 1993-94 के दौरान उपलब्ध कराई गई; और

(ग) इस पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 13,705 है, जिसमें से 1440 ग्राम पंचायतों को वर्ष 1993-94 के दौरान यह सुविधा प्रदान कर दी गई थी। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अब तक किया गया व्यय लगभग 172 करोड़ रुपए है, जिसमें से लगभग 18 करोड़ का व्यय वर्ष 1993-94 के दौरान किया गया था।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वर्ष 1993-94 के दौरान जिन ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई उनकी संख्या
1	2	3	4
1.	आदिलाबाद	215	10
2.	अनंतपुर	723	63
3.	चित्तूर	736	61
4.	कुडापोह	438	84
5.	पूर्वी गोदावरी जिला	848	17
6.	गुंटूर	908	48
7.	करीमनगर	633	55
8.	खम्माम	509	41
9.	कृष्णा	873	68
10.	कुरनूल	738	13
11.	महबूबनगर	749	169
12.	मेडक	588	13
13.	नलगोंडा	763	137
14.	नेल्लोर	652	125
15.	निजामाबाद	360	11
16.	प्रकाशम	641	123

1	2	3	4
17.	रंगारेड्डी	475	41
18.	श्रीकाकुलम	616	150
19.	विशाखापट्टनम	590	102
20.	विजयनगरम	446	73
21.	वारंगल	467	36
22.	पश्चिम गोदावरी जिला	797	0
	जोड़	13705	1440

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

185. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कर्नाटक में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव था;

(ख) इनमें से पहले ही परिवर्तित किये गये और अभी तक परिवर्तित नहीं किये गये एक्सचेंजों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) शेष एक्सचेंजों को कब तक परिवर्तित किया जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने हेतु 1993-94 के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, कर्नाटक में 1993-94 के दौरान 300 एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया था।

1-4-1994 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में 243 गैर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज थे, जिनमें से 1994-95 के दौरान कब तक 106 एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है।

जिलेवार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में रसोई गैस कनेक्शन

186. **श्री ए. अशोक राज** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय रसोई गैस की मांग और आपूर्ति कितनी है; और

(ख) सरकार का राज्य में रसोई गैस के और अधिक कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल-जून, 1994 की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा एल.पी.जी. (रसोई गैस) की खपत/बिक्री 59468 मी.ट. रही है।

(ख) नए कनेक्शनों की सुपुदर्गी अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद उपलब्धता, विद्यमान वितरकों के पास उपलब्ध बकाया, वितरकों की व्यवहार्यता तथा कुल पंजीयन योजना पर निर्भर करती है। तथापि अधिक से अधिक आवेदकों को यथा संभव शीघ्र एल.पी.जी. रसोई गैस कनेक्शन देने के संबंध में लगातार प्रयास जारी हैं।

विद्युत कम्पनियों के लिए प्रीमियम

187. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत कम्पनियों को इक्विटी इश्यू में प्राप्त हुई प्रीमियम पर 16 प्रतिशत लाभ देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी कम्पनियों ने कौन-कौन से मुद्दे उठाये हैं; और

(ग) सरकार ने इन कम्पनियों द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) ऐसा विचार है कि शेयर जारी करते समय जो प्रीमियम की राशि जुटाई जाती है और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में जिस राशि का वस्तुतः समुपयोजन किया जाता है। इक्विटी की भांति इस पर लाभांश दिया जाना चाहिये। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात में वायलैस प्रणाली

188. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात की ग्राम पंचायतों में बैटरी चालित वायरलैस प्रणाली लगभग एक महीने के बाद काम करना बन्द कर देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात की ऐसी ग्राम पंचायतों के नाम क्या हैं जहां ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(घ) राज्य में कार्यरत ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों में होने वाली तकनीकी खराबियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ख) अधिकांश ग्राम पंचायत टेलीफोन जो बैटरी आधारित बेतार प्रणालियों पर चलाए जा रहे हैं वे संतोषप्रद रूप से कार्य कर रहे हैं तथापि, कुछ पुरानी बेतार प्रणालियां संस्थापना के कुछ समय बाद ही खराब हो गई है। 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार 3577 बेतार आधारित ग्राम पंचायत टेलीफोनों में से 429 खराब थे।

(ग) ग्राम पंचायतों के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना नहीं बनाई जा रही है तथापि, सरकार की नीति के अनुसार गुजरात के पंचायत गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जाने हैं। 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात के 3577 गांवों को टेलीफोन प्रदान कर दिये गये थे पंचायत गांवों के नामों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार 429 ग्राम पंचायत टेलीफोन या तो आधार केन्द्र में अथवा दूरस्थ केन्द्र में तकनीकी दोषों के कारण खराब थे।

(ङ) विनिर्माताओं के तकनीकी दल इन खराबियों को ठीक करने के लिए भेजे जा रहे हैं। कुछ प्रणालियां बदली जा रही हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

189. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए उनके उत्पादों का निर्यात करने के संबंध में कुछ शर्तें रखी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कंपिनियों ने समझौते की इन शर्तों का उल्लंघन किया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) विदेशी निवेश, जिसकी जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमति दी गयी है, का अनुमोदन करते समय प्रत्येक मामले के आधार पर कुछ शर्तें जैसी विदेशी मुद्रा साम्य, लाभांश संतुलन, लाभांश बाहर नहीं भेजना और निर्यात आदि रखी जाती हैं।

(ख) मै. पेप्सी फूड्स लि. द्वारा उल्लंघन किए जाने/करार की शर्त का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है जिसकी विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

टेलीफोन राजस्व की बकाया राशि

190. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ग्रुप, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी पार्टियों से बकाया कुल टेलीफोन राजस्व की राशि (30-6-1994 को) क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय-वार/विभाग-वार, केन्द्रीय सरकार के उपक्रम-वार, राज्य सरकार-वार, राज्य के सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम-वार बकायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों से संबंधित भारी बकाया जमा होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकारी विभागों से बकाया वसूल करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितनी राशि वसूल की गई है;

(ङ) क्या सरकार केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों तथा उपक्रमों पर कठोर दंड आरोपित करने पर विचार कर रही है ताकि टेलीफोन बिलों का तुरन्त भुगतान किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (च) सूचना केवल केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा तथा प्राइवेट श्रेणियों में ही संकलित की गई हैं। सूचना मंगवाई गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

191. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था जिन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने मे रुचि ली थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न संगठनों द्वारा व्यक्त किये विचारो को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने हेतु निविष्टि (इनपुट) के रूप में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

टमाटर का परिरक्षण

192. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतरा तथा पलामू जिलों में टमाटर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राज्य में टमाटर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों जैसे राज्य सरकार के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र उपक्रमों, सहकारी क्षेत्र, स्वैच्छिक अभिकरणों, प्राइवेट सेक्टर आदि को फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन करने तथा प्रशिक्षण–व फल प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना करने के वास्ते सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएं बनाई थीं। इन जिलों से सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कोचीन के आस-पास के द्वीप

193. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कोचीन के आस-पास के द्वीपों को जोड़ने के लिए कोई परियोजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशों/विदेशी एजेंसियों के साथ कोई वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कार्यान्वयन में केरल सरकार और केन्द्रीय सरकार की क्या भागीदारी होगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज

194. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट पर और तट से दूर तेल की खोज के लिए विदेशी और भारतीय कम्पनियों को तेल ब्लाक हेतु बोली लगाने के लिए अनेक बार पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो ये पेशकश कब-कब की गई और अब तक पेश किए गए विभिन्न ब्लाकों की क्षेत्र और स्थान सहित सूची क्या है;

(ग) किन-किन ब्लाकों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(घ) किन-किन ब्लाकों के लिए चुने हुए बोलीदाताओं से बातचीत प्रगति पर है;

(ङ) किन-किन ब्लाकों के लिए बोलीदाताओं को अभी चुना जाना है;

(च) किन-किन ब्लाकों के लिए अभी कोई बोली नहीं लगी है और इस संबंध में रुचि न दिखाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने ऐसे ठेकों के लिए कोई मानक समझौता बनाया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) प्रस्ताव को तिथियों, उन बेसिनों जिनसे ब्लॉकों का प्रस्ताव किया गया है, ब्लॉकों के विवरण, उनके क्षेत्रफल, जिन ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिन ब्लॉकों के लिए वार्ता जारी हैं, जिन ब्लॉकों के लिए वार्ताएं आयोजित की जानी हैं और जिन ब्लॉकों के लिए बोलियां प्राप्त नहीं हुई हैं, के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) जी, हां।

(ज) कच्चे तेल और सहबद्ध गैस के मामले में संविदाएं 25 वर्ष तक की अवधि के लिए उत्पादन हिस्सेदारी वाली संविदाएं होंगी। कम्पनियों को बोनस और सांविधिक उदग्रहणों के भुगतान से छूट होगी। इन संविदाओं के अन्तर्गत उत्पादित तेल के संबंध में भारत सरकार को इनकारी का प्रथम अधिकार होगा और कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय दर पर तेल के हिस्से के लिए भुगतान कर दिया जाएगा। अन्वेषण और/अथवा विकास स्तर पर उद्यम में ओ.एन.सी./ओ.आई.एल. द्वारा भागीदारी के लिए प्रावधान रखा गया है तथा इस उद्यम में ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत भागीदारी हित हो सकता है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए निकासी योग्य प्राकृतिक गैस के संसाधन के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

विवरण

बेसिन/ब्लॉक	क्षेत्र वर्ग कि.मी.	क्या बोली प्राप्त हुई	क्या वार्ता जारी है	क्या वार्ता अभी शुरू होनी है	क्या संविदा पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं
1	2	3	4	5	6
चौथा दौर (प्रस्ताव की तिथि : सितम्बर, 1991)					
अंडमान अपतट					
ए.एन.-ओ.एस.-90/1	7010	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/2	6240	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/3	7530	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/4	19300	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/5	13100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/6	12300	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/7	18975	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/8	14600	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओ.एस.-90/9	11100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन-ओएस.-90/10	6460	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ए.एन.-ओएस.-90/11	5110	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बंगाल अपतट					
एन.इसी.-ओएस.-90/1	16000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एन.इसी.-ओएस.-90/2	7300	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
डब्ल्यूबी.-ओएस.-90/1	6440	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बंगाल तट					
डब्ल्यूबी.-ओएन.-90/1	10150	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
डब्ल्यूबी.-ओएन.-90/2	7520	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बम्बई तट					
बोबी-ओएस.-90/1	9945	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बोबी-ओएस.-90/2	10040	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बोबी-ओएस.-90/3	13470	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बोबी-ओएस.-90/4	19270	हां	बोलीदाता ने प्रस्ताव वापस ले लिया		
कछार तट					
सीआर.-ओएन.-90/1	2570	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
कावेरी अपतट					
सीवाई.-ओएस.-90/1	8'	हां	हां	—	नहीं
दक्कन सिनिक्लाइज तट					
डीएस.-ओएन.-90/1	92070	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गंगा घाटी तट					
जीवी.-ओएन.-90/1	17600	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीवी.-ओएन.-90/2	24440	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीवी.-ओएन. 90/3	30000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीवी.-ओएन.-90/4	34000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीवी.-ओएन.-90/5	24000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
जीवी.-ओएन-90/6	15960	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीवी.-ओएन.-90/7	14800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गोंडवाना तट					
जीएन.-ओएन.-90/1	18400	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीएन.-ओएन.-90/2	13400	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीएन.-ओएन.-90/3	29200	हां	—	—	हां
गुजरात कच्छ तट					
जीके.-ओएन.-90/1	36895	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
जीके.-ओएन.-90/2	4920	हां	हां	—	नहीं
जीके.-ओएन.-90/3	11820	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
केरल कोंकण अपतट					
केके.-ओएस.-90/1	19575	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/2	18250	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/3	20755	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/4	27955	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/5	29290	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/6	27700	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/7	24670	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/8	37010	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/9	45675	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/10	15580	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
केके.-ओएस. 90/11	41915	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस. 90/12	20755	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कृष्णा गोदावरी अपतट					
केजी.-ओएस. 90/1	4367	हां	—	—	हां
केजी.-ओएस. 90/2	4675	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएस.-90/3	4495	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
केजी.-ओएस.-90/4	9425	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
महानदी अपतट					
एमएन.-ओएस.-90/1	9700	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एमएन.-ओएस.-90/2	7600	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एमएन.-ओएस.-90/3	5800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
महानदी तट					
एमएन.-ओएन.-90/1	7550	नहीं	नही	नहीं	नहीं
एमएन.-ओएन.-90/2	3800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
मिजोरम तट					
एमजेड.-ओएन.-90/1	9260	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पलार अपतट					
पीआर.-ओएस.-90/1	7800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पलार तट					
पीआर.-ओएन.-90/1	7225	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
पंजाब तट					
पीबी.-ओएन.-90/1	6640	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पीबी.-ओएन.-90/2	24500	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
राजस्थान तट					
आरजे.-ओएन.-90/1	8230	हां	हां	–	नहीं
आरजे.-ओएन.-90/2	13100	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
आरजे.-ओएन.-90/3	23820	हां	बोली अस्वीकार कर दी गई		नहीं
आरजे.-ओएन.-90/4	16600	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
आरजे.-ओएन.-90/5	16030	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
विंध्य तट					
वीएन.-ओएन.-90/1	32800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीएन.-ओएन.-90/2	37200	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीएन.-ओएन.-90/3	16000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीएन.-ओएन.-90/4	22000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीएन.-ओएन-90/5	28800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	योग	13	3		2

पांचवां दौर
(प्रस्ताव की तिथि : जनवरी 1993)

असम-अराकान					
एए.-ओएन.-92/3	3000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
एएसएम.-ओएन.-92/1	3070	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एआरपी.-ओएन.-92/2	1900	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एआरपी.-ओएन.-92/3	350	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीआर.-ओएन.-90/1	2570	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बंगाल					
डब्ल्यूबी.-ओएस.-90/1	6440	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
डब्ल्यूबी ओएनओएस./1	12800	हां		वार्ता पूरी हो चुकी है	नहीं
डब्ल्यूबी. ओएन./3	11000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बम्बई					
बीबी-ओएस.-90/1	9945	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस.-90/2	10040	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस.-90/3	13470	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी. ओएस./5	9095	हां		वार्ता पूरी हो चुकी है	नहीं
बीबी. ओएस./6	7020	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस./7	6000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस./8	8225	हां वार्ता पूरी हो चुकी है			नहीं
बीबी.-ओएस./9	17820	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कावेरी					
सीवाई.-ओएस./2	14996	हां वार्ता पूरी हो चुकी है			नहीं
सीवाई.-ओएस./5	13000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
गुजरात कच्छ					
जीके.-ओएन.-90/1	36895	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीके-ओएन./5	5000	हां	वार्ता पूरी हो चुकी है		नहीं
गुजरात सोराष्ट्र					
जीएस.-ओएन./1	43000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केरल कोंकण					
केके.-ओएस. 90/4	27955	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस. 90/6	27700	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस. 90/10	15580	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके. ओएस.-90/11	41915	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/12	20755	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केके.-ओएस.-90/13	22950	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कृष्णा गोदावरी					
केजी.-ओएस.-90/2	4675	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी. ओएस.-90/3	4495	हां	वार्ता पूरी हो चुकी है		नहीं
केजी.-ओएस.-90/4	9425	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएस./5	5625	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएस./6	8775	हां	वार्ता पूरी हो चुकी है		नहीं
महानदी					
एमएम.-ओएन. 90/1	7550	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एमएन.-ओएन.-90/2	3500	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
एमएन.-ओएस.-90/1	97(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एमएन.-ओएस.-90/2	76(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एमएन.-ओएस.-90/3	58(X)	नहीं	नहो	नहीं	नहीं
उत्तर पूर्वी तट					
एनइसी.-ओएस.-90/2	73(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एनइसी.-ओएस.-90/3	61(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पलार					
पीआर.-ओएस./2	81(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
राजस्थान					
आरजे.-ओएन.-90/2	131(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
आरजे-ओएन-90/3	23820	हा	वार्ता पूरी हो चुकी है		नहीं
आरजे.-ओएन.-90/4	166(X)	हा	वार्ता पूरी हो चुकी है		नहीं
आरजे.-ओएन.-90/5	16030	हां	वार्ता पूरी हो चुकी है		नहीं
आरजे.-ओएन./6	5390	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	योग		10		

छठा दौर
(प्रस्ताव की तिथि : अगस्त, 1993)

असम अराकान					
एए.-ओएन./1	257(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए. ओएन./2	13250	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए. ओएन./3	3(X)(X)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
एए.-ओएन./4	6500	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./5	1700	नहीं	नहीं	नहीं	नही
एए.-ओएन./6	2400	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./7	1800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एएसएम.-ओएन.-92/1	3070	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एआरपी.-ओएन.-92/2	1900	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एआरपी.-ओएन.-92/3	350	नहीं	नहीं	नही	नहीं
सीआर.-ओएन.-90/1	2570	नहीं	नहीं	नहीं	नही
बंगाल					
डब्ल्यूबी.-ओएन.-90/1	10150	हां	हां	—	नहीं
डब्ल्यूबी.-ओएन.-92/2	7520	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
डब्ल्यूबी.-ओएन/3	11000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
डब्ल्यूबी.-ओएस. 90/1	6440	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एनइसी.-ओएस.-90/2	7300	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एनइसी.-ओएस.-90/3	6100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बम्बई					
बीबी.-ओएस.-90/1	9945	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस.-90/2	10040	हां	नहीं	हां	नहीं
बीबी.-ओएस.-90/3	13470	नही	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस.-90/4	19270	नही	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस./6	7020	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
बीबी.-ओएस./7	6000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी. ओएस./9	17820	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कैम्बे					
सीबी. ओएन./2	1710	हां	हां	—	नहीं
सीबी. ओएन./3	510	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीबी. ओएन./4	400	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीबी. ओएन./5	730	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीबी. ओएन./6	145	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीबी. ओएन./7	525	हां	हां	—	नहीं
सीबी. ओएस./1	3290	हां	हां	—	नहीं
सीबी. ओएस./2	3590	हां	हां	—	नहीं
कृष्णा गोदावरी					
केजी. ओएन./1	4180	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी. ओएस. 90/2	4675	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएस. 90/4	9425	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएस/5	5625	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णिया					
पीए.-ओएन./1	108000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पीए.-ओएन./2	7400	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पीए.-ओएन./3	4550	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
राजस्थान					
आरजे-ओएन-90/2	13100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
आरजे.-ओएन./6	5390	हां	हां	नहीं	नहीं
	योग		12	7	5
सातवां दौर (प्रस्ताव की तिथि : जनवरी, 1994)					
अंडमान					
एन.-ओएस.-92/4	3100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
असम अराकान					
एए. ओएन./1	25700	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./2	13250	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./3	3000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./4	6500	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./5	1700	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./6	2400	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एए.-ओएन./7	1800	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एएपी.-ओएन./94/1	870	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एअरपी.-ओएन.-92/3	350	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीआर.-ओएन.-90/1	2570	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बंगाल					
एनइसी.-ओएन.-90/2	7330	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एनइसी.-ओएस.-92/3	6100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
डब्ल्यूबी.-ओएस.-90/1	6440	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
डब्ल्यूबी.-ओएन.-90/2	7520	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
डब्ल्यूबी.-ओएन./3	11000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बम्बई					
बीबी-ओएस.-90/1	9945	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस.-90/3	13470	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस-90/4	19270	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
बीबी.-ओएस./6	7020	हां	नहीं	हां	हां
बीबी.-ओएस./9	17820	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केम्बे					
सीबी.-ओएन./1	7390	हां	नहीं	हां	नहीं
सीबी.-ओएन./3	510	हां	नहीं	हां	नहीं
सीबी.-ओएन./4	400	हां	नहीं	हां	नहीं
सीबी. ओएन./5	730	हां	नहीं	हां	नहीं
सीबी. ओएन./6	145	हां	नहीं	हां	नहीं
कावेरी					
सीवाई.-ओएन. ओएस./1	4725	हां	नहीं	हां	नहीं
सीवाई.-ओएस./3	7162	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीवाई.-ओएस./4	3402	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीवाई. ओएस./5	13000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सीवाई. ओएस./6	5300	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6
गुजरात कच्छ					
जीके.-ओएन.-90/1	36895	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीके-ओएन.-90/3	11820	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
जीके. ओएन./4	1550	हां	नहीं	हां	नहीं
कृष्णा गोदावरी					
केजी.-ओएन./1	4180	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएन./2	4675	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएन.-90/4	9425	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
केजी.-ओएस./5	5625	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पंजाब					
पीबी.-ओएन./4	19640	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णिया					
पीए.-ओएन./1	[illegible]	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पीए.-ओएन./2	7480	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पीए.-ओएन./3	4550	नहीं	नहीं	नहीं	नही
राजस्थान					
आरएजे.-ओएन.-94/1	3500	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
आरजे.-ओएन.-90/2	13100	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
सोराष्ट्र					
एसआर.-ओएस.-94/1	9150	हां	नहीं	हां	नहीं
योग	:	10	10		

आइसक्रीम बनाने के लिए अशुद्ध जल का प्रयोग

195. **श्री मोहन रावले** :- क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में आइसक्रीम बनाने वाले छोटे-छोटे संयंत्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ये छोटे संयंत्र सरकार द्वारा निर्धारित शुद्धता संबंधी मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे आइसक्रीम निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) आइसक्रीम निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं और लघु उद्योग के रूप में आइसक्रीम के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) और (ग) आइसक्रीम की गुणवत्ता और शुद्धता को विनियमित किया जाता है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

तेल और गैस की खोज के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम

196. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और गैस की खोज के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी गैर सरकारी और विदेशी वित्तीय निवेश सहित वित्त पोषित कार्यक्रमों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है तथा उत्पादन के लिए वर्ष वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) तेल और गैस की खोज संबंधी कार्यक्रम के लिए अब तक जिस अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का वचन दिया गया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी प्रकार के कुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोली के कार्यक्रम और नीति संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. और आयल इंडिया लि. के तेल और गैस अन्वेषण हेतु वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

(रु. करोड़ों में)

सर्वेक्षण		देधन
ओ.एन.जी. लि.	732.31	11308.31
ओ.आई.एल.	176.00	647.97

अन्वेषण कार्य में निजी/विदेशी निवेश की मात्रा बतायी नहीं जा सकती क्योंकि कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्धता बिना किसी न्यूनतम व्यय वचनबद्धता के की जाती है।

योजना अवधि के दौरान वर्ष वार तेल उत्पादन निम्नानुसार होगा :-

वर्ष	मि.मी. टन
1992-93	26.95
1993-94	27.17
1994-95	32.51
1995-96	38.37
1996-97	44.45

(ख) 8 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ओ.एन.जी.सी. को इसकी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहायात नीचे दी गई है।

	करोड़ रुपए
संस्थागत ऋण	3521.54
सप्लायर्स/बायर्स क्रेडिट	2774.88
भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक रीलैंडिग	464.00
	6760.42

जहां तक ओ.आई.एल. के तेल और गैस अन्वेषण विकास और उत्पादन कार्यों का संबंध है विश्व बैंक ने 1987 में 140 मिलियन अमेरीकी डालर के ऋण का वचन दिया है।

(ग) अब तक खोजे गए क्षेत्रों के लिए प्रस्तावों के दो दौर जारी किए गए हैं। पूरे वर्ष के आधार पर अन्वेषण के लिए ब्लांकों को लगातार आधार पर भी प्रस्तावित किया जा रहा है हाल ही में, तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोली के सातवें दौर के अन्तर्गत अंतिम तिथि यथा 30 जून, 1994 तक 10 ब्लॉकों के लिए 12 बोलियां प्राप्त हुई हैं। अन्वेषण ब्लॉकों और खोजे गए क्षेत्रों दोनों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों में रियायती दर पर निगम कर, कंपनी के हिस्से के तेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत का भुगतान, सीमा शुल्क से मुक्ति और उत्पादित गैस का अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सिद्धांतों पर मूल्य निर्धारिण शामिल है।

विशाखापट्टणम से निर्यात

197. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 की अवधि के दौरान विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र से कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र को एक निर्यातोन्मुखी इकाई में परिवर्तित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र ने 1993-94 के दौरान 343.29 करोड़ रुपये मूल्य के 4.07 लाख टन इस्पात का निर्यात किया। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र ने 1993-94 के दौरान 253.16 करोड़ रुपये मूल्य के कच्चे लोहे का भी निर्यात किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में रसाई गैस/पेट्रोल/मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्र

198. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, विशेष रूप से इसके आदिवासी क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसियों, पेट्रोल पम्प और मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्तावों का 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन में से कितने प्रस्ताव गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) जनजातीय क्षेत्रों सहित गुजरात के विभिन्न स्थानों पर 53 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप, 65 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा 12 एल.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिप को स्थापित करने का प्रस्ताव चालू विपणन योजनाओं के भाग हैं। अनुमोदित विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों के लिए तेल चयन बोर्ड (गुजरात) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन जारी है।

[अनुवाद]

स्नेहकों की खपत

199. **श्री एम.बी. सिदनाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्नेहकों को कुल खपत कितनी हुई है और 1994-95 के दौरान कितनी खपत होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार का स्नेहकों को बढ़ती हुई खपत में कमी लाने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1992-93, 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा बेचे गए स्नेहकों की कुल मात्रा और 1994-95 के दौरान को अनुमानित खपत नीचे दी जा रही है :-

वर्ष	बिक्री (टी.एम.टी.)
1992-93	752
1993-94	692 (अनंतिम)
1994-95	780 (अनुमानित)

(ख) और (ग) स्नेहकों का संरक्षण करने और खपत में कमी करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाए किए हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा मल्टीग्रेड लॉग ड्रेन स्नेहक तेल उपलब्ध कराना शामिल है।

नौवहन एवं पत्तन क्षेत्र

200. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994 में नौवहन और पत्तन क्षेत्र में निवेश के लिए विभिन्न देशों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार के निजी सहभागिता के रूप में विदेशी निवेश आमंत्रित किया है। पत्तन क्षेत्र में निवेश के बारे में अनेक विदेशी निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं न कि देशों से।

(ग) और (घ) कांडला पत्तन ने, बल्क और ब्रेक कार्गो की हैंडलिंग के लिए मैसर्स जी.पी. कार्पोरेशन लि., बैंकाक की बर्थ सं. 6 पट्टे पर देने के लिए, एक समझौता किया है।

दक्षिणी गैस ग्रिड

201. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस संबंध में ओमान तेल कम्पनी अथवा किसी अन्य देश के साथ कोई बातचीत चल रही है;

(घ) यदि हां, तो ओमान तेल कंपनी द्वारा इस समझौते में रखी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिक्षणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखा है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि दक्षिणी गैस ग्रिड की संकल्पना सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है, फिर भी अभी तक कोई निवेश निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) ओमान आयल कंपनी के साथ किए जाने वाले दीर्घ अवधि के गैस आपूर्ति ठेके के मुख्य निबंधनों पर चर्चा की जा रही है।

(ङ) और (च) दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने गैस ग्रिड को शीघ्र आरंभ करने की मांग की है। दक्षिणी क्षेत्र की राज्य सरकारों को स्थानों और गैस आधारित परियोजनाओं की आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस का वितरण

202. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में रसोई गैस के वितरण के लिए विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों का किन-किन शहरों में गैस वितरण प्रणाली शुरू करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) कुछ विदेशी कंपनियों को प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके एल.पी.जी. का विपणन करने की योजना है। इन विदेशी कंपनियों में शैल इंटरनेशनल, कालटेक्स पेट्रोलियम कारपोरेशन, मुनडोगास आदि शामिल हैं। वे एल.पी.जी. का आयात और विपणन करनें के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी

203. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में इस समय विद्युत की कितनी कमी है और विद्युत पारेषण में राज्यों को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में विद्युत का नुक्सान होता है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार पारेषण में विद्युत के नुक्सान को रोकने तथा पारेषण व्यवस्था के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को अर्थिक सहायता देने का है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) मध्य प्रदेश एवं गुजरात इस समय क्रमशः 9.6% और 3.8% विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात की पारेषण और वितरण संबंधी वार्षिक हानियां क्रमशः 22.52 और 22.20: थीं।

(ख) पारेषण एवं वितरण सम्बंधी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत यूटिलिटीज को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं, हानियों की अधिक मात्रा के लिए प्रणालीगत उत्तरदायी घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना, वोल्टता परिदृश्य में सुधार करने के लिए केपेसिटर्स अधिष्ठापित करने, प्रणालियों में सुधार किए जाने हेतु इसे सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, टैम्पर प्रुफ़ मीटर बाक्स अधिष्ठापित करने, आकस्मिक रूप से छापे मारने की प्रक्रिया में तेजी लाना और ऊर्जा की चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाने के लिए अभियान चलाना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा-39 के प्रावधान के अधीन अगस्त, 1986 से ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। पारेषण एवं वितरण सम्बंधी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों के लिए वर्ष 1987 से एक प्रोत्साहन स्कीम भी लागू की गई थी। विद्युत वितरण का कार्य, राज्य सरकार द्वारा गठित बिजली बोर्डों/बिजली विभागों के क्षेत्राधिकार में आता है अपनी विद्युत प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए विद्युत यूटिलिटीज को स्वयं वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होती है।

[अनुवाद]

नौवहन के लिए विदेशी सहायता

204. **श्री संदीपान भगवान** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौवहन क्षेत्र में विदेशी निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) महाराष्ट्र में पत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण हेतु मांगी गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र में नौवहन और पत्तनों के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय कोष का कितना आबंटन और उपयोग किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने निम्नालिखित विदेशी कम्पनियों के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	विदेशी निवेश का स्वरूप
1	2	3
1.	मैसर्स जी.पी. शिपिंग कं.लि. बम्बई	जहाजों की खरीद के लिए 40% विदेशी इक्विटी सहभागिता
2.	मैसर्स सी. स्पेन शिपिंग कम्पनी, बम्बई	जहाजों की खरीद के लिए 51% विदेशी इक्विटी सहभागिता
3.	मैसर्स रैडी फूड्स लि. बंगलौर	नौवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए अनिवासी भारतीयों का 50% अंशदान
4.	मैसर्स शेयाज शिपिंग लि. बम्बई	देश में नौवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए विदेशी इक्विटी सहभागिता के तौर पर चुकता पूंजी में 72% शेयर।
5.	मैसर्स वैस्ट एशिया मैरीटाइम लि. मद्रास	प्रवर्तकों और सहयोगियों द्वारा इक्विटी पूंजी के रूप में 12 मिलियन अमरीकी डालर तक निवेश।
6.	मै. संबावंग शिपयार्ड लि. मद्रास।	टर्नकी इंस्ट्रूमेंटेशन जॉब उपलब्ध कराने के लिए 50% इक्विटी सहभागिता।
7.	मै. अंगलैंड मैरीटाइम सर्विसेज लि., बम्बई	क्रू व्यवस्था सेवाओं, जहाज मरम्मत सेवाओं, तकनीकी निरीक्षण तथा जहाज संबंधी तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था के लिए 51% विदेशी इक्विटी सहभागिता।

1	2	3
8.	मै. मैरीन मेनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. बम्बई	एक जहाज की खरीद के लिए बी.टी. शिपिंग लि. बेरमूडा के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव। कंपनी ने पूंजी की 100% इंक्विटी के निवेश का प्रस्ताव किया है।
9.	मै. पानालपिना वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, स्विटजरलैंड	विदेशी सहयोगियों / अनिवासी भारतीयों द्वारा 99.9% तक इक्विटी सहभागिता के साथ फ्रेट फॉरवार्डिंग में सहयोग।
10.	मै. कंकार्ड फ्रेट सिस्टमस लि., बहामस	50% तक इक्विटी सहभागिता के साथ समुद्री एवं हवाई परिवहन प्रणालियों में विदेशी सहयोग।
11.	मै. हैंसी साउथ-वैस्ट एशिया लि., ब्रिटिश, वर्जिन	40% तक इक्विटी सहभागिता के साथ समुंद्री एवं हवाई कार्गो के लिए निकासी समंकन एवं फॉरवार्डिंग एजेंटो में विदेशी सहयोग।

सरकार ने, हवाई एवं नौवहन कार्गो के लिए, कार्गो हैंडलिंग में विदेशी सहयोग के संबंध में मैसर्स होको एक्सप्रेस लि., हांगकांग के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया था।

(घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय निधि का आबंटन और उपयोग इस प्रकार है :-

(करोड़ रु.)

	आबंटन			उपयोग		
	1991/92	1992/93	1993/94	1991/92	1992/93	1993/94
बम्बई पत्तन	40.00	73.43	86.00	12.45	26.09	43.38
ज.ला.ने. पत्तन	65..40	57.30	63.00	42.80	26.92	15.25
योग :	105.40	130.73	149.00	55.25	53.01	58.63

गत तीन वर्षों के दौरान नौवहन के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

205. **श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक वितरक के पास रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने-कितने लोग हैं;

(ख) उन्हें गैस कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के लोगों को कब तक कनेक्शन दे दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली में एल.पी.जी., करनेक्शनों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर-वार प्रतीक्षा सूची दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एल.पी.जी. की उपलब्धता, कुल नए ग्राहक नामांकन, प्रतीक्षा/सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक व उनकी व्यवहार्यता के आधार पर दिल्ली सहित पूरे देश में नए एल.पी.जी. कनेक्शन चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि अधिक ग्राहकों को एल.पी.जी. कनेक्शन यथाशीघ्र जारी करने के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

विवरण

01-07-1994 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटरवार प्रतीक्षा सूची

क्रम संख्या	डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	स्थान	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	श्रेष्ठा गैस सर्विस	दिल्ली	1947
2.	कंसल गैस सर्विस	दिल्ली	3033
3.	वी.वी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	16363
4.	एम.एस. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	8817
5.	अर्जुन इंटरप्राइजेज	दिल्ली	5581
6.	कीर्ति गैस सर्विस	दिल्ली	4649
7.	जगन इंटरप्राइजेज	दिल्ली	7714
8.	गौरी इंटरप्राइजेज	दिल्ली	16547
9.	अमरित इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3000

1	2		4
10.	अमर गैस सर्विस	दिल्ली	5964
11.	जगनाथ इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2521
12.	ऐरो इंडस्ट्रीयल कमोडेटीज	दिल्ली	290
13.	आर.के. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1271
14.	अमर गीत गैस सर्विस	दिल्ली	1256
15.	अन्नतजी गैस सर्विस	दिल्ली	347
16.	अतुल इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1324
17.	डी.पी. ठाकरे एण्ड कमो.	दिल्ली	583
18.	देवी अनुपमा गैस सर्विस	दिल्ली	1953
19.	कैकट्स लिली इंटरप्राइजेज	दिल्ली	43
20.	जयन्त गैस सर्विस	दिल्ली	2017
21.	जगज्योति इंटरप्राइजेज	दिल्ली	901
22.	महनिल गैस सर्विस	दिल्ली	2524
23.	मनोहर गैस सर्विस	दिल्ली	1039
24.	शिवानिका इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2970
25.	पोपुलर कैमिस्ट	दिल्ली	1105
26.	सुनील इंटरप्राइजेज	दिल्ली	698
27.	साउथ दिल्ली गैस सर्विस-I	दिल्ली	663
28.	भक्ती इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3091
29	विक्रय इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1555
30.	आफताब इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1394
31.	निकोलियन इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2938
32.	सौंधी गैस सर्विस	दिल्ली	7064

1	2	3	4
33.	हितेब इंटरप्राइजेज	दिल्ली	758
34.	उषा गैस सर्विस	दिल्ली	2406
35.	दिक्षित गैस सर्विस	दिल्ली	4518
36.	सोना इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2866
37.	दलीप गैस सर्विस	दिल्ली	93
38.	अल्का फ्लेम	दिल्ली	1760
39.	बैकबोन गैस सर्विस	दिल्ली	921
40.	कनवल गैस सर्विस	दिल्ली	763
41.	किशन गैस सर्विस	दिल्ली	4970
42.	जलियाधर गैस सर्विस	दिल्ली	6051
43.	जगदम्बा सांई गैस एजेंसीज	दिल्ली	3172
44.	वीर ज्योति इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1141
45.	अनुभा गैस एजेंसी	दिल्ली	642
46.	जतीन गैस सर्विस	दिल्ली	2845
47.	के.आर. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1028
48.	फ्लेम सेंटर	दिल्ली	1259
49.	फायल गैस	दिल्ली	760
50.	विद्या सागर गैस एजेंसी	दिल्ली	1660
51.	संतोष इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1834
52.	जी.एस. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	8214
53.	ओ.पी. एजेंसी	दिल्ली	5449
54.	सरोज इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1347
55.	के.एस.बी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	986

1	2	3	4
56.	ए. रिजर्व पेट्रोलियम डिपो	दिल्ली	6658
57.	रणवीर इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2509
58.	पटपड़गंज गैस सर्विस	दिल्ली	2574
59.	शुभ गैस सर्विस	दिल्ली	1979
60.	हरि सिंह गैस सर्विस	दिल्ली	4420
61.	पूनम गैस एजेंसी	दिल्ली	3841
62.	जे.जे. गैस सर्विस	दिल्ली	3416
63.	विशाल गैस सर्विस	दिल्ली	4693
64.	प्यारे लाल एण्ड संस प्रा.लि.	दिल्ली	227
65	राजधानी गैस सर्विस	दिल्ली	3480
66.	संजीव गैस सर्विस	दिल्ली	465
67.	शहीद सुभाष गैस सर्विस	दिल्ली	3537
68.	सागर इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1721
69.	जोगिन्दर इंटरप्राइजेज	दिल्ली	4638
70.	वीना गैस सर्विस	दिल्ली	1679
71.	कटारिया गैस सर्विस	दिल्ली	4281
72.	पैराडाईज इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3483
73.	राजहंस गैस सर्विस	दिल्ली	834
74.	जसप्रीत गैस सर्विस	दिल्ली	2245
75.	लीला गैस सर्विस	दिल्ली	2389
76.	एस.आई. गैस एजेंसी	दिल्ली	682
77.	सी. लाल एण्ड संस	दिल्ली	1309
78.	डी.पी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2466

1	2	3	4
79	बी.एन. गुप्ता एण्ड कं.	दिल्ली	5463
80.	प्रेम गैस सर्विस	दिल्ली	2067
81	नाथ ट्रेडर्स	दिल्ली	404
82.	आर.के. एजेंसीज	दिल्ली	2075
83.	सुखधाम गैस सर्विस	दिल्ली	1101
84.	यूनीक इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2579
85.	सौर्या इंटरप्राइजेज	दिल्ली	6160
86.	एस.डी.पी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1783
87.	तनवर गैस सर्विस	दिल्ली	1777
88.	कुतब गैस सर्विस	दिल्ली	2105
89.	ब्लोस्मस इंटरप्राइजेज	दिल्ली	594
90.	पी.सी. गैस सर्विस	दिल्ली	1693
91.	बनारस गैस सर्विस	दिल्ली	1229
92.	प्रा. ज्योति इंटरप्राइजेज	दिल्ली	4605
93.	तनुश्री गैस सर्विस	दिल्ली	548
94.	एसोसिएटेड ट्रेडिंग कं.	दिल्ली	3574
95.	दीप्ती इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1198
96.	एलाइट एजेंसीज	दिल्ली	2015
97.	कालकाजी गैस सर्विस	-	1244
98.	शाही आटोमोबाइल्स	दिल्ली	5725
99.	नन्दी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स	दिल्ली	12145
100.	अंगर इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3485
101.	निप्रो गैस एजेंसी	दिल्ली	1728

1	2	3	4
102.	एस.बी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	4418
103.	रोहिणी इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1006
104.	गांधी नगर गैस सर्विस	दिल्ली	7282
105.	करोल बाग गैस सर्विस	दिल्ली	198
106.	क्वीक गैस सर्विस	दिल्ली	1545
107.	रमिन्दर गैस सर्विस	दिल्ली	4798
108.	रकन्त इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3742
109.	विकी एजेंसीज	दिल्ली	4153
110.	विजय रतन इंटरप्राइजेज	दिल्ली	5153
111.	सिटीजन गैस इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1109
112.	दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज	दिल्ली	1360
113.	शर्मा गैस कम्पनी	दिल्ली	17327
114.	शालीमार गैस	दिल्ली	2871
115.	जयनीत इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1370
116.	आर्य गैस सर्विस	दिल्ली	1556
117.	सबरवाल इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3241
118.	खान इंटरप्राइजेज	दिल्ली	4033
119.	के 2 इंटरनेशनल	दिल्ली	4394
120.	अशोक गैस एजेंसी	दिल्ली	3163
121.	सुप्रीम इंटरप्राइजेज	दिल्ली	11235
122.	किचनएड्स	दिल्ली	2675
123.	हेम गैस एजेंसी	दिल्ली	1902
124.	सिद्धार्थ इंटरप्राइजेज	दिल्ली	459

1	2	3	4
125.	मार्स इंटरप्राइजेज	दिल्ली	933
126.	वन्दना इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2286
127.	पर्ल गैस सर्विस	दिल्ली	3662
128.	प्रेमनाथ मोटर्स प्रा.लि.	दिल्ली	1019
129.	प्रभात गैस सर्विस	दिल्ली	1584
130.	आभू गैस सर्विस	दिल्ली	2701
131.	चन्द्रा गैस सर्विस	दिल्ली	10315
132.	एवरग्रीन गैस एजेंसी	दिल्ली	4327
133.	सुन्दर श्याम इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3511
134.	शहज इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2680
135.	पुनीत गैस सर्विस	दिल्ली	1913
136.	रानी बाग गैस सर्विस	दिल्ली	1502
137.	कनधारी गैस सर्विस	दिल्ली	683
138.	अवतार गैस सर्विस	दिल्ली	1032
139.	प्रिया सर्विस	दिल्ली	1234
140.	सुरजीत फ्यूल डिपो	दिल्ली	1698
141.	एअर फोर्स गैस एजेंसी	दिल्ली	0
142.	अलोक गैस सर्विस	दिल्ली	5822
143.	आनन्द गैस सर्विस	दिल्ली	4551
144.	अरोड़ा गैस सर्विस	दिल्ली	1936
145.	अशोका स्टोर्स	दिल्ली	117
146.	भारत गैस सर्विस	दिल्ली	6300
147.	चाणक्य एण्ड सिद्धार्थ गैस लि.	दिल्ली	869

1	2	3	4
148.	दामो इंटरप्राइजेज	दिल्ली	3747
149.	दीपक गैस सर्विस	दिल्ली	2188
150.	दुर्गा एजेंसीज	दिल्ली	3772
151.	इंजीनियर्स इंटरप्राइजेज	दिल्ली	8139
152.	एस.एस. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	191
153.	फ्रेण्डस गैस सर्विस	दिल्ली	1708
154.	गौतम इंटरप्राइजेज	दिल्ली	8420
155.	हितेश गैस सर्विस	दिल्ली	3860
156.	ज्वाला एजेंसीज	दिल्ली	533
157.	कैन गैस एजेंसी	दिल्ली	11215
158.	कावेरी इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1640
159.	केसोन इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1117
160.	खेड़ा गैस सर्विस	दिल्ली	4168
161.	किचन केयर	दिल्ली	5933
162.	एम.डी. इंटरप्राइजेज	दिल्ली	4082
163.	मनवीर गैस एजेंसी	दिल्ली	6240
164.	मायापुरी गैस कं.	दिल्ली	2243
165.	मिलिंद गैस सर्विस	दिल्ली	1626
166.	मोडर्न कुकरीज	दिल्ली	3027
167.	निखिल गैस सर्विस	दिल्ली	4938
168.	पंकज गैस सर्विस	दिल्ली	16283
169.	प्रताप ज्योति	दिल्ली	5122
170.	प्रियंका गैस सर्विस	दिल्ली	1244

1	2	3	4
171.	राहुल एजेंसीज	दिल्ली	1154
172.	राजा गैस सर्विस	दिल्ली	4070
173.	रमन गैस सर्विस	दिल्ली	430
174.	रातावल गेस सर्विस	दिल्ली	2391
175.	रोबिन गैस सर्विस	दिल्ली	3125
176.	रोहित गैस एजेंसी	दिल्ली	4086
177.	रुचिका एजेंसीज	दिल्ली	2967
178.	सचिन गैस सर्विस	दिल्ली	253
179.	संतोषी गैस सर्विस	दिल्ली	6267
180.	सरला इंटरप्राइजेज	दिल्ली	276
181.	सतीश एण्ड कंपनी	दिल्ली	1654
182.	शरमन गैस कंपनी	दिल्ली	7823
183.	शिव शक्ति गैस सर्विस	दिल्ली	419
184.	श्यामजी इंटरप्राइजेज	दिल्ली	4620
185.	सन्नी गैस सर्विस	दिल्ली	4059
186.	उमीका एजेंसीज	दिल्ली	680
187.	यूनाईटेड एजेंसीज	दिल्ली	1504
188.	वरुण गैस सर्विस	दिल्ली	6600
189.	विजे गैस सर्विस	दिल्ली	2926
190.	विक्टरी इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1471
191.	वैस्टेंड गैस सर्विस	दिल्ली	2498
192.	विजय गैस एजेंसी	दिल्ली	3277
193.	सौभाग्य एजेंसी	दिल्ली	34

1	2	3	4
194.	साउथ दिल्ली एजेंसीज	दिल्ली	2636
195.	आनन्द स्टोर्स	दिल्ली	1817
196.	फेयरडील्स	दिल्ली	375
197.	गुजरात एजेंसीज	दिल्ली	987
198.	स्पार्ट ड्राई क्लीनर्स	दिल्ली	683
199.	स्टेंडर्ड स्टोर्स	दिल्ली	2189
200.	फेयरवेज	दिल्ली	2644
201.	अमित गैस एजेंसी	दिल्ली	570
202.	अमर संस	दिल्ली	1441
203.	गुजरात गैस हाऊस	दिल्ली	1770
204.	दिल्ली गैस क. (परिसंमाप्त)	दिल्ली	1000
205.	स्वानी गैस एजेंसी	दिल्ली	5451
206.	मिनी गैस सर्विस (परिसंमाप्त)	दिल्ली	0
207.	राजू गैस सर्विस	दिल्ली	7435
208.	कमल गैस सर्विस	दिल्ली	1025
209.	गंगा इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1023
210.	कामख्या इंटरप्राइजेज	दिल्ली	410
211.	राम एजेंसीज	दिल्ली	1370
212.	स्मरुति गैस सर्विस	दिल्ली	6448
213.	शिवतेज इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1451
214.	पेलिकेन गैस एजेंसी	दिल्ली	3068
215.	बवाना गैस सर्विस	दिल्ली	2816
216.	देवी दयाल इंटरप्राइजेज	दिल्ली	2091

1	2	3	4
217.	त्रिहुन संस	दिल्ली	2358
218.	कौकर्स	दिल्ली	6118
219.	नवयुग एजेंसीज	दिल्ली	1308
220.	नोबल ट्रेडर्स	दिल्ली	2016
221.	रिलायन्स ट्रेडर्स	दिल्ली	1104
222.	शक्ति ट्रेडर्स	दिल्ली	1101
223.	पश्चिम गैस सर्विस•	दिल्ली	1071
224.	लक्ष्मी इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1958
225.	वैस्ट दिल्ली गैस	दिल्ली	4018
226.	पटेल नगर गैस (परिसंमाप्त)	दिल्ली	1313
227.	खुल्लर इंटरप्राइजेज	दिल्ली	1531
228.	जे.पी. गैस सर्विस	दिल्ली	985
229.	प्रेम गैस	दिल्ली	700
230.	ब्रिज गैस	दिल्ली	870
231.	वर्धमान गैस	दिल्ली	7002

दिल्ली में रसोई गैस की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप

206. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए रसोई गैस डीलरों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 1994–95 के दौरान दिल्ली में नए गैस डीलर नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) 1–4–1994 को स्थिति के अनुसार दिल्ली में एल.पी.जी. की 229

डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन कर रही थीं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिए चालू एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल किया गया है। तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन का काम चल रहा है।

[अनुवाद]

निजी विद्युत परियोजना हेतु विदेशी गारंटी नीति

207. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंक्टेस्वरलु :**
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :
श्री ललित उरांव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी विद्युत परियोजनाओं द्वारा बहुराष्ट्रीय एजेंसियों जिन्हें अपने कानून के अन्तर्गत देने हेतु किसी गारंटी की आवश्यकता होती है, के लिए जाने वाले के लिए गारंटी देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गारंटी से भारत में निवेश करने हेतु अन्य देशों को आकर्षित करने में सहायता मिली है; और

(घ) अब कितने देश भारत में विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) यू.एस.ए., यू.के., जर्मनी, आष्ट्रेलिया, जापान, माल्टा और इज़रायल की विदेश स्थित निजी कंपनियों से अभी तक 35 विद्युत परियोजनाओं को अधिष्ठापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ऑटोरिक्शा किराया

208. **श्री राम विलास पासवान : क्या जल-भूतल परविहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑटोरिक्शा किराए में हाल ही की वृद्धि के पश्चात् संशोधित दरें दर्शाने के लिए मीटरों में सुधार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोषपूर्ण मीटरों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो कितने ऑटोरिक्शा ड्राइवरों को दोषी पाया गया, और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ज्योति बसु समिति की रिपोर्ट

209. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1993 में ट्रक चालकों द्वारा की गई राष्ट्र-व्यापी हड़ताल की जांच करने के लिए गठित ज्योति बसु समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया है;

(घ) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है, और

(ङ) इस समय चुंगी कर के माध्यमों से राज्यों को कितनी आय होती है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया कि चुंगी को, संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि सं.-52 का समर्थन प्राप्त है और इसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। तथापि, संभवतः ट्रक प्रचालकों के एक वर्ग और कर्मचारियों के एक वर्ग के बीच प्रायः सह-अपराधिता के कारण, जांच-चौकियों पर विलम्ब होता है जिसके परिणामस्वरूप कर की चोरी होती है। अतः समिति ने यह सिफारिश की कि राज्य अपने ही सांविधानिक अधिकारों और विशिष्ट विशेषताओं के दायरे में कर लगाने, कर निर्धारण करने और चुंगी तथा प्रवेश कर वसूलने की प्रणाली को सरल बना सकते हैं ताकि विलम्ब और कर की चोरी में कमी की जा सके तथापि, चूंकि यह राज्य का विषय है अतः समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जानी।

(ङ) टॉल (चुंगी) सभी राज्यों द्वारा नहीं लगाया जाता है। समिति को दी गई सूचना के अनुसार कुछेक राज्यों की कुल आय नीचे दर्शाई गई है :-

हरियाणा	42 करोड़ रु. (लगभग)
राजस्थान	129 करोड़ रु. (वर्ष 1992–93 के लिए)
उडीसा	32.95 करोड़ रु. (वर्ष 1992–93 के लिए)
महाराष्ट्र	1090 करोड़ रु. (वर्ष 1992–93 के लिए)
गुजरात	340 करोड़ रु.

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क

210. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घनी आबादी वाले आदिवासी क्षेत्र को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है तथा आदिवासी क्षेत्रों की सड़कों सहित अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें मुख्यतः जिम्मेदार होती हैं। इसके लिए निधियां राज्य योजना/बजट में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं।

[अनुवाद]

स्नेहकों की गुणवत्ता

211. **राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में उपलब्ध स्नेहक नकली हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान पेट्रोल पम्पों से स्नेहकों के कितने नमूने उठाये गये;

(ग) उनमें से कितने स्नेहक नकली पाये गये और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) क्या पेट्रोल पम्प उपभोक्तओं को अच्छी किस्म का तेल नहीं दे रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में उपभोक्ताओं की कम मात्रा में तेल देने संबंधी कितने मामले पकड़े गये; और

(च) सरकार का विचार इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

212. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में जहाज बनाने वाली विदेशी कंपनियों से सहयोग मांगा है ताकि वह भारतीय नौसेना के लिए बेड़ा पूर्ति टैंकरों और तटरक्षक बल के लिए होवरक्रफ्ट का निर्माण कर सके;

(ख) यदि हां, तो जहाज बनाने वाली उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनसे सहयोग मांगा गया है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) नौसेना के लिए बेड़ा संपूर्ति टैंकर हेतु जर्मनी की मैसर्स ब्रेमर बल्कन और तटरक्षा के लिए हॉवरक्राफ्टों हेतु ब्रिटेन की मैसर्स ग्रिपन टावरक्राफ्टस ऑफ साउथएम्पटन।

(ग) जी, हां।

(घ) जर्मनी के मैसर्स ब्रेमर बल्कन के साथ हस्ताक्षरित सहयोग समझौता डिजाइन और आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने के लिए है ताकि कोचीन शिपयार्ड लि. बेड़ा टैंकर के लिए पेशकश कर सके और बाद में कोचीन, शिपयार्ड लिमिटेड में जहाज का निर्माण किया जा सके। मैसर्स ग्रिपन हॉवरक्राफ्टस के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, प्रोद्योगिकी के हस्तांतरण और कोचीन शिपयार्ड लि. में हावरक्राफ्टों के संभावित निर्माण के लिए है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रीकरण

213. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर तथा "वीटो अधिकार" समाप्त करके उसके पूर्ण लोकतांत्रीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी हां। भारत ने संकल्प 48/26 का समर्थन किया जिसका शीर्षक था "सुरक्षा परिषद में न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि का मसला" और वह संकल्प संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48वें अधिवेशन में सर्व सम्मति से पारित हुआ। इस संकल्प के जरिए एक खुले कार्यदल की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य सुरक्षा परिषद की सदस्यता में बढ़ोत्तरी करने के प्रश्न के सभी पहलूओं और उसके कार्य संचालन से सम्बद्ध अन्य मसलों पर विचार करना है। भारत इस दल में भाग लेता है। यह कार्यदल अपने कार्य की प्रगति की रिपोर्ट महासभा के 48वें अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व उसे पेश करेगा। यह विषय इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सत्र की अन्तिम कार्य सूची में शामिल है।

[हिन्दी]

मत्स्य-ग्रहण जलपोत

214. **श्रीमती सरोज दूबे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों का विचार बड़े मत्स्य-ग्रहण जलपोतों का इस्तेमाल करने का है जिनका समुद्री जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे जलपोतों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल.पी.जी. का उत्पादन और वितरण

215. **श्रीमती सरोज दूबे** : क्या **पेट्रोलियम गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्तओं को कनेक्शन देने के लिए एल.पी.जी. के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक राज्यवार कितने उपभोक्तओं को एल.पी.जी. कनेक्शन दिये जा चुके हैं;

(ग) एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए राज्यवार कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को कनेक्शन देने की कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आठवीं योजनावधि के दौरान एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए संशोधित एल.पी.जी. उत्पादन अनुमान और नामांकन योजनाएं निम्नवत हैं :-

	एल.पी.जी. उत्पादन अनुमान (टी.एम. टी.पी.ए.)	एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए नई नामांकन योजनाएं (लाख)
1992–93	2571	8.7 (वास्तविक)
1993–94	2699	13.6 (अनंतिम)
1994–95	2516	20.0 (नियोजित)
1995–96	2536	10.0 (नियोजित)
1996–97	2832	40.0 (नियोजित)

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) अधिकतम आवेदकों को यथाशीघ्र एल.पी.जी. कनेक्शन देने के प्रयास निरन्तर जारी हैं। वर्तमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता को बढ़कार, नए संयंत्रों की स्थापना करके और अधिक आयात द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करके एल.पी.जी. की अधिक उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाई गई हैं।

विवरण

राज्य	1--4--1994 की स्थिति के अनुसार सर्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनिों के पास एल.पी.जी. ग्राहकों की सं. (लाखों में)	1--4--1994 को स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को तेल कंपनियों के पास एल.पी.जी. कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची (लाख में)
1	2	3
आंध्रप्रदेश	16.46	7.55
अरुणाचल प्रदेश	0.21	0.16
आसाम	3.15	1.28
बिहार	6.45	2.95
गोवा	1.31	0.7
गुजरात	17.90	8.50
हरियाणा	6.21	3.44
हिमाचल प्रदेश	2.16	0.73
जम्मू और काशमीर	2.26	1.24
कर्नाटक	10.73	5.21
केरल	7.23	4.79
मध्य प्रदेश	11.00	4.42
महाराष्ट्र	35.5	17.7
मणिपुर	0.44	0.13
मेघालय	0.29	0.8
मिजोरम	0.29	0.10
नागालैंड	0.27	0.13
उड़ीसा	2.76	1.24

1	2	3
पंजाब	7.86	4.79
राजस्थान	7.51	7.61
सिक्किम	0.10	0.10
तमिलनाडु	16.81	11.55
त्रिपुरा	0.33	0.28
उत्तर प्रदेश	23.58	13.39
पश्चिम बंगाल	10.63	8.70
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान निकोबार	0.07	0.08
चण्डीगढ़	1.43	0.75
दादरा और नगर हवेली	0.04	0.02
दिल्ली	14.43	6.97
दमण और दीव	0.08	0.03
लक्ष्यद्वीप	0.01	0.00
पांडीचेरी	0.33	0.29

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

216. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गयी है; और

(ख) इन संयंत्रों से कुल कितने मैगावट बिजली का उत्पादन होगा और ये कब से चालू हो जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड/राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने उत्तर प्रदेश राज्य मे निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनायी थी :-

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड :

1. जगदीशपुर संयुक्त साईकल गैस टरबाईन परियोजना, जिला सुल्तानपुर 218 मे.वा.
2. अनोला संयुक्त साईकल गैस टरबाईन परियोजना, जिला बरेली 600 मे.वा.
3. बगराला संयुक्त साईकल गैस टरबाईन परियोजना, जिला बदायूं-600 मे.वा.
4. शाहजहांपुर संयुक्त साईकल गैस टरबाईन परियोजना, जिला शाहजहांपुर-600 मे.वा.

एन.टी.पी.सी.

1. फरुक्काबाद संयुक्त साईकल गैस टरबाईन परियोजना-800 मे.वा. जिला फरुक्काबाद
2. दादरी संयुक्त साईकल गैस टरबाईन परियोजना-II-400 मे.वा. जिला गाजियाबाद

गैस लिंकेजों की व्यवस्था न हो पाने के कारण इन स्कीमों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

गैस स्टोव खरीदना

217. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एल.पी.जी. कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता एल.पी.जी. वितरक से गैस स्टोव खरीदना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि एल.पी.जी. जो वितरक उपभोक्ता द्वारा उनसे गैस स्टोव न खरीदे जाने की स्थिति में उन्हें एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कई बार ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ग्राहक किसी स्रोत से हॉट प्लेट खरीद सकते हैं बशर्ते इस पर आई.एस.आई. चिह्न होना चाहिए। डिस्ट्रिब्यूटरों को यह स्थायी निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं से हॉट प्लेट खरीदने पर जोर न दें। डिस्ट्रीब्यूटरों को अपने शोरूमों में एक नोटिस लगाना होता है कि किसी ग्राहक को कनेक्शन जारी करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर से हॉट प्लेट खरीदना अनिवार्य नहीं है। बाजार अनुशासन दिशा निर्देशकों अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे

कदाचारों में लिप्त डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है। तेल कम्पनियां ऐसी शिकायतों की प्राप्ति पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

218 **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि देश में वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और सड़कों को उपलब्ध संसाधनों द्वारा यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

219. **संदीपान भगवान थोराज** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास पर कंटेनर टर्मिनल के निर्माण की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन से क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में कंटेनर टर्मिनल पहले ही निर्मित किया जा चुका है और इसने काफी पहले अर्थात् 1989–90 से ही कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) इसमें तीन कंटेनर बर्थ हैं जो कि 3 रेल माउंटिड क्वे क्रेनों तथा अनुषंगी उपकरणों से सुसज्जित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टर्मिनल प्रतिवर्ष 1,80,000 टी.ई.यू. कंटेनर हैंडल कर सकता है।

कोचीन में कंटेनर टर्मिनल

220. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बंदरगाह पर नया कंटेनर टर्मिनल काम करने के लिए तैयार हो गया है;

(ख इस परियोजना की कुल लागत क्या है; और

(ग) क्या इस टर्मिनल का संचलन निजी फर्मों द्वारा किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कंटेनर टर्मिनल में स्थापित की जाने वाली दो जैन्ट्री क्रेनों में से एक का परीक्षण शुरू हो गया है।

(ख) परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 70.38 करोड़ रु. है।

(ग) जी, नहीं।

काकीनाडा में नया पत्तन

221 **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा विभिन्न वस्तुओं के आयात व निर्यात के लिए एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यहां पर एक नये पत्तन का निर्माण करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हाथ में ली जायेंगी और ये परियोजनाएं कब तक पूरी की जायेंगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार काकीनाडा में पहले ही एशियाई विकास बैंक की सहायता से गहन जल पत्तन का निर्माण कर रही है।

(ग) परियोजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

(i) तीन बर्थों का निर्माण।

(ii) आईलैंड ब्रेक वाटर का निर्माण

(iii) मुख्य निकर्षण-कार्य।

(iv) फ्लोटिंग क्राफ्ट की खरीद।

(v) कार्गो हैंडलिंग उपकरणों की खरीद।

(vi) नौसंचालन-सुविधाओं और अन्य सहायक सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़कें, प्रशासनिक भवन, अग्निशमन, जल आपूर्ति, विद्युतिकरण इत्यादि का प्रावधान

आशा है यह परियोजना अगस्त, 1996 तक पूरी हो जाएगी।

प्राकृतिक गैस के मूल्य का अविनियमन

222. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाइड्रोकार्बन्स के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के मूल्य का अविनियमन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस पर आधारित सभी उद्योगों को गैस का मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या गैस का अविनियमन भी आयतित रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल के लिए समानांतर विपणन योजना के समान होगा, और

(घ) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस के मूल्य पर से नियंत्रण हटाना सरकार तथा उपभोक्ताओं के लिए कहां तक सहायक होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)से (घ) 31-12-1995 तक की अवधि के लिए सरकार द्वारा गैस की कीमत नियत कर दी गई है। अधिक निवेश को आकर्षित करने हेतु गैस/तेल क्षेत्र के निजी विकास कर्त्ताओं को गैस के लिए ईंधन तेल से जुड़ी कीमतों की अनुमति दी जा रही है। यह परिकल्पित है कि इससे ग्रहाकों को प्राकृतिक गैस प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध होगी।

लघु उद्योगों को मिट्टी का तेल

223. ***श्री जगमीत सिंह बरार*** : *क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने* की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने लघु उद्योगों को मिट्टी का तेल आवंटित करना बंद कर दिया है जिसे वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए रियायती मूल्य पर प्राप्त कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को प्रतिमाह थोक आबंटन करती है तथा राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके वितरण का प्रबंध व नियंत्रण करती हैं। घरेलू खपत के लिए वितरित केवल मिट्टी का तेल ही रियायती मूल्य पर बेचा जाता है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए आबंटनों के अनुसार छोटे पैमाने के उद्योगों को औद्योगिक दरों पर आपूर्तियां की जाती हैं। समानान्तर विपणन के माध्यम से खुले बाजार में मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई उपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आबंटन में से उद्योगों को मिट्टी का तेल आबंटित न करें और इसकी जगह उन्हें समानान्तर विपणन की ओर भेज दें।

[अनुवाद]

12.00 बजे

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे, बारपेटा में बोड़ो उग्रवादियों द्वारा 70 व्यक्तियों की हत्या पर स्थगन प्रस्ताव की अनेक सूचनाएं मिली हैं। श्री वाजपेयी जी, श्री मोहन सिंह जी, श्री चन्द्रजीत यादव जी, श्री शरद यादव जी द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है तथा अन्य पहलुओं पर भी मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। मुझे यह देखना है कि किस प्रकार इसे गृहीत किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, मैने आपको जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं उस पर आना चाहता हूं लेकिन उससे पहले अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक निवेदन कर दूं। जैसे बाहर आसमान में बादल छाये हुए हैं वैसी ही हमारे मन के आकाश में भी बहुत से सवालों के बादल उमड़ रहे हैं। वे गरजना भी चाहेंगे और बरसना भी चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या सारे के सारे एक ही दिन गरजना और बरसना चाहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब यह आपको तय करना है कि किस हिसाब से उन्हें गरजने देंगे और किस हिसाब से बरसने देंगे।

मैंने आपको एक पत्र लिखा था। पिछले कुछ दिनों में इस सदन के तीन सदस्यों पर उत्तर प्रदेश और बिहार में हमले हुए हैं। हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम बहुदलीय लोकतंत्र हैं और प्लुरलिस्टिक नेशन होने के नाते हम दूसरे देशों के साथ जाकर समझौते पर दस्तखत करते हैं मगर हमारे देश के भीतर की क्या हालत है ? अगर इस संसद के सदस्य ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम नागरिक का जीवन कैसा होगा, किस दुर्दशा में उसका जीवन बीत रहा होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। मेरा इशारा आडवाणी जी पर हुए हमले की ओर है। श्री जार्ज फर्नान्डीज पर हुए हमले की ओर भी मेरा इशारा है। जनता दल (बोम्बई) के एक सदस्य, श्री राम प्रसाद कुशवाहा पर हुए हमले की ओर भी मेरा इशारा है।

प्रश्न केवल कानून और व्यवस्था का नहीं है और इसलिए मैं इसे विशेषधिकार के उल्लंघन का मामला भी नहीं बनाना चाहता लेकिन संसद के सदस्य निर्बाध रूप से सारे देश में अपना कार्य कर सकें, राजनैतिक गतिविधियां चला सकें। क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ? क्या इस सदन में ऐसा आश्वासन उन्हें नहीं मिलना चाहिए ? दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, दोनों जगहों पर हमला करने वाले जो तत्व हैं, वे वहां के सत्ता पक्ष से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। यह चिन्ता की बात है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर यहां चर्चा हो और इसीलिए मैंने आपको लिख कर दिया है। ...**(व्यवधान)** इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप गृह मंत्री जी को कहें कि इन घटनाओं के संबंध में सारे तथ्यों को वे इकट्ठा करायें और इकट्ठा करके सदन के सामने आयें। फिर आप तय करें कि किस रूप में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन यह मामला गम्भीर है।

एक और प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, और उसके बारे में भी हमने सूचना दी है, वह चीनी के घोटाले का मामला है। पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर रही है। जांच करना चाहती है। इसी समय सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी का ऐलान कर दिया। क्या मतलब है इसका पार्लियामेंट्री कमेटी सर्वदलीय समिति है। क्या उस पर सरकार को भरोसा नहीं है ? वह समिति बयान लेने जा रही थी और आपने सरकारी जांच ऐलान कर दी। हमने तो मांग की थी कि अदालती जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा घोटाला हो गया और लीपापोती की जा रही है। यह मामला भी महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय लेकिन आपने जिस "काम रोको प्रस्ताव" का उल्लेख किया है, मैं चाहता हूं कि आज उसका लिया जाए।

जो कुछ आसाम में हुआ है, वह सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है और सदन को इसका नोटिस लेना चाहिए मेरे एडजर्नमेंट मोशन की भाषा में केवल कत्लेआम की बात नहीं है बल्कि आसाम की सरकार अपने कर्तव्य-पालन में विफल रही है और यह कहने वाला केवल मैं नहीं हूं, श्री पायलट यदि सदन में हो, वे भी इसको मानेंगे। वह प्रश्न भी शामिल है। श्री पायलट कल मौके पर गए थे। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतनी जल्दी वे वहां पहुंच गए। उनकी टिप्पणी थी कि सरकार ने राहत देने का काम नहीं किया। राहत-शिविर में लोग मारे गए।

अध्यक्ष महोदय, जान बचाने के लिए लोग राहत-शिविर में आए और राहत-शिविर में मार दिए गए। पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं था। 3 घंटे तक हत्याकांड चलता रहा।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, यह रैगुलर बहस का समय नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह सब कह कर मैं अपना केस बना रहा हूं। आप कहेंगे कि यह प्रदेश का मामला है, लेकिन मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार ने समय पर आसाम में हस्तेक्षेप नहीं किया। इसलिए परिस्थिति काबू के बाहर जा रही है और मेरे एडजर्नमेंट मोशन की भाषा देखिए। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं सही भाषा पर बड़ा जोर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए सबसे पहले मैंने उसका उल्लेख किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन आप पढ़कर दूसरा बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं सब की तरफ से बता रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपने कर्तव्य पालन में विफल रही है और इस विफलता के लिए हम केन्द्र सरकार की निन्दा करते हैं और ऐसे सवाल पर "काम रोको प्रस्ताव" पेश करने की अनुमति चाहते हैं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीन सवाल छेड़े हैं। मैं यह मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज आसाम में जो हुआ है, वह बहुत गम्भीर है और मैं सोचता हूं कि इस पर एटडजर्नमेंट मोशन बहुत लोगों ने आपको दिया है, उसको प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाए। यह मामला गम्भीर इसलिए है कि जो लोग जान बचाने के लिए भागकर सुरक्षा शिविरों में आए, वहां की राज्य व्यवस्था के निकम्मेपन के कारण उनकी हत्या उन राहत-शिविरों में हुई। जो लोग गांव व अन्य इलाकों से भागकर राहत-शिविरों में आए, उनकी रक्षा का इंतजाम सरकार नहीं कर सकी। आसाम सरकार की राज्य व्यवस्था के निकम्मेपन का इससे बड़ा उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। इसलिए यह मामला

गम्भीर है। इसलिए काम रोको प्रस्ताव को रखने की अनुमति देनी चाहिए। आसाम की इस राज्य व्यवस्था के निकम्मेपन के कारण पूरे नार्थ-ईस्ट में कितनी गम्भीर स्थिति है, इस पर सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात शक्कर के घोटाले की है। हिन्दुस्तान की जनता के 10 हजार रुपए का, केन्द्र में जो हमारी सरकार बैठी है, इसके द्वारा समय पर फैसला ने लेने के कारण, गड़बड़ तौर तरीकों के कारण नुकसान हो गया। राष्ट्र की जनता यह महसूस करती है कि गरीब जनता इसके कारण बहुत परेशान है और उसको पता लग गया है कि हिन्दुस्तान में सार्वजनिक काम के जरिए पैसे और सम्पति की लूट कैसे होती है।

मंत्री और अफसरों के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए, इस सरकार के चलते, पूरी तरह आज यह सवाल जनता के समक्ष आ गया है। मंत्री बयान देता है कि मैं दौरे पर हूं और यहां फैसला होता है। फिर जो सचिव हैं, आफीसर हैं, वह पत्रकार वार्ता करता है। जो पी.एम.ओ. है, वह मौन बना रहता है। यानी यह जो बात है, वह गम्भीर बात है और इसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि हिन्दुस्तान की जनता जिसका कोई कसूर नहीं है, उसके लिए महंगाई किस प्रकार बढ़ती है और हिन्दुस्तान की जनता को उस महंगाई में पिसना पड़ता है।

हमारे साथियों पर जिस तरह से हमला हुआ, उसकी बाबत एक व्यापक बहस होनी चाहिए। अटल जी कह रहे थे, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। ये अकेले तीन हमले नहीं हैं, अध्यक्ष जी, मैं आपको बताऊं, अभी भोपाल में जिन सरकारों के सदस्यों के नाम लिए गए, जिन पार्टियों के लोगों के हाथ थे, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, उसके लिए जांच समिति है। लेकिन भोपाल में सरकार थी और पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह और मैं वहां गए थे। हमारी गाड़ियां टूटी, एसिड भी फेंका गया। मेरे सिर पर गुम्मा पड़ गया था जो ऑपरेशन से बाहर निकाला गया। मंच पूरी तरह से जला दिया गया। गोरखपुर में मुझ पर पत्थर फेंके गए जिससे मेरे चार जगह घाव हुए। बैतूर में पासवान जी का घर जला दिया गया।

मैं मानता हूं हिंसा चाहे किसी तरह की हो, लोकतंत्र में बहस को रोकना सच्चाई से निपटने में बाधा डालना है। किसी पक्ष से इस बाधा की भर्त्सना ही नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रयास करके उसे रोकना भी चाहिए। हमें एक-दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, यह भी महसूस करना चाहिए कि कुछ लोगों पर तो संवेदनाएं बहुत जल्दी उभर आती हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए कमजोर क्यों पड़ जाती हैं। संवेदनाओं में पक्षपात नहीं होना चाहिए, संवेदनाओं की न्यायसंगत दृष्टि होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आसाम पर निश्चित तौर पर ऐडजर्नमेंट मोशन मंजूर करें। ऐसी आशंका है वहां सौ लोग मारे गए हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कोई शक नहीं कि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और चीनी घोटाले के प्रश्न पर हमने भी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं। परंतु महोदय कल जो आसाम में हुआ, वह काफी दहला देने वाली और खतरनाक घटना है, यह स्थिति विस्फोटक है, हमारे सदस्य, श्री वर्मन बारपेटा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वह वहां थे, श्री पायलट वहां थे, मुझे प्रसन्नता है कि वह तत्काल बारपेटा गए।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि तत्काल एक वक्तव्य दिया जाय और हम उस वक्तव्य पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम औपचारिकता पूरी करके ही बात करें क्योंकि देश के उस भाग में स्थिति ऐसी है कि जिन लोगों ने शरण ली है उनका कत्लेआम किया जा रहा है और वह भी विरोध स्वरूप राहत मिलने के बजाय उन्हें गोली मिली और वे मारे गए। मुझे विगत का ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जहां राहत शिविर में लोग मारे गए हों। संरक्षण लेने गए लोगों को मार दिया गया हो, वहां सरकार है, वहां अर्धसैनिक बल हैं, सेना पहले ही बुला ली गई है परंतु इसके बावजूद इस प्रकार लोग मारे गए। यह ऐसा मामला है जिसके बारे में हमें अपनी चिन्ता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल वक्तव्य दे। वह 2 बजे तक अपना वक्तव्य दे सकती है। ज्योंही यह वकतव्य दिया जाएगा, हम इस पर चर्चा शुरू कर देंगे। हमें इस पर कोई आपति नहीं होगी। महोदय, आप समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, वहां की विद्यमान स्थिति के बारे में इस संसद को अपनी चिन्ता जाहिर करने दें और यह सुरिश्चित करने दें कि क्या किया जाना चाहिए। तथा सरकार का क्या करने का विचार है।

जहां तक अन्य मामलों का संबंध है, मैं चीनी के प्रश्न पर इस स्वागत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाना चाहते हैं। परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दें। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर वक्तव्य देने के लिए तैयार है। वे इस पर वक्तव्य देने को तैयार हैं। उसके पश्चात हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे।

कृपया इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण समझें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वाजपेयी जी ने तीनों को थ्री-इन-वन कर दिया है। तीनों पर अलग-अलग बात होती तो ज्यादा अच्छा होता। बारपेटा में जो हुआ, वह राष्ट्र के पैमाने पर बहुत अधिक दुख और चिन्ता की बात है। एक शरणार्थी कैम्प में 60-70 लोगों को जान खोनी पड़ी। अभी दो दिन पहले एक घटना हुई जिस में 22 लोग मारे गए। तब भी वहां की सरकार सतर्क नहीं रही। मुख्यमंत्री तीन दिन से कैम्प का दौरा कर रहे थे, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दे सके। इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही उन्होंने फौज और केन्द्र सरकार की सहायता मांगी। वह इसके पहले बिल्कुल मौन थे। वहां एक राय से यह मांग उठी है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वे इलाके संवेदनशील हैं। अगर हम इन पर अपनी चिंता और व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था प्रभावकारी ढंग से व्यक्त नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें बाद में इतनी खतरनाक हो जायेंगी कि हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जायेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव को लिया जाये।

दूसरा, हमारे तीन वरिष्ठ सांसदों के ऊपर हमले हुए। मैं शरद यादव जी की इस बात

से सहमत हूं कि हमले पहले भी हुए हैं। इसकी व्यवस्था को देखना चाहिए और कुछ ऐसी मर्यादा बननी चाहिए कि प्रजातांत्रिक काम सुचारू रूप से हो सकें। आडवाणी जी, जार्ज साहब और कुशवाहा जी पर जो हमले हुए, उसकी मैं निन्दा करता हूं। जार्ज साहब पर हमला दूसरी तरह का हुआ। वह अपने क्षेत्र में जा रहे थे और संसद सत्र शुरू होने वाला था। उनके साथ 6 प्रमुख सांसद श्री अब्दुल गफूर, श्री शहाबुद्दीन, श्री नीतीश कुमार, श्री मंजय लाल और बृशिण पटेल आदि थे। वहां की सरकार को पता था कि ···**(व्यवधान)**···वहां ऐलान करके कहा गया था कि जार्ज साहब को उनके क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। मैं यह बात चार्ज लगा कर कहना चाहता हूं। जार्ज साहब की कार पर पत्थर मारे गए। उस समय डिप्टी एस.पी. और एस.डी.एम. वहां मौजूद थे। उन पर असामाजिक तत्व हमला करते रहे। मेरा चार्ज है कि मुख्यमंत्री जी दो दिन पहले वहां गए थे। उन्होंने उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी। बिहार सरकार की साजिश से ही उन पर हमला हुआ···**(व्यवधान)**··· हम राष्ट्रपति जी से भी बारे में मिले थे। मैं चाहता हूं कि इस घटना के प्रति खेद व्यक्त किया जाये। यह एक विशेषाधिकार के हनन का मामला है।

जहां तक चीनी घोटाले का सम्बंध है, मेरी मांग है कि इस सारे मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाए। अभी सरकार ने इसकी जो इन्क्वायरी कराने की बात कही है, उससे देश की जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा। बहुत बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। कोई एकाउन्टेबिल्टी नहीं है, कोई अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं और न ही किसी को कोई सजा होती है। भ्रष्टाचार निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार चीनी घोटाले की जुडिशियल इन्क्वायरी कराये और मौजूदा इन्क्वायरी को बंद करायें। सारे तथ्य देश और सदन के सामने आने चाहिए और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इनमें से प्रत्येक मुद्दे की विषयवस्तु पर ध्यान दिये बगैर मैं यह सुझाव दूंगा कि उठाये गये इन तीन-चार मुद्दों में प्रत्येक पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिए। आपने इस अपराह्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलायी है। मैं यह सुझाव दूगां कि उठाये गये ये इन सभी मुद्दों पर इस सभा में चर्चा अवश्य होनी चाहिए- यह दूसरी बात है यदि आप इनमें से किसी भी मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाने की अनुमति दें।

परन्तु मैं यह कहूंगा कि संसद के पहले दिन जब हम बारपेटा में हुए दहशत भरे कत्लेआम पर चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में, उन्हें थोड़ा लाभ यह है, कि आंतरिक सुरक्षा मंत्री घटनास्थल घर पहुंचे हैं। मुझे विश्वास है उन्होंने स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन किया होगा। वह वक्तव्य दे सकते हैं और उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। उस वक्तव्य के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए। अन्यथा, यदि नरसंहार का यह मामला आज नहीं उठाया गया, तो पता नहीं कल या आगे और क्या होने वाला है। देश में प्रतिक्रिया काफी खराब होगीं। जनता पूछेगी कि संसद क्या कर रही है ? इस तरह से इतना बड़ा नरसंहार होता है और हम इस बारे में कुछ नहीं कहते। अतः मैं समझता हूं कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सदस्यों पर हमला, चीनी घोटाले जैसे मामलों पर इस सभा में क्रमवार चर्चा होनी चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यह सुनिश्चित करें कि कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से कार्य इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक या दो दिनों में हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकें। **(व्यवधान)**

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इन मुद्दों पर सदस्यों द्वारा व्यय की गई चिन्ता से सहमत हैं। प्रश्न के गुणावगुणों पर ध्यान दिए वगैर हम कार्यमंत्रणा समिति के इस मामले पर चर्चा करेंगे और इस पर निर्णय लेगें। परंतु सरकार असम नरसंहार पर वक्तव्य देने को तैयार है। यदि आप अनुमति दें तो हम अभी वक्तव्य दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आंतरिक सुरक्षा मंत्री वक्तव्य देने को तैयार हैं। या फिर यदि आप अनुमति दें तो 2 बजे वक्तव्य दिया जा सकता है और उसके पश्चात् चर्चा हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति के अनुकूल होगा कि वक्तव्य के पश्चात् थोड़ी सी अवधि की चर्चा हो जाए। हम यह निर्णय ले सकते हैं कि इस पर चर्चा कब की जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लेकिन इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसको कार्य स्थगन में लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, असम पर चर्चा महत्वपूर्ण है, लेकिन चर्चा किस रूप में होती है, इसका भी महत्व है। सरकार एडजर्नमेंट मोशन की चर्चा के दौरान भी वक्तव्य कर सकती है। आप एडजर्नमेंट मोशन लें, हम उस पर जोर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी मुद्दों पर क्रमवार निर्णय लेने दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि सरकार के वक्तव्य के पश्चात् चर्चा हो सकती है, मैं समझता हूं ऐसा करना ज्यादा उचित होगा। इस विशेष मुद्दे पर निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के रूप में निष्पक्ष चर्चा हो सकती हैं, महोदय आप स्थगन प्रस्ताव का परिणाम जानते हैं फिर ये लोग पार्टीलाइन पर नहीं हैं। इस गंभीर मामले पर अर्थपूर्ण तथा निष्पक्ष चर्चा के लिए मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद हमें चर्चा करनी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से इस बात पर पूर्णतः सहमत हूं कि स्थगन प्रस्ताव उचित है। असम की स्थिति के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव की वकालत मैं इसलिए कर रहा हूं कि स्थगन प्रस्ताव में केन्द्र सरकार की निन्दा अन्तर्निहित है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी, इस मुद्दे पर इस समय मैं कोई भी निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं इस पर अपना निर्णय बाद में दूंगा। परन्तु आपको मुझे इस पर सहमत करना होगा कि इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में कैसे लिया जा सकता है। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : बेशक। क्या आप मुझे कृपया केवल एक मिनट का समय देंगे कि मैं आपको इस पर सहमत कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्र सरकार किस तरह से राज्य सरकार से अधिक उत्तरदायी है ?

श्री जसवन्त सिंह : बेशक। असम राज्य की स्थिति हमारे सामने है। मैं इस पक्ष पर नहीं जाऊंगा कि असम राज्य में भी उसी दल द्वारा शासन किया जा रहा है जो कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार चला रहा है। यह चर्चा का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि असम की स्थिति केवल एक दिन में ही खराब नहीं हुई। उत्तरोत्तर रूप से, पिछले कई महीनों से असम की स्थिति बिगड़ रही है। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। केन्द्र सरकार ने भी तब तक कुछ नहीं किया जब तक कि अन्ततः स्थिति नरसंहार तक नहीं पहुंची।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात जानना चाहूंगा। क्या राज्य सरकार के होते हुए केन्द्र सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है ?

श्री जसवन्त सिंह : केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता राज्य सरकार की विफलता का उत्तर नहीं हो सकती। ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या वे संवैधानिक रूप से ऐसा कर सकते हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : मेरा मुद्दा यह है कि राज्य सरकार की असफलता को केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता का कारण नहीं ठहराया जा सकता। केन्द्र सरकार का एक उत्तरदायित्व, निरन्तर उत्तरदायित्व है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया हूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : हम केन्द्र सरकार की असफलता को उजागर करना चाहते हैं **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव मेरा है मुझ बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने श्री चन्द्रजीत को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

मैं आपको चांस देता हूं, तो बोलिए। चन्द्रजीत यादव जी ने बहुत अच्छे ढंग से बात कही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। आज मेरे सम्मुख बहुत से मुद्दे हैं तथा मैं माननीय

सदस्यों से इस बात पर सहमत हूं कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सदन में किसी न किसी रूप में चर्चा होनी चाहिए। कैसे कब तथा किस रूप में हम इन मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, इस विषय में हम सदन में माननीय सदस्यों द्वारा दी गई राय के साथ कार्यामंत्रणा समिति में उनके साथ, विचार विमर्श करके निश्चित रूप में निर्णय ले सकते हैं। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि बारपेटा मुद्दे पर मैं क्या करने जा रहा हूं। परन्तु इससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि बाढ़ इत्यादि जैसे अन्य मुद्दे भी हैं। मैं उन मुद्दों को बाद में लूंगा। कृपया आप उतेजित न हों।

अब जहां तक बारपेटा मुद्दे का सवाल है, मुझे बहुत से नोटिस प्राप्त हुए हैं। यह देखना आवश्यक होगा कि यह प्रस्ताव तथा सारे मुद्दे कौन प्रस्तुत कर सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किन्तु जो कुछ भी हम सदन में करते हैं वह इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भविष्य में वह हमारे लिए बुरा उदाहरण न बन जाए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा में समझता हूं कि सारे सदस्यों का इस सम्बंध में एक जैसा ही विचार है। मैं इस मुद्दे को ने केवल वहां पर हुई हत्याओं के परिप्रेक्षण में देख रहा हूं बल्कि वहां पर जो कुछ भी घटित हुआ मैं उनको अत्यधिक महत्व देता हूं। और यही कारण है कि माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए दिए गए नोटिस को स्वीकृति देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे पता चलेगा कि राज्य सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देते समय इस बात पर विचार किया जाएगा, और यदि वक्तव्य आरम्भिक स्तर पर ही दिया जाता है तो चर्चा और भी अधिक सारगर्मित हो सकती है परन्तु कृपया उस प्रक्रिया पर जोर न दीजिए जो सदन की कार्यवाही अव्यवस्थित कर सकती है। यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो उससे हमें सहायता मिलेगी। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते तो उसमें हमें सहायता नहीं मिलेगी।

जहां तक अन्य मुद्दों का सम्बंध है मुझे श्री वाजपेय जी का पत्र प्राप्त हुआ है। मैंने वह पत्र गृह मंत्री को यह सूचित करने के लिए भेज दिया है कि माननीय सदस्यों के साथ क्या हुआ ? मुझे सूचना मिलने पर मैं निश्चित रूप से विभिन्न दलों के नेताओं से उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा और हम देखेंगे कि क्या किया जाना है, उसकी चर्चा कैसे की जानी है, इस सम्बंध में क्या किया जाना है। हम उस मुद्दे पर एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। अन्य मामलों के सम्बंध में भी कृपया आप नियमों, संविधान, कानून आदि का अध्ययन करें तथा कृपया मुझे सलाह दें कि आप मुझसे क्या आशा करते हैं ? यदि यह नियमों के अन्तर्गत है। तो जो आप चाहते हैं मैं वही करने को तैयार हूं। यदि नियमों के अन्दर रहकर यह सब संभव नहीं है, यहां पर उपस्थित सारे सदस्य निर्णय करें कि क्या करना चाहिए, मैं वही करूंगा।

मुझे कोई आपति नहीं है। परन्तु या तो यह कार्य नियमों की परिधि में ही होना चाहिए और या फिर सारे माननीय सदस्यों को मिलकर यह निर्णय करना चाहिए कि सदन में क्या किया जाए।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : क्या यह स्थगन प्रस्ताव है या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ? मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मतदान होगा और हम यह पता लगाएंगे कि प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : (मैसूर) असामान्य तथा अभूतपूर्व वर्षा के कारण आई बाढ़ ने कर्नाटक राज्य में विशेषकर मंगलौर, मैसूर, चिकमंगलूर तथा हसन जिलों में खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंचाई है। इन प्रत्येक जिलों में लगभग 10 करोड़ रु. से 15 करोड़ रु. मूल्य तक की खड़ी फसले हैं क्षतिग्रस्त हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी इकट्ठी करने और वक्तव्य देने के लिए कहूंगा। वक्तव्य दिए जाने के पश्चात् मैं आपको तथा अन्य सदस्यों को इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा। हम इस पर उचित ढंग से चर्चा कर सकते हैं।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : भारी क्षति तथा अभूतपूर्व विनाश के परिणामस्वरूप वहां पर मौतें हुई हैं। घरो को क्षति पहुंची है। वहां के लोगों का कहना है कि पिछले 35 वर्षों के दौरान उन्होंने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। सारी की सारी खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में यह वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : धन्यवाद।

श्री सी.के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) (मूलभाषण तमिल में) मैं इस सदन का ध्यान आदिवासी हरिजन महिलाओं की दयनीय स्थिति, दुखद कहानी तथा उनके साथ किए जाने वाले अन्याय तथा क्रूरता की ओर दिलाना चाहूंगा। यह अपने आप में अकेला अथवा साधारण मामला नहीं है बल्कि इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान कायम्बटूर के निकट मुदुकराय में मावितिपट्टी पंचायत के अन्तर्गत छोटे से गांव चिमनापटी में घटी घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा। सीधे सादे ग्रामवासी जो निकटवर्ती जंगल में पर्वत की ओर गांव में रहते हैं। हरिजन तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ चाकू की नोक पर सामूहिक बलात्कार किया गया। मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने दुखद घटना का, जिसका समाचार तमिलनाडु के लगभग सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, ब्यौरा मुझे दिया। मै। समी माननीय सदस्यों तथा सदन में उपस्थित विरोधी दल के नेता सहित सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे उन अभागी महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए इस मुद्दे को उठाएं। मैं इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं। चूंकि इसका सम्बंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से है, मैं माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इस मामले की जांच करे तथा सदन में इस विषय पर एक वक्तव्य दें। उन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए तथा इसकी न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। मैं केन्द्र से इस संबंध में कार्यवाही करने तथा उन आदिवासी हरिजन महिलाओं को, जिनके प्रति वहां के अधिकारियों द्वारा उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए जाने का आग्रह करता हूं।

श्री पी.जी. नारायणन : (गोबिचेट्टिपालयम) राज्य सरकार उचित कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य को यह मुद्दा यहां उठाने की अपेक्षा राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहिए था, यदि उन्होंने कोई गलती की है तो।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आधा घण्टा समाप्त हो गया है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल

12.33 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय पोतों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1994, जो 2 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 160 में प्रकाशित हुए थे।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय मत्स्य नौकाओं का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1994, जो 7 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 6075/94]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 6076/94]

[अनुवाद]

आय कर अधिनियम, 1961 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र समापटल पर रखता हूं :-

(1) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 12 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 370 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1994, जो 30 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1994, जो 31 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय कर (छठा संशोधन) नियम, 1994, जो 7 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 434(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6077/94]

2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 335(अ), जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 336(अ), जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 394(अ), जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 395(अ), जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 482(अ), जो 1 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 मई, 1991 की अधिसूचना संख्या 44/91-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 525(अ), जो 22 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट सामानों को उन पर उद्ग्रहणीय पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से उस समय छूट देने के बारे में है जब मरम्मत, पुनः अनुकूलित अथवा पुनः इंजीनियरिंग करने के लिये उनका भारत में आयात किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 526(अ) जो 22 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट सामानों को उन पर उद्ग्रहणीय पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से उस समय छूट देने के

बारे में है जब उनका भारत में आयात किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6078/94]**

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मै आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

आठवीं लोकसभा

(1) विवरण संख्या 35 - ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6079/94]

(2) विवरण संख्या 32 - तेरहवाहं सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6080/94]

(3) विवरण संख्या 26 - चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6081/94]

नौवीं लोकसभा

(4) विरण संख्या 28 - दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6082/94]

(5) विवरण संख्या 25 - तीसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6083/94]

(6) विवरण संख्या 21 - छठा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6084/94]

(7) विवरण संख्या 21 - सातवां सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6085/94]

(8) विवरण संख्या 21 - पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6086/94]

(9) विवरण संख्या 18 - दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6087/94]

(10) विवरण संख्या 16 - तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6088/94]

(11) विवरण संख्या 14 - चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6089/94]

(12) विवरण संख्या 11 - पांचवा सत्र, 1992

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6090/94]

(13) विवरण संख्या 10 - छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6091/94]

(14) विवरण संख्या 6 - सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6092/94]

(15) विवरण संख्या 4 - सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6093/94]

(16) विवरण संख्या 3 - नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय पर रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6094/94]

[अनुवाद]

12.34 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आकाशवाणी केन्द्र जयपोर में देसिया भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु एक आदिवासी एकक स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : उड़ीसा कोरापुट जिला और मध्यप्रदेश का बस्तर जिला आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़े आदिवासी जिले हैं ओर दोनों जिले साथ-साथ हैं। इस क्षेत्र के लोग सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं। जयपोर में एक आकाशवाणी केंद्र है जहां पिछले वर्ष लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत पर एक शार्ट 'लेव' केन्द्र को मंजूरी दी गई थी। इस क्षेत्र के आदिवासी लोग स्थानीय भाषा 'देसिया' को समझ और बोल सकते हैं।

बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ी भाषा में कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है लेकिन जयपोर में यह कार्यक्रम उड़िया भाषा में प्रसातिर किया जाता है जिसे अधिकांश आदिवासी लोग नहीं समझ पाते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह जयपोर में 'आदिवासी एकक' खोलें, जिसमें न केवल कृषि कार्यक्रम 'देसिया भाषा' में प्रसारित किया जाये, अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी 'देसिया भाषा' में प्रसारित किये जायें, ताकि

उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तेजी से कार्य करें।

[हिन्दी]

(दो) बरेली उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ''बाई-पास'' को निर्मित करने की आवश्यकता

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, बरेली उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक महानगर (नगर निगम) है। यह राष्ट्रीय राज मार्ग 24 पर दिल्ली व लखनऊ के मध्य स्थित है विभिन्न उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए बरेली का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत काउंटर मेगनेट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत बरेली के व्यवस्थित विकास हेतु योजना बनाई गई है परंतु काफी समय बीतने के उपरांत भी उक्त योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। इस कारण बरेली का विकास रुका है। बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास तथा चौपला रेल क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की तत्काल आवश्यकता है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बरेली के विकास तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तत्काल समुचित धन की व्यवस्था की जाए, जिससे उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करवाए जा सकें। **(व्यवधान)**

(तीन) छपरा, बिहार में साढा ठाला रेल लाइन पर एक रेलवे उपरि पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र छपरा में साढा ठाला रेलवे लाईन स्थान शहर के मध्य में स्थित हैं, जिसके दोनों तरफ सघन बाजार हैं। इस स्थान पर यातायात ज़्यादा है। लोगों को रेलवे लाईन के इस पार आने जाने और उस पार जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि साढा ठाला स्थान पर एक उपरि पुल बनाने की कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

(चार) जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की और अधिक वितरण एजेंसियां आवंटित करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान जलपाईगुड़ी के लोगों द्वारा लम्बे अर्से से की जा रही मांग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जलपाईगुड़ी एक मंडलीय शहर है लेकिन वहां केवल एक आई.ओ.सी. वितरक है जो लगभग 15000 उपभोक्ताओं को रसोई गैस सप्लाई करता है। रसोई गैस के कनैक्शनस के लिए लगभग सात हजार आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। वर्तमान समय में ईंधन की कमी होने के कारण वहां रसोई गैस की मांग निरंतर बढ रही है।

मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह जलपाईगुड़ी में रसोई गैस की और अधिक वितरण एजेंसियां देने की व्यवस्था करे।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। आपने माननीय मंत्री जी से "बाढ़" के संबंध म तथ्य तैयार करने के लिए कहा था। पूरे देश में बाढ़ आ रही है। विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, लाखों लोग आज पानी के किनारों पर बैठे हुए हैं और वे अगले चार महीनों तक अपने घरों में नहीं जा सकेगें।

अध्यक्ष महोदय : आप उसी बात को पुनः दोहरा रहे हैं। आप यह मुद्दा कल भी उठा सकते हैं। हम इस तरह कार्यवाही आरंभ क्यों नहीं करते ?

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, आप नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा, आज नहीं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं केवल एक बात कहूंगा। जब हम बाढ़ के प्रश्न पर चर्चा करते हैं तो जल संसाधन मंत्री जी को उपस्थित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ जी, कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मंत्री जी को इस बात का उत्तर देना होगा कि सरकार द्वारा कौन निवारक उपाय किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैंने कहा था कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसे कल भी उठाया जा सकता है।

अब, श्री पी.के. बंसल अपनी बात कहें।

12.40 म.प.

(पांच) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के लाभार्थ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के लगभग 20,000 कर्मचारी और बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू न होने से इन सभी कर्मचारियों को, विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी असुविधा और कठिनाई हुई हैं। यह अत्यावश्यक है कि चंडीगढ़ में के.स.स्वा.यो. अस्पताल ओर औषधालय तत्काल खोले जाएं ताकि इस योजना के पात्र लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। यह उचित होगा कि उन्हें पी.जी.आई. में उपचार करवाने हेतु अस्थायी रूप से हकदार बनाया जाये। इस मामले में किसी भी प्रकार का विलंब केवल इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को बढ़ायेगा जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय देश की सेवा करने में लगाया है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह मामले में तुरंत कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

(छः) बिजनौर (उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्री मगंलराम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजनौर से दिल्ली के लिए कोई रेल सुविधा नहीं है जिससे कि यहां की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एकमात्र ट्रेन मंसूरी एक्सप्रैस जो कि यहां से गुजरती है जिले के मात्र दो विधान क्षेत्रों को ही कवर करती है बाकी के पांच विधान सभा क्षेत्र इससे अछूते रहते हैं। यात्रियों को दिल्ली आने के लिए मुरादाबाद अथवा नजीबाबाद जाना पड़ता है। इस कारण से उन्हें आरक्षण, सीट इत्यादि मिलने में भी परेशानी होती है।

अतः मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि बाम्बे एक्सप्रैस जो कि देहरादून से लक्सर, सहारनपुर, दिल्ली, बम्बई के लिए जाती है उसको लक्सर से नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, त्योहारा, मुरादाबाद, दिल्ली बम्बई कर दिया जाए अथवा एक नई ट्रेन चलाई जाए जो कि इन स्टेशनों को कवर करते हुए दिल्ली को जाए। ये सभी स्टेशन बिजनौर जिले के व्यापारिक केन्द्र हैं इसलिए यह आवश्यक है कि इन स्टेशनों को जोड़ते हुए दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलाई जाए।

[अनुवाद]

12.4½ म.प.

असम में चिन्ताजनक स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : भोजनावकाश के बाद, मैं समझता हूं जिन सदस्यों ने ये सूचनाएं दी हैं उनके नाम का बैलट किया जाएगा। जो सदस्य इस सूचना को पेश कर सकता है उसकी घोषणा की जाएगी। तत्पश्चात् हम 4.30 म.प. पर चर्चा शुरू करेंगे। परन्तु इस प्रस्ताव को लाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अवकाश के बाद पूरी की जाएगी।

[अनुवाद]

12.42 म.प.

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं, श्री वी. शंकरानन्द की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव* पेश करता हूं।

"कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाए।

[श्री पबन सिंह घाटोवार]

जन्मजात या लिंग विकारों का पता लगाने के प्रायोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूणबध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित पर विचार किया जाये।"

भ्रूण के लिंग का पता लगानें की तकनीक, जिसके कारण स्त्रीलिंग भ्रूण वध होता है का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक को इस सभा में 12 सितम्बर, 1991 को पुरःस्थापित किया गया था।

हाल ही में विकसित वैज्ञानिक तकनीकों से भ्रूण के लिंग का प्रसवपूर्व पता लगाया जा सकता है। भ्रूण के आनुवंशिक विकारों या असमानताओं का पता लगाने में उपयोगी इन तकनीकों का दुरुपयोग भी किया जाता है।

महिला संगठन, समाज शास्त्रियों तथा समाज के प्रमुख व्यक्ति इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार से कदम उठाने के लिए समय-समय पर अनुरोध करते रहे हैं।

चिकित्सा विशेषज्ञों, प्रशासकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विधि विशेषज्ञों के 1906 में हुए सम्मेलन में सर्वसम्मति यह सिफारिश की गई कि प्रसवपूर्व तकनीक परीक्षणों का विनियमन किया जाना चाहिए तथा भ्रूण के लिंग का पता लगाने के परीक्षण का दुरुपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापक विधान बनाने के सम्बन्ध में विस्तार से अध्ययन करने के लिए 1987 में महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप विधेयक के बारे में राज्य सरकारों की राय मांगी गई। अधिकांश राज्य सरकारों ने एक व्यापक विधान बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक भ्रूण के लिंग का पता लगाने की प्रसवपूर्व निदान तकनीकों, जिनके कारण स्त्रीलिंग भ्रूणबंध होता है प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था। तकनीकों के ऐसे दुरुपयोग से महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है तथा इससे स्त्रियों की प्रतिष्ठा तथा उनकी हैसियत पर कुप्रभाव पड़ता है। इन तकनीकों के उपयोग का विनियमन करने तथा इस प्रकार के अमानवीय कार्य को रोकने हेतु कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए विधान की आवश्यकता है। इस विधेयक को बाद में संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। संयुक्त समिति ने इस विधेयक के बारे में लोगों की राय ली तथा संसद के 1992 के शीतकालीन सत्र के दौरान माननीय लोकसभा अध्यक्ष को अपना प्रतिवदेन प्रस्तुत किया।

12.45 म.प.

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक के संशोधित संस्करण को सभा पटल पर रख दिया गया है।

मैं सिफारिश करता हूं कि प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का प्रर्याप्तरूप से विनियमित करने तथा इनके दुरुपयोग को रोकने और जो लोग इस देश के कानून के विपरित आचरण करते हैं. उनको दण्ड देने की दृष्टि से सदस्य इस विधेयक पर विचार करें। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

महोदय, अब विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करने के लिए और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण, जिसके बाद स्त्रीलिंगी भ्रूगबध हो सकता हो, के प्रयोजनार्थ ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया जाये।"

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और यह मुद्दा समस्त देश के बल्कि समस्त विश्व के महिला संगठनों को बहुत उद्वेलित करता रहा है इस विधेयक से स्त्रीलिंगी भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से प्रसवपूर्व परीक्षणों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। यह सत्य है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, जैसे अनेक महानगरों तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण शहरों में भी इन प्रसवपूर्व परीक्षणों का दुरुपयोग होता है तथा यदि भ्रूण स्त्रीलिंगी होता है तो अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि माता-पिता गर्भ को नष्ट करवा देते हैं। इसी कारण देश भर के अनेक स्वयसेवी संगठनों तथा विशेषकर महिला संगठनों ने मांग की है कि स्त्रीलिंगी भ्रूण की रक्षा करने के लिए एक विधेयक पारित किया जाए। यदि हम प्रसवपूर्व परीक्षणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक विधायी उपाय नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि पुरुष-महिला अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा जिनसे हमारे राष्ट्र के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा बताया गया है कि एक संयुक्त समिति पहले ही इस विधेयक पर बिन्दुवार चर्चा कर चुकी है। जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, तो यह भ्रूण लिंग-निर्धारण की प्रसवपूर्व निदान की उन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने में उपयोगी होगा, जिनके कारण भ्रूण को जन्म से पूर्व ही नष्ट कर दिया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य भ्रूण के लिंग-निर्धारण की प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के विज्ञापन को रोकना; विशिष्ट आनुवंशिकी असमानताओं या विकारों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के प्रयोग का विनियमन करना तथा ऐसी तकनीकों का उपयोग केवल कुछ शर्तों पर पंजीकृत संस्थाओं को ही करने की अनुमति देना है। इस विधेयक में प्रस्तावित विधान के उपबन्धों का उल्लघन करने पर दण्ड की व्यवस्था भी है। इन परिस्थितियों में मैं विधेयक का जोरदार समर्थन करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वे किसी भी दल के हों, देश के व्यापक हित में तथा देश के स्वयंसेवी और महिला संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों को देखते हुए इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मुख जो विधेयक है, उसका सामाजिक महत्व है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, परन्तु मुझे डर है कि इस विधेयक से सामाजिक परिदृश्य पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। महोदय, आज लिंग-भेद हमारे समाज में सदियों से व्याप्त रहा है। आज यह हमारे द्वारा विकसित इन निदान तकनीकों के जरिए स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या के रूप में हमारे सामने है। परन्तु लिंग-भेद का यह एकमात्र रूप नहीं है। हमारे देश में कन्या शिशुओं की हत्या के काफी समाचार आते है। छोटी-छोटी बच्चियों को उनके जन्म के पश्चात् जानबूझकर मार डाला जाता है। बच्चों के लालन-पालन में भी व्यापक रूप में लिंग-भेद किया जाता है। एक बालिका को उतना पोषण, उतनी देखभाल या उतना भोजन नहीं दिया जाता है जितना कि लड़के को दिया जाता है। हम सभी को अपनी-अपनी सामाजिक परिस्थितियों को देखना चाहिए।

हम जानते हैं कि भारतीय परिवार में किसी न किसी कारणवश लड़की के मुकाबले लड़के को बेहतर समझा जाता है। भारतीय परिवार में लड़की की तुलना में लड़के की अधिक देखभाल की जाती है, खासकार कृषक समुदायों में जहां शायद खेतों के काम को देखते हुए लड़के को बहुमूल्य माना जाता है। ऐसा दृष्टिकोण व्यापक है। स्त्रियों के मामले में लिंग-भेद दहेज के लिए जला देने के अपराधों के रूप में भी दिखाई पड़ता है जो कि शायद प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या करना ही केवल लिंगभेद नहीं है और इसलिए इस समस्या को सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश में देखा जाना चाहिए।

मेरा पहला मुद्दा यह है कि सामाजिक शिक्षा का एक कार्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक शिक्षा के बिना, महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए बिना हम संभवतः स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या के विरूद्ध कोई उपाय लागू नहीं कर सकते हैं। मां को देखिए। मां एक औरत होती है। सास को देखिए जो अपनी बहू को डाक्टर के पास परीक्षण के लिए ले जाता है। वह भी एक औरत है। अतः एक औरत और दूसरी औरत भ्रूण स्तर पर एक औरत की हत्या के लिए डाक्टर के साथ मिलकर षड्यन्त्र करती है। क्या यह हेय नहीं है ? अतः जब तक सामाजिक चेतना पैदा नहीं होती केवल नियामक उपाय कुछ नहीं कर पाएगें। यह पहला मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता हूं और इस विधेयक में सामाजिक शिक्षा प्रचार और जन-चेतना के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से यह विधेयक अधूरा तथा अपर्याप्त है।

महोदय, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारी जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में असंतुलन बढ़ रहा है। प्रत्येक जनगणना में जनगणना अधीक्षकों द्वारा और जनगणना दस्तावेजों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सम्पूर्ण देश में प्रति हजार औसतन महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुषों की संख्या से कम है। सामान्यतः तार्किक दृष्टि से यह बराबर होना चाहिए क्योंकि इसमें भारी संख्या में लोग सम्मिलित हैं। सांख्यिकी दृष्टि से यह महिला संख्या बराबर होनी चाहिए लेकिन यदि यह संख्या प्रति हजार पुरुष जनसंख्या में 950 या 954 है तो अवश्य ही कुछ गलत है। लेकिन अधिक चौंकने वाली बात यह है कि जबकि यह राष्ट्रीय औसत है। देश के कुछ भागों में और उसी राज्य में ही शायद कुछ क्षेत्रों में यह असामनता काफी अधिक है। अतः यह जनसांख्यिकी

आयाम है। इसे हमारे समाज के विशेष वर्ग और उप-वर्ग समुदाय और उप-समुदाय के अधिकारों और रीति रिवाजों से सम्बद्ध होना चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, जिस सामाजिक शिक्षा की मैंने बात की है उसे उन समुदायों और उप-समुदायों में प्रभावशाली ढंग से दिए जाने की आवश्यकता है। जहां महिला पुरुष अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है क्योंकि वह ऐसे समुदाय है जहां यह समस्या हैं तथा जो इसके मुख्य केन्द्र हैं।

महोदय, प्रवर समिति ने विधेयक में अनेक सुधार किए हैं। हम विधेयक का समर्थन करते हैं लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दंड उतने प्रभावी नहीं है जितने होने चाहिए। मेरे विचार में, चिकित्सा व्यवसाय का एक सदस्य जो वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हत्या के लिए करता है, उन्हें इस व्यवसाय से अलग कर दिया जाना चाहिए। उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाने चाहिए। उसे अपने कौशल और तकनीकी का दुरुपयोग करने और प्रौद्योगिकी का असमाजिक अमानवीय उद्देश्य से प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। चिकित्सा हिसाब दुखः दर्द को दूर करने के लिए है। यह इलाज के लिए है और लोगों को मारने और उनकी जान लेने के लिए नहीं है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सरकार को यह सलाह देने पर विचार करना चाहिए कि चिकित्सा व्यवसाय के ऐसे सदस्य का लाइसेंस रद्द करने का दंड दें यदि वह विधेयक के उपबन्धों के अनुसार गठित किसी सक्षम निकाय, या समतुल्य निकाय; न्यायिक प्राधिकरण अथवा बोर्ड द्वारा निजी हत्या के मामले में जानबूझकर शामिल पाया जाता है। अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि जबकि सम्पूर्ण सभा इस विधेयक का समर्थन करती है, विधेयक में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं और मैं सुझाव दूंगा कि विधेयक में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि विधेयक के लागू किए जाने के कम से कम तीन वर्ष बाद विधेयक के प्रभाव के संबंध में एक रिपोर्ट सदन में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि सदन को इस बात को पुनरीक्षण करने का अवसर मिल सके कि क्या यह विधेयक इस सामाजिक बुराई को रोकने में प्रभावी रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि विधेयक में दिए गए दांडिक प्रावधान में सुधार किया जाए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत है वह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है और निश्चित ही इस विधेयक को हम सभी सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

आज जो सामाजिक बुराई हमारे समाज में खड़ी हुई है और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ न केवल विभिन्न समस्याओं को लेकर विभिन्न समयों पर अत्याचार होते हैं, उसके साथ ही साथ एक ऐसा विषय भी है जिसमें महिलाओं पर अत्यधिक अत्याचार होने की संभावनाएं निश्चित रूप से अस्वीकार नहीं की जा सकती। प्रसव पूर्व निदान की तकनीक में जिस प्रकार से चिकित्सकीय विज्ञान में प्रगति होने से उन्नति हुई है, उससे निश्चित रूप से यह पता लगाना संभव है कि किस प्रकार का भ्रूण जन्म ले रहा है और वह बालक है या बालिका है। इस दृष्टि से इसका दुरुपयोग

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

करने के लिए बहुत सारी तकनीक हैं लेकिन कुछ चिकित्सकीय व्यवसायी इस प्रकार का लाभ उठाते हुए कि भ्रूण का लिंग क्या होगा, इस बारे में जानकारी देकर लोगों को भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करते हैं। महिलाएं इस अत्याचार का शिकार होती हैं जब उन्हें उनकी इच्छा के विपरीत किसी चिकित्सालय या संस्था में ले जाकर इस प्रकार उनकी जांच कराई जाती है। यद्यपि इस विधेयक में प्रावधान किये गए हैं कि किन्हें इस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी और कौन इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेगा और किन अवस्थाओं में किसी महिला की जांच हो सकेगी, लेकिन फिर भी यह विधेयक अपने आप में उपयोगी होते हुए भी पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा सकता हैं इसमें कुछ और बातें जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो प्रावधान हमने किये है कि कोई चिकित्सा व्यवसायी अगर इस बिल के अधिनियम बनने के बाद इसके प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो इसमें विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे दंडात्मक प्रावधान के द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाए। वह क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए इस बारे में इस बिल के अंदर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जो नहीं किया गया है।

जहां तक चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ का संबंध है जो इस प्रकार की क्रिया करता है और इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है या फिर इस प्रकार की क्रिया करता है जिसके कारण यह सिद्ध हो जाए कि वास्तव में उसने जान-बूझकर किसी दुर्भावनावश या ऐसे किसी कारण से या किसी विशेष स्थिति में स्वयं को डालकर कोई ऐसा कार्य कर दिया है।

1.00 म.प.

जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण महिलाओं पर किसी तरह के अत्याचार की बात सामने आती है या उनकी इच्छा के विरूद्ध कोई निदान किये जाने की संभावना बनती है तो ऐसा व्यक्ति किसी चिकित्सकीय पद पर बने रहने का अधिकारी नहीं होना चाहिये, उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर देना चाहिये। फिर इस प्रकार के जितने अलग-अलग संस्थान हैं, चाहे वह सोनाग्राफी का हो, एक्सरे का हो या अन्य किसी प्रकार का हो, उनमें जिन टैस्टों के जरिये ऐसा पता लगाया जाता है तो उस टैस्ट करने वाली लैबोरैटरी पर विशेष दायित्व डालना चाहिये या कुछ ऐसा विशेष प्रबंध करना चाहिये ताकि वे अपने उपकरणों का या ज्ञान का किसी तरह से दुरुपयोग न कर सकें।

यह बात सही है कि चिकित्सकीय विज्ञान में आज इन सभी बातों की आवश्यकता है ताकि हम उनका अधिकाधिक लाभ उठा सकें लेकिन उनकी आवश्यकता होते हुए भी, उनका दुरुपयोग रोकने के बारे में यद्यपि इस विधेयक में कुछ प्रावधान तो किये गये हैं लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी रह गयी हैं, जिनके संबंध में कोई प्रावधान इसमें नहीं हैं। इसके दुरुपयोग के चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। हजारों महिलाएं पीड़ित हुई हैं।

जहां तक प्रवर समिति का सवाल है, प्रवर समिति ने इस बारे में काफी गम्भीरता से विचार किया है, अनेकों साक्ष्य लिये हैं और विचार करने के बाद एक समेकित बिल लाने की बात कही है। उसके आधार पर जो बिल तैयार करके हमारे सामने लाया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि जितने हमारे यूनिट्स हैं, जो महिलाओं के हितों पर ध्यान देते हैं या उनसे संबंध रखते हैं उन्हें

जागरूक होना चाहिए जैसे बायोस्कोपिक, सोनोग्राफी बायप्सी या अन्य प्रकार से जो चिकित्सा विज्ञान से संबंध रखते हैं, उनके संबंध में भी कोई प्रावधान इस विधेयक में अवश्य किया जाना चाहिये। वैसे कुछ प्रावधान तो किये गये है लेकिन मैं उन्हें पर्याप्त नहीं मानता। उनकी विषद रूप से व्याख्या इसमें होनी चाहिये, विशद स्पष्टीकरण किये जाने की आवश्यकता मैं समझता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि जितने हमारे वैज्ञानिक उपाय हैं, उनका कहीं दुरुपयोग न हो, हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का सदुपयोग न हो। चिकित्सा विज्ञान में लगे लोग, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विशेष योग्यता के द्वारा जो लाभ समाज को पहुंचा सकते हैं, जो नई दिशा दे सकते हैं, समाज की सहायता कर सकते हैं, वे अपने ज्ञान का दुरुपयोग इस तरह करें जिससे कोई अत्याचार की बात सामने नहीं आनी चाहिये, महिलाओं पर दबाव देकर, उनकी इच्छा के विरूद्ध कोई बात करवाने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये और निश्चित रूप से ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिये। यद्यपि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान लाये जाने की चेष्टा की गयी है लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें बहुत सी बातें अभी ऐसी रहती हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख होना अति आवश्यक है, जिन्हें निश्चित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये ताकि हम एक सार्थक बिल देश के सामने ला सकें। यह बिल सार्थक तभी बनाया जा सकता है, हम वास्तव में तभी विनियमन और दुरुपयोग निवारण विधेयक ला सकते है हम ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का दुरुपयोग न हो सके। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब हम स्पष्ट रीति से सभी आवश्यक प्रावधान इसमें करें।

मैं चाहता हूं कि जब इस बिल को हम सदन में पारित करने जायें, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि इस बिल में जो कमियां हैं, उन्हें आगे चलकर वे किस तरह दूर करेंगे, इस पर प्रकाश डालें ताकि सामाजिक हित की दृष्टि से, सामाजिक समता की दृष्टि से और महिलाओं के संरक्षण की दृष्टि से, जो हमारी भावना है, उसकी रक्षा हो सके और ऐसा महसूस हो सके कि आगे चलकर कहीं इसका दुरुपयोग नहीं होगा, किसी की बात को अनसुना नहीं किया जायेगा, अनदेखा नहीं किया जायेगा और इस बिल में जो भावना व्यक्त की गयी है, निश्चित रूप से यह विधेयक पारित किया जाये परन्तु जिन अन्य प्रावधानों की ओर मैंने अभी इंगित किया है, उनके संबंध में माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें ताकि सर्व-सम्मति से, सामाजिक हित की दृष्टि से, सामाजिक संरक्षा की दृष्टि से लाये गये बिल को यहां पारित किया जा सके। बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ और माननीय सदस्य भी हैं जो इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वे ऐसा मध्याह्न भोजन के बाद कर सकते हैं।

सभा 2.05 म.प. पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.05 म.प.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.09 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.09 म.प. पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित—जारी

डा. वसन्त पवार (नामिक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रसव पूर्व निदान तकनीक विधेयक, 1994 पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा और सभी महिला कल्याण संगठनों को इस कानून को लाने में सरकार पर दबाव डालने के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में पहले ही इस तरह का विधेयक है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में प्रसव-पूर्व निदान तकनीक पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन लोग अक्सर इस लिंग परीक्षण के लिए इस राज्य से बाहर आस-पास के राज्यों में जाते थे इसीलिए इस विधेयक का महत्व है ताकि इसे सम्पूर्ण देश में लागू किया जा सके।

विधेयक प्रसव-पूर्व निदान तकनीकी के प्रयोग के विनियमन और आनुवंशिकी और मेटाबोली विकार गुण सूत्री असमानताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग सम्बन्धी विकारों का पता लगाने के लिए हैं यह विनियमन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें निदान तकनीक उपलब्ध करानी है जो अमीननोसिनथीक, क्रमोनीक दिल्ली बायोपसी या फोटिपोपोकोपी अथवा अल्ट्रसोनोग्राफी द्वारा की जाती है। लेकन इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। ओर यही कारण है कि लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने, कन्या भ्रूण-वध को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण-वध रोकना और भारतीय महिला की गरिमा और स्तर को सुधारना और बनाए रखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में सभी आनुवंशिकी क्लिनिकों, नयी आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों को विनियमित करने और उनके रजिस्ट्रीकरण का उपबन्ध किया गया है। महिलाओं के लिए कुछ परिस्थितियां हैं। जिनमें इस निदान तकनीक को उपयोग किया जा सकता है यह है : वह 35 वर्ष से अधिक उम्र की हो : जिनका निरन्तर भ्रूण गिरने अथवा दो-तीन बार भ्रूण गिरने का मामला हो, औषधों का कोई प्रभाव हो गया हो या रसायनों के विकिरण का कोई प्रभाव हो गया हो और मानसिक विकलांगता के लिए केवल तभी उसे आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों अथवा प्रयोगशाला में प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

इसमें यह भी प्रावधान है कि पत्नी को पति द्वारा इस तकनीक के प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और यह बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं लिखित सहमति और डाक्टर द्वारा रोगी को इस बारे में राय दिया जाना सबसे महत्वपूर्ण है और यह प्रावधान भी इसमें किया गया है।

मैं केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की व्यवस्था करने की भी प्रशंसा करता हूं जिसमें माननीय मंत्री महोदय, सरकार का सचिव, दो आनुवंशिकी विशेषज्ञ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्त्ता होगें। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का कार्य उनका कार्य है सलाह देना और कार्यन्वयन की पुनरीक्षा करना, देश में महिला भ्रूण की हत्या के बारे में जनजागरूकता जागृत करना और सभी क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं के लिए आचार-संहिता बनाना।

संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा और राज्यों में उनकी राज्य सरकारों द्वारा एक समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं का पंजीकरण करेगा या पंजीकरण सम्बन्धी मामलों की जांच करेगा। वे आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों के स्तरों को बनाए रखेंगे। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो वे जांच करेंगे और इस समुचित प्राधिकरण की सहायता के लिए एक परामर्शदात्री समिति भी है जिसमें दो स्त्रीरोग विशेषज्ञ और तीन सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे जिसमें से एक महिला संगठनों में से होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे निश्चित रूप से समुचित प्राधिकरण के कार्य में सहायता मिलेगी।

विधेयक में अपराधों और दंडों के लिए उपबंध है। यदि कोई विज्ञापन भी दिया जाता है अथवा आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों अथवा प्रयोगशालाओं में कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं तो उस व्यक्ति को तीन साल की कैद तथा 10,000 रुपया का जुर्माना हो सकता है अथवा यह कैद पांच साल और जुर्माना 50,000 रु. तक बढ़ाए जा सकते हैं।

यदि दोषी व्यक्ति चिकित्सक है तो उसका नाम दो वर्ष के लिए चिकित्सा रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा। यह विधेयक में व्यवस्था है। लेकिन यद्यपि हम यह विधान पारित कर रहे हैं लेकिन जब तक जन जागरूकता नहीं आती है कुछ नहीं किया जा सकता। समाज की पुत्र के लिए प्राथमिकता है जिस समस्या को उचित रूप में सुलझाया जाना चाहिए। समाज को महिला अथवा लड़की के महत्व तथा गरिमा के बारे में बताया जाना चाहिए। तभी इस विधेयक का कुछ लाभ है। अन्यथा लोग इसमें अनेक त्रुटियां निकाल लेंगे और वे लिंग का पता करने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग करेंगे और वह लड़की भ्रूण हत्या के लिए इसका प्रयोग जारी रखेंगे।

इसलिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे किसी ऐसे पुनरीक्षा और निगरानी प्रणाली बनाएं जिससे कि हर प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् यह पुनरीक्षा कर सकें कि इस विधेयक का किसी सीमा तक अनुपालन किया जा रहा है और क्या आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, जेनेटिक प्रयोगशालाओं अथवा जेनेटिक क्लीनिकों में उचित रूप में रिकार्ड रखे जा रहे हैं और यदि इनमे कोई संशोधन करने की आवश्यकता है तो माननीय मंत्री महोदय को पुनः इसे संसद में इस विधेयक को लाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हम सभी देश में महिलाओं की गरिमा और स्तर बनाए रखने के बारे में सोच रहे हैं और इस विधेयक से निश्चित रूप से देश में लड़की भ्रूण की हत्या पर रोक लग जाएगी। नियमित विज्ञापन दिए जाते हैं कि कोई भी 100 रु. में अमीनियों सेनथीटिज करा सकता है। अमीनमोटिक प्रसव की जांच की जाती हैं और लिंग बता दिया जाता हैं और यदि लड़की होती है तो लड़की भ्रूण की हत्या कर दी जाती है।

[अनुवाद]

इस विधेयक के कारण उसे रोका जाएगा। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उन सभी उपयों का समर्थन करता हूं जिसका इस विधेयक में सुझाव दिया गया है।

मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।

2.22 म.प.

असम में चिन्ताजनक स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रातः मेरे ध्यान में यह बात लायी गई कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्यों के नामों का वैलट हो रहा है, मैं अभी परिणाम की घोषणा करूंगा और फिर हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय ने असम में चिन्ताजनक स्थिति और समय पर हस्तक्षेप करने में केन्द्र सरका¯ की असफलता पर चर्चा के लिए निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
2. श्री चन्द्रजीत यादव
3. श्री मोहन सिंह
4. श्री शरद याद़व

अध्यक्ष महोदय ने श्री चन्द्रजीत यादव, जिन्होंने वैलट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, को सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : मैं असम में चिन्ताजनक स्थिति और समय पर हस्तक्षेप करने में केन्द्र सरकार की असफलता पर चर्चा हेतु स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस अनुमति का कोई विरोध कर रहा है ?

कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है तो अनुमति दी जाती है।

नियम 62 के अंतर्गत इस चर्चा के लिए ढ़ाई घंटे से अधिक का समय आबंटित किया जाता है। यह प्रस्ताव 4:30 म.प. पर लिया जाएगा।

2.23 म.प.

प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित-जारी

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनयमन

और दुरुपयोग निवारण) विधेयक पर बोलना चाहती हूं। मैं इसलिए बोलना चाहती हूं कि मैं उस संयुक्त प्रवर समिति की एक सदस्य थी जिसने इस विधेयक पर विचार विमर्श किया तथा मैं भी इन सदस्यों में से थी जिन्होंने कुछ विशेष मुद्दों पर विधेयक की सिफारिशों के बारे में विभिन्न टिप्पण दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहती हूं अथवा इसे पारित होने से रोकना चाहती हूं मैं समझती हूं कि न करने से कुछ करना बेहतर है और इस विधेयक को लाने की आवश्यकता काफी पहले से समझी जा रही थी बल्कि मैं विधेयक की कुछ गंभीर खामियों पर ध्यान दिलाना चाहती हूं, जो मुझे विश्वास है इसकी, प्रभावकारिता को कम करेंगी।

जिन कुछ लोगों ने इस बारे में कानून बनाने का विरोध किया है जिन्होंने यह कहा है कि जिस प्रकार हम दहेज विरोधी अधिनियम पारित करके भी दहेज प्रथा की बुराइयों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से इस कानून के बनाने से भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि भ्रूण लिंग का पता लगाने के बाद स्त्री भ्रूण हत्या एक ऐसी चीज है जो हमारे सामाजिक पूर्वाग्रहों से पनपती है सिर्फ कानून बनाकर इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि स्त्री भ्रूण हत्या की घटनाएं प्रसवपूर्व जांच के दुरुपयोग का परिणाम है जो वास्तविक बीमारी के लक्षण हैं, यह बीमारी है वास्तव में महिलाओं का सामाजिक प्रश्न है और आज महिलाओं को सामाजिक रूप से और पतन किया जा रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार ने विकास का ऐसा माडल अपनाया है जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं का समाज के अन्य कमजोर तबकों जैसे कमजोर सामाजिक वर्गों को और अलग-थलग करेगा। अतः महिलाओं को इस प्रकार अलग-थलग करना और महिलाओं का सामाजिक पतन एक बीमारी है स्त्री भ्रूण हत्या के लिए प्रसवपूर्व जांच मात्र लक्ष्ण है।

वास्तव में हम पाते हैं कि कुछ मामलों में जहां पारम्परिक समाज है जब यह पारम्परिक समाज टूटता है और जब यह पारम्परिक समाज सामाजिक परिवर्तन और तथाकथित सामाजिक विकास का एक भाग बनता है तो नई बुराइयां पनपती हैं। हम पाते हैं कि उस समाज में जब महिलाएं काम करती थी तो यह दहेज प्रथा नहीं थी, यह अब चल पड़ी है। इन समाजों में दहेज एक नई बुराई है और स्त्री भ्रूण हत्या भी उससे पैदा होती है, इन बातों को स्वीकारते हुए मैं यह सोचती हूं कि कानून न बनाने का अर्थ यह होगा कि समाज ऐसी क्रूरता को स्वीकारता है, और इसलिए मैं समझती हूं कि कानून बनाना महत्वपूर्ण है, जिसने केन्द्रीय समिति लिंग निर्धारण की समस्या पर 1989 में भी चर्चा की थी उसने सिफारिश की थी कि ऐसा कानून होना चाहिए और मैं इससे सहमत हूं।

इन जाचों पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है क्योंकि ये जांच सिर्फ लिंग निर्धारण के लिए ही उपर्योग नहीं किए जाते हैं, इनका वास्तविक उपयोग कुछ और है। इनका उपयोग भ्रूण में आनुवंशिकी त्रुटि और असमान्यताओं का पता लगाने तथा अन्य कारणों के लिए है और इसीलिए इस जांच पर पूर्णतया रोक लगाना संभव नहीं है। अतः इन जाचों पर रोक लगाना आवश्यक नही है बल्कि इसे विनियमित करना और इसके दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है इस हद तक मैं विधेयक में जो दिया गया है उससे सहमत हूं। मैं समझती हूं कि संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् सरकार ने इस विधेयक को सभा पटल पर रखने में काफी समय लिया है। परंतु अब जब वे इस

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

विधेयक को सभा पटल पर रख रहे हैं और तब संसद में इस पर चर्चा की जा रही है मुझे आशा है कि इसे कुछ प्रस्तावित संशोधन सहित चर्चा के लिए लिया जाएगा।

मैं गर्भ में निर्दोषों की हत्या की वीभत्स कहानी पर नहीं जाना चाहती इसलिए नहीं कि उनमें कुछ त्रुटियां हैं बल्कि सिर्फ इसलिए कि वे महिलाएं हैं। मैं इससे अधिक नहीं बताना चाहती कि जबकि हमारे देश के 85 प्रतिशत डाक्टर प्रसवपूर्व लिंग चयन के खिलाफ हैं परंतु चिकित्सा व्यवसाय में एक छोटी लेकिन मजबूत लाबी है, निहित स्वार्थों के लोग हैं जो न सिर्फ इस प्रथा को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि पाखण्डी शपथ के उल्लंघन में जांच रिपोर्ट में भी धोखा करते हैं तथा इस तथ्य को छुपा कर कि भ्रूण वास्तव में पुरूष है न कि स्त्री वह महिला को गर्भपात करवाने पर तैयार कर लेते हैं वे ऐसे तरीकों को भी बढ़ावा देते हैं जिससे लड़का पैदा हो सकता है। ऐसी अनेक जांचें जिनका लिंग निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भ्रूण का सिर्फ उस समय निर्धारण कर सकती है जिस समय मां के लिए गर्भपात करवाना काफी खतरनाक होता है।

अत ऐसी सभी बातें हो रही हैं ऐसी सभी घटनाएं हो रही हैं और हम पाते हैं कि ऐसी सभी बातों के समर्थन में हर प्रकार का तर्क दिया जाता है। एक तर्क यह दिया जाता है कि संतुलित परिवार के लिए इस प्रकार का लिंग चयन महत्वर्पूण है, मैं समझती हूं कि संतुलित परिवार की यह धारणा जिसने माता-पिता तथा एक पुत्र और एक पुत्री हो बिल्कुल अवैज्ञानिक और अतार्किक है। पता नहीं दो लड़कों के परिवार को असंतुलित क्यों नहीं समझा जाता और ऐसे परिवार को असंतुलित क्यों समझा जाता है जिसमें एक से अधिक लड़की हो। बहरहाल यदि स्त्री भ्रूण है और यदि उसका गर्भपात करा दिया जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला गर्भ अवश्य ही लड़का होगा।

वास्तव में हम पाते हैं कि संतुलित परिवार का यह नारा जो कि पूर्णतया अवैज्ञानिक धारणा है, इस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी कुल 3 जनसंख्या के पुरूष-स्त्री अनुपात को असंतुलित किया जा रहा है। अभी स्त्री-पुरूष अनुपात 927 और 1000 का है, मैं यह नहीं कह रही कि यह सिर्फ स्त्री भ्रूण हत्या के कारण हैं। यह सिर्फ इसी कारण नहीं है बल्कि उन सभी सामान्य उपेक्षाओं के कारण है जिससे कि हमारे समाज में बालिकाएं पीड़ित हैं तथा ऐसा बालिकाओं की मृत्यु के साथ आदि के कारण भी हैं, फिर भी यदि संतुलित परिवार के इस तर्क को बढ़ावा दिया गया और यदि स्त्री भ्रूण की पहचान कर उसका गर्भपात कराया गया तो इससे हमारी जनसंख्या में पुरूष-स्त्री के अनुपात के असंतुलन की और बढ़ने की संभावना है।

दूसरा तर्क काफी आधुनिक है। यह कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देना माता-पिता का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोग इन दिनों अपनी पसंद के बच्चों की बात करते हैं। यह तर्क परिवार नियोजन से संबंधित है तथा बालिका भ्रूण को इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि यह परिवार नियोजन का एक तरीका है।

यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि गर्भपात कराना कानूनी है इसका उपयोग सिर्फ स्त्री

भ्रूण के लिए ही क्यों हो सिर्फ इसलिए कि यह स्त्री है यह तर्क दिया जाता है कि यदि यह अधिनियम पारित हो जाता है तो इससे माता-पिता के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार-अपना बच्चा चुनने का अधिकार- का हनन होगा। अब गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में "मां के शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि" एक ऐसा आधार है जिसकी वजह से गर्भ के चिकित्सीय समापन की अनुमति दी सकती है, तथा मां के मानसिक स्वास्थ्य को हानि से स्पष्ट किया गया है तथा स्पष्टीकरण में बच्चों की संख्या सीमित करने के किसी साधन की असफलता शामिल है। दूसरे शब्दों में यहां यह कहा जा रहा है कि यदि माता-पिता द्वारा अपना परिवार नियोजन के उपाय असफल हो जाते हैं तो उस मामलें में मां को हुई मानसिक परेशानी भी गर्भ के चिकित्सीय समापन का आधार हो सकता है। अब यह कहा गया है कि जब मां के गर्भ में बालिका हो जिसे वह जन्म देना नहीं चाहती है, तो यह भी मानसिक परेशानी का कारण है और इसीलिए इस आधार को भी स्त्री भ्रूण हत्या के लिए उचित ठहराया जा सकता है, आप देखेंगे कि परिवार नियोजन और योजनाबद्ध बच्चे व पैदा करने के तर्क का स्त्री भ्रूण हत्या में काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि इसकी पूरी तरह अनदेखी की जा रही है और यह गर्भ को चिकित्सीय समापन अधिनियम के वास्तविक अभिप्राय से खिलवाड़ करना है। चिकित्सीय तौर पर गर्भ के चिकित्सीय समापन को नियमित परिवार नियोजन के तरीकों का प्रतिस्थापक नहीं माना जा सकता है इसका कम से कम मामलों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब भी कोई मां परिवार नियोजन की कोई विधि अपनाती है और उसके बावजूद वह गर्भवती हो जाती है तो इसे परिवार नियोजन विधियों की असफलता कहा जा सकता है।

परन्तु यदि एक माता मादा भ्रूण धारण करती है तो उसे परिवार नियोजन विधि की विफलता क्यों समझा जाता है यही बात मेरे समझ में नहीं आई जब एक माता मादा भ्रूण धारण करती है केवल तभी यह कहा जाता है कि परिवार नियोजन विधि विफल हो गई है। यदि नर-भ्रूण धारण किया हो तो उस दशा में ऐसा नहीं कहा जाता और इसलिए, मै समझता हूं कि यहां पर लोकतांत्रिक अधिकार या मातृ पितृत्व में अपनी पसन्द का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। केवल इसलिए कि वह लड़की है सन्तान पैदा न करने का निर्णय लेना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हो सकता। यह पूर्वाग्रह के प्रति मात्र आत्मसमर्पण है।

जो तीसरा तर्क इस संदर्भ में दिया जाता है वह यह है कि चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान विकास में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, दोबारा मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि यहां पर अनुसंधान में कटौती के लिए कोई भी कुछ नहीं कह रहा बल्कि जिस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग होता है उसे विनियमित करने के लिए कहा जा रहा है और विशेषतः चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान का महत्व उसी क्षेत्र के लिए ही सीमित नहीं है। यह मानव जाति के फायदे के लिए है। और यदि यह कार्य विपरीत दिशा में चलता है, यदि यह तालिका को जीवन अधिकार से वंचित करता है तो चिकित्सा अनुसंधान की प्रगति के नाम पर सफाई देना पर्याप्त नहीं है।

इसलिए ये सभी तर्क झूठे तर्क पर आधारित हैं। भावी माता-पिता को उनकी कमजोरी तथा पूर्वागृहों-ऐसे पूर्वागृह जो समाज में व्याप्त हैं—से मुक्त होने की अपीलें की जाती हैं और इसलिए

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

केन्द्रीय अधिनियम की दोहरी आवश्यकता है। महोदय, अब मैं उन संशोधनों के मुद्दों जो मुझे इस विधेयक के लिए देने हैं, पर चर्चा करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा।

भ्रूण के लिंग का पता लगाने के दो प्रकार की जांच की जाती है। निःसन्देह ये जांच अति-व्याप्त हैं। एक तरह की जांच वह है जो कि मुख्यतः आनुवंषिक कमियों तथा भ्रूण में एम्निओसेन्टिसिज, कोरिओन विली बायोप्सी, फीटसकॉपी तथा अन्य असामान्यताओं का पता लगाने के लिए की जाती है। जब ये आनुवंषिक जांच की जाती हैं तो संयोग से बच्चे के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है।

एक दूसरी प्रकार की जांच की जाती है जिसका उपयोग न केवल गर्भवती महिलाओं बल्कि दूसरों पर भी दूसरे उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनमें अल्ट्रा-सोमोग्राफी सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से है। इसका इस्तेमाल कभी-कभी गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के आकार तथा स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है और संयोगवश इसमें बच्चे के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है।

संयुक्त समिति में हमारी चर्चा के दौरान हमने पाया कि हमारे देश में प्रशिक्षित आनुवंषिक विशेषज्ञों की संख्या तुलनात्मक रूप से अभी भी कम है।

केन्द्रीय समिति के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ विशेषज्ञों ने उपकरणों से युक्त आनुवंषिक क्लीनिक स्थापित किए हैं किन्तु मैं समझता हूं कि उक्त क्लीनिकों की गणना उंगलियों पर की जा सकती है। हमारे देश में प्रशिक्षित आनुवंषिक विशेषज्ञ बहुत कम हैं और विशेषतः अधिकांशतः मैडिकल कालेजों और संस्थाओं में अभी तक आनुवंषिक विज्ञान के पाठयक्रम उपलब्ध नहीं है। कुछ भी हो, ये जांच कुछ मामलों में ही गर्भवती महिलाओं के लिए नियत की जाती हैं सभी महिलाओं को ये जांच नहीं करवानी होती। केवल सीमित संख्या में ऐसी महिलाओं को जिन्हें कोई विशेष कठिनाइयां होती हैं, उनके लिए ही ये जांच निर्धारित की जाती हैं, और इसलिए आनुवंषिक केन्द्रों का विस्तार हमारे देश में न तो संभव है और न ही आवश्यक है क्योंकि आवश्यक आनुवंषिक जांच सरकारी क्षेत्र को मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों या अधिक से अधिक कुछ ऐसी बड़े संस्थानों में जहां सीमित संख्या में विशेषज्ञों ने उपकरण लगाए हैं, करवाई जा सकती है। इसलिए, अपने संशोधन में मैने सुझाव दिया है कि उक्त आनुवंषिक जांच सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखी जाएं, इसके साथ-साथ कुछ उच्च संस्थानों को, जो कि कुछ प्रतिष्ठित आनुवंषिक विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं भी कुछ छूट दी जाएं। यदि निजी क्षेत्र को इसकी अनुमति दी जाती है तो लाइसेंस प्रणाली होने के बावजूद निजी क्षेत्र में आनुवंषिक जांच की भरमार से ऐसे क्लीनिकों की संख्या में भारी वृद्धि होने की संभावना है जहां घटिया अथवा अप्रमाणिक अवैध जांच किए जाने की काफी शंका बनी रहेगी। वास्तव में केन्द्रीय समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में, यह कहा है-यद्यपि उन्होंने निजी चिकित्सकों को भी आनुवंषिक केन्द्रों प्रयोगशालाओं तथा क्लीनिकों के लिए स्वीकृति लेने की संभावना से इन्कार नहीं किया है-बल्कि उन्होंने प्रतिवेदन में यह भी कहा था कि सरकार को इस सम्बंध में कानून बनने के पांच वर्ष उपरांत यह देखने के लिए स्थिति की

समीक्षा करनी चाहिए कि क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत लाइसेंसधारी संस्थान अपनी गतिविधियां जारी रखने के हकदार हैं या उक्त गतिविधियों को केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित रखने के लिए नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है।

उनका कहना है कि निजी क्षेत्र को क्लीनिक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, और फिर पांच वर्ष के उपरांत सरकार को यदि यह लगे कि निजी क्षेत्र के क्लीनिक निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें दोबारा सरकारी क्षेत्र में वापिस ले आएं। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि आपको दूसरे कोने से कार्यारम्भ करना चाहिए, आप सरकारी क्षेत्र से आरम्भ करें। फिर, यदि आपको यह लगे कि और अधिक क्लीनिकों, विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो आगामी चार से पांच में ऐसे विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दीजिए, मेडिकल कालेजों तथा अस्पतालों में ऐसे पाठयक्रम शुरू करें तथा जब काफी संख्या में योग्य आनुवंषिक विशेषज्ञ तैयार हो जाएं, केवल तभी निजी क्षेत्र में इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। जब पर्याप्त संख्या में आनुवंषिक विशेषज्ञ ही उपलब्ध नहीं हैं तो निजी क्षेत्र को इसकी अनुमती क्यों दी जाए ? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इससे आनुवंषिक केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं की भरमार होने की संभावना रहेगी जो कि अप्रमाणिक तथा घटिया होने के बावजूद लाइसेंस अधिकारियों से किसी भी तरह लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र के क्लीनिक रोग-विज्ञान सम्बंधी जांच कर रहे हैं। परन्तु इनमें से कितनी जांच प्रमाणिक है ? हम जानते हैं कि यहां औषधि नियंत्रक कार्यालय है। और इसके बावजूद हमारे देश में नकली तथा घटिया औषधियों की भरमार है। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे यह लगता है कि इन जांचो के लिए कम से कम शुरू में कुछ उच्च संस्थानों को अनुमति देने के साथ-साथ इन्हें सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए।

अब मैं अपने भाषण को समाप्त करने जा रहा हूं। यह पहला संशोधन है जिसका मैंने सुझाव दिया था। जो दूसरा सुझाव मैंने दिया है वह यह है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के उपकरण सहित वे सभी उपकरण जिनका उपयोग न केवल गर्भवती महिलाओं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी किया जाता है, को पंजीकृत करवाया जाना चाहिए। निःसन्देह इसे केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखना असंभव तथा अवांछित होगा। तथापि, ऐसे क्लीनिक जिनके पास अल्ट्रा-सोनोग्राफी इत्यादि की मशीने हैं उन्हें पंजीकृत करके लाइसेंस अधिकारियों के कार्य को आसान किया जा सकता है। कृपया उक्त क्लीनिकों को पंजीकृत करें। लाइसेंस अधिकारियों को यही कार्य करना चाहिए।

अब मैं उक्त क्लीनिकों में जो कुछ हो रहा है उनकी निगरानी की बात करता हूं। क्लीनिकों की मानिटरिंग कार्य उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए की गई जांच के रिकार्ड-जिसे रखना उनके लिए आवश्यक होगा-के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए इन क्लीनिकों के पास अल्ट्रा-सोनोग्राफी की मशीनें होंगी। इन सभी क्लीनिकों का पंजीकरण होगा तथा उन्हें उनके क्लीनिकों में की गई जांच के रिकार्ड रखना होगा केवल तभी लाइसेंसिंग मशीनरी या मानिटरिंग मशीनरी को और अधिक सरलीकृत किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि वह अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है। अतः यह मेरे द्वारा सुझाया गया अन्य महत्वपूर्ण संशोधन हैं यदि इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जाता, तो मेरा विचार है कि सरकार की ओर से चिकित्सा व्यवस्था

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

में एक बहुत ही सशक्त लाबी, जिनमें ऐसे लोग हैं जो हर गली, हर मुहल्ले में उक्त क्लीनिक खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, के साथ एक प्रकार का समझौता होगा। वे लोग ऐसे क्लीनिक स्थापित कर रह हैं। इसके संबंध में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केवल लाइसेंस व्यवस्था कर देने से आप उन्हें मनमानी करने से रोक नहीं सकते। इसलिए में सच्चे दिल से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर कोई भी समझौता न करे तथा ऐसे चिकित्सकों जिनका उद्देश्य लिंग निर्धारण तथा मादा भ्रूण के द्वारा केवल लाभ उठाने का ही है, की सशक्त लाबी को हावी न होने दें।

मैंने इस अधिनियम में एक और संशोधन करने का सुझाव दिया है वह यह कि महिलाओं को भी दण्ड दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

गर्भवती स्त्री जो इन परीक्षणों से गुजरती है तथा भ्रूण हत्या के लिए उसे दण्ड दिया जाए वास्तव में हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुधा स्त्रियों का उनके प्रजनन जीवन के सम्बंध में उनकी में उनकी कोई राय नहीं जानी जाती है। अधिकांशतः उन्हें अपने परिवार, समाज तथा अपने चारों ओर के लोगों के दबावों के सम्मुख झुकना पड़ता है। इसलिए, इस लिंग अवधारण परीक्षण करवाने या भ्रूण हत्या के लिए औरतों को दण्ड दिया जाता है ता इसका अर्थ होगा कि उनके लिए दोहरा दण्ड एक तरफ उनके परिवार का दबाव तथा दूसरी ओर सरकार की ओर से दण्ड। इस विधेयक को संसद में लाए जाने से कुछ चिकित्सकों के अत्यधिक लालच के कारण समाज के भेदभाव का घिनौना चेहरा उजागर होता है। लड़की को बेकार और बोझ मानकर उसके जन्म लेने से पूर्व ही उसकी निन्दा की जाती है तथा उससे छुटकारा पा लिया जाता है। अतः मैं चाहता हूं कि विधेयक पारित हो और चूंकि मैं चाहता हूं कि विधेयक पारित हो, मैं मंत्री जी से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन को वह स्वीकार कर लें।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव (बापतला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक 1991 का समर्थन करता हूं। सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने तथा इसे कानून बनाने में अत्यधिक समय लिया। इसका उद्देश्य मूलतः देश में जारी स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या कार्यक्रम को रोकना है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, इससे न केवल स्त्री-पुरूष अनुपात में असंतुलन उत्पन्न होगा बल्कि इसका सभी स्त्रियों की गरिमा तथा सम्मान से भी गहरा सम्बंध है। यह प्रसवपूर्व निदान तकनीक तथाकथित अल्ट्रा सोनोग्राफी, गर्भवती स्त्री के अम्नियोतिक फ्ल्यूड, कोरियोनिक विल्ली, रक्त या किसी टिसू का विश्लेषण मुख्यतः किसी आनुवांशिकी या मेटाबोलिक विकारों या क्रोमोसोमल असमानताओं या जन्मजात असामान्यताओं या हीमोग्लोबीन या लिंग-सम्बन्धित बिमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है इस प्रकार की बिमारियों, इस प्रकार की असमानताओं का इस प्रकार की तकनीक से पता लगाया जाना चाहिए। परन्तु इसका दुरुपयोग गर्भावस्था के प्रारम्भिक दिनों में भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए और तदनन्तर इसका उपयोग स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है।

जैसा कि माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे, तर्क दिए जा रहे हैं अथवा अनेक ओर

से इस प्रकार का विधान न बनाने का यह कहते हुए दबाव पड़ रहा है कि यह एक तरह का परिवार नियोजन कार्यक्रम है या किसी व्यक्ति का छोटा परिवार आदि रखने की इच्छा का लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरी ओर, ये तर्क निराधार हैं तथा डाक्टरों या चिकित्सकों में से कुछ या विभिन्न कारणों से इस विधेयक के विरुद्ध हैं। कतिपय बीमारियों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ चिकित्सा व्यवसाय में जब भी नीतिपरक कारणों से कुछ प्रक्रियागत पहलुओं का उल्लेख किया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया का स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या के लिए दुरुपयोग किया जाता है और बदले में लोग इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पैसा बना रहे हैं।

इस विधेयक में आनुवांशिक परामर्श तथा प्रयोगशालाओं का पंजीकरण और केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की स्थापना जैसी अनेक बातें रखी गई हैं। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर कारावास तथा जुर्माना जैसे दण्ड रखे गए हैं। इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका व्यापक प्रचार किया जाए ताकि लोगों को तथा प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। वे पूर्वा स्थिति को समझ सकेंगे तथा स्वयं को नियंत्रित कर सकेंगे जैसा कि हमारे साथी ने सुझाव दिया, इस प्रकार की सुविधाओं के लिए पंजीकरण करते समय लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के विधेयक का व्यापक प्रचार करने के लिए अन्य उपाय किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत किए गए विधेयक का अपनी तथा पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : मैं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 पर अपने विचार रखने हेतु अवसर दिए जाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अंग प्रतिरोपण विधेयक की ही तरह यह विधेयक भी असफल रहा है यह विधेयक दोनो सदनों के पिछले तीन अथवा चार सालों से लटका हुआ है। लोक सभा में ही यह सत्र-दर-सत्र टलता रहा है।

यह विधेयक सर्व प्रथम 12-9-1991 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को 16-9-1991 को वापस भेज दिया गया था। रिपोर्ट 16-12-1992 को प्रस्तुत कर दी गई थी। तब से यह विधेयक लोक सभा में आने के लिए लम्बित पड़ा था। इस बीच लोक सभा द्वारा यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने के लिए हमने लगभग 16 महीनां का कीमती वक्त गंवा दिया।

तथापि, देर आयद दुरुस्त आयद। मैं कुछ बातों को छोड़कर इस विधेयक के उपबंधो का निश्चय ही स्वागत करता हूं। मुझे देश में हो रही वैज्ञानिक प्रगति के प्रति सरकार के सुस्त और परपीड़क दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहना है। सरकार आने वाले समय तथा वैज्ञानिक प्रगति के सही परिप्रेक्ष्य नहीं देख पा रही है। ऐसा अनेक अवसरों पर हुआ है जब चिकित्सा विषय से सम्बन्धित कुछ विज्ञान विषयक विधेयक संसद के समक्ष लाए गए हैं।

हमारे देश में प्रसवपूर्व निदान तकनीकें दो दशकों से भी अधिक समय से प्रचलन में हैं। इस समय इसका प्रचलन अनेक रूपों में हैं तथा वे प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के लिए है। इनमें

[डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी]

से अधिकांश तकनीकों का उपयोग लिंग-अवधारण के लिए किया जाता है तथा केवल कुछ ही तकनीकों का उपयोग गर्भाशय में भ्रूण की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह सब प्रशासन तथा सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। वास्तव में जब 1971 में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम लागू किया गया तथा भ्रूण को कानूनी बना दिया गया था, तब चिकित्सकों ने समाज की दुर्भावनावाली मांग पर दुर्भावना वाली गर्भाशय में प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की तकनीक विकसित की। वास्तव में, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रशासन और समाज यह समझ नहीं सके कि इस विधि का स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या के रूप में अपराधीकरण भी हो सकता है। विश्व के दूसरे हिस्सों में, अनेक उन्नत देशों में, जनसंख्या नियंत्रण का यह तरीका समाज पर कभी लागू नहीं किया गया है। ऐसा लगभग दो दशकों तक हुआ और इतने समय में इसने समाज के वास्तविक ढांचे तथा स्वरूप को नष्ट कर दिया। इसने बहुत विशाल रूप ले लिया है तथा अशिक्षित लोगों को भी इन तकनीकों की उपलब्धता की जानकारी है, जो कि इस सम्पूर्ण खेल का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है।

इस उपबंध के कारण भारत में लिंग अवधारण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दूंगा जो वास्तव मे आहत करने वाले हैं। देश में 1978 से 1982 के बीच 75,000 स्त्रीलिंगी भ्रूणों को नष्ट किया गया। मैं आपको कुछ वास्तविक आंकड़े दे रहा हूं। उन सभी को एम्नियोसन्टेसिस परीक्षण द्वारा नष्ट किया गया। 1986 में किए गए एक अध्यन के अनुसार केवल मुम्बई में ही जिन स्त्री रोग विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया गया उनमें से 84 प्रतिशत एम्नियोसेन्टोसिस का उपयोग लिंग अवधारण के लिए कर रहे थे। उन्होंने औसतन 270 लिंग अवधारण परीक्षण प्रतिमाह किए थे। वर्ष 1987 में केवल बड़ौदा शहर में ही 2400 लिंग अवधारण परीक्षण किए गए। इस शहर की आबादी लगभग 14-15 लाख है। दिल्ली में लिंग अवधारण केन्द्रों ने केवल वर्ष 1988 में ही औसतन 11,100 परीक्षण किए। समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार गुजरात में, जो कि मेरा राज्य है, स्त्रिलिंगी भ्रूण हत्या की अनुमानित संख्या दुर्भाग्यवश 41,000 है। गुजरात राज्य में 250 से 350 लिंग अवधारण परीक्षण प्रतिदिन किए जाते हैं। यह दुष्प्रभाव तथा गहरा प्रभाव है जो समाज द्वारा पिछले दो दशकों के दौरान अमानवीय रूप से परिलक्षित किया गया है।

कई समाज शास्त्रियों का विचार है कि स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या छोटी-छोटी बालिकाओं की हत्या की ही एक कड़ी है। वैज्ञानिक विकास के कारण इतना अन्तर आया है कि पहले बच्चियों की हत्या उनके जन्म के पश्चात की जाती थी, अब वह जन्म से पहले ही मार दी जाती हैं। लिंग-अवधारण परीक्षण इसका सशक्त उदाहरण है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का एक पारंपरिक समाज की शक्तियों से मेल हो जाने पर क्या परिणाम हो सकते हैं।

2.59 म.प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

एक दशक से भी अधिक समय से महिला संगठनों के कार्यकर्ता लिंग अवधारण के इन घातक परीक्षणें के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। लिंग का पता लगाकर गर्भपात करना अवैधानिक है क्योंकि इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 ओर 15 का उल्लंघन होता है जिसमे स्त्रियों के प्रति भेदभाव की मनाही है। यह तर्क दिया जाता है कि लिंग अवधारण परीक्षणों की सुलभता से बच्चियों के प्रति भेदभाव और बढ़ेगा तथा इससे स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आएगी। संविधान में पुरूषों तथा स्त्रियों के लिए एक समान अधिकारों की व्यवस्था है हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 (क) के अन्तर्गत यह पुरूषों का मूल कर्त्तव्य है कि स्त्रियों की गरिमा के प्रतिकूल आचरण न करें। अब तक देश में यही स्थिति है। सम्पूर्ण स्थिति की पूरी जानकारी होने के बावजूद सरकार ने काफी लम्बे समय तक इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यदि आप कोई सूत्र या नियम या विनियम बनाते हैं, तो लोग उसमें पर्याप्त कमियां निकाल लेंगे जिससे कानून का वास्तविक स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि वे इसका दो दशकों के लम्बे समय से उपयोग कर रहे हैं।

3.00 म.प.

समाज को शामिल किए बिना तथा पर्याप्त जागरूकता पैदा किए बिना केवल कानून बना देने से ही जरूरत पूरी नहीं हो जाती तथा इससे सम्पूर्ण मामले पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। वर्तमान विधेयक के प्रारूप में भी खण्ड 16 की उप-धारा (तीन) में स्त्रीलिंगी भ्रूण हत्या के विरुद्ध लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए केवल एक वाक्य शामिल किया गया है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। वास्तव में इन परीक्षणों के सभी दुरुपयोगों को रोकने के लिए यह अत्यावश्यक कारक है।

शेष सम्पूर्ण विधेयक में विभिन्न दण्डात्मक उपायों का वर्णन है। यह आपको सही दिशा में नहीं ले जाएगा। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसे जन-जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। सरकार को एक निश्चयात्मक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए तथा लोगों में जागरूकता लाने के लिए जोर-शोर से प्रयास करने चाहिए। बहुत अधिक दण्डात्मक उपायों से चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मी भयभीत होंगे।

[अनुवाद]

और अंततोगत्वा, उन्होंने बहुत हद तक चिकित्सा विज्ञान के लाभ और प्रगति का फायदा लेना छोड़ दिया। चिकित्सक सुरक्षित, प्रैक्टिस कर सकता है जैसी उन्हेंने उस समय की जब मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक लागू था। देश में चिकित्सा विज्ञान की और अधिक प्रगति में यह पुनः निष्फल होगा। सरकार को इस पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए।

कानून से बचने और उसकी उपेक्षा करने की अभी तक काफी गुंजाइश है उदाहरण के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जो प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाओं में काफी अधिक योगदान देता है। चूंकि यह एक अघातक तकनीक है, इसलिए इसका प्रयोग प्रायः निदान और पूर्वलक्षण संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री एक छोटा सा खंड और जोड़ दें। खंड 6 (क) और (ख) पहले से ही विद्यमान हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे एक और खंड अर्थात '6 (ग)' भी जोड़ दें :

[डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी]

"कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की सोनोग्राफी नहीं करेगा अथवा करने का कारण नहीं बनेगा और उन निष्कर्षों को नहीं बतायेगा जो पुरूष अथवा स्त्री सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित करें।"

मैं एक चिकित्सक हूं। मैं जानता हूं कि चिकित्सा शब्दावली में कहां-कहां कमियां हैं जब कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरी रिपोर्ट वैज्ञानिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोनोग्राफिस्ट अल्ट्रा सोनोग्राफी (यू.एस.जी.) संबंधी अपने निष्कर्ष में यह बता सकता है कि 'स्क्रोटल शेडो' देखी गई है।

अब यह सामान्य निष्कर्ष पूर्णत सोनोलोजिस्ट के हाथ में है जिसका आप न तो खंडन कर सकते हैं और न ही आप न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते हैं। जब हम इस कानून को लागू करने जा रहे हैं तो हमें आज की वैज्ञानिक उन्नतियों का और वैज्ञानिक शब्दावली में विद्यमान कमियों का भी ध्यान रखना होगा। सोनोलोजिस्ट द्वारा इसे सामान्य निष्कर्ष के रूप में लिया जाता है। लेकिन अंततोगत्वा, इसका अर्थ भ्रूण के लिंग से होगा।

खंड 23 के अंतर्गत, अपने महिला चूककर्त्ताओं के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की है। यह बात समझ में नही आती है जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने भी पहले उल्लेख किया था, मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिकांश महिलाएं-लगभग 70 प्रतिशत निरक्षर हैं और कानून को समझने में उन्हें काफी समय लगता है। मुझे इन महिलाओं के लिए किये गये दंडात्मक उपायों के प्रावधान में खतरा दिखाई देता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बात पर भी विचार करें।

विधेयक में इस मुद्दे के संपूर्ण पहलू को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक औपचारिकताओं का प्रावधान है। लेकिन इन प्रावधानों को केवल लिखित रूप में ही रहने नहीं दिया जाना चाहिए अपितु इनको उचित रूप से लागू भी करना चाहिए।

इसका मुख्य पहलू केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा आवधिक पुनरीक्षा है जैसा कि खंड 7 से खंड 16 तक में प्रावधान किया गया है। मेरा कहना है कि विशेष रूप से खंड 16 में उल्लिखित बोर्ड कृत्यों के संबंध में जांच उपबंधों का उचित रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।

उपयुक्त प्रधिकारियों को सक्षम रूप से और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए जो इस विधेयक के उद्देश्य को औचित्यपूर्ण ठहरा सके। केवल उसी स्थिति में ही, धारा 22 में प्रदत अपराध और शक्तियों से संबंधित कानून का कोई प्रयोजन होगा। इन कुछ चेतावनियों और सुझावों के साथ मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने अपने वर्णन में जो कुछ भी वर्णिति किया है, वे उनमें से कुछ बातों को शामिल करें।

महोदय मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो इस

वाद-विवाद मे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यद्यपि मैं चिकित्सक नहीं हूं तथापि मुझे संयुक्त समिति का सदस्य नामनिर्दिष्ट होने का अवसर प्राप्त हुआ हैं महोदय, हमारी समिति ने इस विधेयक पर काफी बारीकी से चर्चा की। यह विधेयक 12 सितम्बर, 1991 को सभा के समक्ष लाया गया था और इसे 16 सितम्बर, 1991 को संयुक्त समिति को भेजा गया था। समिति का प्रतिवेदन 22 दिसम्बर, 1992 को प्रस्तुत किया गया। संयुक्त समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात लगभग एक वर्ष बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महोदय, यह आशा की गई थी कि इस प्रकार का विधेयक सभा के समक्ष एकदशक पूर्व ही आ जाना चाहिए था। लेकिन इसे पहले नहीं लाया जा सका। अब यह विधेयक सभा के समक्ष है, मैं सभी सदस्यों से इसका समर्थन करने के लिए अनुरोध करता हूं क्योंकि विधेयक के गुण-दोषों पर विस्तार और गहराई से चर्चा करने के बाद ही इसे सभा के समक्ष लाया गया है। संयुक्त समिति के 16 सदस्यों में से 13 सदस्यों का यह मत है कि इस सभा में यह विधेयक पारित किये जाने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

मैं संयुक्त समिति के निष्कर्षों के कारण ही इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं। संयुक्त समिति ने किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ा है और इसने सभी पहलुओं पर काफी विस्तार से विचार किया था। संयुक्त समिति के तीन माननीय सदस्यों ने विमत टिप्पण दिया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि संयुक्त समिति की 18 बैठकों में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई थी जिनमें सभी गुण-दोषों पर विचार किया गया था। इसीलिए उन्हें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। संयुक्त समिति द्वारा देश भर में बड़े पैमाने पर जनमत प्राप्त करने के लिए प्रेस और अन्य मीडिया के माध्यम से जोरदार प्रयास किए गए थे और मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि समिति को 304 लोगों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे। संयुक्त समिति ने कुछ संगठनों का भी दौरा किया था ताकि उनके विचार और उनके कार्य करने के ढंग के बारे में भी जाना जा सके। समिति के समक्ष 25 गैर-सरकारी संगठन भी उपस्थित हुए और उन्होंने साक्ष्य दिये। उनके साक्ष्यों और सुझावों के आधार पर संयुक्त समिति ने कतिपय निर्णय लिए। अंततः समिति ने विधेयक के विभिन्न खंडो में 48 संशोधन किए। यहां आप इस विधेयक का उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जिसका विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रसवपूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग का निवारण और विनियमन है।

इस निदान तकनीक का देश भर में दुरुपयोग किया गया है क्योंकि लड़की को समाज पर बोझ समझा जाता है। हमारे देश में अधिकांश दंपतियों की यही धारणा है और यही कारण है कि हमारे समाज में अधिकांश बालिका भ्रूण की हत्या कर दी जाती है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है आप देखेंगे कि शासित खंड को भी बड़ी सफाई से हटा दिया गया है। समिति ने यह प्रावधान करने के लिए उप-खंड में संशोधन किया है कि यहां तक कि किसी भी केन्द्र, प्रयोगशाला अथवा क्लीनिक की ओर से कोई भी एजेंट इन उपबंधों से परे नहीं रहेगा। समिति की यह भी राय है कि यहां

[डा. कार्तिकेश्वर पात्र]

तक कि उन लोगों को भी सजा दी जानी चाहिए जो इस प्रकार की विज्ञापन सामग्री प्रकाशित करते हैं। तदनुसार, समिति ने इस खंड में एक नया उप-खंड 2 जोड़ा है और समिति यह महसूस करती है कि सलाह केन्द्र, प्रयोगशाला अथवा क्लीनिक में नियोजित व्यक्तियों के बजाय केवल वे व्यक्ति इस विधेयक के दांडिक उपबंधों की परिधि में आने चाहिए जो वृत्तिक अथवा तकनीकी सेवायें प्रदान करते हैं। समिति ने उन पार्टियों को भी नहीं छोड़ा है, जो भ्रूण हत्या में शामिल होते हैं। इस खंड में यह प्रावधान है कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा, जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए कि गर्भवती स्त्री अपने पति या नातेदार द्वारा प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग कराने के लिए विवश की गई है और ऐसा व्यक्ति, धारा 23 की उप-धारा (3) के अधीन अपराध की दुष्प्रेरणा के लिए दायी होगा।

समिति ने इस बात पर भी विचार किया है कि सलाहकार समिति का गठन किस प्रकार किया जायेगा, राज्यों और केन्द्र के बीच प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या होगा, और उस सलाहकार समिति में कितने तकनीकी व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे। इन सभी बातों पर विचार कर लिया गया है। मूल विधेयक में जहां कहीं भी कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है। मेरे विचार से अपने वर्तमान रूप में यह विधेयक हमारे देश की जनता के लिए काफी उपयोगी है। विधेयक के गुण-दोषों पर विचार करने के बाद ये संशोधन किये गए थे। संयुक्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा इन संशोधनों पर उचित रूप से विचार किया गया है। संयुक्त समिति के 16 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने संशोधनों को स्वीकृति दे दी है और संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा विचार किया गया है। चूंकि सभा के समक्ष इस विधेयक को लाने की सदस्यों की दीर्घकालिक आकांक्षा पूरी हो गई है, इसलिए मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और इस माननीय सभा द्वारा इसे पारित किया जाये।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं आज प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक पर अपनी सहमति प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं। यदि हम अपने देश के चिन्तन को देखें तो बड़ी विडंबना लगती है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां स्त्रियों को समाज में चिरकाल से इतनी आजादी, बराबर की जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर जन्म लेने के बाद आंखों के सामने लड़कियों, बालिकाओं, युवतियों की दुर्दशा होती है और यह सिलसिला उनके वैधव्य के बाद मरने तक चलता है। उनको विधवा होकर जीने का अधिकार न देकर जिन्दा जलाने का काम भी इस सदी में किया जा रहा है साथ ही हम गुणगान करके कहते हैं कि हम देवी स्वरूपा हैं, स्वर्ग कहां है-मां की गोद में है। उसकी पूजा भी करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब हमारे देश में बालिकाओं की पूजा की जाती है और यही वह देश है जो इस सदी में बालिका भ्रूण के हत्यारे के रूप में अपने को सबसे अग्रणी बनाए हुए है।

किसी भी समाज के विकास का पैमाना यह होता है कि वहां नारियों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, समाज में उनका क्या स्थान है। हमारे यहां आप स्वतंत्रता क्या देंगे, 73वें संशोधन के

अनुसार आपने निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए पंचायत एवं अन्य स्थानों पर 33 प्रतिशत भाग हमें देने को कहा। हमारी आबादी 50 प्रतिशत है, आपने 33 प्रतिशत दिया, इसके लिए भी आपको चारों ओर से धन्यवाद दिया गया। लेकिन जहां इस निर्णायक भूमिका में अपनी भागीदारी समेटने की दिशा में अग्रसर हुए हैं वहीं खुलेआम देश के सेलम जिले में दो सप्ताह पहले पत्रिका निकली थी कि माताएं स्वीकार करती हैं कि हम क्यों नहीं अपनी लड़कियों को मार दें। यह हमारे नग्न समाज की स्थिति है। कारण बहुत से हैं जिनमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक भी हैं। मेरा इरादा किसी धर्म पर आक्षेप करने का नहीं है। मैं यह मानकर चलती हूं कि धर्म किसी भी मिट्टी की पूजा होता है, वहां की आबो-हवा की देन होता है। इससे अधिक कोई धर्म नहीं होता, वहां का विचार नहीं होता, वर्ना सामूहिक रूप से हर घर में, चाहे वह किसी भी धर्मावलम्बी का हो, लड़कियां तिरस्कृत न होती।

1901 में जहां हमारा सैक्स रेशियो एक हजार के बदले 991 लडकियों का था, वहीं 90 के साल में हमने जो प्रगति की है, उसका नमूना इस बार के सैन्सस से हो जाता है कि हमारा सैक्स रेशियो धीरे-धीरे घटकर एक हजार पुरूषों के मुकाबले 910 पर चला आया है।

मान्यवर, हत्याएं होती रही हैं लेकिन जितना ही तकनीकी विकास हुआ है उतनी ही क्रूरता बालिकाओं के साथ अपनाई जाने लगी है। पहले हमारे सूबों में, राजस्थान या तमिलनाडू के सेलम जिलों में जो हत्याएं होती थीं, उनके कारण सोशल और इकोनोमिक हुआ करते थे। आज हत्याओं के कारण बदल गए हैं। साइंस एवं तकनीक में हमारी जितनी भी प्रगति हो रही है, हम जितना विकास करने का दावा कर रहे हैं, उसी रेशियो में हम बालिकाओं के लिए अपनी मनोभावनाओं में पीछे हटते जा रहे हैं। हमने जैनेटिक डिजिसिस को रोकने के लिए जैनेटिक टैक्नोलॉजी का विकास किया। आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारो या गुणसूत्री असमनाताओं या कतिपय जन्मजात या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के लिए जैनेटिक टैक्नॉलोजी का विकास हुआ। जन्म लेने से पहले ही पता चल जाये कि जन्म लेने वाला बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, जन्म लेने वाला बच्चा विकलांग तो नहीं है, जन्म लेने वाले बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके लिए ही इस टैक्नॉलोजी का विकास हुआ, लेकिन हमने इसका सृजनात्मक प्रयोग न करके, इसका दुरुपयोग करना ही सीखा और यह जान कर कि गर्भ में पलने वाला बच्चा बालक नहीं हैं, बालिका है, हमने वहीं उसको खत्म करने का इरादा समाज में बना लिया।

हमारे गुजरात के बन्धु 1986 में किए गए सर्वे के बारे में अभी बता रहे थे। हिन्दुस्तान के प्रमुख शहर बम्बई और दिल्ली में लाखों-लाख की संख्या में बालिका भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं जो कि लिए और बटोरे नहीं जा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी और मांग करने के लिए अपने आप को सक्षम मानती हूं। इस तरह के क्लीनिक जो सबसे पिछड़े इलाकों में हैं, वहां छूत लगने के बाद भी सैक्स रेशियो बहुत कम पाया गया। कई लोगों से पूछने पर पता चला कि इसका सही-सही इलाज करने के लिए लोग दूर-दूर जाते हैं और पैसे वाले लोगों में यह चीज अधिक पायी जाती है। वे जैनेटिक टैक्नोलॉजी द्वारा बालिका की हत्या कर देते हैं।

महोदय, काफी अर्से के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में यह बिल पारित हुआ। केन्द्र में 1991 से इंतजार करने के बाद 1994 में पास होने जा रहा है। देर आयद, दुरुस्त आयद

[श्रीमती गिरिजा देवी]

की भावना से मैं इस बिल को लाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी सहमति प्रकट करती हूं। हमारे यहां जो भ्रूण हत्या हो रही हैं, उन कारणों पर यदि हम चोट करेंगे, जो सोशल हैं, इकोनमिक हैं और रिलिजियस हैं, उसके लिए हमें बहुत व्यापक पैमाने पर इस बिल के लिए समझदारी बरतनी पड़ेगी। इसका प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। बिल में इसको जो स्थान दिया गया है, उसके लिए हम सब बन्धुओं का यह कर्तव्य बनता है कि हम समाज से इस कुरीति को रोकने के लिए तरह-तरह का प्रचार-प्रसार करें और उसमें अपना सहयोग दें। जब तक यह नहीं होगा तब तक यह हत्यायें नहीं रुक पायेंगी और हमारी वर्षों की मेहनत भी बेकार चली जायेगी।

बहुत से लोग कहते हैं कि जितने भी जैनेटिक टैक्नॉलोजी को अपनाने वाले क्लीनिक हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाये, लेकिन हमारे स्वच्छ और स्वस्थ समाज का यह तकाजा है कि साईंस और टैक्नॉलोजी का जो विकास हुआ, उसका फायदा हमारा समाज भी उठा सके और हमारी आगे आने वाली संतति भी उसका फायदा उठा सके। वह मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग न हो। इस कारण जैनेटिक टैक्नोलोजी के क्लीनिक अवश्य होने चाहिए। उनके ऊपर बिल में जो अंकुश लगाये गए हैं, उनका कड़ाई से पालन करने के लिए हमने जो सिफारिशें की हैं, उनका कार्यान्वयन हो। तभी यह बिल अपनी फिलॉसफी को पूरी तरह से समाज में ला सकेगा।

महोदाय, एम.आर.टी.पी. की बात कही जाती है कि उसी के कारण 1991 में इसे पास किया गया। एम.आर.टी.पी. बिल के ऊपर हमेशा उंगली उठायी जाती है कि एम.आर.टी.पी. बिल क्यों लाया गया। उससे और इसको अलग-अलग करके यदि हम इसका प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। महिलाओं के साथ जो ज्यादती होती थी, ज्यादती के आधार गर्भवती हो जाती थी या समय की सीमा कम होने से ज्यादा बच्चे हो जाते थे या विकलांग होने वाले होते थे, उसका खमियाजा कोई नहीं भुगतता था, उसका खमियाजा तो कुंवारी भुगतती थी या दो बच्चों की मातायें जिनको तरह-तरह की शारीरिक यात्नायें भुगतनी पड़ती थीं। एम.आर.टी.पी. एक्ट जो इसका उत्तरदायी है, यदि किसी भी तरह से हम एम.आर.टी.पी. एक्ट को इसके साथ जोड़ कर आगे बढ़ें तो इस बिल के लक्ष्यों को जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह हम प्राप्त नही कर सकेंगे।

इस बिल में जो भी प्रावधान किए गए हैं, उनसे हम सहमत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून के बनने के बाद इसके तरीके भी लोग निकाल लेंगे। इसलिए हमें चुस्त और दुरुस्त होकर, इस बिल को कार्यान्वित करने में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया।

प्रसपूर्व निदान तकनीक (विनयमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 का है, लेकिन हम 1994 में इस पर बहस चला रहे हैं। इस बिल को लाने में समय बहुत लगा और प्रवर समिति से लौटकर यह बिल आया है तथा मैं इस बिल का पूरे तौर पर समर्थन करता हूं।

सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में स्त्रियों का स्थान सबसे ऊपर रहा है, चाहे वह विद्या के मामले में हो, विद्या में स्थान सरस्वती को मिला है; धन के मामले में स्थान लक्ष्मी को मिला है; और दुष्टों का संहार करने या युद्ध में लड़ने का स्थान जो मिला है, वह दुर्गा और काली को मिला है। लेकिन जब सामन्ती व्यवस्था की बात आई, तो उसमें महिलाओं में गिरावट आ गई और बहुत सी चीजों को रोक दिया गया। उनके अधिकारों को छीना जाने लगा और उनका स्थान आज बहुत ही नीचे चला गया है। इस बिल में जो चीजें दी गई हैं, उनको देखने से लगता है कि आज प्रसव की हालत बहुत ही खराब है। आज भी 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों या नर्सों के द्वारा प्रसव नहीं कराया जाता है। गांवों में जो दाइयों द्वारा प्रसव कराया जाता हैं यदि आप इनके द्वारा कराए गए प्रसव के आंकड़े देखें और जो प्रसव अस्पतालों में होते हैं, उनको आंकड़े देखें, तो सबसे अधिक जच्चा-बच्चा की मृत्यु अस्पतालों में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम होती है। ऐसी स्थिति होने पर भी चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, इनका ध्यान ऐसी महिलाओं के वर्ग, जो प्रसव कराती हैं, उनके लिए अभी तक नहीं गया है और न ही उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है। मैं आपको बिहार के बारे में बता रहा हूं, वहां पर ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं की गई और वे आज भी देहातों में काम कर रही हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से कहूंगा, ऐसी महिलायें डाक्टरों और ट्रेन्ड महिलाओं से कम ट्रेन्ड नहीं हैं, जो आज वे काम कर रही हैं और इन महिलाओं से ज्यादा बच्चे-जच्चे की मृत्यु भी नहीं हो रही है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वे सब ठीक हो रहे हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार उनके लिए जरूर सोचे और उनके लिए भी आर्थिक व्यवस्था करे, ताकि उनका भरण-पोषण हो सके।

अभी-अभी हमारे साथी ने बताया कि भ्रूण परीक्षण के लिए यन्त्र चल रहे हैं, जिसके द्वारा लिंग का पता चलता है। ये काम ज्यादातर मध्यम वर्ग में ऊपर क्लास में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के नीचे वाले क्लास में ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ये चीजें उन्हीं लोगों में होती हैं, जिनके पास धन है और जिनके पास खाने-पीने व रहने की व्यवस्था है इन लोगों में ही इस तरह की हत्यायें होती हैं। इन मशीनों का उपयोग इसलिए होता है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है, वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है या कहीं विकलांग तो नहीं है या उसका विकास तो ठीक हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। जानबूझकर लिंग का पता लगाकर और यदि बालिका होती है, तो उसको खत्म करवा दिया जाता है। यह कार्य बहुत ही धारा-प्रवाह हो रहा है। इसका कारण कोई आर्थिक नहीं है, बल्कि एक फैशन की बात हो गई है। लड़की का दर्जा लड़के के दर्जे के कम है और यह इस बात का सबूत है कि अगर लड़का है तो ठीक है और यदि लड़की है, तो उसको खत्म करवा दो। इसका एक कारण दहेज भी हो सकता है। दहेज भी मध्यम वर्ग के नीचे वाले वर्ग में अपर क्लास में ज्यादा चलता है। ज्यादा दहेज के चलते भ्रूण की जांच करवा कर, उसको खत्म करा देते हैं, जिससे कि लड़की पैदा न हो और हम दहेज से बच जायें। समाज के अन्दर इन कुरीतियों का भी हमें ध्यान रखना होगा। इस दहेज प्रथा के कारण भी महिलाओं का दर्जा कम है और उनकी इज्जत कम है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान दिलाना होगा कि इस तरह के असामाजिक कार्य जो मानवता के खिलाफ हैं, नहीं करने चाहिए। इस तरह की चीजों को सरकार को लाना चाहिए।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

यह ठीक है कि आपने सजा का भी प्रावधान किया है, लेकिन ऐसी भी महिलायें होंगी, जो कुछ भी नहीं जानती होंगी और उनके पति के द्वारा जबरन यह सब कार्य किया जाएगा। इसमें उनका क्या दोष है हम आपसे पूछते हैं कि सजा उनको होगी, लेकिन उनका दोष कोई नहीं है जिन महिलाओं को एक-दो बच्चियां हो जाती हैं, उनके पति उनका आदर करना बन्द कर देते हैं और वे पति की नजर से गिर जाती हैं। बच्चों के खत्म करने का सिलसिला भी नीचे के क्लास में नहीं है। नीचे के क्लास में हमने देखा है कि बच्चे की उम्मीद में कई बच्चियां हो गई हैं, लेकिन वे जान नहीं लेते हैं और अपर क्लास में यदि बच्ची होती है, तो उसको खत्म करवा दिया जाता है। इस तरह का समाज बन गया है यह जो कानून आपने बनाया है, अगर आप उसके ठीक से लागू नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह से कई बार संशोधन होकर छोटे-छोटे बच्चों द्वारा काम को रोकने के लिए कानून बना, लेकिन आप उसको रोक पाने में सफल नहीं हुए। उसमें सजा दी गई है, सजा का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन कानून लागू नहीं हुआ। मैं यह सोचता हूं कि यह कानून कैसे लागू होगा, क्योंकि रोज महिलायें भ्रूण की जांच करवा कर गिरवा रही है। मैं पूछता हूं, यह कानून कैसे लागू हो सकता है ? मैं ईमानदारी के साथ सरकार से कहूंगा कि इस कानून का हर पार्टी के सदस्य ने समर्थन किया है, इससे पता चलता है कि यह कानून अच्छा है लेकिन इसको लागू होना चाहिए जिससे कि यह जो बीमारी को रोकने के लिए आपने काम किया है वह बीमारी न हो। आपने ये जो 5-6 बीमारियों के नाम दिये हैं उसी के लिए इसका उपयोग हो, न कि गर्भपात को खत्म करने के लिए हो। इससे क्या हो रहा है, औरतें मर रही हैं, उनमें ज्यादा कमजोरी आ जाती है और वे रोगग्रस्त हो जाती हैं। हमारे समाज के अंदर बालिकाओं पर इसका असर पड़ता है, यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, मेरे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि जहां भारतीय संतों ने नारी की महत्ता बताई थी वहां बीच के काल-खंड में उस नारी का इस प्रकार से पतन कैसे हो गया ? नारी के प्रति घृणा क्यों हो गई ? ऋषियों ने कहा था कि–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता"।

मेरी मान्यता है कि संभवतः नारी को भोग की वस्तु मानने के कारण और यह भोग की जो वस्तु थी देश की गुलामी का काल-खंड, मुगल काल में जहां नारी के प्रति इतने अत्याचार होते थे उसी के बाद नारी का पतन होता चला गया। फिर मुगलों के बाद देश के अंदर जैसे ही अंग्रेज आततायी आए और उन्होंने जिस प्रकार से भारत की नारी को जब देखा उसके कारण देश के अंदर उसको भोग की वस्तु मान कर चला जाने लगा। मुझे इतिहास का यह काल-खंड याद है। एक चरित्र शिवाजी का था, जो लूट का माल ले करके जब मराठा आए तो इनके साथ 16 साल की बालिका को भी लाए और शिवाजी के सामने जब उस नारी को प्रस्तुत किया तो मराठों ने कहा यह तो पटरानी बनाने की स्थिति में है लेकिन शिवाजी ने कहा कि काश ऐसा सुन्दर रूप मेरी मां का होता, यह तो मेरी मां जैसी है इसको वापस अपने गृह स्थान पर पहुंचा दीजिए।

महोदय, एक उदाहरण अलाऊद्दीन खिलजी का है जो चित्तौड़ पर अधिकार करने आया था। उसने पदमिनी की चर्चा सुनी तो उसके बाद युद्ध को भुला कर उसको पाने का उसका लक्ष्य हो गया। उसे न पाकर केवल उसकी परछाई देखने के लिए वह तरसता रहा। वह कांच में परछाई मात्र से ही युद्ध भुला कर उसे पाने के लिए तत्पर हो गया और उसके बाद जब उसमें उसने पदमिनी को देखा तब उसने युद्ध लड़ा और पदमिनी के साथ 14 हजार रानियों ने जोहर कर लिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि नारी का अपमान भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है। नारी का अपमान अगर किया है तो मुगलकाल ने किया है, नारी का अपमान आज की आधुनिकता ने किया है। देश में जो आधुनिकता आई है, इसके कारण नारी का अपमान हुआ है यह बिल इस सदन के अंदर विलंब से आया है, जिस प्रकार के आंकड़े शहरों के श्री जसवानी जी ने प्रस्तुत किए हैं, वे भयावह हैं। इन आंकड़ो से पता लगता है कि कितनी बालिकाओं की देश में हत्याएं हो रही हैं। श्रीमती गिरिजा जी ने भी बताया कि किस प्रकार से पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या कम हो रही है. 1000 पुरूषों के मुकाबले आज की परिस्थिति में केवल 910 स्त्रियां रह गई हैं, जो कि चिंताजनक स्थिति है। माननीय मंत्री जी लंबे समय तक इस बिल को टालते रहे, लटकाते रहे, लेकिन अब भी मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि वे इस बिल को सदन में लेकर आए हैं।

यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। इन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि डाक्टर पर 10000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जबकि 10000 रुपए तो इस टैस्ट की फ़ीस लगती है। हालांकि 3 वर्ष की सजा का भी प्रावधन रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि इस कानून को और कड़ा बनाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए और सजा के प्रावधान को बढ़ा कर 5 वर्ष किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ अल्ट्रासोनोग्राफी के जो अन्य लाभ हैं, उनसे भी जनता को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और निजी क्लीनिकों पर भी इस विधेयक के ज़रिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, उन पर ताले लगा दिए जाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों तथा मेडीकल कालेजेज में आवश्यक टेस्टों की छूट दी जानी चाहिए। निजी क्षेत्र में भी एस्टार्ट्स की तरह जो अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, उनमें भी इन आवश्यक टेस्टों को छूट दी जानी चाहिए। इसी तरह से जो समिति इस काम के लिए बनाई गई थी, उसने हिन्दुस्तान के कई राज्यों का दौरा करके कई सिफारिशें दी हैं, मेरा अनुरोध है कि उन सब सिफारिशों पर अमल किया जाना चाहिए। राजस्थान इस मामले में बहुत आगे रहा है। जैसे चुनाव सुधारों को लेकर 30 परसेंट महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान आप अब लेकर आ रहे हैं और राजस्थान में इस बिल को 2 साल पहले ही पास कर दिया है। इसी तरह से आप एक और बिल लाने वाले हैं, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर विधान सभा और संसद सदस्यों को सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में इस तरह का बिल आज से डेढ़ वर्ष पूर्व ही पास किया जा चुका है, जिसके तहत नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों को 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव के लिए अयोग्य तथा सदस्यता के दौरान दो से अधिक बच्चे होने पर सदस्यता से वंचित करने का प्रावधान किया गया है इस तरह से राजस्थान इस मामले में बहुत आगे है।

अंत में मैं इस बिल के संबंध में इतना ही कहना चाहते हूं कि देर आयद-दुरुस्त आयद

[श्री दाऊ दयाल जोशी]

और इससे देश का भला होगा और स्त्रियों की संख्या के संबंध में जो चिंताजनक स्थिति बताई गई है, उसमें सुधार होगा। नारी के प्रति हमको अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्रालय को बधाई देना चाहती हूं और दाऊ दयाल जोशी जी को भी की देर आयद दुरुस्त आयद। यह बिल हमें बहुत पहले लाना चाहिए था। अभी मैं संसद की तरफ आ रही थी तो ड्राईवर ने जैसे ही रेडियो ओन किया तो गाने की आवाज सुनाई दी 'मदद मांगती है यह राधा की बेटी, यशोदा की बेटी और जुबेदा की बेटी'। मैं सोच रही थी कि ये बेटियां जन्म ले चुकी थी और आज वे लोग मदद मांग रहे हैं जिनको जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। यहां आने से पहले मुझे दो-तीन संसद सदस्याएं भी मिली। उन्होंने कहा कि यहां तक हाल हो चुका है कि किसी भी जगह पर,पचास रुपये देकर छोटे से क्लीनिक में बच्चे से मुक्त हो सकते हैं। अभी दाऊ दायल जोशी जी ने जो बात कही तो मैं पूरी तरह से उसकी ताईद नहीं करती हूं। उपनिषदकाल में यह कहा गया है 'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता'। लेकिन मैं उनको याद दिलाती हूं कि यह वह देश है जिसने सीता को निष्कासित किया था या लांछित किया था और यह वह देश है जिसने अहिल्या को पाषाण बनने को मजबूर किया था। यह देश पांचलिका का देश कहलाता रहा है और पूरी सभा में जिसने द्रौपदी को नंगा होने पर मजबूर किया था। हम किसी काल परिर्वतन की ओर नहीं जाते है बल्कि काल परिवर्तन के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों की स्थिति बदतर होती जा रही है। मैं राजस्थान के जिस इलाके से आती हूं तो वह इलाका महिलाओं के गुणगान का इलाका रहा है। मेवाड़ के इतिहास में मीरा, दुर्गावती और दूसरी पदमावती और करनावती का नाम हटा दिया जाए तो इतिहास के पास कुछ नहीं बचता है। राजस्थान का वह इलाका रहा है जहां बच्चे पैदा होते ही खाट के नीचे मार दिए जाते थे। इसलिए मार दिया जाता था कि उसके लिए वर ढूंढना है और उसको बहुत सारा दहेज देना है इसलिए मैं उस पीड़ा को समझती हूं और उस इलाके से आती हूं जहां कुछ साल पहले रूपमती की घटना हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ महिला संगठनों ने आवाज उठाई और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उसने पहल की और केन्द्र से बिल पास होने तक उसको रोक कर रखा। मैं इस बिल को इसलिए महत्वपूर्ण मानती हूं कि पहली बार इस बिल के माध्यम से कुछ परिभाषाएं उजागर हुई हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने जेनेटिक काऊंसिल सेंटर, जेनेटिक क्लीनिक और जेनेटिक लेबोरेट्री में विवेक करने की कोशिश की है। चैप्टर-थ्री में यह आंकलन कर दिया गया है कि किन परिस्थितियों में और किन बीमारियों में इस तरह का टैस्ट वांछनीय होगा। चैप्टर-थ्री के चौथे कालम के छठवें हिस्से के बारे में मेरी गुजारिश है :

[अनुवाद]

"अन्य किसी प्रकार की असामान्यताएं अथवा रोग, जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा विशेष रूप से बताये जायें।"

[हिन्दी]

मैं सोचती हूं कि एनी-अदर शब्द से काफी कुछ गुंजाईश वहां से मिल जाएगी और हम

नहीं चाहते कि इसे और थोड़ा सा स्पेसिफिक बनया जा सकता है। क्लाज-सिक्स में कहा गया है जेनेटिक काऊंसिल सेंटर, जेनेटिक लेबोरेट्री या जेनेटिक क्लीनिक में किसी भी प्रकार का सैक्स डिटरमिनेशन नहीं होगा। इस बात को कानून का रूप दिया गया है। जब भी कानून की बात होती है और महिलाओं से संबंधित कानून की बात होती है तो हम लोगों को थोड़ा सा भय जरूर लगता है। इस देश ने बहुत सारे कानून पास किए हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि हम लोगों को 33 प्रतिशत भागीदारी राजनीतिक क्षेत्र में मिलेगी, मिल रही है मिलने वाली है। उससे पहले भी अनेक कानून सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में राजनीतिक उन्नयन के लिए और आर्थिक उन्नयन के लिए बने, लेकिन कानून अपनी जगह पर रह जाते हैं उनकी पूरी तरह से पालना नहीं होती। इस कानून से महिलाओं में एक प्रकार का भय व्याप्त है कि इस कानून को भी अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी।

जब कोई कानून बनता है तो उसके तीन स्रोत होते हैं। एक तो को कानून कड़ा हो, दूसरा शासन चुस्त हो और तीसरी जनता की भागीदारी। आपने कड़ा कानून तो बना दिया है। इसमें निश्चित रूप से स्पेसिफिक कर दिया है कि अब किसी प्रकार का टैस्ट नहीं होगा। कानून के साथ-साथ उसके ऊपर दी जाने वाली जो व्यवस्थायें हैं वे भी कर दी हैं कि कानून तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। लेकिन कड़े कानून के साथ-साथ शासन की संवेदनशीलता और चुस्त प्रशासन का होना भी जरूरी है। मैं समझती हूं कि इस सम्बंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई छोटा सा ऐसा सेल खोलना पड़ेगा जहां वे जाकर अपनी बात कह सकें। जब से मैंने महिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद सम्भाला है मैंने देखा है

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : तभी से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, पता नहीं क्यों ?

डा. गिरिजा व्यास : मैंने उन अत्याचारों के बारे में समाज को बताने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आप उन अत्याचारों के प्रति संवेदनशील होकर बोलने भी लगे हैं। इस पर मुझे एक शेर याद आता है :-

अभी तेवर कहां बदले हैं इनके
अभी अपना दौर इनक्लाब का है।
अभी तपिश है, अभी सहरा है,
अभी दौर कहां गुलाब-गुलाबी का।

अभी तो हम इनक्लाब के दौर में हैं। मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि उस सेल के बन जाने से यह फायदा होगा कि महिलायें वहां पर अपील कर सकेंगी, क्योंकि अभी तक मुझे इस पर प्रश्न चिह्न दिखाई देता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस संबंध में मंत्रालय फिर से विचार करे और कानून को और कड़ा बनाने की कोशिश करे।

शासन की संवेदनशीलता भी आवश्यक है मैं अपने मेवाड़ क्षेत्र का उदाहरण देना चाहती हूं। वहां पर कानून था कि कोई एक पेड़ भी नहीं काट सकता, लेकिन पेड़ कट रहे थे। तब वहां के सज्जन सिंहजी ने सोचा कि कुछ और करना पड़ेगा। वहां के सलूम्बर के छोटे राजा ने पेड़ कटवा दिए। उनको तलब किया गया। तब वे महाराजा के पास गए तो उन्होंने देखा कि राजा पट्टियों से सिर से पैर तक लदे हुए हैं। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया

[डा. गिरिजा व्यास]

कि कोई खास बात नहीं है, पेड़ तुमने काटे और दर्द मुझे हुआ। मैं चाहती हूं कि इस प्रकार की संवेदनशीलता प्रशासन में आनी चाहिए। इसलिए कोई ऐसा सेल बनाया जाये जहां वे अपनी अपील कर सकें।

तीसरी बात है जनता की भागीदारी की। जब तक उसमें जागरूकता नहीं आयेगी, जब तक महिला संगठन आगे नहीं आयेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे एक कहावत याद आती है तुलसीदासजी ने केवल यही नहीं कहा था-"ढोर, गंवार, शूद्र सब नारी", उन्होंने इससे आगे भी कहा था-"न मोहे नारी न रूपः।"

मैं तुलसीदासजी की पहली पंक्ति की कट्टर विरोधी हूं, लेकिन दूसरी बात को सच मानती हूं। सच ही है कि नारी ही नारी की शत्रु रही है। आज भी आप देखें कि एक नारी को क्लिनिक ले जाने वाली कोई सास, ननद या बहन ही होती है। पुरूष बाद में आता है। जब उसे लगेगा कि उसके शरीर का एक हिस्सा, उसके खून की बूंद उससे जुदा हो रही है, जब उसकी सास, ननद या बहन यह सोचेगी कि आने वाली पीढ़ी उसकी जात की है तो मैं मानती हूं कि यह कुकर्म रुकेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूं कि हम लोग से अवेयरनेस को पैदा करने में सरकार की मदद करें। मैं सरकार से भी कहना चाहती हूं कि केवल कानून कड़ा बनाने से ही काम नहीं चलेगा, सरकार में चुस्ती और शासन की भागीदारी और जनता की भागीदारी भी जरूरी है।

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : आबादी बहुत बढ़ गई है।

डा. गिरिजा व्यास : आबादी बहुत बढ़ गई है, इस पर क्या आपने सोचा है ? अभी गिरिजा देवीजी ने एक बात कही थी कि एक हजार पुरूष हो रहे हैं और 910 बच्चियों की संख्या हो गई है। मैं तो एक प्रश्न लगाती हूं कि आने वाले समय में 50: लोग रह जायेंगे और 50: लोगों को मेरी तरह कुंवारा रहना पड़ेगा।

महोदय, जहां तक कड़े कानून बनाने की बात है, मैं मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उसने कोशिश तो की है लेकिन इसमें भी 5 या 50 हजार रुपये देने से काम नहीं चलेगा। हर दृष्टि में उसे कारावास भेजना जरूरी है। उसमें वर्षों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। इसके साथ ही संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जायेगा। मैं समझती हूं कि ये दानों बातें एकसाथ होनी चाहियें। जहां तक मैंने कहा कि "नारी न मोहे का रूपा" तो जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो इस प्रकार की मानसिकता से छुटकारा पा लेना चाहिए। और तब मैंने एक बात कही कि औरतों की एक जात है और हम दूसरी जात का विरोध कर रही हैं लेकिन औरतों की जात की ताईद करती हूं तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि हम एक जात की हैं और वह अपने आप समाप्त हो जायेगी। वहां पर स्त्री को भी सजा देना जरूरी है जो स्वेच्छा से अपनी बेंटी को आने से पहले मारने का सोचती हैं। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा कि यहां पर कानून बनने से पहले सैक्स टैस्ट के लिए जो स्थिति थी, उसने दो रूप ले लिए हैं। एक फैशन के रूप में और दूसरा चलन के रूप में। फैशन के रूप में आज कुछ पढ़ी लिखी महिलायें शौक से कहती हैं कि हमने सैक्स टैस्ट करा लिया है और हम लड़की पैदा नहीं करेंगी और चलन के रूप में सास, ननद और मां के साथ जाती हैं। और लड़की आने से पहले समाप्त कर देती हैं। यदि बच्ची को मारने के लिए उसकी हिस्सेदारी है तो उसे भी कारगार में डालने का दण्ड मिलना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि

जन्म से पहले वह गुहार करती है कि यदि उसे जन्म दे दिया तो न जाने उसके बाद वह किस रूप में आप लोगों की सेवा कर सकती है ?

एक बात और है कि स्त्रियां अपने पति या रिश्तेदारों से गाईडेड होती हैं, वहां पर कानून को कड़ा होना पड़ेगा। पिछले साल के आंकड़े हैं कि 1100 महिलाओं के सैक्स टैस्ट में मृत्यु हो गयी है। आप जानते हैं कि साल में एक स्त्री को 2-3 बार अबार्शन कराने से स्वास्थ्य गिरने की बात हो जाती है। इस घिनौने चलन के साथ-साथ और चलन भी जुड़े हुए हैं। इस बिल के पास हो जाने के बाद वे अपने आप बंद हो जायेंगे। इसमें दहेज का सबसे बड़ा चलन है। यदि बच्ची पैदा हो जाती है और उसे एक संपूर्ण इंडिविजुअल का हक मिलता है तो स्वयं के खिलाफ लड़ेगी और इसकी जागरूकता पैदा करना जरूरी है। इसके साथ ही जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि जो बच्ची पैदा हो रही है, वह न तो दहेज देगी और न लेगी। यह बिल यहां पर केवल बिल ही बनकर न रह जाये। यह सारे राज्यों में पारित होना आवश्यक है। मैं सोचती हूं कि केन्द्र इस पर अमल करके कार्यवाही करेगा।

महोदय, एक अंतिम बात पर आती हूं कि रजिस्टर्ड डाक्टर्स द्वारा रैकोगनाईज सैक्स न होने के कारण मंत्रालय को कुछ भ्रान्तियां हो रही हैं, इस बारे में मंत्रालय को कुछ अवश्य करना चाहिए। यह बिल समय की मांग थी यह समय के बहुत बाद में आया है लेकिन फिर भी मैं उस बात पर आती हूं कि इस बिल से महिलाओं की अस्मिता बढ़ेगी और उनमें एक इंडिविजुअल की भावना पैदा होगी और जो बच्ची जन्म के पहले मारी जा सकती है, उसको इस वातावरण में 21वीं सदी मे दस्तक देने के लिए पैदा होने के लिए या पैदा करने के लिए आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करती हूं।

4.00 म.प.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, आज यहां पर जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हूं। लेकिन यहां पर जो चर्चा हो रही है, कहीं न कहीं हम स्त्री को अपने आपमें अलग न मानकर या कोई वस्तु मान कर चर्चा न करें। कई उदाहरण यहां पर दिए गए और कभी उसे देवी माना गया और कभी दासी माना गया लेकिन वह स्त्री अपने आपमें यह कहती आयी है और कहती रही है कि उसे देवी न माना जाये और न देवी मानकर सिर पर बैठायें और न पैरों तले रौंदें बल्कि मुझे एक मनुष्य समझें। एक मानव के जो अधिकार और कर्तव्य हैं, वे दोनों में रहने चाहिए उसी प्रकार से स्त्री के भी अधिकार और कर्तव्य रहते हैं। यह कोई अलग चीज नहीं है कि इस समाज का हिस्सा है। और आज जब यह बिल कानून का रूप ले रहा है तो मैं यह कहूंगी कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया यहां पर हो रही है और हम एक सामाजिक न्याय देने जा रहे हैं तो कई सालों से जरूरी हो गया था। आज मैं सोचती हूं कि जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो आज यह मानसिकता क्यों पैदा हो गयी है ? आज जाने-अनजाने इस भ्रूण की हत्या करने की प्रक्रिया क्यों बढ़ती जा रही है ? कई बार ऐसी घटनायें होती हैं जैसे मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया और कहा गया कि दो बार कम्पेनसेशन दिया गया और हमने उसका विरोध किया लेकिन इस प्रकार की भावना हो रही है जैसा कि जलगांव काण्ड हो गया। उसके बाद जो मानसिकता हो रही है, उससे वहां के लोग कहते हैं कि उस बात की ज्यादा चर्चा

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

मत करो। जलगांव की घटना से स्त्री की किसी न किसी बात पर आंच आ रही है और स्त्री समाज पर आंच आ रही है। मेरा यह कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? क्यों नहीं पुरूष पर आंच आ रही है ? आपके शहर में यह सब होता रहा और आप उसकी रक्षा-नहीं कर सके। कहीं न कहीं आप इसके लिए जिम्मेदार हों। क्यों नहीं उस शहर में पुरूष का सिर शर्म से झुक रहा है ? आज समाज में स्त्री के प्रति यह दृष्टिकोण क्यों पैदा हो रहा है ? इस बिल के लाने से पहले यहां पर चर्चा हुई थी और उसके लिए एक कमेटी बनायी गयी थी। मैं उस कमेटी की मेम्बर थी और हम लोगों ने कई जगह घूमकर कई लोगों से संपर्क किया और कई सामाजिक संस्थाओं से चर्चा

4.03 म.प.

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं]

करके इस कमेटी की रिपोर्ट दी है यह बात भी उतनी सही है कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जब कानून बनता है तो उसी के साथ-साथ यह भी कहती हूं कि कानून बनाने की प्रक्रिया जैसे शुरू हो जाती है, उसमें मनुष्य की बुद्धि की देन है, उसका प्रयोग करते हुए इस कानून के जो लूपहोल्जा हैं, उससे कैसे बहार निकला जाये उसको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके लिए कई प्रकार के कानून बन जाते हैं और वह कानून जितने जबरदस्त तरीके से प्रभावित होना चाहिए, नहीं हो सकता है।

सभापति महोदया, जब बम्बई में हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो एक बहुत बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ ने और जिनका जेनेटिक सैंटर प्रमुख है, उन्होंने वास्तविक बात कही कि यह कानून तो बनना ही चाहिए लेकिन इस टैस्ट पर प्रतिबंध लगाने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जितने जेनेटिक सैंटर हैं, वहीं किसी न किसी कारण से टैस्ट होते ही हैं। इसमें बच्चे की एबनार्मेलिटी जांचने के लिए, अनुवंशिक रोगों की जांच के लिए, स्त्री पर किसी दवाई का असर है और वह बच्चे पर तो नहीं हो रहा है ये सब ढूंढने के लिए होते हैं लेकिन लड़का है या लड़की है, यह ढूंढने के लिए यह कहना है। मेडिकल साइंस इतना आगे जा रहा है कि उन्होंने कहा कि विदेशों में आज यहां तक अनुसंधान हो रहे हैं कि केवल एक छोटा सा ब्लड टैस्ट करने से भी इस बात का पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में भ्रूण का लिंग क्या है। इसके लिए जेनेटिक संस्थान में जाने की जरूरत नहीं हैं हमारे यहां आने मे हो सकता है उसे दस बीस साल लगें लेकिन यह हो सकता है। तो यह जो मानसिकता है इस पर प्रहार होना अत्यंत आवश्यक है कि स्त्री भ्रूण की हत्या यानी हम एक मनुष्य की हत्या करते हैं। अभी उदाहरण देकर कहा गया कि 1600 पुरुषों के पिछे स्त्रियों की संख्या 900 या 950 रह गई है। मैं कहती हूं कि हम इस प्रकार से क्यों सोचें। एक मनुष्य का हम कहीं न कहीं खून कर रहे हैं, एक जीव को इस दुनिया में आने से हम रोक रहे हैं। जो अधिकार हमें किसी ने भी प्रदान नहीं किया है वह अधिकार हम स्वयं बखूबी अपने आप ले रहे हैं और इस प्रकार से हम कहीं न कहीं राक्षस बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से हमें इस तरफ देखना चाहिए। इसलिए इस बिल का सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्व है और जन-जागरण की आवश्यकता है। इसलिए इस समिति ने बात करते समय जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की कल्पना की है उसमें कहा है कि यह केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड समय-समय पर सलाह तो

देगा ही, लेकिन सलाह के साथ-साथ जन-जागरण अभियान छेड़ने की दृष्टि से भी यह योजना बनाएगा।

इसी के साथ दूसरे राज्यों में भी जब ये कानून बना और वहां की स्थिति हमने देखी तो यह मालूम पड़ा कि तीन-चार साल महाराष्ट्र में ही इस कानून को बनाए हुए हो गए और वहां पर मैं कहूंगी कि जागरूकता भी काफी है और सामाजिक संगठन भी जागरूक है लेकिन कानून बनने के बाद भी चार-पांच साल तक एक भी ऐसा केस साबित नहीं हा सका, किसी एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकी इस कानून के अंतर्गत। यह कानून के पालन की स्थिति है और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कानून बनने के साथ-साथ लूपहोल्स ढूंढना भी शुरू हो जाता है। दूसरी वहां जो अड़चन लगी कि जो राज्य का सलाहकार बोर्ड है उसका अध्यक्ष या प्रमुख वहां का कोई सरकारी अधिकारी ही होता है और उसको समय ही नहीं होता है कि सलाहकार बोर्ड की बैठक ले ले या इस प्रकार की समस्याएं जब कभी सामने आती हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है तो उन केसेज का इनवस्टिगेशन करने के लिए अधिकारी के पास समय ही नहीं होता है और इसलिए इनवेवस्टिगेशन भी ठीक से नहीं होता है। कानून बनने के बाद भी वह प्रक्रिया पूरी नहीं होती और इसलिए हम कितनी भी सजा का प्रावधान करें तो भी किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं हो पाई। इसलिए यह भी सुझाव दिया गया है कि जरूरी नहीं कि जब सलाहकार बोर्ड बने तो उसका जो अधिकारी हो वह कोई सरकारी अधिकारी ही हो। मैं कहूंगी कि अगर हम इसमें संशोधन कर सकें कि सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए ओर किसी सामाजिक संस्था का अध्यक्ष या ऐसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई डाक्टर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनता है तो हो सकता है ये सलाहकार बोर्ड जो काम करेगा वह पूरी ताकत के साथ काम कर पाएगा।

आज जब तकनीकी दृष्टि से यह कानून हमने बनाया है तो इसमें जो सजा के प्रावधान दिए गए हैं यह सही है लेकिन इसमें जो भाव आया है कि कई सामाजिक संस्थाओं से हमने जब बात की थी और यह बात भी सही है कि जब सजा की बात आती है। तब सबसे पहले जो व्यक्ति किसी स्त्री को इंस्टीगेट करता है, उस अपराध की सुई यदि किसी की तरफ उठती है तो वह पति की तरफ उठती है, इसलिए किसी को यदि सजा दी जानी है तो पहले हमें पति के बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं उसने तो स्त्री को गर्भपात करने के लिए इंस्टीगेट नहीं किया है। सबसे अंत में स्त्री के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि कोई भी स्त्री ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके ही हाड-मास का जीव, उसके ही रक्त-मांस का जीव, जो उसके अंदर बढ़ रहा है, उसे निकाल कर वह बाहर फेंक दे। यदि किसी के एक छोटा सा फोड़ा भी हो जाता है तो उसे निकालने में भी कितनी तकलीफ होती है, फिर यह तो जीव है, इसलिए कोई भी स्त्री, कोई भी मां ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि अपने में से निकाल कर किसी जीव को वह अलग कर दे। ऐसा कभी होता नहीं है। इस संबंध में जितनी सामाजिक संस्थाओं में जाकर मैंने महिलाओं से बात की है, जहां कई जगह पुरुष भी उपस्थित थे, सबका यही मत था कि सजा का प्रावधान करते समय किसी स्त्री को सजा नहीं होनी चाहिए, किसी स्त्री को सजा देने के बारे में सबसे आखिर में सोचना चाहिए क्योंकि एक आध परसेंट स्त्रियां ही ऐसी हो सकती हैं लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगी कि जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि अच्छे भले घरों में भी, जिस दिन से गर्भ ठहरता है, मानसिक रूप से, उसी दिन से स्त्री पर घर के सभी लोगों की तरफ से यह दबाव आने लगता है कि अब घर

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

में किसी युवराज का आगमन होना चाहिए, कोई कहेगा कि पोता होने वाला है लेकिन आज तक मैंने किसी घर में ऐसा कहते नहीं सुना कि कोई युवरानी या अच्छी लड़की आयेगी यद्यपि कई घरों में लड़की की जरूरत होती है तो भी कोई ऐसा नहीं कहता।

मेरा मतलब है कि पहले दिन से ही मानसिक रूप से एक जबर्दस्त प्रभाव स्त्री पर डाला जाता है। यदि कोई महिला चाहती भी है कि उसे दूसरी या तीसरी लड़की न हो तो भी उस स्त्री को सजा देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है।

उसी के साथ-साथ यह देखना भी जरूरी है कि जहां ऐसी बातें होती हैं, वे बड़े-बड़े जेनेटिक सैंटर्स में नही होती हैं. कई ऐसे अनुसंधान केन्द्र है जहां जाने का मुझे मौका मिला, उन्होंने हमें बताया कि जहां एन्नौमैलिटीज ढूंढने के लिए हमारे सैंटर पर जब कोई परीक्षण किया जाता है तो हम उसमें कहीं सैक्स के बारे में नहीं बताते। केस फाईल तक में कहीं भी सैक्स का उल्लेख नहीं किया जाता। कई केस फाइलें उन्होंने हमें निकाल कर दिखायी। हमें बम्बई हॉस्पिटल जाने का भी सौभाग्य मिला, उन्होंने भी अनेक केस फाइलें निकाल कर हमें दिखायी और हमसे कहा कि यद्यपि तुरन्त सैक्स का पता लग जाता है तो भी हम केस फाइल में कही उसके बारे में दर्ज नहीं करते। ऐसे कत्रम गलियों में स्थित छोटे-छोटे सैंटर्स में होते हैं। अभी हमनें ऐसे विज्ञापनों पर पाबंदी लगाने के बारे में बात की है क्योंकि गलियों में स्थित छोटे सैंटर्स में जो डाक्टर होते हैं, वे डाक्टर ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दाऊ जी ने जो कारावास का प्रस्ताव यहां रखा, मुझे बहुत ठीक लगा क्योंकि 10 हजार रुपये जुर्माना तो कुछ भी नहीं होता। यदि 10 हजार रुपये देने के बाद कोई अपराधी कानूनी रूप से छूट जाता है तो वह भी गलत हो जाता है क्योंकि फिर वह इसी तरीके से 50 हजार रुपया कमाने के लिए फ्री हो जाता है। इसलिए कारावास का प्रावधान, चाहे वह एक महीने का हो, दो महीने का हो, अवश्य होना चाहिए और इसके साथ-साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी समाप्त करने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

वैसे मुझे यह बिल देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आने के इतने दिनों बाद यह बिल सदन में डिस्कशन के लिए लाया गया है, अब कानून का स्वरूप तो यह ले ही लेगा लेकिन इसका प्रभाव तभी होगा जैसा मैंने कहा कि विज्ञान को सही अर्थ में, सही दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहां जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, किसी अणु को परमाणु में तब्दील करने के बाद, उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और उससे संहारक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। अब प्रश्न है कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है वह मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है, मनुष्य के संस्कारों पर निर्भर है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी लोग ठीक ढंग से इस पर सोचें ताकि सामाजिक दृष्टि से अच्छी चीज हमारे सामने आ सके। सही दृष्टि से कानून का उपयोग यदि हम कर सकें तो एक अच्छे समाज का निर्माण करने में यह विधेयक सहायक होगा।

सभापति महोदया, मुझे मालूम है कि कानून के द्वारा कोई यह बात तो होने वाली नहीं है कि आज कानून बन गया है, तो कल से सारे इस प्रकार के सैंटर्स बन्द हो जायेंगे या यदि आज कानून बन गया है, तो कल से सारी भ्रूण हत्याएं होनी बन्द हो जाएंगी, लेकिन इसके जरिये कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता विकसित होगी, समाज इसके लिए तैयार हो जाएगा कि यह

काम अब हमें नहीं करना है और जो इसको करेंगे उनके मन में एक भय पैदा होगा और ऐसा कुछ करते समय वह कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। यदि इतना भी प्रभाव इस कानून का हो जाए, तो मैं समझूंगी कि हम भी थोड़े से प्रगति की ओर अग्रसर हो गए हैं।

सभापति महोदया, जैसा अभी कहा गया, स्त्रियों को 33 प्रतिशत स्थान देन से जैसा भय पुरुषों में व्याप्त है कि सारी जगह पर स्त्रियां ही स्त्रियां आ जाएंगी यदि हम इस 33 प्रतिशत को लागू करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहां देखते हैं कि जब महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान देने की चर्चा यहां पर होती है, तो बड़े अनमने ढंग से हम यहां पर चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि महिलाएं बड़ी हावी हो जाएंगी और सब जगह वे ही दिखने लगेंगी। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो पूरे समाज की बात कर रही हूं। यह इसलिए मैंने कहा कि स्त्रियां भी समाज का एक हिस्सा हैं। मनुष्य के जो अधिकार हैं, मैं समझती हूं वे सभी अधिकार स्त्री को भी होने चाहिए और मनुंष्य के रूप में स्त्री को भी देखा जाना चाहिए।

इस बिल को जो इस सदन में लाया गया है, उसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम कि यह कानून कहां तक इस समस्या का निदान कर पाएगा जिसका निदान करने के लिए यह यहां लाया गया है क्योंकि मैं भी यह मानता हूं कि अन्ततोगत्वा यह मानसिकता का सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कानूनों की कमी कभी नहीं रही है, लेकिन इस देश के पुरुष की मानसिकता को बदलने के लिए कोई कानून हम नहीं बना पाए हैं। इसलिए कुछ सदस्यों ने कहा है कि कहां तक यह विधेयक एक नया रास्ता बनाएगा, ऐसी कुछ सदस्यों ने आशा व्यक्त की है उसमें मैं अपने को भी जोड़ते हुए, अपने मन की पीड़ा को यहां व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, इस मानसिकता को एक अरसे से बदलने का जो प्रयास हिन्दुस्तान में चला, उसमें सफल होने की जगह पर हम लोग पीछे हटते नजर आ रहे हैं। दहेज को लेकर जो कांड हैं वे घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बलात्कार और अन्य किस्म के जो जुल्म महिलाओं के ऊपर होते हैं, वे घट नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं और घर में बच्ची पैदा होना एक अभिशाप हो गया है। यह जो एक मानसिकता है उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इसके अनेक सबूत हम लोगों के पास हैं। बच्चियों के लिए पढ़ाई के मामले में जो स्थिति है, वह भले ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर 10 साल में हमें यह बताने की कोशिश की जाए कि साक्षरता में महिलाओं में या बच्चियों में थोड़ी बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन जो मात्रा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर महिलाओं की साक्षरता में कोई बढ़ोतरी हुई है, तो उसकी तुलना में उतने पुरुषों की साक्षरता में बढ़ोत्तरी हो गई है और जो फर्क रहा है वह लगभग बराबर का ही चलता रहा है। इसलिए जो मूल सवाल है, उस सवाल का कहां और कब जवाब मिलेगा, इस सदन को उसे भी विचार करके खोजना चाहिए। जिस सवाल की बहस हम यहां पर कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि यह केवल एक नारी के साथ होने वाला जुल्म नहीं है। नारी के साथ अनेक जुल्म, जिनका वर्णन हमने और लोगों ने किया, होते रहते हैं। यह जुल्म समूचे समाज के साथ है क्योंकि दुनिया में प्रकृति ने जो नियम बनाया है, उसे जब इंसान मिटाने की कोशिश करता है तो अन्याय नारी जाति के साथ नहीं, समूचे समाज के साथ हो रहा है, इसे कबूल करना होगा। पुरुष और नारी की आबादी को

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

किसी बड़े राजनैतिक नेता, महापुरुष ने बनाने का काम नहीं किया, वह तो प्रकृति की बात है। छोटे से गांव से लेकर किसी जिले, प्रदेश से होकर समूचे देश और विश्व में लगभग बराबरी की एक मात्रा हम देखते आए हैं। लेकिन हमारे देश में उसे मिटाने की प्रक्रिया के जो अनेक तौर-तरीके हमने शुरू किए हैं, उनका जवाब यह कानून कैसे देगा।

मेरे पास 1991 के सैन्सस की रिपोर्ट है। सैक्स रेशियो की चर्चा पर एक टिप्पणी व्यक्त करते हुए सैन्सस कमिश्नर की रिपोर्ट कहती है :

[अनुवाद]

"पिछले कई वर्षों से लिंग अनुपात और गिरती हुई प्रवृति में सामान्य असमानता के कारण की और जांच करने की आवश्यकता है। अब तक किये गये अध्ययनों ने विगत में इस तथ्य के लिए अनेक स्पष्टीकरण दिये हैं। उनमें से कुछ में लड़कों को प्राथमिकता दी गई है जिसके परिणामस्वरूप लडकियों की उपेक्षा की गई है।"

[हिन्दी]

यहां मां के पेट में ही बच्चे को खत्म करने के मामले को रोकने का कानून आप बनाएंगे लेकिन भारत सरकार का दस्तावेज कहता है कि लड़के की खोज में लड़की से इस लापरवाही के साथ व्यवहार होता है कि वह पांच साल होने से पहले चली जाती है :

[अनुवाद]

"पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सापेक्ष अंतर और कतिपय प्रकार की मृत्यु, जो लिंग पर आधारित है तथा विपरीत लिंग अनुपात भी विगत में लड़कों की तुलना में कम लड़किया पैदा करने की धारणा के परिणामस्वरूप था। जिसका एक अंश माताओं की उच्च मृत्युदर है। तथापि गिरते हुए लिंग अनुपात के लिए किसी विशेष कारण को बताना कठिन है जिसके लिए विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है।"

[हिन्दी]

इस रिपोर्ट को चार साल हो गए, क्या कोई ऐनालिसेस हुआ ? क्या उन कारणों पर कोई सरकारी अध्ययन हुआ या किसी स्तर पर किसी विश्वविद्यालय या संस्था ने कोई इलाज खोजने का काम किया ? मुझे सैन्सस रिपोर्ट से कुछ और भयावह बात जो नजर आती है, वह यह है कि हिन्दुस्तान में नारी की आबादी को घटाने की जो प्रक्रिया है, वह आजादी के बाद शुरू हुई है। अगर खोज की है तो सरकार से आज यह कहना चाहूंगा कि इसकी विशेष तौर पर खोज होनी चाहिये कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान में ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में घटने की प्रक्रिया बढ़ी। 1901 से 1991 तक के 9 दशकों के आंकडे इस सैन्सस रिपोर्ट 1991 में हैं। यह बताते हैं कि जून 1901 में हमारे प्रदेश आज के स्वरूप में नहीं थे, लेकिन जिले और गांव थे। सैन्सस कमीशन ने जिले और गांव आज के सूबे के हिसाब से जोड़ कर 1901 से जो जानकारी दी, वे यह बताती है कि 1901 में 9 प्रदेशों में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा थी। 1911 में वह 10 थी, 1921 में 11 पर थी, 1931 में फिर 9 पर थी। 1941 में आजादी के पहले का जो आखिरी सैन्सस रहा तब भी 9 प्रदेशों में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज्यादा

थी। फिर 1951 आता है। 1947 में देश आजाद हुआ। 4 साल के बाद सैन्सस होता है। वह फिर 9 पर है। 9 प्रदेशों में महिलायें पुरुषों से ज्यादा हैं। 1961 में वे 9 से घट कर 8 हो जाती हैं। 1971 में वे घटकर 3 हो जाती हैं। 1981 में वे घट कर 2 हो जाती हैं। 1991 में मात्र एक प्रदेश केरल में नारियों की आबादी पुरुषों की तुलना में अधिक है। हजार पुरुषों की तुलना में 1040-1042 नारियां वहां पर हैं। तमाम प्रदेशों में आजादी के बाद इनकी आबादी को घटाने का सिलसिला शुरू हुआ और आज यहां आकर पहुंचा। सारे संकेत इस बात का सबूत दे रहे हैं कि स्थिति पर कोई रोक नहीं लगाई गई। स्थिति बिगड़ती गई। इसलिये मैं सरकार से इस विधेयक के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूं कि सैन्सस कमीशन ने जिस जांच को करने की सलाह सरकार को दी, उसकी जांच और खोज हो। आजाद हिन्दुस्तान में इस नारी समाज पर होने वाले जुल्म को मिटाने का आप काम करें। सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

4.29 म.प.

स्थगन प्रस्ताव
असम में चिन्ताजनक स्थिति

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि सभा अब स्थगित हो।"

[हिन्दी]

सभापति महोदया, मैं काम-रोको प्रस्ताव के माध्यम से दो दिन पहले असम के बारपेटा ज़िले में हुई दुखद घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इसे राष्ट्रीय चिन्ता की बात मानता हूं। वहां जो घटना घटी, उस पर इस सदन में बहुत गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिये।

महोदया, हमारे देश के जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, उनमें ज्यादातर लोग आदिवासी रहते हैं या ऐसे लोग रहते हैं, जो पहाड़ों में, जंगलों में बड़ी कठिन जिन्दगी व्यतीत करते हैं। हजारों सालों से ये सारी सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जो सुविधायें एक सामान्य नागरिक को मिलनी चाहिए। कई क्षेत्रों में तो ये घास-पत्तियां खा कर जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। कई परिस्थितियों के कारण ये पूरे देश की राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग हो गए हैं। यह दुर्भाग्य था कि गुलाम भारत में उनकी तरफ कम ध्यान दिया गया। ध्यान गया भी, तो इलाके में जो मिशनरी लोग काम करते थे या समाजसेवी लोग काम करते थे, केवल उनका ध्यान उनकी तरफ गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 46-47 सालों के बाद भी, जो सीमावर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जिनको हम शैड्युल्डट्राइब्स लोग कहते हैं, जो आदिवासी हैं, जिनका जीवन आज संघर्षशील है, उनके लिए आज भी जितना ध्यान राष्ट्र का जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना ध्यान नहीं गया है। यही कारण है कि उन क्षेत्रों

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के लोगों ने समय-समय पर बगावत की और सघर्ष का रास्ता अपनाया। अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए उनको हथियार उठाना पड़ा। जब तक उन लोगों ने संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया था, तब तक उनकी तरफ देश का ध्यान नहीं गया था।

आज जिस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, वह बोडोलैंड की समस्या है। आज से एक साल पहले वहां पर एक एकार्ड हुआ था, उस एकार्ड के हमारे राजेश पायलेट जी साक्षी हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी साक्षी हैं। लोगों के साथ बैठ कर काम को किया गया और उस एकार्ड में बहुत साफ बातें कही गई थीं। आज सुबह ही अध्यक्ष जी ने जसवन्त सिंह जी से प्रश्न किया था- भारत सरकार इसमें कैसे आती है ? मैं बताना चाहता हूं कि इसके प्रिएम्बल में साफ कहा गया है :

[अनुवाद]

"भारत सरकार तथा असम सरकार दोनों असम में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर रहने वाले बोडो लोगों तथा अन्य मैदानी आदिवासियों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण हल के लिए गंभीर प्रयास करती रही हैं। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ-साथ आल बोडो स्टूडेण्ट्स यूनियन (ए.बी.एस.यू.) तथा बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी (बी.पी.ए.सी.) के नेताओं के साथ अनेक बैठकें की। राज्य सरकार ने भी बोडो नेताओं के साथ अलग से चर्चा की। परिणामस्वरूप, यह आवश्यक समझा गया कि असम राज्य में एक योजना के अन्तर्गत एक प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जिसका विवरण अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।"

[हिन्दी]

भारत सरकार की प्रारम्भ से ही उसमें हिस्सेदारी है। बोडोलैण्ड डिफैंस काऊंसिल से जो सैटलमेन्ट हुआ, उसमें हिस्सेदार भी राजेश पायलट हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन्स बनाई। यदि आप इसको देखें, तो उसमें भी कहा गया है :

[अनुवाद]

"बी.ए.सी. के लिए धनराशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गये मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य बजट में एक अलग उप शीर्ष के अन्तर्गत किया जाएगा।"

[हिन्दी]

भारत सरकार शुरू से इसमें संबंधित थी और हिस्सेदार थी। उस एक्ट के मुताबिक भी हिस्सेदारी आज भी जारी है। समय-समय पर उनको निर्देश देना पड़ता है। उनको वित्तीय साधन जुटाने पड़ते हैं, जब कठिनाई आती है तो उनको बैठ कर उनसे बात करनी पड़ती है। आज जो कुछ हो रहा है पिछले अक्तूबर और आज तक 9 महीनों के अंदर 4 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें सैंकड़ों

लोगों की मृत्यु हुई। करोड़ों की सम्पत्ति का नाश हुआ। उस इलाके में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। बोडो के अलावा जो दूसरे लोग हैं चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग हैं, हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई रहते हैं नेपाली बोलने वाले रहते हैं, बंगाली बोलने वाले रहते हैं, दूसरी और भाषाओं के बोलने वाले भी वहां रहते हैं। आज उनके मन में असुरक्षा की भावना हो गई है कि उनकी जिन्दगी, सम्पत्ति, उनके बच्चों का भविष्य कोई भी अब वहां सुरक्षित नहीं रह गया है।

महोदय, पिछले महीने में दो बड़ी घटनाएं हुईं, 17 आदमी मारे गये। इस बड़ी घटना से पहले, जिसमें आज भी उस कैंप के लोगों ने कहा है कि लगभग दो सौ आदमी मारे गये हैं तथा बहुत सारी संख्या में लोग लापता हैं जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है कि वे जीवित हैं या नहीं। वे कहां हैं उनकी कोई खोज नहीं हो पाई। ये घटनाएं क्यों इतनी गंभीर हो जाती हैं ? जब पहले घटना हुई तो मुख्य मंत्री अपना पूरा मंत्रिमंडल ले करके गये। उनका कहना है कि दो सौ लोग मारे गये हैं और सैंकड़ों लापता हैं। वहां मुख्य मंत्री और पूरी सरकार असम की मौजूद है। अपनी सुरक्षा की व्यवस्था मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने कर ली थी पर आम जनता की वहां सुरक्षा नहीं थी। कोई ऐसा उदाहरण जिसमें शरणार्थी शिविर में रात को जा करके, पूरी लाइट जला करके और ए.के. 47 तथा दूसरे आधुनिक अस्त्रों का इस्तेमाल किया हो, मेरी सूचना के मुताबिक वहां 15 बच्चे, 20 महिलाएं और कुछ बूढ़े लोग भी मरे तथा कुछ बीमार लोग भी मरे। मुझे मालूम है कि वहां राजेश पायलट जी, पी.एम. सईद जी और हमारे बोम्मई साहब मौके पर गए थे। वहां तीन मंत्री मौके पर गये थे। वहां कैंप के लोगों ने एक दिन पहले और कुछ पुलिस वाले भी थे, उन्होंने बताया कि आज रात को हमला होने वाला है आप लोग सतर्क रहिए। कैंप के लोग मुख्य मंत्री और कुछ मंत्रियों के पास गये उन्होंने कहा हमें एक सूचना मिली है कि हमला होने वाला है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई अतिरिक्त पुलिस नहीं बुलाई गई। उस इलाके में बी.एस.एफ. के लोग रहते हैं उनकी कोई मदद नहीं ली गई। सेना के लोग भी रहते हैं उनकी भी कोई मदद नहीं ली गई। मुख्य मंत्री किसलिये वहां कैंप में गये, सारा मंत्रिमंडल वहां था। अगर इन हत्याओं का दोष किसी के ऊपर सबसे ज्यादा है तो वह असम सरकार के ऊपर है और इस जिम्मेदारी से असम की सरकार बच नहीं सकती है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : आरम्भ में यह मुख्य मांग थी कि माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में यह अच्छी बात होगी यदि माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि वास्तव में क्या हुआ था तथा तब वास्तविक तथ्यों के आधार पर चर्चा हो सकती है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : हां-हां, आपकी बात ठीक है। हाउस में एडजार्नमेंट मोशन आ गया है उस पर बहस हो रही है,.....**(व्यवधान)**..... मिनिस्टर का स्टेटमेंट बीच में थोड़ी आ सकता है ; .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आपका स्थगन प्रस्ताव किस विषय के बारे में है, आप कृपया यह हमें बताएं। यह स्थगन प्रस्ताव बोडो स्थिति के सम्बन्ध में है या असम सरकार के या केन्द्र सरकार के विरुद्ध है ? यदि आप कृपया स्थगन प्रस्ताव के विषय को पढ़ दें, तो उसमें हमें फायदा होगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : आप हमारा भाषण सुनें उससे आपको पता चल जाएगा। ....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवानी (गांधीनगर) : महोदया, चूंकि स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष पीठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, यह एक निश्चित रूप में होगा और सभा के लिए यह उचित होगा कि स्थगन प्रस्ताव के शब्दों को जाने क्योंकि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, जहां तक हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सम्बन्ध है, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है क्योंकि हमने सोचा कि स्थिति में हस्तक्षेप करना भारत सरकार का दायित्व था और भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए हमने यहां स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। .....**(व्यवधान)**.....

श्री चन्द्रजीत यादव : यह भारत सरकार का दायित्व है। भारत सरकार का हमेशा ही यह दायित्व है। ...**(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : इसे हर हालत में पढ़ा जाना चाहिए। हमें यह पता अवश्य होना चाहिए कि हम चर्चा किस विषय पर कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अकार्ड हुआ वह पूरी तरह से फेल हो गया है। जिसके बारे में यह कहा गया था और जिसके बारे में मुख्य मंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से कई वक्तव्य दिए गए थे कि बातचीत और बहुत प्रयासों के बाद यह उपलब्धि प्राप्त की गई है और संकट का समाधान किया गया है, लेकिन 9 महीने के अंदर 4 बडी घटनाओं के अंदर सैंकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर-बार हो चके हैं। अशांति घटने के बजाए बढ़ गई है और बजाए इसके कि सब बोडों नेताओं को साथ लेकर कोई हल निकाला जाता, उनको बांट दिया गया, बोडों नेताओं में प्रतिस्पर्धा पैदा करके भारत सरकार और मुख्य मंत्री उनको अपने हित के लिए इस्तेमाल करने लग गए। बोडों नेताओं को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और इस समस्या का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई। सबसे गंभीर बात यही है कि उस इलाके के रहने वाले गरीब, पिछड़े और बेबस लोगों की समस्या का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस समस्या को और गंभीर बना दिया गया।

सभापित महोदय, एक्ट में यह भी कहा गया था कि बोडों बहुमत के इलाकों की पहचान की जाएगी, जिसमें वन भूमि को भी देखा जाएगा। इस काम के लिए फारेस्ट तथा अनवायर्नमेंट

विभाग को कहा गया था कि ये लोग उस इलाके की पहचान करने में मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ। मैं पायलट जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि यह समस्या इसलिए पैदा हुई कि अभी बनाई गई बोडो लैंड में 100 गांव ऐसे हैं जो बोडों बहुमत के गांव नहीं हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि बोडो लैंड और भूटान की सीमा के बीच 10 किलो मीटर का स्ट्रिप यह कह कर छोड़ दिया गया है कि यह क्षेत्र बोडो लैंड में शामिल नहीं होगा, जबकि वह क्षेत्र बोडो बहुमत वाला क्षेत्र है। इस तरह से उनकी देशभक्ति पर आशंका व्यक्त की गई और उनको लगा कि भूटान की सीमा लगी होने की वजह से इस क्षेत्र को हमें नहीं दिया जा रहा है। यह भी उनके असंतोष का कारण रहा है। क्या एक्ट में नान पार्टी लोगों की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है ? क्या यही सुरक्षा व्यवस्था की गई कि आज सैंकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और हजारों लोग शरणार्थी कैंपों में पड़े हुए हैं, उनकी भी जानें जा रही हैं। मैं इस बात का आरोप मुख्य मंत्री पर लगाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, वहां के मुख्य मंत्री मेरे मित्रों में से रहे हैं और किसी जमाने में उनकी एक युवा नेता के रूप में अच्छी ख्याति थी, लेकिन कभी-कभी यह जो सत्ता मद है, धन का मद जो होता है, वह आदमी को पागल बना देता है और वह सारी मान्यताएं तोड़ देता है, उसका पूरा चरित्र बदल जाता है, कार्यशैली बदल जाती है और सस्ता यश लूटने के लिए वह ऐसे कामों को करता है जिससे बुनियाद हिल जाती है। और जिससे राष्ट्रीय एकता को भी खतरा होता है। आज मुख्य मंत्री ने महज सस्ती ख्याति प्राप्त करने के लिए जिनके ऊपर हत्या के गंभीर आरोप थे उनको छोड़ दिया। यह कहा कि हमारा दिल बड़ा भारी है और हम इनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और यही नहीं मेरा सोचना है कि उनकों मारूति गाड़ियां और शराब के ठेके तथा अन्य पुरस्कार दिए। उस इलाके में यह भावना है कि जो वहां के सही निवासी हैं और जो संकट के समय देश के साथ रहना चाहते थे और जो लोगों में सौहार्द की भावना स्थापित करना चाहते थे, उनको अलग कर दिया गया। यह बहुत खतरनाक बात हुई। चालिहा जी अभी बताएं की वहां क्या स्थिति है या सामान्य स्थिति है या लोग खुश हैं। जो वहां पर स्थिति पैदा हो गई है तो क्या हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बन रहा है। एक वर्ष पहले हमारी फौज के अधिकारियों ने मुख्य मंत्री को इस बात की चेतावनी दी थी कि यहां पर चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं और यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को हथियारों से लैस कर रहे हैं और कुछ लोग हमारी इंटैलिजैंस से हैं, आप इसको कह दीजिए की यह गलत है। मेरा सोचना है कि आई.बी. और रॉ दो अलग ग्रुपों को फाईनेंस कर रहा है जैसे लिट्टे के भिंडरावाले के साथ किया गया कि आपस में लड़ाओ या आपस में इसमें संघर्ष पैदा करें और एक दूसरे का मनोबल तोड़कर इनको कमजोर करो। यह राष्ट्रीय समस्या है जो ऐसे हल नहीं होती है। यह समझदारी और एक वातावरण बनाकर एक दूसरे का इस्तेमाल करके होती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घृणित और कुत्सित रणनीति राजनीतिक फायदे के लिए बनाई जाती है तो वह अंततोगत्वा बड़ी गलत साबित होती है और वही इस इलाके के अंदर हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो पहचान का काम था वह आज तक पूरा नहीं किया गया है। इस क्षेत्र के अंदर जो दूसरा ग्रुप था तो क्यों नहीं उसके साथ बातचीत का रास्ता अपनाया गया और वहां के अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए ? यह आपकी जिम्मेदारी थी। आपने मंत्री की हैसियत से अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। हमने अखबारों में पढ़ा कि राजेश पायलट जी ने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे खेद है कि असम की सरकार

[श्री चन्द्रजीत यादव]

को जो कदम उठाना चाहिए था, वह पूरी तरह से नहीं उठाया गया है। वहां पर असम की सरकार अपनी संवैधानिक ड्यूटी को परफार्म करने में असफल हो गई है। मैं यह नहीं कहता कि उसको डिसमिस कर दीजिए बल्कि चार-पांच-छह महीने का जो समय मिलता है तो इस बीच में इस समस्या का हर तरह से विचार कीजिए और जो समझौता लागू हुआ था तो वह ठीक से लागू क्यों नहीं हो पाया ? इसमें क्या कमजोरी है ताकि आने वाले भावी संकट को बचाया जा सके वरना घटना हो सकती है। चार बड़ी घटनाएं वहां घटी हैं और दो सप्ताह के अंदर बड़े पैमाने पर शरणार्थी शिविर के अंदर हत्याएं हुई हैं। ये घटनाएं असम सरकार की आंख के नीचे घटी हैं जहां पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका एक ही तरीका है कि सरकार को सस्पेंड करो, विधान सभा को सस्पेंड करो और इस बीच में आप और दलों से भी बात करो। असम में सभी दलों ने एक स्वर से मांग की है कि यह सरकार अपने काम को करने में असफल रही है, इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि इस इलाके में नान बोडो गांव हैं उनमें तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था करायें हर गांव में, हर इलाके में चाहे पुलिस से, चाहे फौज से वह हो। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। कि नान बोडोज लोगों के जन-माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस सरकार को लेनी चाहिए। मैंने अभी तक अखबार में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों को कम से कम दो लाख रुपया तुरंत दीजिये। उसके आगे क्या करना है उसकी भी व्यवस्था करें। क्योंकि वे सब शरणार्थी बन गये हैं। अपने गांव जाने को वे तैयार नहीं है। वे शरणार्थी बनकर रह गये हैं जैसे जम्मू-कश्मीर के लोग यहां पर हैं। उनके पास टैंट नहीं हैं, खाने को भोजन नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है, जीवन साधन नहीं हैं। इसलिए आप उनके जीवन की सुरक्षा और उनके जीवन साधन की व्यवस्था तत्काल करें।

भारत सरकार को एक समयबद्ध तरीके से उस इलाके की पूरी पहचान कि वाकई बोडोलैंड कहां है, करनी चाहिए। अगर कोई बहुमत में गांव है और कोई दूसरा ऐसा गांव है जो बोडो से घिरा हुआ है क्या वह भी इसमें रहेगा। ऐसे गांव खाली कंटीग्युवस करने के लिए या उनको मुआवजा देने के लिए नान बोडो के गांव हैं जिनमें बहुत कम बोडो रहते हैं, लेकिन बोडोलैंड में शामिल कर दिये गये हैं, यह भी असंतोष का बड़ा कारण है। इस पर भी आपको सोचना है।

सरकार कैसे सोती है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे मित्र शहाबुद्दीनजी 9 जुलाई, 1994 को वहां के लोगों के निमंत्रण पर गये थे। वहां की स्थिति को ये देखकर आये हैं। उनकी मुख्य मंत्री से बात नहीं हो सकी। उन्होंने इनको अपने एक मंत्री से मिलने को कहा और उन मंत्रीजी से इनकी बात हुई। उसके फौरन बाद 9 जुलाई को ही इन्होंने पत्र लिखा। उसमें लिखा :

[अनुवाद]

"जब पहले नरसंहार हुआ था तो यह खुफिया तंत्र की असफलता थी– वह पहले वाले नरसंहार की बात कर रहे थे, इस वर्तमान नरसंहार की नहीं– परन्तु अब गैर-बोडो लोगों की जान-माल की रक्षा करने में केवल प्रशासन ही असफल नहीं है बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नहीं रह गई है।"

[हिन्दी]

यह काफी नहीं था मुख्य मंत्री को कि एक वरिष्ठ सांसद की रिपोर्ट से कि स्थिति कितनी गम्भीर है। उनके एक मंत्री ने भी इनसे बात की थी। इतने गम्भीर मूल्यांकन के बाद असम की सरकार सोती रही, उसने इसके ऊपर कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया। इन्होंने यह भी लिखा :

[अनुवाद]

"जैसा कि आप जानते हैं, एक भी बोडो न तो मारा गया है, न ही घायल हुआ है। हिंसा पूर्णतः एकपक्षीय तथा पाशविक थी। मुझे विश्वस्तरूप से खबर मिली है कि यह हिंसा बोडो आन्दोलन के अंग ए.बी.एस.यू. द्वारा की गई थी, जिसके लिए धन की व्यवस्था, ऐसा कहा जाता है, कुछ केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की गई। वास्तव में यह भी कहा जाता है कि बी.एस.एफ. को भी एक समय केन्द्रीय एजेंसियों से धन तथा सामग्री का समर्थन मिला था।"

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

4.54 म.प.

[हिन्दी]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री ने इसके बाद आपसे कोई सम्पर्क किया कि इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं इसमें कोई तथ्य है या नहीं है ? आपको लिखा होता तो मुझे विश्वास है कि आप इनसे सम्पर्क जरूर करते और पूछते कि इतने गम्भीर आरोप लगाने का क्या कारण है ? मुझे शहाबुद्दीनजी ने बताया कि उन्होंने इस पत्र की एक कापी आपको भी भेजी थी। क्या आपका कर्त्तव्य नहीं था कि आप उनको फोन करके पूछते कि आप वहां गये थे ? कि आप गये थे, आपने इतने गंभीर आरोप लगाये हैं, आपके अथारटेटिव सोर्सेज़ हैं, उसकी चर्चा की है, तो ज़रा इसका संकेत कर दें ताकि मुझे भी उसकी जानकारी मिलें, लेकिन नहीं। इसके बाद कोई कदम नहीं उठाये गये। न सरकार ने उसमें कोई कार्यवाही ही की। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिये। संसद इस बात को गंभीरता से ले रही है। और इसलिए संसद अपना काम-काज बंद करके इस पर चर्चा कर रही है जैसी समस्यायें राष्ट्रीय हितों से ऊपर होती हैं और दुर्भाग्य से हमारे देश में कई भागों में खड़ी हो गयी हैं और हमारे दुश्मन और विरोधी लोग इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए बैठे हैं और आप जानते हैं कि लोग क्यों इस परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं ? इसलिये कहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से सोचें और उसका कोई प्रभावकारी रास्ता निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह संसद कोई गुडविल डेलीगेशन वहां भेजें ताकि हज़ारों मील की दूरी पर रहने वाले हमारे भाईयों और बहिनों को यह तसल्ली मिले कि कोई उनके दुख-दर्द में उनके साथ है और कोई उनके आंसू पोंछने वाला है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह बात स्पीकर साहब के नोटिस में लाकर वहां पर पार्लियामेंटरी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

डेलीगेशन भेजा जाये। लोग आश्वस्त होंगे और उससे लाभ भी होता है। अतः इस काम को सरकार को करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, भूटान से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और वह हमारे से मिला हुआ इलाका है। कोई उनके मन में शक नहीं है। बुनियादी तौर पर तो लोगों में विश्वास की बात होती है और मैं समझता हूं कि शोक संतप्त परिवार को संवेदनायें भेजना जरूरी है। जो लोग मारे गये हैं, वे निर्दोष हैं। वे लोग रात में सोते हैं और अचानक उन पर हमला कर दिया जाता है तो भारत सरकार की तरफ से आश्वासन मिलना चाहिये कि वहां न केवल फौज भेजकर बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर इस समझौते की हिस्सेदार हो और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था उनके इलाके में होनी चाहिये। आग की लपटें और न बढ़ने पावें और तेल व घी उसमें और न पड़ने पावे और वहां की जो सीधी-सादी जनता है इसका शिकार न होने पावे, इसलिये मैं समझता हूं कि कम से कम गृहमंत्री को इस सदन को आश्वस्त करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो मैंने काम रोको प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूं कि गंभीरता से हाऊस में इस प्रस्ताव को लायेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

तथापि, मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं जो पूर्वोत्तर, खासकर बारपेटा में हुई घटनाओं पर चर्चा के लिए दिया गया है। जो कुछ हुआ है उससे न केवल प्रत्येक व्यक्ति दुखी होगा बल्कि हम सभी के सिर भी शर्म से झुक जाएंगे कि एक शरणार्थी शिविर में युवकों और वृद्ध लोगों तथा औरतों और बच्चों को नृशंसतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। तथापि, मेरी इच्छा है कि चर्चा से पहले हमें माननीय मंत्री को सुनने का अवसर मिलना चाहिए था। इससे हमें बारपेटा की घटनाओं पर सही परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने में मदद मिलेगी। इस समय, हम सम्पूर्ण मामलें पर समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तथ्य नहीं हैं।

मेरे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने गम्भीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधान सभा को भंग करने की मांग की है।

5.00 म.प.

उन्होंने सरकार को बरखास्त करने की मांग की है तथा अन्य अनेक अनुचित तथा कठोर सुझाव दिए हैं। मुझे डर है यह ऐसा मामला है जहां हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तथा एक छोर से

दूसरी छोर तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा जो कुछ हुआ वह निश्चय ही अत्यन्त खेदजनक है। परन्तु, महोदय, इससे हमें यह अवसर भी मिला है कि हम अपना ध्यान पूर्वोत्तर में होने वाली घटनाओं पर केन्द्रित कर सकें। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पूर्वोत्तर की नियमित तथा 1966 से बार-बार यात्रा करता रहा हूं। इस वर्ष भी मैंने गुवाहाटी की तीन बार यात्रा की तथा पिछले कुछ हफ्तों में पूर्वोत्तर राज्यों का भी दौरा किया। मैं वहां होने वाली घटनाओं के प्रति एक लम्बे समय से सचेत रहा हूं। वास्तव में, बारपेटा में जो कुछ हुआ उसका लोगों को पहले से अनुमान या मुझे दुख है पूर्वोत्तर में जो कुछ हो रहा है उस ओर सभा का अपेक्षित ध्यान नहीं जा रहा है।

जैसा मैंने कहा है, शरणार्थियों के नरसंहार की पूरी तरह निन्दा की जानी चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है : पूर्वोत्तर में हो क्या रहा है ? हम बोडो और गैर-बोडो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय सदन को बताएं कि ये गैर-बोडो लोग कौन हैं ? क्या ये गैर-बोडो लोग मुख्यतः बांग्लादेश के सीमा पार क्षेत्र से आए हुए शरणार्थी नहीं हैं ? क्या ये वे लोग नहीं हैं जो आदिवासी क्षेत्रों का अतिक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं ? क्या ये तथाकथित गैर-बोडो लोग त्रिपुरा की स्थिति दोहराने का प्रयत्न नहीं कर रहे ?

त्रिपुरा में क्या हुआ ? मैं चाहता हूं कि यह सभा एक मूल बात को समझे। मैं चाहता हूं कि सभा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में एक मूल तथ्य पर ध्यान दे। पूर्वोत्तर क्षेत्र एक बात में अति संवेदनशील है। वे त्रिपुरा वाली स्थिति को कभी भी दोहराना नहीं चाहते। वे जीवित रहना चाहते हैं, वे अपनी अलग पहचान चाहते हैं, वे अपनी भूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे।

अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों की यहां बैठक हुई। मिजोरम तथा नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने 'इनर लाइन परमिट' हटा देने का विरोध किया। क्यों ? क्योंकि, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि "आप 'इनर लाईन परमिट' हटा देंगे तो हम भी ठीक उसी तरह से बरबाद हो जाएंगे जिस तरह त्रिपुरा आदिवासी बरबाद हो गए। इस बात का रिकार्ड है, क्या यही सब कुछ घटित होने वाला है ? वहां की मानसिकता को समझा जाना चाहिए।

जो कुछ भी बारपेटा में हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। परन्तु हमें केवल इसी घटना पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के बजाय मूल मुद्दों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मैं अपने मित्र श्री चन्द्रजीत यादव से सहमत हूं कि राहत तथा सहायता उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए तथा सरकार को यह देखना चाहिए कि वास्तव में वहां पर क्या हुआ है। तथापि मैं श्री चन्द्रजीत यादव को अपरिष्कृत भाषा में बोलने के लिए दोषी ठहराता हूं। क्या यह बात सच है या नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमण्डल इसी स्थान अर्थात बारपेटा में लाए थे ?

वे लोग वहां पर रात को रहे थे, तथा उन्होंने वहां क्या किया ? मैं यह सब कुछ राहत तथा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल आठ,

[श्री इन्द्रजीत]

दस या बारह पुलिस कर्मचारी ही उक्त शरणार्थी कैम्प की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। मैंने कुछ पुलिस कर्मचारियों से पड़ताल की। साधारणतः एक शरणार्थी कैम्प की सुरक्षा के लिए दस या बारह पुलिस कर्मचारियों से अधिक तैनात नहीं किए जाते। जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद, यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कोई गलती रही है। इस बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। परन्तु यह एक ऐसी बात है जो बार-बार घटित हो रही है और सभा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

आज सुबह मेरा ध्यान एक अन्य त्रासदी की ओर दिलाया गया। मुझे 1980 में त्रिपुरा में हुए मण्डाय नरसंहार की याद दिलाई गई।

श्री जसवन्त सिंह : यह घटना 6 जून 1981 को घटी।

श्री इन्द्रजीत : मैं इसमें शुद्धि करता हूं, यह काण्ड 6 जून, 1981 को हुआ वास्तव मे क्या हुआ, कि वहां पर आदिवासियों ने इस बात पर अपना प्रतिरोध व्यक्त किया कि उन्हें गहन से गहन पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे धकेला जा रहा था। उनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था तथा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। अंततः इस मामले ने विवाद का रूप धारण कर लिया। सारे मामले ने उग्र रूप ले लिया। इसका परिणाम क्या हुआ ? कई आदिवासी गांवों को जला दिया गया। आदिवासियों ने भी फिर उसका बदला लिया जिसके फलस्वरूप यह नरसंहार हुआ जिसमें दोनों तरफ के अनगिनत बूढ़े, जवान, महिला और बच्चें मारे गए।

इसलिए प्रश्न यह है : कि हम क्या करें ? यहां पर यह कह देना बड़ा आसान है कि 'सरकार को हटा दिया जाए'। मैं नहीं समझता कि यह समस्या का समाधान है। बारपेटा में सरकार थी। सरकार ने तत्कालीन परिस्थितियों में जो कुछ भी संभव था, करने की कोशिश की। अब सरकार ने सैनिक सहायता की मांग की है। उन्होंने यह किया है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, केन्द्र ने भी आन्तरिक सुरक्षा मंत्री श्री पायलट के साथ श्री पी.एम. सईद तथा श्री गगोई को तत्काल वहां भेजा। केन्द्र पीछे नहीं रहा है तथा उसने इस मामले में हर संभव सहायता दी है। और मैं समझता हूं कि यह सहायता हमारे सम्मुख आई समस्या का समाधान करने में काफी उपयोगी रहेगी। परन्तु आज मेरे बोलने का उद्देश्य सभा का ध्यान इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण मूल मामलों पर दिलाने का है।

इस क्षेत्र की मूल समस्या है बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का जारी रहना। इस समस्या का बिल्कुल निवारण नहीं किया जा रहा है। हम जातीय विवादों, आदिवासियों-गैर आदिवासियों आदि की चर्चा करते रहते हैं। परन्तु हमारी मूल-समस्या बांग्लादेश से अवैध आप्रवासन की है। आज सुबह मैंने गुवाहाटी में उच्च पदों पर आसीन अपने कुछ मित्रों को टेलीफोन किया जिनकी ईमानदारी पर मैं शक नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की समस्याएं कुछ और ज़िलों में भी उठने की संभावना है। बारपेटा के अतिरिक्त, गोपारा, दुबरी, बोंगईगांव, मंगलदोई तथा कोकराझार ज़िलों का इसमें नाम लिया गया। कुछ क्षेत्रों में तो हम पहले से ही इस समस्या का सामना कर रहे है। परन्तु यदि हम मूल समस्या का निवारण नहीं करते तो और बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

कुछ ही समय पूर्व मैं नागालैंड गया था। चाहे मेघालय हो, नागालैंड हो या कोई अन्य पूर्वोत्तर राज्य वहां की मूल समस्या यह है कि वहां के लोगों में, आदिवासियों के दिमाग में एक डर–सा है कि उन्हें बरबाद कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके राज्यों में भी त्रिपुरा की स्थिति बनें। वे कहते हैं कि त्रिपुरा जैसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी बात है जिसे समझना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि एक सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल वहां भेजने का विचार अच्छा है। वास्तव में, सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल के बजाय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भेजना बेहतर है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

श्री जसवन्त सिंह : क्या करने के लिए ?

श्री इन्द्रजीत : यह देखने के लिए कि वास्तव में वहां क्या हुआ तथा उस क्षेत्र की समस्याओं को गहराई से समझने के लिए।

मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह और मैं 6 जून, 1981 को घटित हुए मण्डाय नरसंहार के बारे में पहले बोले थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने श्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों का एक दल भेजा था। इस दल में कुछ गैर दलीय व्यक्ति भी थे। वे भी वहां साथ गए और उन्होंने पूरी समस्या का अध्ययन किया तथा उसके लिए कुछ सिफरिशें कीं।

प्रमुख सिफारिशें क्या थीं ? मूल सिफारिश यह थी कि सीमा पार से गैर आदिवासी लोगों द्वारा आदिवासी भूमि पर कब्जा करने की समस्या का समाधान किया जाए। यह मूल मुद्दा था। जहां सरकार ने हस्तक्षेप किया वहां भी क्या हुआ ? दस्तवेजों में भूमि आदिवासियों को लौटा दी गई। परन्तु वास्तव में वह भूमि उन्हें कभी भी वापिस नहीं मिली जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार दशकों के दौरान उनकी मन की शंकाएं तथा डर निरन्तर बढ़ते रहे हैं। इसलिए इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए।

अपने पिछले एक दौरे के दौरान मुझे यह भी बताया गया कि किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। मेरे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने गुप्तचर विभाग की विफलता का उल्लेख किया है। हां, गुप्तचर विभाग की असफलता रही है, परन्तु समस्या यह है कि जिस प्रकार की गुप्तचर सेवा हम चाहते हैं वह हमें प्राप्त नहीं हो पाई। दुर्भाग्यवश आई.एस.आई. कहीं अधिक लगातार सफल रही है। मेरे हाल में एक दौरे के दौरान जिस मुद्दे की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया वह एक ऐसी समस्या है जिस पर इस सभा ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। वह समस्या है-सिलिगुड़ी कौरीडोट की समस्या-जिसकी बाद में पैदा होने की पूरी संभावना है यहां हम देखते हैं सिलीगुड़ी में समस्या पैदा करने के लिए आई.एस.आई. हर प्रकार की पैंतरेबाजी की तैयारी कर रही है, सब तरह की कठिनाइयां पैदा करने तथा, दो सम्प्रदायों के बीच में तथा आदिवासियों और गैर आदिवासियों में खाई पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अगर सिलीगुड़ी कौरीडोट में वह अपने मन्तव्य में सफल हो जाते हैं-जैसे कि कुछ अन्य स्थानों पर भी उन्हें सफलता मिली है-तो हमें यह समझ लेना चाहिए तथा याद रखना चाहिए कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे से अलग हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र से कोई भी भूमि संपर्क नहीं रह जाएगा। हमें हवाई मार्ग से वहां जाना पड़ेगा। गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं होगी तथा देश के इस भाग से सब कुछ हवाई मार्ग से ही पूर्वोत्तर ले जाना

[श्री इन्द्रजीत]

पड़ेगा। यह एक समस्या का रूप धारण कर सकता है मेरा विचार है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश इन सब मामलों में अत्यधिक राजनीति है।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैं एक पत्रकार के रूप में 1966 से नियमित रूप से तथा बार-बार इस क्षेत्र का दौरा करता रहा हूं। वहां पर अत्यधिक राजनीति है-वोट बैंक की राजनीति तथा वोट बैंक विहीन राजनीति तथा अन्य सब प्रकार के हथकण्डों का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए मैं मंत्री महोदय तथा उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि बंग्लादेश के सीमापार क्षेत्र से घुसपैठ की मूल तथा गहन समस्या की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें भारतीय नागरिकों की पहचान करने तथा उन्हें पहचान पत्र देने के लिए गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। हमें गंभीरता से यह कार्य चाहिए यह कार्य नहीं किया जा रहा है। हम तो अवैध प्रवासियों की भी पहचान नहीं कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम कड़ाई से लागू करना चाहिए, मूल भारतीयों तथा गैर भारतीयों की पहचान करनी चाहिए। यदि हम यह कार्य कर लेते हैं तो हमारी आधी समस्या का तो निवारण हो जाएगा।

इसी तरह मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमें तत्काल बंग्लादेश से लगने वाले अपने बॉर्डर सील कर देने चाहिए। पहले भी हमने ऐसा करने का प्रयत्न किया था किन्तु बांग्लादेश ने इसका विरोध किया। मैं नहीं समझता कि हमें इस प्रकार के किसी विरोधी की परवाह करनी चाहिए। जब तक हम बॉर्डर सील नहीं कर सके पंजाब की समस्या गंभीर बनी रही बॉर्डर को प्रभावकारी रूप से बंद करते ही हम अपनी ओर की कानून व्यवस्था और राजनीतिक समस्या का समाधान कर सके अतः मै यह कहना चाहूंगा कि हमें बंगलादेश के बॉर्डर को बंद करना चाहिए चाहे बंगलादेशी कितना भी विरोध करें। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि बंगलादेश ने बॉर्डर बंद करने के खिलाफ विगत में विरोध करके किया। निःसन्देह हमें बॉर्डर सील करने चाहिए। हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए।

वास्तव में काफी पहले विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति में एक वरिष्ठ व्यक्ति साक्षी के रूप में आए थे। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा : भारत की सुरक्षा समस्याओं के बारे में आपके क्या विचार हैं। उनका उत्तर काफी दिलचस्प था। मुझे उस व्यक्ति की पहचान नहीं बतानी चाहिए क्योंकि जो काफी उच्च पद के व्यक्ति हैं। उनकी चिन्ता क्या थी ? उन्होंने कहा कि वह सभी सीमाओं से विदेशियों के गैर निरंतर, गैर-कानूनी घुसपैठ से ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला है जिस पर भारत के संसद को गंभीरतापूर्वक सोचना होगा अतः हमें बॉर्डर अवश्य सील करने चाहिए हमें पहचान पत्र बनाने चाहिए चाहे लागत कुछ भी हो। इससे भी अधिक जनजातियों और गैर-जनजातियों की समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए। मैं आपके अध्ययन से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा और पार्टी के एक सहकर्मी के रूप में अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा की पुनरावृति न हो।

आज दक्षिण के एक मित्र ने पूछा कि समस्या क्या है ? मैंने कहा समस्या काफी साधारण हैं। यह मित्र पांडीचेरी के हैं, मैने उनसे पूछा कि जहां आप रहते है वहां की जनसख्या कितनी है। उन्होंने कहा कि नौ से दस लाख है मैने कहा मान लीजिए 15 लाख बाहरी लोग आएं और

पांडीचंरी में बस जाएं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि वह इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। यही मौलिक मानसिकता है। बारपेटा में कुछ मूल समस्या है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु उससे भी अधिक जनजातियों तथा गैर जनजातियों के मूल मुद्दों और उनके मूल मानसिकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए हम मानसिकता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

आप मेघालय जाएं। जैसा मैने कहा है मेघालय में अनेक दीवारों पर यह लिखा है खून से हम खासी है संयोग से भारतीया यह एक भय को प्रदर्शित करता है, मैने इसमें शामिल कुछ छात्रों से बात की। इन छात्रों ने हमें यह बताया कि यदि केन्द्र उनकी जनजातीय पहचान की सुरक्षा करे और यदि वह उनके जनजातीय हितों की रक्षा करे तो भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी। वे भारतीय हैं। पर नागालैंड के अनेक लोगों से भिन्न जिनके विचार भिन्न हैं।

नागालैण्ड में हमारी एक समस्या है। वहां एन.एस.सी. हैं। खपनांग समूह है तथा ईसाक समूह और मुइवाह समूह है। ये सभी गुट समस्या पैदा कर रहे हैं। नागालैण्ड के लोग भी एक ही स्वर में बोलते हैं, वे क्या चाहते हैं ? वे अपनी जनजातीय पहचान की सुरक्षा चाहते हैं। वे जीवित रहना चाहते हैं। जब तक हम मैलिक मानसिकता से निपट नहीं सकेंगे हम उन मौलिक मुद्दों से कभी भी निपट नहीं पायेंगे जो हमारे सामने हैं। पूर्वोत्तर में हमारी सुरक्षा पर खतरा मंडराता रहेगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने अपने विचार रखे मेरी अपील यह है कि हमें उनकी मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर हमारे देश का, इस महान भूमि का, एक भाग बना रहेगा इस मानसिकता से अवश्य निपटना होगा।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कृपया एक बात स्पष्ट करें। उग्रवादियों द्वारा जो लोग मारे गए वे भारतीय थे या नहीं ?

श्री इन्दजीत : महोदय मेरे सामने एक प्रश्न रखा गया है मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मंत्री महोदय इस विशेष मामले पर प्रकाश डालें। परंतु जैसा कि मैने कहा है मूल मुद्दा बोडो और गैर-बोडो का नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या गैर-बोडो पूर्णतया बंग्लादेशी हैं अथवा भारतीय ?

श्री इन्द्रजीत : मेरे विचार से उनमें से ज्यादातर सीमापार के प्रवासी हैं **(व्यवधान)** यह एक समस्या है और भारतीयों तथा विदेशियों की पहचान कर समस्या का निदान किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : श्री इन्द्रजीत मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करूंगा। हम एक काफी संवेदनशील मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों की हत्या हुई हैं आप सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि उनमें कुछ विदेशी थे या गैर-विदेशी। कृपया उन लोगों को सम्मान दें जो मारे गए हैं। वे सभी भारतीय थे **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उनके विचार जानना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री स्वरुप उपाध्याय (तेजपुर) : 30-40 साल के बाद भी वे विदेशी हैं। **(व्यवधान)** यह किस प्रकार का न्याय है ? **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह काफी संवेदनशील विषय है, **(व्यवधान)** नेहरू लियाकत समझौता हुआ था 1971 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री मुजिबुर्ररहमान के बीच समझौता हुआ। **(व्यवधान)** वे विदेशी नहीं हैं **(व्यवधान)** वे भारतीय है। **(व्यवधान)** मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पंक्ति को कार्यवृतांत से निकाल दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत : क्या मुझे इस बात को स्पष्ट करने की अनुमति मिलेगी ? प्रारंभ में ही मैने कहा कि जो भी हुआ उससे हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहनदेव) : मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं। इसलिए मैं इस सदन में एक अपील करना चाहता हूं । पूर्वोत्तर मुद्दों पर चर्चा करते समय हमें काई समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए। हमें इसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से सभी सदस्यों को बोलना चाहिए असम अथवा पूर्वोत्तर की मुख्य समस्या घुसपैठ नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि लोग किसी न किसी मौसम में असम जाते हैं। वे विशेषज्ञ हो जाते हैं। **(व्यवधान)** वे आते हैं और रहते हैं। **(व्यवधान)** हम इस सभा से अनुरोध करेंगे कि धर्म चाहे कुछ भी हो यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति काफी चिन्तित हैं। कुछ लोग मर भी गए हैं।

हम इसका समाधान करना चाहते हैं। हमें निष्पक्ष हो मन से चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के दौरान ही यह बात उभर कर आएगी कि इसका कैसे समाधान किया जाए। हमें किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल पर दोष नहीं लगाना चाहिए। यह उचित नहीं होगा और इस प्रकार आप समस्या नहीं सुलझाएंगे बल्कि आप समस्या पैदा करेंगे क्योंकि वहां स्थिति अभी भी तनावग्रस्त है। अभी एक घंटा पहले ही मैने मुख्य मंत्री से बात की है। सेना क्षेत्र में गश्त लगा रही है। अभी काफी तनाव है, वहां तनाव है। अतः इस सभा को ऐसा संदेश देना चाहिए जिससे कि स्थिति नियंत्रण में आए। मैं सभी दलों से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर चर्चा करें और यही उचित दृष्टिकोण है।

श्री इन्द्रजीत : मुझे गलत समझा गया। **(व्यवधान)** मुझे गलत समझा जा रहा है। मैने शुरू में ही कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए शर्म से हमारे सिर झुक जाने चाहिए **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत कह रहे हैं कि उन्हें गलत समझा जा रहा है। हमें सही स्थिति जाननी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जो कुछ हुआ उससे हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था और आग में घी डालना मेरा इरादा नहीं है। बिल्कुल नहीं, और दूसरी ओर मैं यह कह रहा हूं कि आप समस्या को तब तक नहीं सुलझा सकते जब तक कि आप मूल समस्या के तह में न जाएं। ममता बनर्जी ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने गहरी छानबीन नहीं की है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि विदेशियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : आपने सभा को गुमराह किया है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे असम में गम्भीर स्थिति और समय से कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए मेरे माननीय मित्र ने पेश किया है। प्रस्ताव के पाठ का पढ़ना आवश्यक है ताकि

हम अपने केन्द्र बिन्दु पर ध्यान दें सकें जिस पर हमने चर्चा करनी है।

आरम्भ में मैं वो बातें अवश्य कहूंगा। प्रथमतः मैं कहना चाहूंगा कि मृत्यु सबके लिए समान है और मृत्यु को राष्ट्रीयता के संदर्भ में नहीं देखा जाता है। जो कुछ हुआ है वह बहुत दुखद है और बिना किसी विवाद में पड़े अनावश्यक विवाद जिस पर सत्तापक्ष के पूर्व वक्ता मेरे माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत जो कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, मैं कहना चाहूंगा कि मैं उनके दावों से सहमत हूं। मैं नही जानता कि वह अपने दल की ओर से ऐसा कह रहे हैं या अपनी ओर से कह रहे हैं। लेकिन मैं यहां मैं यहां सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य का समर्थन कर अपने आपको आसामान्य स्थिति में महसूस कर रहा हूं।

महोदय, आज किस पर हम चर्च कर रहे है, वह राज्य सरकारों की रोजमर्रा की कानून और व्यवस्था की खामियों नहीं हैं। हम केन्द्र सरकार की एक विशेषता जो अब रोजमर्रा की बात हो गई है अर्थात असफलता के बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। महोदय, हम किसी नीति के अभाव के कारण भयावह घटनाचक्र और विखण्डित तथा मिथ्यावादी सरकार व प्रशासन की चर्चा कर रहे हैं। महोदय, दार्जिलिंग के माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत मंदाई का उल्लेख किया है। इस सभा में त्रिपुरा के माननीय सदस्य के अतिरिक्त इस समय त्रिपुरा मेरे मित्र जो पहले त्रिपुरा से नहीं थे, श्री संतोष मोहन देव, केवल दो सदस्य हैं जिन्हें 6 जून 1987 को मंदाई का दौरा करने का मौका मिला। मुझे ठीक से याद है। मुझे 6 जून 1981 में लालजी अडवाणी ने मेरे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुझे भी मंदाई जाने का विशेष मौका दिया था मुझे सभा को यह बताना आवश्यक लगता है। मुझे भलीभांति याद है कि अटल जी के साथ जाते समय हम सरकारी प्रतिनिधि मंडल का भाग नही थे। वास्तव में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। उन्होंने माननीय राजा साहब, दिनेश सिंह जी को त्रिपुरा जाने वाले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा था।

महोदय, मुझे याद है, अटल जी के साथ कार द्वारा अगरतला से मंदाई गए थे। वहां 232 लाशें पड़ी थीं। दोपहर लगभग 3 बजे हम मंदाई पहुंचे थे। मुझे देखकर अचम्भा हुआ कि सेना और अन्य बलों की तैनाती के बावजूद वहां कुते लाशों को गोद रहे थे। मुझे याद है एक सुरक्षा अधिकारी ने अटल जी से कहा :

[हिन्दी]

और देखना है आपको ?

[अनुवाद]

मुझे याद है अटल जी ने तब कहा था।

[हिन्दी]

"बस, बहुत हो गया। "महोदय" यह बहुत हो गया।"

[अनुवाद]

मंदाई के इस व्यापक हत्याकाण्ड के लिए ठीक ही कहा गया था लेकिन अब जुलाई, 1994

[श्री जसवन्त सिंह]

के अंत में, लगभग डेढ़ दशक बाद, वे शब्द "बस बहुत हो गया" सम्पूर्ण देश के लिए चेतावनी के रूप में मेरे कान में गूंज रहे हैं कि तब क्या होगा जब ऐसा सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में होगा।

तब भी संसद में मंदाई के बारे में चर्चा हुई थी, उस घटना पर चर्चा की गई थी और बहुत से भाषण दिए गए थे और अनेक सदस्यों ने सभा के अपना क्रोध व चिन्ता व्यक्त की थी। महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि मंदाई और वेली के घटनाओं के बाद और असम में नौवें दशक के दौरान हुई हत्याओं के बाद, ऐसा लगता है कि स्थिति अभी भी वही है, हमने इनसे कुछ भी नहीं सीखा है अथवा मंदाई, वैली, 1983, 1982 और 1981 अथवा बाद में भी असम की स्थिति वही है। यही कारण है कि मैंने कहा कि यह चर्चा राज्य सरकार की साधारण अथवा रोजमर्रा की विफलताओं अथवा केन्द्रीय सरकार की विफलताओं के बारे में नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए अथवा उन्होंने क्या नहीं किया है। हम उस स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो विशेष कारकों के कारण स्थायी बनी हुई है। मैं इन सभी कारकों का उल्लेख नहीं करूंगा।

मुझे कोई खुशी नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि तीन वर्षों से मुझे संसद में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाले वाद-विवाद पर चर्चा का मौका मिला है। इनमें से प्रत्येक वाद-विवाद में जितना संभव था उतना मैंने इस सरकार को सावधान किया है कि "कृपया उत्तर-पूर्व की ओर ध्यान दें।" महोदय, मुझे याद है इस वर्ष भी मैंने इस सरकार को उत्तर-पूर्व की स्थिति पर ध्यान देने को कहा था-मैं असम और अन्य को उत्तर-पूर्व का भाग समझता हूं-यह समस्या जैसी लगती है उससे अधिक गम्भीर है। महोदय, कुछ संदर्भों मै कहूंगा कि यह कश्मीर समस्या से भी अधिक गम्भीर है। मैने पहले भी यह कहा है और मैंने यह चेतावनी के तौर पर नहीं कहा है। मैने केवल अपनी बात दोहराई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विशष्टि और घृणित अपराध कहीं न कहीं हमारी विफलता के कारण ही हुए हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि कोई भी विफल नहीं रहा है राज्य प्रशासन ने अपना कार्य भलीभांति किया है, कानून और व्यवस्था एजेंसियों ने अपना कार्य ठीक ढंग से किया है, जांच एजेंसियों को पहले ही सावधान किया गया है अथवा उन्होंने अपनी भूमिका भलीभांति निभाई है, केन्द्रीय सरकार ने सभी जिम्मेदारियां भलीभांति निपटाई है और इसके बावजूद यह सब घटित हुआ। मैं नहीं समझता कि इसकी अनुमति दी गई है अथवा इस बारे में किसी ने कोई सांठ-गांठ की है। महोदय, यदि ऐसा हुआ है, तो निश्चित रूप से किसी को उत्तर देना चाहिए। मैं सत्तारूढ़ पक्ष से कहना चाहता हूं कि कौन इसका उत्तर दे। यह पूर्वतः इस सभा के सम्पूर्ण विचार-विमर्श पर निर्भर करेगा इस सरकार और इस सभा, दसवीं लोकसभा के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर देने पड़े हैं। निश्चित रूप से आप अपनी राज्य सरकारों को संरक्षण देते हैं। उनकी एक ही राजनैतिक मंशा होती है। हर प्रकार से, आपके पास उपलब्ध तथ्यों सें और वाकपटुता से केन्द्र सरकार का उन खामियां से संरक्षण करो, जो हम बताना चाहते हैं या वास्तव में हुई हैं। परन्तु इसके साथ-साथ कृपया भारत के हित में, अपनी समृद्धि हेतु सम्पूर्ण पूर्वोत्तर का संरक्षण कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं और यदि आप इन तीनों जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होते हैं तो मैं निश्चित रूप से पहला व्यक्ति होऊंगा जो कहेगा कि मैं श्री चन्द्रजीत यादव के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। लेकिन आपको पहले मुझे इन तीनों जिम्मेदारियों को निभाने का आश्वासन देना होगा। संक्षेप में, मैं इन्हें ध्यान

में लाना आवश्यक समझता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता क्या मेरा पहला निवेदन प्रधान मंत्री तक पहुंचाया गया है क्योंकि मेरे निवेदन को अनसुना कर दिया गया है मुझे संक्षेप में केवल कुछ शब्दों में पूर्वोत्तर की खामियों को बताने दें। स्पष्टता के लिए मुझे वह सब कहने दें जो मैने पूर्वोत्तर की बात करते समय कहा। मैं सम्पूर्ण असम के अविभाजित राज्य, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम की बात कर रहा हूं। महोदय, मैं उत्तरी बंगाल की बात कर रहा हूं संलग्न क्षेत्र जो इससे जुड़े हैं अथवा बिहार के भीतरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। महोदय, एक प्रभुत्व सम्पन्न स्वतंत्र राष्ट्र का उल्लेख करते हुए जो उत्तर-पूर्व की सरहद पर है और मैं भूटान का उल्लेख करता हूं। पूर्वोत्तर से मेरा यही अभिप्राय है। इसकी क्या विशेषताएं है ? मैं सर्वप्रथम बहुत संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली से यह दूरी राजधानी से इस पूर्वोत्तर को भावनात्मक रूप से पृथक कर देती है। जब तक इस भौगोलिक दूरी को भावनात्मक दृष्टि से कम नहीं किया जाएगा यह एक तकनीकी समस्या रहेगी, यह भावनात्मक दूरी समाप्त नहीं होगी। मैं सावधान करना चाहूंगा कि भारत की एकता के लिए यह भावनात्मक दूरी समाप्त करनी होगी।

दूसरे-महोदय, यह महत्व के क्रम में नहीं आता है। समग्र पूर्वोत्तर की क्या विशेषता है। यदि हम मंदाई की घटना के बारे में बताना शुरू करें तो हम उल्लेख करना चाहेंगे कि समग्र पूर्वोत्तर में उससे हर सरकारों की कोई समूची नीति नहीं रही है।

मेरे विचार से पूर्वोत्तर क्षेत्र की इस समग्र नीति से उस क्षेत्र में तोड़-फोड़ और विभाजनकारी प्रभाव पड़ा है।

आपने हर प्रकार की राजनैतिक और सामाजिक एकनिष्ठता, एक भिन्न राजनैतिक पहचान देना स्वीकार किया था। यह प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रत्येक अलग सामाजिक पहचान के लिए, आप राजनैतिक मान्यता प्रदान करना चाहते थे। इस राजनैतिक मान्यता के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र का विभाजन हुआ है यही वह समय है जब हमें इस प्रक्रिया को बदल देना चाहिए। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभाजन की इस प्रक्रिया को किस प्रकार बदलें ? इस समय मैं इस बात की व्यवस्था नहीं करूंगा कि हम यह कार्य कैसे करेंगे। लेकिन यदि हम यह कार्य नहीं करते हैं, यदि हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस सच से नावकिफ हैं जो हमें दिखाई दे रहा है।

मैं सत्ता पक्ष के पुराने तथा वर्तमान सदस्यों द्वारा महान राष्ट्रवाद और राष्ट्र के कल्याण के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा के लिए उनकी असंदिग्ध वचनबद्धता के लिए उनका आदर करता हूं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे आपकी नेकनीयती के संबंध में कुछ सन्देह नहीं है। निश्चित रूप से उस समय मुझे आपकी नेकनीयती के संबंध में सन्देह करने का हक नहीं है जब यह बात इस सभा के किसी एक या अन्य सदस्य के बारे में आती है। लेकिन निश्चित रूप से, मैं आपके निर्णय पर सन्देह करता हूं : आपने स्वयं जो कुछ भी कहा है निश्चित रूप से मैं उसे क्रियान्वित करने में आपकी क्षमता के बारे में संन्देह करता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सारी समस्या यह है कि लोगों के साथ किए गए उन समझौतों को ईमानदारी के साथ क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; उन समझौतों को नजरअन्दाज किया जा रहा है; उन समझौतों की किसी न किसी कारण से उपेक्षा की जा रही है; उन समझौतों का महत्व किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों की अवज्ञा से असंतोष पैदा हो रहा है। यही सब कुछ हो रहा है।

[श्री जसवन्त सिंह]

इसके लिए हम सत्ता पक्ष, आप पर आरोप लगाते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ होने के कारण आपको ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, हम आप पर उन समझौतों को क्रियान्वित न करने का आरोप लगाते हैं। निश्चित रूप से, उस अर्थ में आप पर काफी अधिक जिम्मेदारी है। समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरा कारण यही है जिसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसा हम स्वयं खतरा मोल लेकर करते हैं। अनियंत्रित गैर कानूनी आप्रवास की समस्या और देश पर उसके कई प्रभावः हमारी भूमि पर अनैच्छिक, जनसंख्या से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, जिनमें राजनैतिक प्रभाव भी शामिल हैं, यही सब कुछ हम सीमान्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में देख रहे हैं। मैं यहां भी इस बात की गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं इस विशेष मुद्दे का उल्लेख थोडी देर बाद करूंगा।

अगली विशेषता क्या है ? अगला दोष जो मैंने केंद्र सरकार में पाया है- वह विद्रोह पर रोक लगाने वाले "स्टॉप एंड गो मेथड" में है। विद्रोह को यातायात बत्ती की पद्धति से नियंत्रित नहीं किया जाता है। आप विद्रोह को ट्रैफिक पुलिस मैन की भांति जब आप चाहे नियंत्रित नहीं कर सकते जब आपको उपयुक्त लगे पीली बत्ती जला दो और फिर इसके बाद लाल बत्ती जला दो। मैं किसी अन्य मौके पर यह बताऊंगा कि इससे क्या अभिप्राय है और मैं इसके बारे में बाद में फिर कभी और व्याख्या करूंगा।

मैं अपने पूर्व वक्ता, दार्जिलिंग से माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम एक कारण यह भी देख रहे हैं कि निर्वाचन संबंधी हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है जिसमें अविश्वसनीय तौर पर और अपवादात्मक रूप में भ्रष्टाचार भी शामिल है। पहली बार, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस सभा में चर्चा में भाग लेते हुए-मेरे विचार से मणिपुर के बारे में- यह स्वीकार किया था कि हम भ्रष्टाचार के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ भी देख रहे थे, वह अविश्वसनीय था।

इस समय जिस प्रकार का प्रबल भ्रष्टाचार है, वह केवल एक राज्य में ही नहीं अपितु पूर्वोत्तर भाग के प्रत्येक राज्य में विद्यमान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संभवतः ये गृह मंत्री जी के ही शब्द नहीं है। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जो कुछ यहां कहा था, यह निश्चित रूप से वही है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं खड़ा हुआ था और मैंने गृह मंत्री जी को मुबारकबाद दी थी। मेरे विचार से, मैंने यह पहली बार सुना कि केन्द्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार किया है।

इस बात से मुझे दुख हुआ। इस बात से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मैं इस वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं उठाना चाहता हूं। मेरे अच्छे मित्र, गृह राज्य मंत्री संभवतः इसे अनुचित रूप से नहीं लेंगें। मैं उनसे अपील करूंगा कि इसे मलत ढंग से न लें। मैंने अन्य कारण पर ध्यान दिलाने ये यह कठिनाई पैदा हुई है; जोकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय में ही अपने समन्वय की कमी है। केन्द्रीय गृह-मंत्रालय में ही इस समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप गृह-मंत्रालय में तालमेल नहीं रहा है। इसका प्रभाव अधिकारियों पर पड़ता है, केवल गृह-मंत्रालय के अधिकारियों पर ही नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था प्रशासन के ऊपर से नीचे तक के सभी अधिकारियो पर पड़ता है। तब इसमें तालमेल

नहीं रखा जा रहा है। यदि भारत देश का प्रशासन ही ठप्प हो जाए, यदि वह एक उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करे, यदि वह तलवार जिससे आप लड़ना चाहते हैं, यदि वह तलवार स्वयं धारहीन हो जाए तो देश अथवा राष्ट्र कैसे लड़ेगा ?

केन्द्रीय गृह मंत्री पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है केवल पूर्वोत्तर राज्यों की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी है। यदि गृह मंत्रालय अपने हथियारों को दुरुस्त नहीं रखता है तो मुझे इसके परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है।

यह बात केवल गृह-मंत्रालय के लिए लागू नहीं होती, यह दल के नेता के लिए भी लागू होती है। यह प्रधान मंत्री के लिए भी कही जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री की है। उन्हें इस समस्या पर स्वयं ध्यान देना चाहिए और मैं कहूंगा कि प्रधान मंत्री लगातार और जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सभी मुददों के विस्तार पर नहीं जाऊंगा लेकिन दो-तीन पहलू हैं। जिन्हें मै सविस्तार बताना चाहूंगा और यदि इसमें मुझे अधिक समय लगता है तो इसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा।

मैं इस छोटा पैरा उध्दृत करूंगा।

> "पूर्व पाकिस्तान और अब बंगलादेश से लोगों के आगमन से स्थानीय लोगों ने यह महसूस किया कि आबादी बढ़ी है। आर्थिक रूप से भी पूर्वोत्तर में आर्थिक ढांचे पर भी इस वृद्धि का अत्यधिक भार पड़ा। इससे आपसी सम्बन्ध खराब हुए और परिणामतः प्रायः जातीय तनाव और आपस में झगड़े हुए।"

यह उद्धरण समाचार पत्र से नहीं है। उद्धरण वर्ष 1992-93 की गृह-मंत्रालय की रिपोर्ट से है। गृह-मंत्रालय की रिपोर्ट मैंने नहीं लिखी है। यह सत्ता दल और गृह मंत्रालय ने लिखी है और गृह-मंत्रालय संसद में प्रस्तुत की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट से मुकर नहीं सकता।

मैंने इस रिपोर्ट का उल्लेख वाद-विवाद की दृष्टि से नहीं किया है। मेरा वाद-विवाद की दृष्टि से एक वर्ष पहले की बात याद दिलाने का कोई अभिप्राय नहीं है। मुझे विश्वास है कि गृह राज्य मंत्री का इस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में हाथ रहा होगा। इसलिए उन्होंने संसद को क्या बतलाया, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे लिए इस सभा को यह याद दिलाना आवश्यक है कि राजनीति के साथ-साथ पूर्वोत्तर की व्याप्त वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए।

मैं गैर-कानूनी आप्रवास के बारे में बात कर रहा था। मैं इसके दो-तीन पहलूओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो स्पष्ट है मैं उसे नहीं दोहराऊंगा।

मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान दूरदर्शन और पाकिस्तान रेडियो अथवा अन्य माध्यमों द्वारा जो उनके पास उपलब्ध है, बारपेटा में हिन्दू-मसलमान संघर्ष को हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों पर हमले के रूप में बताया जा रहा है।

गैर कानूनी आप्रवास पर निगरानी न रखना हिन्दु-मुसलमान प्रश्न नहीं है। पाकिस्तान द्वारा जो यह प्रचार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हमें यह बताना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा जहां हमने विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से सीमा निर्धारण नहीं किया है वह स्वतंत्र रूप से आप्रवास के लिए सीमा नहीं है। महोदय, निश्चित रूप से पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारी

[श्री जसवन्त सिंह]

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा ठीक वही जिसे गृह मंत्रालय अब बंगलादेश कह रहा है, कई दशकों से सीमा का उल्लंघन होता रहा है। महोदय, अब यह सीमा उल्लघंन बहुत अधिक बढ़ गया है तब बारपेटा तो इसके उदाहरण में से केवल एक है। हमें स्वयं बारपेटा के बारे में गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए अथवा बारपेरा में जो हुआ मैं वह स्वयं में एक रोग लक्षण है। महोदय, यह एक रोग नहीं बल्कि यह रोग का एक लक्षण है। बल्कि यह एक महामारी बड़े रोग का पैदा होना है। और यह बड़ा रोग इस देश में गैरकानूनी आप्रवास को न रोकने से बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय समस्या के लगातार उपेक्षा किये जाने की वजह से है और यदि हमें उसे इसी रूप में स्वीकार नहीं करते है, यह एक हिन्दु-मुस्लिम प्रश्न नहीं है, यह इस देश की राष्ट्रीयता का प्रश्न है, राष्ट्रीयता केवल बेईमानी से राशन कार्ड प्राप्त कर लेने के बदले में नहीं दी जा सकती जब तक हम इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हम अपनी समस्याओं को बढ़ाते जाएंगे।

महोदय, अब मैं विद्रोहियों के मामले में अपनाए जा रहे 'स्टाफ गो मैथड' के मुद्दे पर आता हूं। असम सरकार ने 'उल्फा' के साथ क्या किया। आपने सेना को वहां जाने और 'उल्फा' को समाप्त करने को कहा। सेना ने कार्यवाही की। सेना को पूर्ण सफलता मिलने ही वाली थी कि आपने सेना को वापस बुला लिया। तीन माह बाद, जब आपने देखा कि जो कुछ सफलता वहां मिली थी सब धूमिल होती जा रही है तो आपने कहा कि पुनः जाओ। यह 'स्टाफ गो मेथड' एक तो राज्य अधिकारियों को प्रभावित करता है, दूसरे सेना बलों अर्ध सैनिक बलों ओर राज्य की पुलिस को सहित इन एजेंसियों का जो अपने उद्देश्य साहस और धैर्य के समय कार्य कर रही है उन्हें पंगु बना देता है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण यह हैं कि इस कार्यवाही की बार-बार पुनरावृत्ति इसे कम प्रभावी बनाती है। विद्रोह को रोकने में हिप्स इस 'स्टॉप गो मैथड' से आपने किया असम उसका एक अकृष्ट उदाहरण है। तथा अल्फों के नाम पर, उसका मुकाबला करने के लिए आपने यह 'सल्फा' न कि सेल्फा पैदा कर दिया। समस्या को सुलझाते हुए मैं इसे जानने को उत्सुक हूं संभवतः केन्द्रीय मंत्री मुझे बताएंगे कि उल्फा को इस बात के लिए राजी करें, 'अल्फा' को छोड़कर 'सल्फा' बने और धन लेते रहे। आप उन्हें धन देना चाहते हैं।

महोदय, मुझे बताया गया और इस बात ने मुझे दहला दिया कि नागालैंड के संदर्भ में नागा विद्रोहियों को विद्रोह छोड़ने के लिए राजी करो और प्रत्येक विद्रोही को 2,00000 की प्रलोभन राशि की पेशकश की गई थी। उनसे कहा गया था कि यदि आप विद्रोही हैं और हथियार डाल देते हैं तो आपको 200,000 रु. दिया जाएगा।

नागालैंड के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपने 400 जान-पहचान के जनजातियों को इसके लिए राजी किया और उनके जान-पहचान के 400 व्यक्तियों ने झूठमूठ अपने आपको विद्रोही बताया, वे गए और झूठमूठ हथियार डाल दिये। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं कम से कम आपको 2 लाख रुपये मिल जायेंगे। आप कैसे इससे निपटेंगे, प्रिय मित्र श्री संतोष क्या खेल, खेल रहे हैं ? और हम यहां आए थे-मुझे भलीभांति याद है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अभिभाषण तैयार किए गए राष्ट्रपति ने देश की संसद को सम्बोधित करते हुए यह कहा था पूर्वोत्तर में स्थिति में सुधार हो रहा है" इसके साथ ही मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सेना की आसूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। मणिपुर के राज्यपाल ले. जनरल वायर ने कहा कि स्थिति सुधर नहीं रही है।

सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि आप इन दस्तावेज का उल्लेख नहीं कर सकते। मैंने ध्यान दिलाया है कि मैं सरकारी दस्तावेज का उल्लेख कर रहा हूं। सरकार भी इनका उल्लेख कर रही है। हमारी आंखों पर किस प्रकार पर्दे डले हुए हैं ? भगवान के लिए पूर्वोत्तर की वास्तविकताओं को स्वीकार करें अभी भी इनमें देर नहीं हुई है।

महोदय, अब मैं समझौतों के कार्यान्वयन न किए जाने पर आता हूं। महोदय इसके लिए मैं एक मिन्ट लूंगा। मेरे दल ने मुझे इन स्मरणीय वर्षों में इन त्रिपक्षीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए भेजकर अत्यधिक सम्मान दिया है जब असम आन्दोलन चल रहा था। बोडो समझौते और असम समझौते के पाठ को देखकर मुझे दुख हुआ कि 1967 में उपयोग की जा रही, निर्वाचन सूचियां नियमित की जाएगी और जो विदेशी 1966 के बाद असम में आए है उनके नाम वर्तमान निर्वाचन सूचियों में से कांट दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार सरकारी तंत्र को उपयुक्त तरीके से सुदृढ़ करेगी। पहले असम से निकाले गए सभी व्यक्ति जो गैर-कानूनी रूप से 25 मार्च, 1971 के बाद पुनः वापस आ गया है उन्हें निकाल दिया जाएगा उसके बाद आए विदेशियों को कानून के अनुसार निकाल दिया जाएगा और उनके नाम काट दिए जाऐंगे ऐसा कुछ नहीं किया गया है। यदि मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ समस्याएं आई हैं। पहली बार मेघालय की समस्या सामने आई है, ये ऐसे मामले हैं जिन्हें हलकेपन से नहीं लेना चाहिए, जहां समझौते कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं समझौते के महत्व को कम किया जा रहा है इससे फिर अवश्य दोहरा पैदा हो रही है और उससे विद्रोह पैदा हो रहा है।

महोदय, आपने मुझे पर्याप्त समय दिया। अब मैं आपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं मामूली दल की ओर से, मैं चार-पांच मांगे रख रहा हूं। हम साधारणतः ऐसा नहीं कते। हम राज्य सरकारों के अधिकारों को समझते हैं। हम इस बारे में जागरूक हैं क्योंकि हम इसके शिकार हुए हैं और पुनः हम इसके शिकार हुए हैं। इसलिए जब भाजपा. मांग करती है कि यदि राज्य सरकार के विरूद्ध कोइ कार्यवाही की जाती है तो हम वह मांग हलकेपन से नहीं करते हैं।

तथापि, हम महसूस करते हैं कि असम में आज स्थिति वाकई ऐसी ही है जैसा कि पूर्वोत्तर के अन्य भागों में हैं, परंतु यह एक अलग बात है, परंतु असम में आज जो स्थिति विद्यमान है वह ऐसी है कि असम की वर्तमान सरकार को सत्ता में एक दिन भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। संघ सरकार की संविधान के प्रति इस सभा के प्रति तथा देश की जनता के प्रति जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को भंग कर तथा उस राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करके ही वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती है।

दूसरे मेरी मांग यह है जबकि अब बहुत विलम्ब हो गया है कि पूर्वोत्तर में चाहे असम समझौता हो अथवा कोई अन्य समझौता आप इसे लागू करें, पत्र में आप कह सकते है कि आपने ऐसा कर दिया है परंतु आप स्वयं से पूछे कि क्या आपने उस समझौते को पूरी तरह लागू किया है। कृपया इसे लागू करें।

मेरी तीसरी मांग निरंतर और कानूनी और बेरोटोक आप्रवास से संबंधित है, कृपया इस समस्या को समझें। ऐसे कदम उठाएं जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आवश्यक हों। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि भूटान में आज लोग कह रहे हैं कि कूच बिहार में नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। और यदि कूच बिहार का जिलाधीश या समाहर्त्ता नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करता

[श्री जसवन्त सिंह]

है तो वे लोग उस नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर भूटान जाते हैं और भूटान कहता है कि वह रहस्यामंद हैं, उनके पास भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दें और हमें उन्हें प्रवेश करने देना चाहिए। महोदय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य जिला समाहर्तालय को कब दे दिया गया ? यदि ऐसा हो रहा है तो कृपया इसे रोके हमें विश्वास है कि जब तक आप मार्च, 1971 को निर्धारित तिथि मानकार असम में नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं बना तथा उसे उस राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ बहु-उद्देशीय पहचान पत्र को लागू करें जिसकी भाजपा. काफी दिनों से मांग करती आ रही है, और यह बहु उद्देशीय पहचान पत्र सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही नही बल्कि दूसरे स्थानों पर भी होना चाहिए परंतु पूर्वोत्तर में यह अति शीघ्र होना चाहिए।

महोदय, मैंने काफी कुछ कहा। एक चेतावनी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : इसके पहले कि आप अपना भाषण समाप्त करें क्या मैं कुछ बोल सकता हूं ? आपके इस भाषण का मैं बहुत ही आभारी हूं। जहां तक मुझे पता है असम में आपकी पार्टी की राय यह है कि हिन्दुओं को छोड़कर 1971 के बाद आए सभी व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया जाना चाहिए क्या यह आपकी अधिकारिक राय है या यह आपकी असम शाखा की राय है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं समझता हूं कि यह एक जायज प्रश्न है, परंतु मैं इसे हिन्दु और मुसलमान के दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : आपका ज्ञापन इसी प्रकार का है, मेरे पास इसकी एक प्रति है,

श्री जसवंत सिंह : आपके पास यह अवश्य होगी।

श्री संतोष मोहन देव : मैं इसे आपको भेज सकता हूं। इस पर आपके संसद सदस्य श्री कविन्द्र पुरकायस्थ जो यहां बैठे हैं ने हस्ताक्षर किये हैं···**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : मैंने आपके प्रश्न को काफी गंभीरता से लिया है हमने विभाजन, का परिणाम, शरणार्थियों का दर्जा और एक अवैध प्रवासी के बीच बराबर अंतर रखा है। मैं धर्म के आधार पर अंतर नहीं करता। परंतु मैं इरादे के आधार पर अंतर करता हूं। मैं विभाजन के परिणाम को समझता हूं, आप विभाजन को नहीं भुला सकते हैं और विभाजन का बुरा परिणाम हुआ है और यह परिणाम है न सिर्फ पश्चिम बल्कि पूर्व में भी लाखों लोगों का बेघर और बेसहारा होना। एक ऐसा शरणार्थी जो आपके यहां आता है और आपकी भूमि पर शरणार्थी के रूप में शरण चाहता है तथा अवैध प्रवासी के बीच फर्क है, अवैध प्रवासी फायदा उठाने के लिए लुकछिप कर आते हैं। यही अंतर है। इस अन्तर का स्वयं पता चल जाता है, मैं धर्म के आधार पर अंतर नहीं करता।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक असम और पूर्वोत्तर के लिए कोई व्यापक नीति न हो हम उन गलतियों को दोहराते रहेंगे। यह मेरी चेतावनी है और महोदय मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस दशक के अंत तक आशा है 1996 या 1997 तक असम या पूर्वोत्तर में इस प्रकार की किसी और घटना पर चर्चा नहीं होगी जैसाकि 1981 में मंदाई में घटी घटना पर हमने चर्चा की।

मैं अपने मित्र द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

5.59 म.प.

[श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, आज सुबह पहले प्रश्न के उत्तर में हमें बहुवादी समाज संबंधी मास्को घोषणा के बारे में बताया गया था। सभापति महोदय मुझे याद है कि अल्प संख्यकों के अधिकारों के सम्बन्ध में कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा की जिसका हमारी सरकार ने समर्थन किया था। गांधी जी का भी यही विचार था कि किसी समाज की सभ्यता अल्प संख्यकों के प्रति उसके व्यवहार से आंकी जाएगी।

मैं तीन टिप्पणिया कर रहा हूं क्योंकि अल्पसंख्यक बहुलता लाते हैं और अल्प संख्यक न सिर्फ धर्म की दृष्टि से हैं बल्कि वे भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं जाति, संस्कृति, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं।

6.00 म.प.

अल्पसंख्यक सिर्फ एक दृष्टि से नहीं हैं। अल्पसंख्यक ग्राम स्तर पर खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी हो सकते हैं और वे जहां भी हैं उनके साथ उचित बर्ताव करना पड़ेगा।

पिछले एक या दो दशक से हम बिना-सोचे समझे छोटे-छोटे राज्य, लघु राज्य, छोटे से छोटे राज्य यहां तक कि छोटे-छोटे क्षेत्र बनाते आ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके विचारार्थ एक बात रखना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र को कितना भी छोटा क्यों न करें आप किसी भी क्षेत्र को पूर्णतः समान नहीं बना सकते। वहां अल्पसंख्यक अवश्य होगें। यह सर्वदा बहुवादी समाज होगा और इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि उस प्रथा में जिसमें जाति सफाया करने का रूप लिया है बात कहां तक ठीक है कि अल्पसंख्यक को कोई अस्तित्व ही नहीं है।

मेरा आरोप है कि जो कुछ बोसनिया और रवांडा में बड़े पैमाने पर हुआ वही असम के इन जिलों को कोकराझार बोगाइगांव और बारपेटा में छोटे पैमाने पर हो रहा है। फर्क केवल इतना है कि यहां कुछ छोटे पैमाने पर हो रहा है किन्तु, हो वही रहा है। जो लोग आपके नहीं हैं जो आपसे अलग हैं उन्हें आप बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और मेरे कुछ सहकर्मियों का यह कहना बिल्कुल गलत है कि बोडोलैंड से जिन्हें बाहर भेजा जा रहा है वे विदेशी हैं।

हां, वे बंगाली भाषी हैं, बंगाली मूल के हैं, परन्तु वे 100 वर्ष, 75 वर्ष या कई पीढ़ियों से देश के उस भाग में आकर बसे हुए हैं। वे हाल ही में नहीं आए हैं वह कोई नए आप्रवासी नहीं हैं जिन्हें आप निर्दयता से उठाकर सीमा के बाहर फेंक सकते हैं वे कानूनी दृष्टि से तथा किसी भी संवैधानिक मापदंडों के आधार पर भारत के ही नागरिक हैं तथा अधिकार भी वहीं हैं जो आपके, मेरे अथवा मंत्री महोदय के हैं। इसलिए मेरा विचार है कि हमें पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि मेरे प्रिय मित्र श्री इन्द्रजीत ने मूल मुद्दों से ध्यान हटवाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि उनका व्यवहार बहुत ही अमानवीय रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सदन में इस झूठे आरोप से कि वे लोग विदेशी हैं, एक बर्बर्तापूर्ण नरसंहार को न्यायोचित ठहराया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं आपके सामने झुक नहीं रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत : मैंने सफाई नहीं दी है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं झुक नहीं रहा हूं।

महोदय, भारत की जनगणना के अनुसार वर्ष 1971 से वर्ष 1991 के बीच असम की जनसंख्या वृद्धि दर संपूर्ण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। अवैध आप्रवासन का सिद्धान्त कहां है ? बड़े पैमाने पर घुसपैठ का मामला कहां है ? हां, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि ऐसी अर्कमण्य सरकार के रहते किसी भी असुरक्षित सीमा से हजारों लोग इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। पर वे लाखों लोग कहां हैं ? ये जनगणना के आंकड़े हैं। यदि इन अपनी जनगणना के आंकड़ों में ही विश्वास नहीं करते, तो फिर पता नहीं हम किस में विश्वास करते हैं ? हम केवल अपने पूर्वाग्रहों, प्रतिबोधन, झूठी धारणाओं, झूठी सिद्धान्तवादिता में विश्वास करते प्रतीत होते हैं।

सभापति महोदय, मैं अवैध अप्रवास को न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं। यदि अवैध आप्रवास का एक भी मामला पाया जाता है तो राज्य कार्यपालिका तथा केन्द्रीय कार्यपालिका की यह जिम्मेदारी है कि वह कानून के अनुरूप कार्यवाही करे, यहां तक कि शंका के आधार पर कानून के अनुरूप वह किसी पर भी मुकदमा चला सकती है। यदि कोई व्यक्ति विदेशी साबित होता है तो सरकार उसके विरूद्ध कानून के अनुरूप कार्यवाही करे। परन्तु सरकार सुरक्षा देने से इन्कार नहीं कर सकती, नरसंहार को अनदेखा नहीं कर सकती तथा दोषी व्यक्तियों को अदंडित नही छोड़ सकती। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : कृपया 'शंका के आधार पर' जैसी शब्दावली का प्रयोग मत करें। यह संसद कार्यवाही वृत्तांत में नही जाना चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं जानबूझ कर इस शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं। परन्तु कार्यपालिका के सम्मुख प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए। स्वाभाविक है यह शंका के आधार पर और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी। मेरा कहना है कि इस मामले की उपेक्षा मत कीजिए। मैं श्री जसवन्त सिंह से सहमत हूं। कृपया एक भी मामले को अनदेखा मत कीजिए। कृपया जानकारी एकत्रित करें, जांच पड़ताल करें तथा यदि प्रथम दृष्टि मामला बनता है तो कानूनी कार्यवाही करें। महोदय, मुझे विश्वास है कि इससे आप संतुष्ट होंगे।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग विदेशी नहीं हैं, जो लोग मरे हैं वे भारतीय नागरिक हैं। तथा उनमें न केवल बंगाली-मैं रिकार्ड के लिए भी संशोधन कर दूं-बल्कि उन लोगों में संन्थाल, नेपाली, बिहार के प्रवासी 'उरांव' जो कई पीढ़ियों से असम की समृद्धि के लिए वहां पर कठिन परिश्रम कर रहे है, भी शामिल थे, उनके गांवों पर भी हमले किए गए है, लेकिन अभी हम लोगों को इस बड़े तथा विशाल आयामी प्रश्न में नहीं उलझना है। एक मानवीय त्रासदी हुई है और यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है वह मात्र अपने क्षेत्र में सफाई है, इस त्रासदी के मानवीय पैमाने के उपेक्षा करने का बहाना तथा अपने आप को वैधानिक पेचीदगियों में उलझाना मात्र है।

महोदय, राज्य सरकार ने क्या किया है ? राज्य सरकार को सचेत कर दिया गया था। अक्तूबर 1993 तथा जून 1994 में हुए दो नर संहारों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अक्तूबर 1993 में एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया था जब कि सैंकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जून 1994 की घटना के जो छः व्यक्ति साक्षी थे, वे ही गिरफ्तार किए गए थे, वे दोषी नहीं थे। इसलिए उन्हें चुपचाप छोड़ दिया गया।

महोदय, उस क्षेत्र में बी.एस.एफ. है, यह सीमा सुरक्ष बल नहीं बल्कि बोडो सुरक्षा बल है। ये लोग हथियारों से लैस होकर लोगों को डराते धमकाते हुए स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। तथा असम के जिन मुख्यमंत्री या जिस सरकार ने अल्फा के विरूद्ध अपनी पूरी ताकत लगा दी, तथा जिस कारण उनकी गतिविधियां वह काफी हद तक सीमित करने में सफल भी हुई है, उसने बोडो सुरक्षा बल के विरुद्ध उंगली भी नहीं उठाई है। यह मेरा आरोप है। महोदय, इन्होंने केवल समस्याओं को बनाए रखने का प्रयत्न किया है। बाडोलैंड के सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां थीं। कुछ अनिर्णीत मामले हैं। इन मतभेदों का निवारण करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह उस क्षेत्र के लोगों तथा असम के सभी राजनीतिक नेताओं को साथ लेकर विवेकपूर्ण मानवीय समाधान खोजें। आखिर बोडोलैंड में गैर-बोडो लोग भी हैं वे हमेशा वहां पर होंगे, इसी तरह बोडोलैंड से बहार बोडो लोग भी हैं और वे भी हमेशा वहां पर होंगे तथा इन सभी को शांति, भाईचारे तथा सद्भावना पूर्वक अपने सामाजिक वातावरण में रहना चाहिए। इसलिए कुछ न कुछ समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। परन्तु इससे सीमा निर्धारण के मामले का निर्धारण नहीं होगा क्योंकि गैर बोडो गांवों का मामला भी बोडोलैंड में है। यह तो उसी प्रकार होगा जैसे कि पंजाब की सीमा से 10 मील दूर एक सिक्ख गांव को पंजाब में इस आधार पर मिला देना कि यहां के निवासी सिक्ख हैं। क्या यह न्यायसंगत है ? सिक्ख लोग हरियाणा में सुरक्षित क्यों नहीं रह सकते और इसी तरह बोडो लोग बोडोलैंड से बाहर सुरक्षित क्यों नहीं रह सकते ? हां, ऐसा निकटस्थ क्षेत्र जहां बोडो लोगों का आधिक्य हो, अवश्य बोडोलैंड का भाग होना चाहिए। परन्तु इस समस्या का समाधान नहीं किया गया।

सभापति महोदय, विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। पिछले अक्तूबर में विस्थापित हुए लोग अभी भी अगम्य कैम्पों में रह रहे हैं। सभापति महोदय, क्या आप जानते हैं कि औषधियों की कमी के कारण लगभग 150 लोगों की इन कैम्पों में मृत्यु हो गई, यह संख्या बोडो सुरक्षा वल तथा अखिल भारतीय बोडो छात्र संघ द्वारा उक्त उपद्रवों के दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या से कहीं अधिक थी। यह हैरानी की बात है। मैंने असम सरकार का ध्यान उक्त कैम्पों के लिए कुछ करने तथा ऐसी स्थितियां पैदा करने की ओर दिलाया जिसमें लोग जी सकें तथा शांतिपूर्वक अपने घरों में वापिस जा सकें तथा उनमें सुरक्षा की भावना हो। सभापति महोदय, मैंने पाया कि वहां आतंक व्याप्त है। लोग अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वहां पर कहीं पुलिस चौकी नहीं थी, यहां तक कि सैन्य व्यवस्था भी नहीं थी, श्री राजेश पायलट की विद्यमानता भी नहीं के बराबर थी। उन्हें कुछ राज्य क्षेत्रों की ही गश्त लगानी थी, परन्तु वे उन क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे जहां लोगों की जानें खतरे में थीं।

अक्तूबर या जून में किसी समय भी कोई भी क्षेत्र सीधा सेना के सुपुर्द नहीं किया गया।

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

यह काम नहीं किया गया। आपके ऊपर मेरा यह एक विशिष्ट आरोप है। जो कदम उठाए गए वे अप्रभावी थे। इस सबके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान असम में वर्तमान नेतृत्व द्वारा अपनाई गई नीति की ओर दिलाना चाहूंगा नेतृत्व को बोडो समस्या या किसी अन्य सम्प्रदाय की समस्या का समाधान नहीं करना था बल्कि पुराने सामंतवादी फार्मूले 'फूट डालो और राज्य करो' का फायदा उठाना था। इसलिए बोडो आन्दोलन विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व सत्ता पक्ष के हाथ में आ गया तथा दूसरों को बाहर कर दिया गया। परिणामस्वरूप प्रतिद्वन्द्वता पैदा हो गई। ऐसी किसी भी स्थिति में एक चरम सीमा में ही लाभ होता है और यही कुछ हुआ। मुझे बताया गया कि एक वर्ग का समर्थन श्री सैकिया ने किया तथा दूसरे का समर्थन उनकी अपने दल में ही उनके विरोधियों द्वारा किया गया। एक वर्ग के लोगों का समर्थन गृह मंत्रालय ने किया तथा दूसरे का समर्थन असम सरकार ने किया। बोडो लैंड के लोगों के इस त्रि-पक्षीय और त्रि-आयामी विभाजन में यह संकट तो पैदा होना स्वाभाविक है। मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि यह इस मुद्दे का अन्त नहीं है तथा नर संहार की और घटनाएं होंगी तथा इसलिए हमें इस मामले में बहुत समझदारी से कार्य करना होगा।

यदि आप असम विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि बोडोलैंड के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व असम सरकार का है। असम सरकार अपने इस दायित्व का निवेदन करने में असफल रही है यह कहा गया हैं कि यदि बोडोलैंड क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बिगड़ जाए तो बोडोलैंड परिषद भंग की जा सकती है। पहले नर संहार के बाद असम के राज्यपाल ने टेलीविजन तथा रेडियो पर बोडो आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि "यदि आप ठीक आचरण नहीं करते तथा यदि और नरसंहार हुआ तो हम परिषद भंग कर देंगे।" और अब चौथा नरसंहार हुआ है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमें इस समस्या को अलग-अलग टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत से सहमत हूं जिन्होंने अभी-अभी कहा है कि आप पूर्वोत्तर के लिए पैबन्दों की तरह एक ऐसे ढांचे का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक मात्र अलग-अलग हो या कुछ हद तक अलग-अलग संप्रभु हो। हमें एक सम्पूर्ण ढांचा बनाना चाहिए। मेरे विचार में वैसा जैसा अंग्रेजों के समय में था। अब यह टूट गया है। आपसी सम्मान तथा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर अब इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी बाते हैं जिनको मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है परन्तु ये बातें मात्रा के सन्दर्भ में इतनी व्यापाक हैं कि वे ब्लाक, जिला, एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में एक संयुक्त राज्य में जो कि व्यवहार्य होना चाहिए एक विशुद्ध, संघीय ढ़ांचे में फिट हो सकती हैं। पिछले दस वर्षों से अपनायी जा रही आपकी नीति पूर्णतया गलत दिशा में जा रही नीति है तथा इससे इनमे से प्रत्येक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का जीवन असुरक्षित हो गया है। हो सकता है आर्थिक रूप से भी यह नीति उनके लिए अत्यन्त कठिन हो। हो सकता है सांस्कृतिक दृष्टि से यह उनके लिए असंभव हो। शायद भौतिक रूप से अनेक अस्तित्व के लिए कठिन हो। इसलिए आपको अपनी सम्पूर्ण नीति को देखना चाहिए।

श्री सैकिया ने मेरे पास एक मंत्री को भेजने की उदारता दिखलाई जिन्होंने मेरे साथ दो घंटे चर्चा की। मैंने जो कुछ उनको बताया उसके रिकार्ड को मैंने एक पत्र में लिखा तथा इस

पत्र को उन्हें भेजा, जिनकी एक प्रति मैंने गृह मंत्रालय को भी भेजी थी। मुझे नहीं मालूम कुछ किया गया है या नहीं। मेरे विचार में हम और अधिक समय तक इन्तजार नहीं कर सकते हैं। श्री सैकिया असम में राजनीतिक खेल खेलते रहे हैं। वह जानते हैं कि उनका भविष्य अल्पंसख्यकों के समर्थन पर निर्भर करता है। उनकी तकनीक यह है कि अल्पसंख्यकों के मन में डर तथा भय पैदा कर दो और तब यह कहो कि "मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मेरी शरण में आ जाओ।" ऐसा नहीं चलेगा अल्प संख्यकों के सच्ची सुरक्षा केवल न्याय, निष्पक्षता तथा बंधुत्व पर आधारित सामाजिक वातावरण में ही दी जा सकती है। यह किसी व्यक्ति या दल की छत्रदाया में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि श्री सैकिया असम को उसके हितानुसार चलाने में असमर्थ हैं। मेरे विचार में उनका समय खत्म हो गया है। हमने उन्हें बहुत छूट दी है। नेल्ली नरंसहार के समय वह मुख्यमंत्री थे। हम भूल गए कि 10,000 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। वह इससे बिल्कुल अप्रभावित रहे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : यह चुनावों के दौरान हुआ था। हमारा दल सत्ता में बाद में आया था।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : परन्तु आपकी सरकार सत्ता में थी। मैं यह कह रहा हूं कि हर हाल में श्री सैकिया का वर्तमान रिकार्ड स्पष्ट है। हमने उन्हें काफी छूट दे दी। अब सरकार एक दिन भी नहीं रहनी चाहिए। असम में सभी दलों ने उनको बर्खास्त किए जाने की मांग की है। मुझे विश्वास है आपके अपने दल के अनेक सदस्यों का यह विचार है कि असम में नेतृत्व बदलने का समय आ गया है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए और असम विधान सभा के सभी अधिकार व शक्तियां छीन ली जाएं। दूसरे, बोडोलैंड क्षेत्र को सीधे केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में लाया जाए तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल होने तक वहां सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात रखा जाए। इसके साथ ही आपको बोडोलैंड की मांग करने वाले सभी घटकों से बात करनी चाहिए तथा एक निष्पक्ष समझौता करना चाहिए जिसमें, जैसा कि मैंने पहले कहा था, गैर-बोडो गांवों को अलग रखा जाए। परन्तु सभी बोडो क्षेत्रों को एक किया जा सकता है तथा उन्हें अधिकारिक रूप से दिया जा सकता है।

इन शब्दों के पश्चात् मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। कृपया बोडो लोगों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार न करें। शायद वे इस उपमहाद्वीप के हमसे भी पुराने निवासी हैं। वे भारतीय हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं उनका मामला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप भूटान सीमा के साथ लगी 10 मि.मी. लम्बी पट्टी उनसे ले रहे हैं। यह उनकी है। वहां कोई और नहीं रहता है। वहां जनसंख्या कम हो सकती है। इसे कृपया उनको दे दें। परन्तु, गैर बोडो गांवों को, जो मुख्य बोडोलैण्ड में बोडो गांवों से मिले हुए नहीं हैं, क्षतिपूर्ति के रूप में बोडोलैण्ड क्षेत्र में जबरदस्ती शामिल न करें। आप दक्षिण में रहने वाले अल्पसंख्यकों के नाम में सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अन्तिम शब्द ये हैं कि यह बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं जानता था ऐसा होने वाला है। परन्तु, मुझे यह पता नहीं था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगी। मुझे कोई आश्यचर्य नहीं होगा कि यदि यह सरकार आज इस पर ध्यान नहीं देती है, तो निकट भविष्य में और नरसंहार होंगे। मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा। मेरा विचार है कि सरकार जागेगी। धन्यवाद।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : सभापति महोदय, दुखी दिल से अत्यधिक चिन्ता के साथ मैं इस स्थगन प्रस्ताव में भाग ले रहा हूं जिसका मैं समर्थन करता हूं। 23 तारीख की रात को घिनौनी हत्याएं की गई। शरणार्थियों, जो बेघर हो गए थे, की हत्या कर दी गई। उन पर गोलियों की बौछार की गई जिससे उनमें से अनेक मरे तथा घायल हुए। इन निरपराध लोगों के जीवन की रक्षा करने के कोई उपाय नहीं थे। यह घटना, इस तरह की हिंसा, घिनौनी तथा भयानक हिंसा, उस क्षेत्र में 19 जुलाई की रात से हो रही थी। मैं 20 जुलाई की सुबह वहां था। शरण के लिए लोग झुण्डों में आ रहे थे। 19 जुलाई को रात में बोडो तथा मुस्लिमों के बीच झड़पें हुई थीं। यह 22 तक जारी रहीं। मैं उन प्रभावित छोटे-बड़े गांवों के नामों की सूची दे सकता हूं जो कुल मिलाकर लगभग 56 गांव हैं। इनसे प्रभावित हुए लोग बोडो तथा धार्मिक अल्पसंख्यक-50,000 से अधिक हैं। और यह घटना एक विशाल क्षेत्र में हुई जो पश्चिम में बेंकी नदी तथा पूर्व में पोहुमारा नदी से घिरा हुआ है जिसकी जनसंख्या 5 से 7 लाख है। वहां यह घिनौनी हत्याएं, घृणित घटनाएं हुई तथा इससे बोडो लोग भी प्रभावित हुए। परन्तु सर्वाधिक प्रभावित आबादी मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रही। घरों से बेघर वे शरण के लिए झुण्डों में आए। मैं वहां 20 जुलाई को गया। मैंने दिसपुर में मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। वहां कोई मंत्री उपलब्ध नहीं थे। मुख्य मंत्री दिल्ली में थे। गृह सचिव तथा मुख्य सचिव भी दिल्ली में थे। और केवल एक मंत्री श्री मुकुट शर्मा से मैं सम्पर्क स्थापित कर सका। मैंने उन्हें वहां की गम्भीर स्थिति की सूचना दीं। मैंने राज्यपाल से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की। मैंने टेलीफोन पर माननीय गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण से बात करने का प्रयास किया। परन्तु वह अस्वस्थ थे। मुझे उस समय बताया गया कि वह मुम्बई जा रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री श्री राजेश पायलट से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। वह एक बैठक में व्यस्त थे। मैंने उनके निजी सचिव को बताया कि वह उस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर ध्यान दें। मैंने उन्हें बताया कि स्थिति की मांग है कि सेना सहित और अधिक बल वहां भेजे जाने चाहिए। मुझे केन्द्र की ओर से कोई कदम उठाने का आश्वासन नहीं दिया गया। इसलिए स्थिति और बिगड़ गई। वहां कोई बल नहीं था, सेना नहीं थी और लोग डरे हुए थे। वे शरण के लिए दूसरे स्थानों को भाग गए। यह इस महीने की 20 तारीख को हुआ। यह हिंसा अन्य स्थानों पर भी फैल गई। उस क्षेत्र के लोगों के जन-माल की रक्षा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। व्यवाहरतः बोडो लोगों और अल्पसंख्यकों दोनों की जानमाल की रक्षा करने के लिए वहां कोई प्रशासन ही नहीं था। सरकार को उस राज्य में सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अब लोग उस क्षेत्र से, जहां से उन्हें हटाया गया था, लगभग 50 किमी. दूर क्षेत्र में शरण ले रहे हैं। कुछ लोग कोयाकुशी को गए जो उनके निवास स्थान से 30 से 40 किमी. दूर है। वहां कोई प्रशसन नहीं था। जब उनके घर जलाए जा रहे थे तथा हिंसा हो रही थी तब मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि तूफान थम गया था और स्थिति सामान्य हो रही थी। उन्होंने स्थिति का आकलन कैसे किया ? स्थिति का उनका आकलन क्या है वे स्थिति का आकलन कैसे करते हैं ? वहां लोगों की यह हालत है। अतः, व्यवहार्यतः उस समय वहां कोई प्रशासन नहीं था तथा स्थिति का सही आकलन भी नहीं किया गया। 22 तारीख को कुछ मंत्री वहां गए तथा शाम को मुख्य मंत्री भी बारपेटा रोड गए। मैंने मंत्री जी से बात की। हमने उन्हें सुझाव दिया कि वहां और अधिक बलों की तैनाती की जानी चाहिए। क्योंकि लोग असुरक्षित थे

तथा बहुत डरे हुए थे। वे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेना सहित और अधिक बल वहां भेजे जाने चाहिए। परन्तु मंत्री सामूहिक रूप से बिगड़ती जा रही स्थिति को संभालने के बजाए आपस में लड़ रहे थे। एक मंत्री-राज्य मंत्री-ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे समस्त पुलिस प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया। इसलिए वहां लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए सम्पूर्ण प्रशासन को नहीं लगाया जा सका। यह स्थिति है। लोग यह कह रहे हैं कि यह विशेष मंत्री ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसका फायदा बोडो सुरक्षा बल उठा रहा है। आप जानते हैं कि इस महीने की 13 तारीख को एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 6 से भी अधिक पुलिस अधिकारी मारे गए थे।

मुझे बताया गया कि उग्रवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ मुसलमान युवकों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि उन्हें पुलिस वर्दी पहनायी गयी। वे लोग बोडो उग्रवादियों की तलाश में गांवों में गए परंतु उन्होंने बोडो व्यक्तियों को वहां परेशान किया। ऐसा आरोप था कि कुछ ने वहां बलात्कार किया और बोडो जनता को लूटा भी था। इससे स्थिति पूरी तरह भड़क गई है। जब पुलिस इस महीने की 19 तारीख को कुछ मुसलमान युवकों के साथ ढ़ेकियाजानी गई तो वहां कुछ झड़पें हुई। झड़पे होती रही-बोडो मुसलमानों पर हमला करते और मुसलमान बोडो पर यह विध्वस काफी बड़े क्षेत्र में फैल गया और यह चलता रहा। अतः एक प्रश्न स्वभावतः आता है कि इस पूरी स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अपराधियों का पता लगाए और यह भी पता लगा कि इसके लिए कौन से सामाजिक कारक जिम्मेदार हैं।

मेरे कुछ सहकर्मियों ने कोकराझार और बोगाइगांव की घटनाओं का उदाहरण दिया है। इस वर्ष मई में कोकराझार जिले में घटनाएं हुई थी। बोडो सुरक्षा बलो ने यह शरारत की थी। बोगाइगांव जिला में झड़पें हुई और मुसलमान अल्पसंख्यक के अनेक लोगों पर हमला किया गया। मैं उस क्षेत्र में भी गया था। अब बारपेटा जिले में यह घटना हुई। एक के बाद एक झड़पें हो रही हैं। समाज के गरीब तबके के लोग ही ज्यादा प्रभावित होते हैं मैं काफी बड़े क्षेत्र को जानता हूं। ये हरकते कौन सी है जो इन गरीबों पर ऐसा अत्याचार करती हैं ? ऐसी ताकतों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें उदाहरणीय सजा दी जानी चाहिए।

बोडो लोगों की अनेक समस्याएं हैं। वे निर्धन और दलित हैं। उन्होंने एक अलग राज्य के लिए आंदोलन चलाया है अब वहां एक स्वायत्त परिषद बनायी गयी है। हमारी पार्टी ने इस बात का समर्थन किया कि बोडो लोगों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उस क्षेत्र के लोकतांत्रिक प्रशासन में तथा उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने में काफी संख्या में उनके लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी इस मांग पर अटल है। अभी भी हम यह चाहते हैं कि बोडो लोगों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

परंतु असम विधान सभा में बोडो स्वायत्तता विधेयक पारित करने के मार्ग में राज्य सरकार ने काफी समस्या खड़ी की। यह एक गंभीर और संवेदनशील समस्या है, इसमें सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए। इस विधेयक को विधान सभा में काफी हड़बड़ी में पारित किया गया जिससे बोडो और गैर-बोडो में काफी उलझन पैदा कर दी है। बोडोलैण्ड स्वायत्त परिषद क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में जनजातियों की तुलना में गैर-जनजाति लोग अधिक हैं। मेरी मांग यह थी कि जहां कहीं भी 50 प्रतिशत या उससे अधिक बोडो लोग हों उसे बोडो स्वायत्त क्षेत्र में शामिल जाए ताकि बोडो

[श्री उद्धव बर्मन]

लोग अपनी देखभाल स्वयं बेहतर तरीके से कर सकें, परंतु ऐसा नहीं किया गया। जब विधेयक पारित किया गया तो सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया गया। हमें बोडो और गैर-बोडो में कुछ विश्वास पैदा करना चाहिए। गैर-बोडो लोग भी यह महसूस कर रहे हैं कि बोडोलैण्ड क्षेत्र में वे असुरक्षित हैं। वे गैर-बोडो सुरक्षा समिति आदि बना रहे हैं और सत्ता पार्टी उन्हें प्रोत्साहन दे रही है, फिलहाल विभिन्न तबके के लोगों में काफी असमंजस है। इसलिए इस परिस्थिति ने काफी समस्याएं पैदा की है। मुसलमान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध काफी बड़ा अभियान चलाया गया है। लोग ज्यादातर ब्रहमपुत्र, बेंकी मानस आदि नदियों के कटाव के शिकार हैं। वे दशकों पहले वहां गए। वहां उन्होंने खेती की इनमें से कुछ लोगों को सरकार ने बसाया। वहां कुछ मुसलमान हो सकते है परतु सभी मुसलमान विदेशी नहीं हैं। बंगलादेशी नहीं हैं। इम ज्यादातर इस बात से सहमत नही हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि सभी मुसलमान बंगलादेशी हैं। इससे वहां मुसलमान विरोधी भावना पैदा हुई हैं। बंगालदेशियों के विरुद्ध चल रहा अभियान वहां रह रहे मुसलमानों के दिरुद्ध एक अभियान का रूप ले रहा है। कुछ बोडो उग्रवादी भी ऐसा अभियान चला रहे हैं। इससे समस्या पैदा हो रही है।

हम विदेशियों के पहचान की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1971 को आधार वर्ष माना जाये। सभी दल 1971 को आधार वर्ष मानने को तैयार हैं। काफी दिनों से हम यह माग कर रहे हैं की बॉडर सील कर दिया जाना चाहिए पता नही बार्डर सील करने और घुसपैठ के प्रश्न का समाधान करने में केन्द्र और राज्य सरकारों को कौन रोक रहा है। बंगला देश से लोग भारत आ रहे हैं। 1971 के बाद में आनेवाले चकियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को कौन रोकता है। लेकिन वे राज्य के लोगों की एकता को तोड़ने के लिए विदेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे असम के लोगों को बंटा जा रहा है, असम के लोगों की एकता को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।

हम सभी जानते हैं कि असम एक बहु-भाषायी और बहुसांस्कृतिक राज्य है, वहां असमी लोग हैं, बंगाली हैं मुसलमान भी हैं। जनजाति भी हैं, दिल्ली और असम के हमारे अनेक मित्र इस बात को नहीं मानते है कि असम बहुत भाषायी राज्य है। असम में अनेक जायज समस्याएं हैं, अल्पसंख्यकों की कुछ लोकतांत्रिका आकांक्षा हैं। यदि हम एकता चाहते हैं तो हमे इस तथ्य को अवश्य मानना चाहिए कि असम एक बहुभाषायी और बहु-सांस्कृतिक राज्य है। हमें अल्पसंख्यकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए चाहे वह मुसलमान हो बंगाली हो अथवा असमी हो। यदि हम इस बात को नहीं मानते तो हम असम की समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे। परंतु असम की वर्तमान सरकार समस्याएं पैदा कर रही है, एक तबके के लोगों को दूसरे से लड़ाया जा रहा है। इससे और अधिक समस्या पैदा हो रही हैं। अतः मैं चाहता हूं कि असम की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकतांत्रिक और सैनिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि केन्द्र और राज्य सरकारें राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को राहत सामग्री भेजने की तत्काल व्यवस्था करें। उनके पास भोजन नही हैं वे असुरक्षित हैं और वहां कोई चिकित्सा सहायता नहीं है तथा राजनीतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों में विचार विमर्श भी होनी चाहिए ताकि बोडो स्वायत्त परिषद समुचित रूप से कार्य कर सके।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री उद्धव वर्मन : महोदय मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। साथ ही मै इस बात को दोहराना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में अभी जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें उदाहरणात्मक दंड दिया जाना चाहिए। सरकार को सुरक्षा के सभी उपाय करने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत किये गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं। परंतु निःसंदेह मैं इस चर्चा की भावना का स्वागत करता हूं क्योंकि ऐसे समय में जबकि असम एक भयानक विपदा में घिर गया है। सर्वोच्च निकाय, संसद ने अपनी चिन्ता जाहिर की है और उससे भी महत्वपूर्ण, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रही घटना को समझने का प्रयास किया जा रहा है, मैं कहूंगा कि निःसंदेह यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

महोदय, मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सच्चाई आपको बुरी तरह झकझोरती है और आपके चेहरे पर एक करारा थप्पड़ मारती है और तब आपके लिए मर्यादा और शिष्टता पर टिके रहना कठिन हो जाता है, यह विशेषकर ऐसा तब है यदि इस सच्चाई की चिन्ता केवल असम की ही न हो, हम सभी को चिन्ता हो।

मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आज जो असम में हो रहा है, और मैं बारम्बार इसे दोहरा रहा हूं कि पूर्वोत्तर में आज जो हो रहा है हम सबों को चिन्ता है। यदि किसी को यह झूठी आशा है कि असम और पूर्वोत्तर में जो कुछ हो रहा है वह यहां कभी नहीं होगा तो वह भ्रम में रह रहा है, मैं यह बार-बार कह रहा हूं कि असम में आज जो विरोध और संघर्ष हो रहा है वह कल देश के बाकी हिस्सों में निश्चित रूप से होगा। यदि हमने विघटन, विरोध और संघर्ष को रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाएं तो मुझे दुःख है कि असम भारतीय लोकतंत्र का कब्रगाह बन जाएगा और भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसी भावना से हमें इस प्रश्न पर विचार करना है और इस विचार से विभिन्न पहलुओं की जांच करनी है कि स्थिति इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई है।

महोदय उग्रवाद का अन्त उग्रवाद ही होता है, हम किसी भी परिस्थितियों में मानव के खून से राजनीति नहीं खेल सकते। श्री इन्द्रजीत ने जिस किसी भी भावना से जो कुछ भी कहा। मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। जब लोग मारे जाते हैं तो आप कोई बहाना नहीं बना सकते। जब आप बहाना करते है तो आप स्वयं को कोसते हैं।

[अनुवाद]

अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। बारपेटा में जो हत्यायें हुईं हैं, वह एक नरसंहार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये नरसंहार विभिन्न रूपों में बार-बार हो रहे हैं। ये जनजातियों और गैर-जनजातियों के बीच की लड़ाईयों तक ही सीमित नहीं हैं। नागालैंड में नागा और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है। हमने असम में बारपेटा की समस्या पर विचार-विमर्श किया है। मैं कल ही असम से वापस आया हूं। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। अनेक शरणार्थी, जो वहां शिविरों में रह रहे

[श्री किरिप चालिहा]

हैं, वे राजवंशी हैं और ये राजवंशी भी असम के मूल निवासी हैं। उनमें से कई बंगाली हिन्दू हैं। बंगाली हिन्दू भी मारे गये हैं। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सरकारी दृष्टिकोण, ओछे समाधान के सहारे तथा उन विशेषज्ञों, जो एक दिन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाकर वापस आ जाते हैं, द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या का हल नहीं हो सकता। बल्कि वे इन समस्याओं को और भी जटिल बना देगें और उस प्रक्रिया में संपूर्ण भारत का विनाश कर देंगें। महोदय, जब हम किसी को धोखा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना पेचीदा जाल बुनना पड़ता है। क्या उस संबंध में मैं कुछ और कहूं ? आज, इस समय मैं लेडी मैकबैथ की तरह यह नहीं कह सकता कि यहां तक कि जब भी मैं हाथ धोती हूं तो मुझे अपने हाथों में खून दिखाई देता है। निर्दोष बच्चों, महिलाओं को मारा जा रहा है। मैं लेडी मैकबेथ की तरह नहीं कह सकता.

"आउट, डैम्ड स्पॉट,

आउट, आई से, वन, टू व्हाई।

दैन इट इज़ टाइम टू डू इट।"

मैं लेडी मैकबेथ नहीं बन सकता। किसी भी स्थिति में मैं वह काम नहीं कर सकता और इसीलिए महोदय, मै आपसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया असम को मरघट न बनने दें। दुर्भाग्य से, आज असम सभी कुछ होने के बावजूद मरघट बन गया है क्योंकि विश्वासघाती व्यक्ति (ब्रूटस) एक सम्माननीय व्यक्ति है। जब हत्यायें होती हैं तो उन पर की गई कार्यवाही को उचित ठहराना कई बार काफी कठिन हो जाता है। फिर भी मैं विवेक से काम लेने का प्रयास करूंगा न कि भावुकता से क्योंकि जीवन में आना-जाना लगा रहता है और घटनायें भी हमेशा होती रहेंगी। निश्चित रूप से मैं कुछ तथ्यों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा।

मैं कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उनका अत्यधिक आभारी हूं। मैं जसवंत सिंह जी को बचपन से जानता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रायः हमारे घर आते रहे हैं। मैं यह बात कहना चाहूंगा कि संचार माध्यमों को पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं के मुद्दों को उठाना चाहिए। जब तक कि, नरसंहार अथवा काफी अधिक गोलाबारी न हो, संचार माध्यमों को इस बात से कोई लेना-देना नहीं होता कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है। आज संचार व्यवस्था के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आज संचार माध्यमों को काफी बड़ी भूमिका निभानी है और जब तक संचार माध्यम और संसद समस्या की गहराई तक नहीं पहुंचगें, तब तक हम कोई समाधान नहीं निकाल सकते। जैसाकि जसवंत सिंह जी ने कहा कि यह सच है कि नरसंहार भीतरी कैंसर का मात्र एक लक्षण, एक बाह्य प्रकटीकरण है और हमें इस बात का पता लगाना है कि भीतरी कैंसर शरीर के किस हिस्से में हैं। और, हमारे पास इस बात का पता लगाने के लिए समय है कि कैंसर किस हिस्से में है। इस देश में हमारी सबसे बड़ी समस्या है समय का अभाव। किसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय होता है। हमारे पास अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा करने का समय नहीं है। हम वास्तविकता को जाने बगैर ही चर्चा में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए बहजनी की घटना को लीजिए। यह सांप्रदायिक प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि एक गांव विशेष में लगभग

9000 मुसलमान हैं जिनकी सुरक्षा 10,000 हिन्दु असमवासी करते हैं। यह रिकार्ड में दर्ज है और श्री राजेश पायलट ने यह स्वयं देखा है।

महोदय, हमने कई समस्याओं पर बात की है और मैं श्री चन्द्रजीत यादव, शहाबुद्दीन जी और जसवंत सिंह जी द्वारा उठाये गये मूलभूत प्रश्नों से पूरी तरह सहमत हूं। असम के विखण्डन और निर्माण की प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी ? असम में अलगाववाद के उद्देश्य को सुदृढ़ करके क्या आप उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश में अपनी अक्षमता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या आप बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मात्र कुछ वोट प्राप्त करने के लिए जनजातियों का समर्थक बनने का प्रयास कर रहे हैं ? आपको इस संबंध में थोड़ा और विवेकशील होना पड़ेगा। एक दिन गृह मंत्रालय में एक वरिष्ठ सदस्य ने मुझसे कहा कि एक जनजातीय क्षेत्र में नरसंहार हुआ है और 23 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, इसलिए स्वायत्तता दी जानी आवश्यक है। मैंने उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश में कई सौ वर्षों से जागीरदारों, जमींदारों अथवा ठाकुरों ने सभी जाति के लोगों को अपनी निजी संपत्ति के रूप में रखा हुआ है और उनका शोषण किया है। क्या आप उनको स्वायत्तता दे रहे हैं ? इस स्थिति से निपटने में द्विभाजन नहीं हो सकता। जब आप इस तरह की स्थिति से निपटते हैं तो इस बात को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या से अलग से नहीं निपटा जा सकता।

वहां आपको विरोधाभास मिलेगा। आज आपके पास लालू जैसे लोग पहले से ही हैं। आप उत्तरी भाग में मंडल आयोग के कारण विभाजन देखेंगे। आज नहीं तो कल कई विरोधाभास होंगें। आपको पहले से ही विरोधाभासों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी संगत प्रश्न हैं। लेकिन एक अथवा दो ऐसे संगत प्रश्न भी हैं, जिनका किसी ने भी उल्लेख नहीं किया हैं। मैं समस्या की ओर संकेत करके थोड़ा विचार करना चाहता हूं। महोदय, आपको इस बात से आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि विद्रोह, उग्रवाद और नरसंहार राजनीति में लाभ के कार्य बन गये हैं। महोदय, ऐसा कहने के लिए मुझे माफ करें। यदि आज मैं कहूं कि मेरे राज्य में उग्रवादियों की समस्या है। क्या मैं उन असीमित राजनैतिक अधिकारों के साथ उस स्थिति का लाभ उठा सकता हूं जो मेरे पास हैं ? क्या मैं लोगों का शोषण कर सकता हूं ? क्या मैं भ्रष्टाचार का आश्रय ले सकता हूं ? क्या मैं अपने राजनैतिक अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता हूं ? क्या मैं यह कहकर अपनी समय अक्षमता को छुपा सकता हूं कि मेरा राज्य अशांत राज्य है ? यदि मैं यह अनुमान करूं कि राजनैतिक हित अथवा मेरे निजी लाभ की संभावना है, विद्रोह और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अक्षुण्ण बने रहने दिया जाये, तो आप क्या कहेंगे ? क्या यह काफी खतरनाक बात नहीं है ? जब भी नरसंहार होते हैं, आप राहत सामग्रियां भेजते हैं। आप ये राहत सामग्रियां एक लाख से ज्यादा लोगों में बांट रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि इससे हमें दवाइयों के वितरण के लिए 50 प्रतिशत कमीशन मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो आप क्या कहेंगे ? यदि मैं कहूं कि मानव खून की राजनीति इस देश में भावी व्यवसाय अवश्य बननी चाहिए तो क्या होगा ? क्या आप इसे झूठा करार दे सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह अपरिपक्व सासद की गलत सोच का परिणाम है। मैं आप सभी से और इस सदन से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मानस को समझें जैसा कि श्री इन्द्रजीत ने कहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मानस को एक पक्ष की बजाय बहुपक्षीय रूप में लेना होगा। मैं असमवासी हूं। मै। जानता हूं कि मेरा राज्य अलग-थलग पड़ा था। इसलिए मुझे दुःखी होने का पूरा अधिकार है। क्या इसका यह अर्थ है कि कल आप मुझे किसी को मारने के लिए हथियार

[श्री किरिप चालिहा]

उठाने की अनुमति दे देंगे ? भारतीय राष्ट्रवाद, इस देश की भूमि और इस देश के प्रति वचनबद्धता का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी कुछ व्यथाएं हैं। इन व्यथाओं के कारण यदि मुझे हथियार उठाना पड़े, तो मुझे कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक रेखा होगी कि यह सीमा (बार्डर) है अथवा नहीं।

दुर्भाग्यवश, समझौते उच्च स्तर पर किये जाते हैं; टेलीविजन पर दिखाने के लिए किये जाते हैं, ऐसे समझौते, जिन्हें कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जाता है और इससे लोगों को दुःख पहुंचता है। हमें स्थितियों की विवशताओं को समझना होगा। महोदय, मैं ये सब बातें इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहा हूं क्योंकि ये वे विकृतियां हैं जो हमारी राजनैतिक व्यवस्था में आ रहीं हैं। ये वे विकृतियां हैं जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र में हो रही हैं। लोग व्यवस्था को बदनाम करने के लिए व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं और यह प्रवृति देश के समग्र राजनैतिक ढांचे को उखाड़ सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा।

महोदय, मैं छः वर्षों तक असम युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। उन दिनों उल्फा द्वारा हत्यायें की जा रहीं थीं। असम युवा कांग्रेस के महासचिव की हत्या की गई क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की बैठक आयोजित की थी। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां था। मैं एक विशेष विचारधारा में विश्वास रखता हूं। हम राष्ट्रवादी हैं। कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रवादी दल है। मैं असम के सभी सांसदों के साथ उनकी विधवा को भी साथ लाया था। मैं एक मंत्री विशेष जी के पास गया। मैंने उन्हें बताया कि उस विधवा के पति ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आप कम-से-कम उसे एक पेट्रोल पंप अथवा गैस की एजेंसी की मंजूरी दे दें ताकि उसके परिवार का पुर्नवास हो सके। उनका अपना एक स्वतंत्र व्यवसाय भी था। इसके कारण उनका कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया। अभी तक कुछ नहीं किया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनकी हत्या की थी, उसे पुरस्कार दिया गया। गृह मंत्रालय की नीति इस प्रकार की थी कि उन्होंने दो लाख रुपये, जिप्सी कार, ठेके, नौकरियां और क्या-क्या नहीं दिया।

इनमें से कुछ लोग मेरे पास आये और मुझसे उन्हें पेट्रोल पंप देने के लिए कहा। मैंने कहा कि "हे भगवान, पेट्रोल पंप भी", मैं असहाय हूं। मैं पिछले तीन वर्षों से गुवाहाटी का सांसद हूं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैं एक भी व्यक्ति को ठेका, अथवा शराब की दुकानें, नौकरियां और इसी तरह की सुविधाएं नहीं दे सका, जो उनमें से कुछ लोगों को दी गईं थीं। अनेक कार्यकर्त्ता राष्ट्रवाद के लिए पिछले छः वर्षों से मेरे लिए कार्य कर रहे थे लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। क्यों ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने उल्फा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, वे ही शासन कर रहे हैं।

सबने उनको सुना। सरकारी अधिकारियों ने उनको सुना। यही भारत सरकार की नीति है। हम बोडो आतंकवादियों की निन्दा करते हैं जिन्होंने इन लोगों को मारा। हमारा कहना है कि उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। दोषी को दण्ड मिलना ही चाहिए। मान लो, कल को वे मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ? तुष्टीकरण की प्रक्रिया राष्ट्र-विरोधी ताकतों के तुष्टीकरण की प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी ? यदि मेरा लड़का आज मुझे कहता है "मेरे प्रिय पिताजी,

मुझे आपको मार देना चाहिए था क्योंकि आप एक राष्ट्रवादी हैं, यदि मैंने आपको मार दिया होता तो मुझे वह मिल गया होता जो मुझे चाहिए; किन्तु मैंने आपको नहीं मारा। इसलिए मुझे परिणाम भुगतना पड़ रहा है।" तो मेरे पास क्या उत्तर होगा। परन्तु शीर्षस्थ लोगों के पास इसका उत्तर है। उनके द्वारा यह कार्य व्यावहारिक रूप में किया जा रहा है।

इसलिए असम समस्या केवल आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों की समस्या नहीं है, न ही यह केवल आप्रवासियों की समस्या है; इस समस्या के और भी कई पहलु हैं। ये आप्रवासी कौन हैं, क्या ये बंगलादेशी हिन्दु हैं ? बंगलादेश से आए आप्रवासी कौन हैं ? आपने इस देश का विभाजन कर दिया था। उनके पास वहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। वे यहां आकर बस गए। वे बंगाली है। जब वे यहां आए तो अपना सब कुछ यहां नहीं लाए। वे सीधे-सादे दुकानदार हैं, वे आम लोग हैं। आप उन्हें नरक में धकेल रहे हैं। यही एहसान आप इस देश पर इसके विभाजन होने का कर रहे हैं। आप्रवासी मुसलमान कौन हैं ? घुसपैठ करना ठीक नहीं है। उनमें ये अधिकांश को सरकार ने खेतीबाड़ी के लिए बुलाया था क्योंकि उन्हें किसानों की आवश्यकता थी। इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक समस्या के विभिन्न पहलु होते हैं। उसे सम्पूर्ण रूप से देखे जाने की आवश्यकता है; तथा उसके प्रत्येक पहलु को अलग-अलग नहीं कर सकते। यह 2+2 = 4 का प्रश्न नहीं है। यदि ऐसा होता तो असम में कोई समस्या ही नहीं होती। दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है।

उस दिन स्थायी समिति की एक बैठक में मैंने गृह-सचिव से कुछ प्रश्न पूछे थे। आपको यह जानकर अचम्भा होगा कि गृह सचिव ने अपने उत्तर में कहा कि यदि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता तो असम में विद्रोह होता ही नहीं। इसलिए, हम क्या करें ? ऐसा नहीं है कि ये लोग इसे जानते नहीं हैं। मैं श्री राजेश पायलट जोकि मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, को अपने ही राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही जानता हूं, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 60 प्रतिशत से अधिक लोग जो असम की राजनीति जानते हैं, उन्हें यू.पी. का निवासी नहीं मानते, वे उन्हें असमवासी ही मानते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके नाम से जानते हैं। परन्तु क्या वे कुछ कर पाए हैं ? मैं नहीं जानता कि कोई कार्यवाही न करने का राज क्या है। इसमें कुछ राज हो सकता है। परन्तु मैं कुछ बातों की ओर केवल इशारा कर रहा हूं। ऐसी कुछ बातें कहनी कठिन होती हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण है सेना की भूमिका। एक बार फिर असम, असम के कुछ ज़िले हमने सेना के सुपुर्द कर दिए हैं। परन्तु सेना क्या कर सकती है ? जब आप सेना वहां भेजते हैं तो राज्य सरकार सरकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सेना की भूमिका की निन्दा करती है तथा कई बार उसकी बुद्धिमत्ता पर भी उंगली उठाती है। आप सेना को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं ? मुझे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता।

आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं; एक समय ऐसा था जब मुख्य कमाण्डर को छोड़कर उल्फा के तीन शीर्षस्थ नेता–चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा महासचिव पुलिस हिरासत में थे। एक सुबह हमें पता चला कि वे बंगलादेश भाग गए हैं तथा वे आई.एस.आई. के दबाव में थे। मैंने पूछा कि उन्हें बंगलादेश किसने भेजा, उन्हें यह देश छोड़ने की अनुमति किसने दी ? मुझे इसका कोई उत्तर नहीं मिला। इस निर्णय के लिए किसी भी पुलिस कांस्टेबल या इंस्पेक्टर को निलंबित नहीं किया गया। अब यदि हम ही आतंकवादियों को दूसरे देश में जाने की अनुमति दे देते हैं तो इसका दोषी कौन है मैं, आप, गृह मंत्रालय या कोई और ?

[श्री किरिप चालिहा]

किसी सदस्य ने पहले यह पूछा था इस विषय में सरकार असफल क्यों रही ? कहीं न कहीं कोई गलती जरूर हुई है। सब कुछ ठीक होते हुए भी असफलता क्यों मिल रही है ? इसका अभिप्राय यह है कि किसी न किसी का उत्तरदायित्व होना आवश्यक है।

जब-जब भी मुझे बोलने का अवसर मिला है, मैं बार-बार यही अनुरोध करता रहा हूं-मैं असम के विवाद से स्वयं को दूर रखने की कोशिश करता हूं–कि इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए।

मेरे जैसे सैंकड़ो, हजारों राष्ट्रवादियों का इस देश में क्या भविष्य है ? इस देश के नागरिक, जिनका यह मानना है कि यह भूमि, यह देश हमारा है तथा कोई भी ताकत उन्हें अपने देश से अलग नहीं कर सकती है, उनका इस देश में क्या भविष्य है ? हम राष्ट्रवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं या आंतकवाद को, या फिर आदर्शवादिता को भ्रष्टचार या अवसरवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं ? क्या हम देश के प्रति अपनी अटल समर्पण की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं या ओछी राजनीति करने वाले लोग जो कि इस देश का नाश कर रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।

मैं इन सभी बातों का उल्लेख विशेषतः बारपेटा नरसंहार काण्ड के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में यह बात रखकर कर रहा हूं क्योंकि हम सभी का इससे सम्बंध है ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज नहीं तो कल बारपेटा के बारे में उठेंगे, यदि बारपेटा काण्ड के बारे में नहीं तो अयोध्या के बारे में और यदि अयोध्य के बारें में नही तो और किसी के बारे में उठते रहेंगे। हमारी यह कामना है कि ये प्रश्न उठने बन्द हो जाएं इन समस्याओं का समाधान हो जाए तथा सरकार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को केवल औपचारिक रूप से ही नहीं बल्कि वास्तविक अर्थों मे सिद्ध करेगी। नहीं तो इस स्थिति पर काबू पाना अत्यन्त कठिन हो जाएगा तथा एक दिन हमारे बच्चे लेडी मेकबथ की तरह कहेंगे-"क्या यह चाकू है मैं अपने सामने देख रही हूं, इसका हत्था मेरी तरफ है, मैं यह किसी को घोंप देती हूं।"

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं बारपेटा घटना और असम राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में लाए गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

बारपेटा की घटना एकमात्र घटना नहीं है। यह घटनाओं की श्रृखंला में से एक है। इस घटना के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए मैं असम राज्य में चल रही सरकार की गतिविधियों के बारे में भी सभा को अवगत कराना चाहूंगा।

पहली बात यह है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है अनेक बार मैने सदन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में अलगाव की भावना पनप रही है। ऐसा इसलिए है कि जबसे देश का बंटवारा हुआ है किसी भी सरकार ने, चाहे वह केन्द्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार दोनों ने ही आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या को कोई महत्व नहीं दिया। यही मुख्य कारण है कि पूर्वोत्तर के लोग अपने को देश की मुख्य धारा से अलग महसूस करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो दल सत्ता में हैं वह पूर्वतः जिम्मेदार है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इनके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है।

महोदय, 1991 में असम में सैकिया सरकार सत्ता में आई और मै कहूंगा कि मेरे मित्र श्री किरिप चालिहा ने जो भी कहा है वह सही है मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने असम की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने और सरकार की गतिविधियों को उजागर करने का साहस दिखाया। उन्होंने असम राज्य सरकार की गतिविधियों और कार्यवाही के बारे में बताया।

7.00 म.प.

जब से 1991 से यह सरकार सत्ता में आई है सभी क्षेत्रों में, असम में स्थिति बिगड़ी है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है।

सभापति महोदय : श्री पुरकायस्थ, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

हमने इस स्थगन प्रस्ताव पर 4.30 **म.प.** पर चर्चा आरंभ की थी और इसके लिए 2 घंटे और 30 मिनट का समय रखा गया है अब 7 बज चुके हैं। यदि सदन चाहेगा तो हम समय बढ़ा देंगे। 11 अन्य सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव है और हमें आज ही चर्चा समाप्त करनी है। इसलिए हम समय एक घंटा अर्थात 8 **म.प.** तक बड़ा देते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप मे अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्रीमती बिभू कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व) : हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं **(व्यवधान)**

सभपति महोदय : यह संभव नहीं है। इसलिए मैने अभी सभा का समय 8 **म.प.** तक बढ़ाने की बात कही है।

श्री पुरकायस्थ, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : महोदय, सैकिया सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि सैकिया सरकार ने फूट डालकर शासन करने का रास्ता अपनाया है। महोदय, यह बहुत है कि सभी जनजातीय समूह सरकार से स्वायतता की मांग करने लगे हैं और सैकिया सरकार बिना सोचे समझे सभी को स्वयतत्ता देने का वायदा कर रही है ऐसा उस विशेष जनजाति वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता ऐसा केवल राज्य में सैकिया सरकार को सत्ता बनाए रखने तथा विभिन्न वर्गों के बीच फूट डालकर राज्य करने की नीति के लिए किया जा रहा है यह असम में सैकिया सरकार की नीति है और इससे असम में विभिन्न राज्यों और समुदायों के बीच मनमुटाव हुआ है।

महोदय, जब बोड़ो समझौता किया गया था उस समय लोगों ने सोचा था कि बोड़ो समझौते सें निश्चित रूप से शांति कायम होगी। लेकिन आप देखेंगे कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद व्यवहारिक रूप से शांति नहीं आई है बल्कि लोगों में फूट पड़ी है और वर्तमान घटना का यह भी एक कारण है।

महोदय, घुसपैठ का प्रश्न सामने आया है। यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि जब कि गृह-मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण ने गुवाहाटी में असम के मुख्य मंत्री की उपस्थिति में प्रेस के लोगों के सामने

[श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ]

यह घोषणा की कि घुसपैठ ने पूर्वोत्तर राज्यों में तबाही मचा दी है जबकि असम के मुख्य मंत्री ने कहा कि घुसपैठ नहीं हो रही है। अतः आप नोट करेंगे कि सरकार का क्या आस्तित्व है। व्यवहारिक रूप से, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच कोई सम्बंध अथवा समन्वय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ही राज्य सरकार ने घुसपैठ को अस्वीकार किया है। यह पूर्वोत्तर में विभिन्न समुदायों और भाषायी वर्गों बीच असंतोष और विभाजन का भी एक कारण है।

महोदय, वर्तमान घटना इस माह की 13 तारिख की है जब एक ऊपर पुलिस अधिक्षक और पुलिस कर्मी की हत्या कर दी गई थी। यह वर्तमान स्थिति की शुरूआत थी। दो-तीन दिन बाद भी वहां शान्ति थी। लेकिन पुनः 18 से यह वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा तब हुआ जबकि सैकिया सरकार का मंत्रीमंडल बारपेटा में बैठा था तब भी वे किसी भी तरह से नियंत्रण न रख सकें। राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा जिस ढंग से मामले को निपटाया गया यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार को इस सम्बंध में पहल करनी चाहिए कि कैसे शांति कायम की जा सकती है, कैसे स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। किन्तु सरकार लोगों को विभाजित करने की सोच रही है।

तब एक मंत्री के नेतृत्व मे और उच्च पुलिस अधिकारी की सहायता से, बोड़ो गांव पर हमला किया गया था और बोड़ो लोगों की हत्या की गई थी और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इस घटना से क्षेत्र के लोगों के बीच आक्रोश पैदा हुआ। ऐसा 22 तारीख को हुआ। इससे बोडो लोगों के बीच आक्रोश पैदा हुआ और यही कारण है कि 23 को वहां हत्याएं हुई और इसके लिए केवल असम सरकार जिम्मेदार है। घटनाओं के बाद लोगों को कैम्पों में शरण लेने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा। कैम्पों में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां सुरक्षा नहीं थी। इसलिए ऐसा हुआ और हिन्दु, मुसलमान, जनजाति और गैर जनजाति का प्रश्न उठा। अनेक ऐसी चीजें हैं जो इस घटना से जुड़ी हैं।

हाल ही में, सैकिया सरकार ने एक अन्य कदम उठाया। सैकिया सरकार ने लोगों विशेषतः छार निवासियों को पट्टे देने शुरू किए। सामान्यतः असम के लोगों का यह विचार था कि पट्टे तभी दिए जाने चाहिए जब यह निर्णय ले लिया जाय अथवा जांच कर ली जाय कि वह विशेष व्यक्ति देश अथवा राज्य का नागरिक है। लेकिन सरकार ने ऐसा किए बिना ही पट्टे देने शुरू कर दिए। इससे राज्य के जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों में रोष पैदा हुआ। यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसा सरकार की गलत नीति और गलत कार्यवाही के कारण हैं और केवल सरकार इस सबके लिए जिम्मेदार है। इस स्थिति में यह कहना चाहता हूं कि सरकार का रवैया लोगों को विभाजित नहीं करने का होना चाहिए और यह देखना चाहिए कि समस्या कैसे हल हो सकती है।

अंत में, मैं कहूंगा कि यद्यपि कहा जाता है, अपराधी को दण्ड देना समाधान नहीं है, फिर भी मेरे विचार में इस स्थिति में अपराधी का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए और उसे दण्डित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. मुमताल अंसारी (कोडरमा) : सभापति महोदय, देश के इस भाग में जो घटना घटी

है वह एक दुखद घटना है जिसकी सभी लोगों द्वारा कड़े शब्दों और कड़ी भाषा में निन्दा की जानी चाहिए। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है कि बारपेटा मे शरणार्थी शिवरों में कम से कम 60-70 व्यक्ति मारे गए और कम से कम 100 व्यक्ति घायल हुए और ऐसा बताया गया है कि अधिक लोग मारे गए हैं।

7.10 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन फिर भी सत्ता दल के सदस्य विभिन्न सीमाओं से अवैध प्रवास, विभिन्न जनजातीय और गैर-जनजातिय आदि से सम्बंधित आदि मुद्दों के विभिन्न पहलुओं को मिला रहे हैं। महोदय, यह बहु आश्चर्य जनक है कि यद्यपि यह बहुत दुखद घटना है और बहुत गम्भीर मामला है फिर भी इसे बहुत गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया गया है। इसे सत्ता दल द्वारा पूर्व गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

सत्ता दल से मेरे युवा मित्र, श्री किरिप चालिहा ने अनेक बातें कहीं हैं। उन्होंने सभी पहलुओं को लिया है और उन्होंने लगभग हर विषय के बारे में राज्य सरकार का पर्दाफाश किया है। श्री किरिप चालिहा ने ठीक ही कहा है कि वर्तमान सरकार··· इसी प्रकार श्री चालिहा ने अनेक आरोप लगाए हैं*···और राज्य सरकार विभिन्न वर्गों के लोगों को फुसलाने के लिए सभी तरीके, सभी चालें और सभी खेल अपना रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा और जो बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल करने लायक नहीं होगी उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मैं वही कह रही हूं जो कुछ कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : सभा के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपनी बात कहिए।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मैं वही कह रही हूं जो माननीय सदस्य ने कहा है।

सम्पूर्ण सरकारी तंत्र लोगों के जीवन और सम्पति को बचाने में असफल रहा है-वे जो भी हों, वे हिन्दू हो या मुसलमान हों या जनजातीय लोग हों या गैर-जनजातीय लोग हों। यह सच है कि यह एक बहुत दुखद घटना है। गृह मंत्री भी वहां गए और उन्होंने भी स्थिति की गम्भीरता का आकलन किया है। गृह-मंत्रालय के दोनों मंत्रियों ने अलग-अलग प्रधानमंत्री को नोट प्रस्तुत किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि यह वास्तविकता है तथा ये घटनाएं घटी हैं। इसी प्रकार सत्ता दल के माननीय सदस्य सम्पूर्ण देश में ऐसे वक्तव्य देकर भावनाएं भड़का रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जल रहा है,। ऐसे वक्तव्यों से सम्पूर्ण देश में भावनाएं भड़केंगी और सारा देश भड़क उठेगा। इसलिए ऐसे वक्तव्य न दें और ऐसे वक्तव्यों से बचें हमें इसे पूर्ण गम्भीरता से और सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि नर संहार तथा सामूहिक हत्याओं को कैसे रोका जाए। और ऐसी दुखद घटनाएं कैसे रोकी जाएं जो देश के उस भाग में हो रही हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[डा. मुमताज अंसारी]

महोदय, यही एकमात्र घटना नहीं है जो घटित हुई है। अक्तूबर, 1993 में भी कोकराझार और बोगाई गांव जिलों में कुछ लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से मई, 1994 में लगभग 40-50 व्यक्ति 'बोडो सुरक्षा बल' द्वारा मारे गए थे। मैं समझता हूं कि उन्हें विभिन्न नाम दिए गए हैं। अतः यह घटनाएं राज्य सरकार की राजनैतिक इच्छा प्रकट करती हैं कि राज्य सरकार इतनी दुखद घटनाओं पर भी नियंत्रण पाने की इच्छुक नहीं है। हम देखते हैं कि मुख्य मंत्री केवल 15 की.मी. की दूरी पर थे और पुलिस सुरक्षा कर्मी शरणार्थी शिविरों में रह रहे इन लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। इनकी संख्या लगभग 4-5 हजार थी। लागभग 50,000 व्यक्ति विभिन्न गांवों में भाग गए हैं। महोदय, वहां कानून और व्यवस्था नहीं है लोग शरण चाहते हैं। वे बसेरों और शरणार्थी शिविरों में आ रहे है। वह जानमाल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की शरण में आ रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वहां भी लगतार हत्याएं की जा रही हैं इन परिस्थितियों में लोग कहां जाएं।

यह कहना गलत है और लोगों का यह कहना एक बहुत ही अमानवीय दृष्टिकोण है कि वे सीमा पार करके आने वाले लोग अवैध प्रवासी हैं अथवा बंग्लादेशी हैं। विभिन्न अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। मैं इस पर विवाद नहीं करता। इस संबंध में देश का कानून है और विभिन्न अन्य सीमाओं से आने वाले अवैध प्रवासियों और वास्तविक निवासियों के बीच अन्तर करने के लिए भी देश का कानून है। यह सब अलग-अलग मुद्दे हैं। लेकिन जब लोगों की हत्या की जा रही है तो भी यह लोग संवेदनशील नहीं है और वे सभी मुद्दों को मिला रहे हैं। यही कारण है कि मैने कहा है कि यह सैकिया सरकार एक दिन के लिए भी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बहुत लम्बे समय से किसी न किसी बहाने राज्य के उस भाग में ऐसी अमानवीय और दुखद घटनाएं घट रही हैं। राज्य सरकार ऐसे मामलों के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। राज्य सरकार अपने कर्तव्य को निभाने में बिल्कुल असफल रही है। श्री सैकिया के नेतृत्व में असम राज्य सरकार के सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कानून और व्यवस्था की समस्या का हल करना राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। देश के इस भाग में रह रहे व्यक्तियों के जानमाल की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार की भी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय राज्य सरकार असफल रही है, सम्पूर्ण तंत्र असफल रहा है और केन्द्रीय सरकार भी असफल रही है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं थोप रही है। केन्द्रीय सरकार अपनी मिलीभगत से वहां सरकार को चलाने का पूरा प्रयत्न कर रही है।

महोदय, जिन लोगों ने वहां बेकसूर लोगों की हत्या की है उन्हें फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि वह लोगों की हत्या कर रहे हैं। लोगों के जानमाल की रक्षा करना राज्य सरकार का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन वे भेदभाव कर रहे हैं और वे राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना पड़ेगा अन्यथा मैं अन्य सदस्यों का नाम पुकारने वाला हूं।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मैने अभी बोलना शुरू किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक मुद्दों पर आइए, विस्तार आवश्यक नहीं है।

डा. मुमताज अंसारी : अनेक मुद्दे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दों पर बोलिए मुझे कोई एतराज नहीं है।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, मैं समाप्त करती हूं। क्षेत्रीय असंतुलन हैं। केन्द्रीय सरकार को ऐसे सभी क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां जनजातीय लोगों से सम्बंधी भी कुछ मुद्दे हैं। केन्द्रीय सरकार को जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों की इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। राज्य के कुछ भागों में राज्य गरीबी और पिछड़ेपन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है केन्द्रीय सरकार इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 के उपबंधों को लागू क्यों नहीं कर रही है ? इस प्रकार की राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए वहां संविधान का अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए और शीघ्र ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।

इसलिए यह मेरी विनम्र अपील है कि केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करे और राज्य सरकार को तुरन्त बर्खास्त करे। केन्द्रीय सरकार को इन सभी क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इन उभरते हुए मामलों की ओर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश में ऐसी दुखद घटनाएं पुनः न हों।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, जसवन्त सिंह जी बोले। वाजपेयी जी की आवाज और शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम वाजपेयी जी को सुनने के लिए बैठे हुए थे लेकिन वे नहीं बोले। सब चीज के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई। बाबरी मस्जिद के गिरने का वाकया हुआ था। वाजपेयी जी की बात हमको याद है, ये सदन में बोले थे कि यह कैसी घटना हुई है। मुझे भी मस्जिद के गिरने से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी टी.वी. में देखकर हुई कि फौज के टुकड़े भी कहां रखे गए। जब टी.वी. पर देखा तो सोचा कि यह क्या हो गया है। यह कैसी हुकूमत है ? आज ठीक वही चीज रिपीट हो रही है। इससे आप लोगों को और इनको बहुत फायदा होगा। हम कहीं के नहीं हैं लेकिन आप कहां जायेंगे ? इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। यह दूसरा वाकया हुआ। आये आपके घर और वहां हुआ कत्ले आम ! किसी अखबार में देखा कि सैकिया साहब सर्किट हाऊस में थे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं ? इतने में सैकिया साहब के बॉडी-गार्ड भाग गए। बड़ी मुश्किल से वह बचे। यह हुकूमत है। आज क्या हो रहा है ? मामूली सी बात पर स्टेट की स्टेट साफ हो जाती हैं। प्रैजीडैंट रूल लग जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक केस चला जाता है। कल-परसों हम टी.वी. पर देख रहे थे कि एक जगह मिलिट्री ने यह कह दिया कि हमारे सब मिनिस्टर करप्ट हो गए हैं। वे लोगों को पकड़ कर मारने लगते हैं। कहीं पर भी चले जाइये। यही नजारा देखने को मिलता है। आप में कुछ करने की हिम्मत क्यों नहीं होती है।

जब जसवंत सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक थीम सा बना लिया। पायलट साहब और चव्हाण साहब में झगड़ा है। आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। इनके आदमी ने कहा कि मेरे जैसा आदमी इलैक्शन में खड़ा नहीं होगा। **(व्यवधान)***...

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को वार्निंग देता हूं। वह **(व्यवधान)**··· आहिस्ता से जाकर कहें कि इनको हटा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : इससे इन पर लगा हुआ धब्बा भी मिट जाएगा। हमने इनको भी हटाया और इधर हमने भी अपने को हटाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वार्निंग देकर बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपना विचार व्यक्त करने का यह मौका दिया। चूंकि अन्य सदस्यों ने इस बारे में सब कुछ कह दिया है, मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं करने जा रही हूं। मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहती हूं। बारपेटा में जो हुआ हम उसकी भर्त्सना करते हैं, नरसंहार की हम भर्त्सना करते हैं। इसके पहले हमने नेन्सी घटना और मंदाई घटना को भी देखा। शिलांग में भी वही बात हो रही है, बिहार में भी ग्यारह लोगों की मृत्यु हुई। यह काफी गंभीर मामला है। परंतु समस्या सिर्फ यह है कि जहां कहीं भी कांग्रेस सरकार सत्ता में है सभी विपक्षी दल के सदस्य अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति का शासन लगाने की मांग करते हैं। और वे उनके त्यागपत्र की भी मांग करते हैं परंतु जहां कहीं भी वे सत्ता में हैं वे अपनी सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। हमें जो कुछ भी करना होगा पूरी सावधानी से करना होगा।

यद्यपि असम में प्रत्येक व्यक्ति श्री हितेश्वर सैकिया की आलोचना कर रहा है, हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि श्री हितेश्वर सैकिया ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां स्थिति को सामान्य करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया। ···**(व्यवधान)**··· आप कहेंगे कि वहां कुछ नहीं किया गया है क्योंकि वहां आपकी सरकार नहीं है. यदि मैं यह कहूं कि राजस्थान में इतनी बातें हो रही हैं तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इसे राजनीतिक रूप नहीं दे रहा हूं।

बारपेटा में जो हुआ है वह काफी गंभीर मामला है। मेरी पहली मांग है कि गृह मंत्रालय को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच करवानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि किन-किन नेताओं का अपराध जगत के साथ संबंध है, उनका उग्रवादी नेताओं के साथ, माफिया गैंग के साथ

और पैसे वाले व्यक्तियों के साथ और विशेष तौर पर उग्रवादी जगत कि शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ संबंध है। कुछ ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनका उन लोगों के साथ अच्छा संबंध है और यही कारण है कि अपने निहित स्वार्थों के कारण राजनीतिक नेता लोगों को गुमराह करते हैं और ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं।

अतः मैं मंत्री महोदय से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध करता हूं और यदि आप किसी व्यक्ति को उग्रवाद में शामिल पाते हैं तो वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो उसे दंड दिया जाना चाहिए उसे पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए और उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए।

मुझे यह कहा गया था कि वे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं बारपेटा में भी उन्होंने राकेट और अन्य आधुनिक उपकरणें का इस्तेमाल किया। असम सरकार के पास आधुनिक उपकरण नहीं हैं। असम एक बहुत ही गरीब राज्य है। त्रिपुरा एक बहुत ही गरीब राज्य है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब राज्य सरकार ने इसे अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है तो केन्द्र सरकार को इसे सेना को पूरे अधिकार के साथ सौंप देना चाहिए ताकि सेना स्थिति पर नियंत्रण कर सके

श्री इन्द्रजीत ने कहा है कि यह घुसपैठ के कारण है। निःसन्देह कुछ घुसपैठ की समस्या है। परंतु आपको 1971 तक के घुसपैठ की समस्या और अब जो स्थिति है उस पर विचार करना होगा। हमारे संविधान और समझौता के अनुसार हमें पंडित नेहरू और पाकिस्तान में श्री लियाकत अली खां ने तथा श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल रहमान ने कुछ समझौता किया और उस समझौता के अनुसार 25 मार्च, 1971 तक बंगलादेश से जो लोग भी आए वे भारतीय ही थे। वे विदेशी नहीं हैं। अतः उन लोगों की ऐसे लोगों के साथ तुलना न करें जो 75 वर्षिया और 100 वर्ष और 25 वर्षों से वहां रह रहे हैं। वे विदेशी नहीं है। यदि घुसपैठ की कुछ समस्याएं हैं तो सरकार इस मुद्दे को बंगलादेश सरकार और अन्य सरकारों के साथ उठा सकती है।

सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अल्पसंख्यक की समस्या है। उन्हें सम्पति का अधिकार नहीं है। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता हैं। मैंने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम में ऐसी स्थिति को देखा है। हमें विभिन्न जनजातियों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : 1971 में यहां सिर्फ 35,000 लोग थे। नेहरू लियाकत समझौते के तहत केवल 35,000 बंगलादेशी वहां थे और आज वहां 3 लाख बंगलादेशी उस उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में घुस आए हैं तो इसके लिए आपको क्या कहना है ?

कुमारी ममता बनर्जी : आप क्यों चिल्लाते हैं ? मुझको तो मालूम नहीं है।

हर बंगलादेशी खराब नहीं होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग 1971 की वार में आए हैं, वह इंदिरा गांधी और मुजीबुर्रहमान के पैक्ट के मुताबिक आए हैं, आपकी पार्टी के मुताबिक नहीं आए हैं। आपको समझना चाहिए कि यह सैंसिटिव सबजैक्ट है कि नहीं है। हमको मालूम नहीं है, यह किधर से स्टैटिस्टिक्स लाये हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर नहीं देना है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : जो इन्फिल्ट्रेशन की प्राब्लम है, वह इन्फिल्ट्रेशन की प्राब्लम नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा है, इससे मैं सहमत हूं। लकिन साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी-मुजीबुर्रहमान पैक्ट के नाते आए हुए हैं या जो नेहरू-लियाकत पैक्ट के टाइम में आए हुए हैं, जो 1971 के वार में आए हुए हैं, उनको प्रापर्टी राइट मिलना चाहिए, उनका जिन्दगी बिताने का राइट रहना चाहिए। वह जरूर रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन-कौन क्यों आया है। मैं आज की बात नहीं करती हूं। इसके लिए आपको बहस नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप देरी न करें। आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : जो संख्या 35,000 से तीन लाख हो गई, उसके लिए आपको क्या कहना है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

कुमारी ममता बनर्जी : आप हैं, आपकी पोलिटिक्स है। यह लोग हर बात में इतनी पालिटिक्स करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। आज बारपेटा में यह हुआ है तो आप असम गवर्नमेंट का रैजिनगेशन चाहते हैं लेकिन बिहार में 2 दिन पहले जो 11 आदमियों का जिन्दा जला दिया तो आप लोग बिहार गवर्नमेंट का रैजिगनेशन करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, बोलिए ? आपको हर बात बोलनी चाहिए लेकिन आप लोग आपकी पार्टी की बात नहीं बोलेंगे, हमारी पार्टी की बात होगी तो बोलेंगे। यह पार्टी की बात नहीं है। जो बात सच है, मैं वह बात कहना चाहती हूं। जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, उसको मैं आर्मी को देने के लिए रिक्वैस्ट करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

जनजातियों में ऐसी भावना है कि उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक विकासात्मक कार्य किया जाना चाहिए। उनमें ऐसी भावना है कि वे मुख्यधारा से अलग हैं। लोगों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात सेना को पूरी शक्ति तथा अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों की वहां सुरक्षा की जा सके। सरकार को मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए सरकार को मृतकों के परिवारों का पुनर्वास करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से एक बात कहूंगी। उल्फा के जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें 2 लाख रुपये मिल रहे हैं। परंतु जो लोग मरे जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। उनके परिवारों को एक रुपया भी नहीं मिला। अभी तक उनके परिवारों

का पुनर्वास नहीं किया गया है। मैं सोचती हूं कि सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए और जो लोग देश के लिए मारे गए सरकार को चाहिए कि वह उनके परिवारों का पुनर्वास करे।

महोदय मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि अनेक लोग बोलना चाहते हैं। मैं सोचती हूं कि हमारा देश काफी बड़ा देश है। इस देश में अनेक प्रकार के लोग रह रहे हैं। कुछ हिन्दू हैं, कुछ मुसलमान, बंगाली, बिहारी और महाराष्ट्री हैं। कुछ लोग अन्य समुदाय के हैं। परंतु हम सबों को एक साथ रहना है। हमें भारतीय बने रहना है। हमें अपने देश को मजबूत बनाना है। यही कारण है कि मैं सोचती हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए। हमें राज्य सरकार के हाथ मजबूत करने होंगे। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को हर प्रकार की सहयता दे ताकि राज्य सरकारें उग्रवादी गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण कर सकें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और यदि सरकार ऐसे मामलों में शामिल होती है तो इस तरह के लोग हर जगह उठ खड़े होंगे और तबाही मचायेंगे। आप राजनीतिज्ञों को जानते हैं। वे वोट की राजनीति खेल रहे हैं। वे यहां काम केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अन्तोगत्वा अधिकतर लोग ही दुखी हो रहे हैं, यही कारण है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल राजनीतिक नेताओं को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। मै आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। साथ ही मैं मंत्री महोदय से इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का अनुरोध करती हूं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदरबाद) : स्पीकर साहब, जो भी कुछ वाक्यात हुए हैं, वे अफसोसनाक हैं और जितनी भी मजम्मत की जाए, उतनी कम है। इसके साथ-साथ खुद जब राजेश पायलट साहब वहां तशरीफ ले गए, अकबारात में जो रिपारोटिंग आई है, उसमें यही है कि कम्युनिकेशन की कमी है और वक्त पर इत्तिला नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ये वाक्यात और बढ़ते गए। सवाल यहां पर पैदा होता है कि आखिर हुकूमत है, तो ये तमाम चीजें क्या हो रही हैं। दूसरी तरफ यह बात कही जाती है कि बंगलादशी आए हैं। सवाल यह है कि आखिर इनको आने किसने दिया और कैसे आए। उसके बाद पुकारा करना और इतना जबरदस्त कत्लेआम होना, मैं यह समझता हूं कि हुकूमत इस मसले में नाकाम हो चुकी है और खुद कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि फौज के हवाले उस इलाके को किया जाए। मैं यह कहूंगा, जब हुकूमत इतनी नाकाम हो चुकी है, तो क्यों नहीं वहां सदर राज नाफूज किया जाता है और हुकूमत को खत्म किया जाता है। आखिर कब तक वहां पर इन्सानियत जानें जाती रहेंगी और हम खामोश-तमाशायी बने बैठे रहेंगे।

मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अब बहुत हो चुका है, आप कोई कदम उठाइए। बार-बार इस तरह के वाक्यात असम में हो रहे हैं और दाहराए जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह इन्सानियत के नाम पर एक कलंक का टीका है और अब इन वाक्यात को सख्त कदम उठाकर खत्म करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती बिमू कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करती हूं। परन्तु आज हमें पूर्वोत्तर की स्थिति का विशलेषण राष्ट्रीय कोण से तथा देश की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में करना है। इसलिए इस सभा का भारतीय जनता के प्रति एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। जब भी मैं इन विध्वंसक घटनाओं को पढ़ती हूं तो मुझे हमारे राज्य में 1980 में 6 जून को हुए मंदाई नरसंहार की याद आ जाती है। वह घटना 1980 में घटी थी और मुझे वह इसलिए याद है क्योंकि उस समय श्रीमती गांधी जीवित थी, मुझे यह भी याद है कि इस समस्या पर मैंने उनके साथ काफी चर्चा की थी मैने देखा है कि कैसे दोनो सम्प्रदायों को दुष्परिणाम झेलने पड़े थे। जब हम ऐसी समस्याओं पर सभा में चर्चा करते हैं तो वह प्रत्येक दल के लिए एक मुद्दा बन जाता है। जो लोग किसी विशेष सम्प्रदाय को बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए यह एक वैयक्तिक मुद्दा बन जाता है। जैसा कि मेरे मित्र श्री किरिप चालिहा ने कहा है, राजनीति में एक नई प्रवृति चल पड़ी है जिसमें वैयक्तिक लाभ के लिए सम्प्रदायिक समस्याओं का राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। मैने इस सभा में आदिवासियों की समस्याओं पर चर्चा की थी। यह समस्या क्यों पैदा हुई ? यह समस्या ज्वलंत मुद्दा क्यों बन गई ? मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत ने पहले कहा था कि वे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनाना चाहते। त्रिपुरा एक जनजातीय बाहुल्य राज्य था और आज हमें अपने ही क्षेत्रों में सीटों की भीख मांगनी पड़ती है, या फिर वे विद्रोहियों के हाथ लग जाती है क्योंकि वहां कुछ क्षेत्रिय राजनीतिक दल बन गए हैं जो राष्ट्र, राज्य तथा हमारी राष्ट्रीय छवि के लिए हानिकारक हैं। परन्तु यह वस्तुस्थिति है। मैने गर्भवती महिलाओं का बलात्कार होते, छोटे बच्चों की उंगलियां कुचली जाते हुए देखा है, मैने ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके हाथ काट दिए गए हैं तथा युवक देखे हैं जो अपने हाथों से वंचित कर दिए गए हैं। उसके साथ-साथ जहां भी अवसर मिला, दूसरे पक्ष के साथ भी वही घटनाएं घटी, जो सकता है कि उनमें इतनी भीषणता न रही हो। हमारी सरकार को इस तथ्य को समझना चाहिए। इस सभा को समझना चाहिए कि कोई भी दल सत्ता में आए, परन्तु वोटों के लिए हम राष्ट्रीय हितों का बलिदान नहीं दे सकते।

1949 में जब त्रिपरा का भारत में विलय किया गया था, तो उस राज्य जहां पर कि पूर्व में राजाओं का शासन था-की तत्कालीन सरकार ने 1960 वर्ग मील के आदिवासी क्षेत्र का आरक्षण लागू कर दिया। यह आरक्षण 1974 में श्रीमती गांधी के शासनकाल में लागू किया गया। पहले उन्हें सरकार द्वारा इस आरक्षण को हटाने का सुझाव दिया गया, परन्तु राज्य सरकार के सारे घोषणा पत्रों में आदिवासियों को जो वचन दिया गया था वह यह है कि 1900 वर्ग मील का जो क्षेत्र आरक्षित किया गया था और जो आज आरक्षित है, वह उनका ही रहेगा। इसके साथ-साथ हमने घुसपैठियों को भी यहां आने की अनुमति दे दी। उन्होंने प्रशासन पर पहले कब्जा जमा रखा था, वे अधिक शिक्षित तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न थे। जनजातीय भूमि का गैर-जनजातीय लोगों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहण किया गया। इसलिए कटुता उत्पन्न होनी आरंभ हो गई। परन्तु इसके साथ-साथ सरकार की, भारतीय संविधान की भूमिहीन जनजातियों तथा झूमिया लोगों को स्थापित करना तथा उनकी भूमि दिलाने की वचनबद्धता है।

पहले उनकी भूमि अप्रवासियों या हाल ही में आए लोगों को बसाने के लिए ले ली गई वे लोग तो आप्रवासी भी नहीं थे, वे तो ऐसे लोग थे जो बस ऐसे ही राज्य में आ गए। मैं बार-बार इस बात पर जोर डालना चाहूंगा कि यह बात किसी विशिष्ट ग्रुप या लोगों की श्रेणियों के विरुद्ध

नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में है। आज त्रिपुरा में कोई पुनर्वास विभाग नहीं है। आज त्रिपुरा के शरणार्थियों जो तत्कालीन पूर्वी बंगाल के शरणार्थी थे, पर केवल 80,000 रु. खर्च कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पश्चिम बंगाल को कितनी राशि दी जा रही है। दण्डकारण्य में बारह हजार की आबादी के लिए आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। वह राशि कहां जाती है ? इसका मतलब है कि गृह, विधि, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभागों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। अखिल भारतीय भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार भूमि पर कुछ सीलिंग थी। वह सीलिंग त्रिपुरा जैसे स्थानों पर, जहां पर एक परिवार में पत्नी के नाम, पत्नी की माता आदि के नाम पर भूमि खरीदने के अधिकार के कारण 50 एकड़ भूमि ली जा सकती है लागू नहीं होती। मैं वहां राजस्व मंत्री था और इसलिए मैं इस समस्या की गहराई में गया। आप देखते है कि लोगों ने अपनी भूमि हस्तांतरण करवा लिया जबकि राज्य में ऐसी कोई प्रणाली ही नहीं है, बदूगादर प्रणाली पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। ये सारी गैर जनजातीय जनसंख्या राज्य के गले जबरदस्ती मढ़ दी गई है।

अभी हाल ही में मैने छटा टी.एल.आर. संशोधन प्रस्तुत किया। हमारे लोग तो यह भी नहीं जानते कि इसे दोनों दलों ने एकमत से क्यों पारित कर दिया। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव था। परन्तु, चार वर्ष तक इसे लटकाए रखा गया। अब या तो माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसे वापिस भेज दिया गया है या वापिस ले लिया गया है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है ? यह उन जनजातियों के लिए जिनकी भूमि ले ली गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था कि भूमि का हंस्तांतरण आसान नहीं होगा। वहां की वर्तमान सरकार ने अब इसे आसान बना दिया हैं मैने किसी संस्था या कम्पनी को भूमि गिरवी रखने की अनुमति नहीं दी। यहां पर मेरे मित्र इस सम्बंध में अपनी सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं। बेचारे इन गरीब लोगों का इस्तेमल क्यों किया जा रहा है।

बोडो समस्या भी उसी प्रकार की समस्या है। ये लोग भी अपने जीवन की रक्षा करने की कोशिश में आंतकवादी बन गए। जब वे अपने जीवन की रक्षा का प्रयत्न कर रहे थे तो उन्हें विद्रोही कहा गया। वे शिक्षित नहीं हैं। उनकी जीविका उनकी भूमि पर निर्भर करती है। वे उसी के माध्यम से अपने भोजनादि का प्रबंध करते हैं जबकि एक गैर-जनजातीय व्यक्ति का कोई न कोई व्यवसाय होता है, या तो वह किसी जाति-विशेष से संबद्ध होता है और या फिर वह शिक्षित होता है या दुकान आदि चलाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त होता है तथा कोई न कोई नौकरी करता है इसलिए हमें इस संबंध में विवेकशील होना चाहिए तथा उसी कोण से इस समस्या को देखना चाहिए। मैने गृह मंत्रालय को भी बार-बार यह सुझाव दिया है कि

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड) : स्पीकर साहब जमीन तो राजाओं की ली गई है, गरीब किसानों से किसने छीनी है ?

[अनुवाद]

श्रीमती बिभू कुमारी देवी : हमारी सीमा लम्बी है। मैने राज्य के गृहमंत्री से भेंट की थी। मैने जांच पड़ताल की है और मुझे पता चला कि 50 प्रतिशत से अधिक सीमा सुरक्षा बल के दस्ते कश्मीर में तैनात किए गए हैं हमारी सीमावर्ती चौकियों पर बहुत कम सैनिक तैनात हैं। इस वर्ष

[श्रीमती बिभू कुमारी देवी]

के गृह मंत्रालय के बजट के अनुसार गत पांच वर्षों से असम राइफल्स पर कुछ भी खर्च या निवेश नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य के पास अपनी सेनाएं होनी चाहिए। हमारे पास शिक्षित नौजवान हैं, इसके साथ-साथ हमारे पास वहां पर नौकरी के अवसर नहीं हैं, उद्योग नहीं है, हमारा रहन-सहन अलग है परन्तु फिर भी एक भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की गई है। मैने सुझाव दिया है कि ठेकेदारों तथा राजनीतिज्ञों को लाभ देने की अपेक्षा हम एक सौ बटालियनें क्यों नहीं खड़ी कर लेते। यदि ऐसे व्यक्ति जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं तथा वहां के निवासी हैं, कि यदि उसी क्षेत्र में भर्ती की जाए तो वे सीमा की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय गतिविधियों में रुचि लेंगे। यह मेरा एक सुझाव है। इस मायने में, हम अपनी सीमा को सील कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए हमें लगभग 15 करोड़ रु. की राशि खर्च करनी पड़ेगी। परन्तु कांटेदार तारें लगाने में इससे भी अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। आप जंगलों में कांटेदार तारें नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास लगभग 10,000 नागा युवक हैं जो स्नातक स्तर तक शिक्षित होने के बावजूद बेकार हैं। हमें यही तथ्य कदापि नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आया है। छोटे राष्ट्र की व्यवस्था के सिद्धांत का जन्म हुआ है। हमने सोवियत संघ का विघटन देखा है। लोग अपनी जातीय पहचान के प्रति सजग हैं। एक बंगाली कहता है, "हां, मेरी भाषा बंगाली है।" एक जनजातीय व्यक्ति कहता है, "मेरी भाषा खासी है, मुझे इस भाषा में बोलने की अनुमति आखिर क्यों न मिले। मुझे अपने परिधान क्यों नहीं पहनने चाहिए ?" अतः किसी भी राष्ट्र के लिए जिसको अपना अस्तित्व बनाना है मनोवैज्ञानिक प्रेरक बातें होती हैं। एक बंगाली को देशबन्धु चितरंजन दास पर आज भी गर्व होता है। उसे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, रविन्द्र नाथ टैगोर और अन्य सभी महान हस्तियों पर गर्व का अनुभव होता है। यही एक कारण है कि बंगाली दोनों बंगाल के एकीकृत होने की आशा करते हैं। निःसन्देह ऐसी मानसिकता पश्चिम बंगाल के लोगों की है, पूर्वी बंगाल के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्रीमती बिभू कुमारी देवी : एक और बात, जिसके प्रति मैं समझती हूं कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, वह यह है कि गत 17 से 18 वर्ष तक जनजातीय लोग, जो बंगलादेश की सीमा पार क्षेत्र से आए हैं, कैम्पों में रह रहे हैं। उन्हें नाम मात्र का तेल तथा राशन दिया जाता है। जब भी प्रवासी या घुसपैठी हमारे देश में आ जाते हैं तो किसी न किसी को उनकी देखभाल करनी होती है। उन्हें जेल में नहीं रखा जाता। आज, हम उन्हें उनके परंपरागत वैयक्तिक अधिकार, धर्म से सम्बधिंत तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं देने की अपेक्षा वापिस धकेल रहे हैं। इसलिए, वे फिर वापिस आ जाते हैं। हम चकमा लोगों को फिर वापिस भेज रहे हैं। अतः यह लोगों के मन में सरकारी पक्ष द्वारा अन्याय किए जाने की भावना पैदा करती है। मुझे विश्वास है कि यह सभा भी इस तथ्य को समझती है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मैने अब उठाया है परन्तु मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी आन्तरिक परिस्थितियों को सुधारें तथा विद्रोह, आंतकवाद की समस्या का विशलेषण करें। ऐसी घटना स्वतंत्र भारत में, एक ऐसे देश में, जो गांधीवादी सिद्धातों में तथा धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों में विश्वास रखता है क्यों घटित हो ? मैं निश्चित और निसंकोच रूप से

बारपेटा में हुई जघन्य हत्याओं की निंदा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे कुछ सुझावों पर ध्यान दिय जाएगा। विपक्ष की ओर से तथा मेरी पार्टी की ओर से भी कई अमूल्य सुझाव दिए गए हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, आरंभ में मैं अपने माननीय सहयोगियों द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने असम में हुई घटना की निंदा की है असम में जो कुछ भी हुआ वह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं थी। यह हमारे देश के लोकचार, सहआस्तित्व की भावना और कानून का शासन, जिसके लिए हमे अपने देश पर गर्व है, के लिए भी एक चुनौती थी।

महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आपको धन्वाद देता हूं क्योंकि सरकार के लिए हमारे देश में लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंच के प्रति जवाबदेह होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार को इस तथ्य की पूरी जनकारी है कि असम में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। सबसे पहली घटना 1993 में घटी थी। महोदय, डेढ़ महीने के बाद पुनः तीन नरसंहार हुए। पहला नरसंहार 27 मई को हुआ जब बोडो उग्रवादियों ने कोकराझार के गावों पर हमला किया जिसमें 27 लोग मारे गए और कई लोग अपंग हो गए। 25,000 परिवार बेघर हो गए। मैं माननीय आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा असम की स्थिति के बारे में जानकारी होते हुए तथा हाल में बोडे उग्रवादियों के हमलों के संबंध में समय पर जानकारी मिलने के बाद भी माननीय मंत्री ने स्वयं वहां का दौरा क्यों नहीं किया ?

यह सर्वविदित है कि असम की सरकार निर्दोष जनता की जानमाल की रक्षा करने में बुरी तरह असफल रही है और प्रशासन अपने दायित्व निभाने में असफल रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसा कई बार हुआ था। सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए कि असम सरकार द्वारा 1963 में पारित किए गए बोडो अधिनियम में दो अत्यंत महत्वपूर्ण उपबंध हैं। पंहला उपबंध बोडो स्वायतशासी भूमि में अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में है, अल्पसंख्यकों की जानमाल की रक्षा की जानी चाहिए और अल्पसंख्यकों की जानमाल की रक्षा करने में संबंधित प्राधिकारी के असफल होने पर सरकार को परिषद भंग करने का अधिकार है। बोडो भूमि क्षेत्र के नागरिकों को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। मैं इस मुद्दे को साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहता। चूंकि संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान है तो क्या यह राज्यपाल का कर्तव्य नहीं बन जाता कि वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रशासन की असफलता के कारण उस परिषद को भंग कर दिया जाए ? और क्या केन्द्र सरकार का यह दायित्व नहीं है कि वह राज्य सरकार को तदनुसार निर्देश दे ?

दूसरा नरसंहार 17 जुलाई को बारपेटा जिले मे हुआ जिसका कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। इसलिए, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता और मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता तथापि, वास्तव में क्या हुआ ? मैं श्री सैकिया अथवा किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन मुख्य मंत्री और सरकार का मुख्य नेता होने के कारण क्या

[श्री ई. अहमद]

उनका यह क़र्तव्य नहीं है कि केन्द्र सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी देते और सेना की मदद मांगते ? राज्य सरकार अथवा उस मामले के लिए केन्द्र सरकार ने भी दिल्ली से मंत्रियों के असम जाकर वहां की स्थिति देखने और सैन्य सहायता का प्रबंध करने तक की प्रतीक्षा क्यों की ? यदि वहां सैन्य सहायता पहले दी जाती और समय पर कार्यवाही की जाती तो शायद यह नरसंहार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न होती। श्री इन्द्रजीत कहेंगे कि वे लोग विदेशी हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं। यहां तक कि श्री चालिहा और सत्ता पक्ष में अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बात का खंडन किया है। बहस करने के उद्देश्य से यदि यह कहें कि वे लोग विदेशी थे, तो क्या उनकी इस प्रकार हत्या की जानी चाहिए थी ? क्या इस प्रकार व्यवहार करना असभ्य नहीं है ? क्या भारत जैसे देश में इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए ? क्या उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया है और राष्ट्रमंडली में छवि को कलंकित नहीं किया है ? क्या हमें जिम्मेदारीपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए ? मुद्दा यह नहीं है कि मुसलमान मारे गए हैं अथवा हिन्दु मारे गए हैं अथवा बोडो मारे गए हैं। सबसे पहली बात, इस प्रकार की घटनायें नहीं होनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दुबारा न घटें। तीसरा नरसंहार कल राहत कैंप में हुआ जिसमें 72 लोग मारे गए। वह नरसंहार काफी भयानक था।

यह तथ्य निर्विवाद है कि अनेक गावों को जिनमें अल्पसंख्यकों का बाहुल्य था। जला दिया गया। यह सच है और मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह सत्य है। मैं किसी प्रकार की सांप्रदायिक भावनाओं के संदर्भ में इस प्रकार के मुद्दों का उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन यह सच है कि अभागे अल्पसंख्यकों की हत्या की गई है। यह सच है कि हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की सहायता की थी। श्री किरिप चालिहा ने इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए, असम प्रशासन की यह स्पष्ट रूप से गलती है।

मैं सभा का बहुमूल्य समय और नहीं लेना चाहता। कई माननीय सदस्यों ने बोडो संबंधी मुद्दे का, राष्ट्रीय भावनाओं की समस्या का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि ये घटनायें और इसी तरह की अन्य घटनायें क्यों हुई। मैं उन सभी घटनाओं को विस्तार से नहीं बताना चाहता।

लेकिन इस सदन में मंत्री जी क्या गारंटी दे सकते हैं कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृति नहीं होगी ? वह सदन में यह जानकारी भी दें। कि उन्होंने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं। एक बात निश्चित है कि उस राज्य के लोगों-मैं मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख कर रहा हूं-का राज्य सरकार के ऊपर से इसलिए विश्वास नहीं उठा है यह व्यक्तिगत मामला है बल्कि इसलिए उठा है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में भूल-चूक हुई थी।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं प्रत्येक देशवासी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रकार की आंतकवादी गतिवधियों के प्रति सचेत रहें जिनमें कुछ लोग हुए हैं। सरकार को इन समस्याओं का समाधान सोच समझ कर करना चाहिए और इस देश में आम जनता की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए उचित और तत्काल उपाय करने चाहिए।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न दलों के कई माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया। स्वयं भी पूर्वोत्तर का सदस्य होने के नाते मैं सोच रहा था कि राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी स्थिति क्या है। अब तक हुई चर्चा से एक बात सामने आई है, यह कि पूर्वोत्तर में स्थिति बहुत खराब है तथा पूर्वोत्तर में राजनीतिक दल और उनके नेता बिल्कुल भ्रष्ट हैं और वे राज्य को चला पाने में असमर्थ हैं।

मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने यह कहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांशतः कांग्रेस का शासन रहा है और, इसलिए वहां की वर्तमान स्थिति के लिए मूलतः कांग्रेस ही जिम्मेदार है। यह सत्य है कि असम में जनता पार्टी तथा एक क्षेत्रिय दल असम गण परिषद का शासन भी रहा इसी प्रकार, मिजोरम में सी.पी.एम. के श्री लालडेंगा का शासन रहा और त्रिपुरा में कांग्रेस ने शासन किया तथा मणिपुर राज्य में अन्य क्षेत्रीय दलों का शासन रहा। इसलिए, पूर्वोत्तर में कांग्रेस को ही दोषी ठहराना सही नहीं है। मैं कहूंगा कि यह इस दल के प्रति अन्याय है।

इस तथ्य से इनकार नहीं है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी पूर्वोत्तर में ऐसी स्थिति नहीं है जिसे वांछनीय कहा जा सके और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराना गलत होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों ने कई बार सरकार को बदला है। इस सदन में मैंने अपने मित्र श्री जसवन्त सिंह जी को यह कहते हुए सुना भी है कि असम आन्दोलन के समय उन्हें अपने दल की ओर से आन्दोलनकर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए भी कहा गया था। पिछले सप्ताह उन्होंने यह भी कहा था कि एक सलाहकार के रूप में उन्होंने यह भी कहा था कि एक सलाहकार के रूप में उन्होंने उनको सत्ता में आने तथा शासन करने का अवसर भी दिया था। मैं असम गण परिषद या किसी अन्य दल के विरोध में नहीं हूं। पूर्वोत्तर का सदस्य होने के नाते मैं कहता हूं कि हमें सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानसिक रूप से भी राष्ट्रीय भावनाओं के साथ एकात्मकता स्थापित करनी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह जी ने अपने भाषण में पांच बातें कहीं और उन्होंने भावनात्मक अलगाव तथा दूरी का उल्लेख किया। भावनात्मक रूप से पूर्वोत्तर के लोग शेष देश से अलग-थलग हैं। मेरे विचार में बहुत ही भावभीने तथा कठोर शब्दों में शहाबुद्दीन जी ने भी इसका उल्लेख किया। महारानी विमू देवी ने उल्लेख किया कि आदिवासी और गैर-आदिवासी क्षेत्रों में लाखों लोग बेरोजगार हैं।

8.00 म.प.

वहां ऐसे बाहरी तत्व हैं जो उन्हें यह बताते हैं तथा उनको यह विचार देते हैं कि यदि उनकी समस्याएं हल न हों, तो उन्हें हथियार उठाने चाहिए। एकमात्र यही हल है। मेरे एक साथी श्री किरिप चालिहा ने भी, जो स्वयं कांग्रेस सदस्य हैं- शायद दुखी होकर- यह कहा कि हाथों में हथियार उठा लेना पूर्वोत्तर राज्यों में एक फैशन हो गया है तथा काम मांगने से कहीं अधिक आसान स्वयं कमाना है। राष्ट्रीय दल तथा राष्ट्रीय नेता इस प्रकार यह समस्या कैसे हल करेंगे? यह आज का मुद्दा है।

नेल्ली की घटना के समय कुछ पत्रकारों तथा अन्य लोगों के साथ स्वयं मैं तथा श्री राजेश

[श्री संतोष मोहन देव]

पायलट वहां चार या पाच घटे वे भीतर पहुंच गए थे। हमने देखा कि लोगों को मार दिया गया था तथा वहां फेंक दिया गया था। वे कह रहे थे कि उन पर इस प्रकार आक्रमण किया गया जैसे वे विदेशी हों। वे यह कह रहे थे कि आप इन आम के वृक्षों को देख रहे हैं। आम के वृक्षों की आयु उतनी ही है जितनी कि उनकी। आम के वृक्षों की आयु पचास या पचपन वर्षों से अधिक है। परन्तु चूंकि वे बंगाली बोलते हैं या वे मुसलमान या हिन्दू हैं। उन्हें शरणार्थी या विदेशी समझा जाता है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मुझे यहां बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। परन्तु मैं श्री वाजपेयी से एक प्रश्न पूछता हूं। श्री जसवंत सिंह ने इसे आज भी दोहराया है। जो लोग असम में 1971 के बाद आए थे, यदि वे हिन्दू थे, उन्हें मतदान का अधिकार मिलना चाहिए तथा उन्हें वहां स्थायी रूप से रहना चाहिए। मुसलमानों को अवश्य निकाल दिया जाना चाहिए। आज श्री जसवन्त सिंह ने यह कहा है कि शरणार्थी होने के कारण उन्हें उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। क्या उनके इस दृष्टिकोण से मुसलमानों में उत्तेजना नहीं उत्पन्न होगी। आप यह भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो हिन्दुओं के हितों के विरुद्ध है। जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने कहा है आपको यह भी देखना चाहिए कि यदि कांग्रेस यह कहती है कि सभी मुसलमान विदेशी हैं, तो हम गलती कर रहे हैं। नागालैण्ड में आज यदि मतदाता सूची में आपका नाम "राय" है, तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। परन्तु अनेक "राय" ऐसे हैं जो "स्वासी" हैं। आप पैनल के चेयरमैन से, जो यहां हैं, पूछ सकते हैं कि एक अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव का नाम भी, जिन का उपनाम "राय" है, हटा दिया गया था। सूची बनाने वालों ने सोचा कि वह बंगाली थे। असम में, "भट्टाचार्य" हैं जो असमी हैं। उनके नाम निकाले जा रहे थे। पूर्वोत्तर राज्यों में, बंगाली-हिन्दुओं तथा मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिससे आदिवासियों में उत्तेजना फैल रही है। प्रधान मंत्री ने एक नौ-सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसमें निम्नलिखित मंत्री थे अर्थात् श्री एस.बी. चव्हाण, श्री प्रणव मुखर्जी, डा. मनमोहन सिंह, श्री ए.के. एन्थनी, स्वयं मैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा आदि, आदि। हमने उस स्थान का दौरा किया था। वहां यह भावना है कि केन्द्र उनकी उपेक्षा कर रहा है। हमारा काम और गैर-आदिवासियों की तुलना में आदिवासियों की समस्याओं का पता लगाना था। मणिपुर के एक माननीय सदस्य भी वहां थे। मेरे विचार में वह यहां उपस्थित हैं। एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री और उन्होंने हमें बताया कि मणिपुर में विदेशी लोग हैं और उन्हें अवश्य निकाला जाना चाहिए। हमने कहा 'हां', परन्तु ऐसा 25 मार्च, 1971 से हमारी नीति के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा "नहीं"। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो उड़ीसा तथा बिहार से आए और वे वहां विदेशियों की भांति रहे। कुछ क्षेत्रीय दलों का यह सामान्य विचार है। क्या हम इस स्थिति को मान लेंगे ? मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। आज असम के मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक आरोप है। असम के मुख्य मंत्री को त्यागपत्र अवश्य दे देना चाहिए। श्री हितेश्वर सैकिया असफल हो गए हैं। जो घटना हुई है ऐसी बदतर घटना पहले कभी नहीं हुई। परन्तु, 19 तारीख के बाद हुई घटनाओं के पश्चात् मुख्य मंत्री का राज्य की राजधानी छोड़कर एक शिविर में रहना क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि वहां समस्या है। वहां प्रशासन असफल है। जैसा कि श्री राजेश पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के रूप में हमने हमेशा यह स्वीकार किया कि हम शिविर में रहने

वालों की रक्षा करने में समर्थ नहीं रहे हैं। निश्चय ही वहां कुछ असफलताएं हैं। परन्तु किन परिस्थितियों में ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ऐसा जानबूझकर हुआ ? जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने कहा कि असम के मुख्य मंत्री एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से भिड़ा रहे हैं। यदि आप यह कहते हैं कि असम सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए तो पहले भारतीय जनता पार्टी को 10 विधायकों को त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप हमें रास्ता दिखाइए। त्यागपत्र दे देना कोई समाधान नहीं है। मैं 1980 में संसद सदस्य था जब दिनेश समिति को रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गई थी। इस सभा के अनेक संसद सदस्यों ने कहा था कि सी.जी.एम. सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा, "त्यागपत्र समाधान नहीं है। वह एक चुनी गई सरकार है; इसे रहना चाहिए। उनकी सहायता से हमें समस्या हल करनी चाहिए।" वाद-विवाद का यह दृष्टिकोण होना चाहिए। इस वाद-विवाद का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं है।

यदि श्री सैकिया को हटाया जाना है तो यह निश्चित करना राज्य सरकार और राज्य कांग्रेस का विशेषाधिकार है, हमें यह नहीं बताना है कि श्री सैकिया दोषी हैं। आप जांच कराइए। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वह दोषी हैं तो आप उन्हें हटाइए। हमें बहुत प्रसन्नता होगी। जब मिजोरम समझौते हुआ था। श्री ललथनहावाला ने त्यागपत्र दे दिया था। तो वहां चुनाव हुए। श्री लालडेंगा सत्ता में थे। वहां (असम में) 1985 में श्री सैकिया थे। असम समझौते के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मैं इन समझौतों के विस्तार मे नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु हमने कांग्रेस पार्टी के रूप में कभी भी सत्ता की खातिर शासन में रहने का प्रयास नहीं किया। स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहने का प्रयास करेगा। परन्तु, मूल समस्या यह है कि वहां जो देश के बाहर की ताकतें काम कर रही हैं वे नागाओं और कुकियों में विरोध पैदा करने का प्रयास कर रही हैं। जब मैं वहां था श्री इन्द्रजीत नागालैण्ड में थे। लोग आए और उन्होंने हमें बताया कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा था। जब उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बंगलादेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मैं असम के एक हिस्से का हूं। मेरी माता श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा यह बताया गया था कि यह शांति का द्वीप है। मात्र दो दिन पहले भाजपा. विधायक के एक गार्ड को बन्दूक- भाजपा के संसद सदस्य इसकी पुष्टि करेंगे- छीन ली गई, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अन्ततः लोगों ने पुलिस के साथ उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने क्या कहा ? मैं नहीं जानता कि श्री राजेश पायलट मुझसे सहमत होंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आपने इस वाद-विवाद की अनुमति देकर एक सही काम किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने कहा कि मणिपुर के 22 लड़के बंगलादेश गए और प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे वापस आए। उन्होंने यह भी बताया है कि जैसा श्री सैयद शहाबुद्दीन ने स्वीकार किया है कि मेघालय के बंगाली और मणिपुर के मुसलमान बंगलादेश गए थे। वह सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे थे।

श्री जसवन्त सिंह ने ठीक कहा है कि कश्मीर सरकार वहां स्थिति पर नियोजन पा रही है। उन्होंन पहले से सुधार किया है। पंजाब में, हमने सिद्ध कर दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब यह स्थिति असम में पैदा हो गई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे सभी दलों को एक जुट होकर इसका हल करना चाहिए।

[श्री संतोष मोहन देव]

पुनः मैं आपसे मंत्री के रूप में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के रूप में अपील करूंगा कि यह उचित समय है कि सभी राजनैतिक दलों को या तो आपके नेतृत्व और दिशा निर्देश में अथवा प्रधान मंत्री की सहायता से एक साथ बैठकर इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए और यह जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि कौन सा राजनैतिक दल दोषी है और कौन सा राजनैतिक दल दोषी नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो चाहते है कि कोई भी राष्ट्रीय दल चाहे वह भाजपा हों अथवा भा.क. दल या मा.क. दल अथवा कांग्रेस हों, यह चाहेगा कि असम अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र उसी तरह से रहने चाहिए। यह भूल जाएं कि किन क्षेत्रीय दलों ने क्या कहा है, एक साथ होकर बढ़ें और कह देखने का प्रयतन करें कि उसका सदा के लिए समाधान हो जाएं।

आज असम में एक तबका ऐसा है जो यह कह रहा है सभी राज्यों में धनराशि व्यर्थ गंवाई जा रही है। यदि आप किसी मंत्रालय में जाते हैं और चावल के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि 'हम चावल क्यों दें यह बंगलादेश में चला जाएगा।' यदि आप एक असम संसद सदस्य अथवा त्रिपरा संसद सदस्य के रूप में जाते हैं और त्रिपुरा के लिए पैसा मांगते है तो वे कहते है कि "धन को व्यर्थ गंवाया जा रहा है।" यह सच नहीं है। यह सच है कि हम में से कुछ भ्रष्ट हैं। मैं भ्रष्ट हो सकता हूं, आपको भ्रष्ट बनने को आवश्यकता नहीं है। यदि मैं भ्रष्ट हूं और आप इसे सिद्ध कर सकते हैं तब आप कह सकते हैं कि श्री संतोष कुमार देव के केन्द्रीय सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। यदि कोई मंत्री भ्रष्ट है तो आप उन्हें हटा दीजिए। लेकिन उसके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को दंड न दें। यदि आप कहते है कि हम सब भ्रष्ट हैं जैसा कि उन्होंने इसे सिद्ध किए बिना कहा है, तो इससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसका पता लगाने की प्रणाली भी है। लेकिन यह भ्रष्टाचार बिना धन के ही असम और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूखा मार रही है। यह गम्भीर स्थिति है। मैं इस पर किसी से विवाद करना नहीं चाहता। उन्होंने अपनी बात कही है। असम का होने के कारण मैं वर्तमान प्रधान मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने एक समिति गठित की है। जो हमने कहा है मैं उन सभी बातों से सहमत नहीं हूं लेकिन हम प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

नागालैण्ड में हमें एक पुस्तिका दी गई थी। जिसमें बृहद नागालैंण्ड की मांग की गई थी। मैंने इसे गृह-मंत्रालय में प्रभारी अधिकारी को इस संबंध में जांच करने के लिए दे दिया था। यह सब चल रहा है। हम सबको मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री राजेश पायलट बहुत ही जल्द स्थल का दौरा करने चले गए। वह इतनी जल्दी में थे कि मुझे बुलाना भूल गए। मुझे इसके बारे में तब ज्ञात हुआ जब वे वहां पहुंच गए। लेकिन उन्होंने तत्काल कार्यवाही की। उन्होने उस स्थल का दौरा किया है और वह घटना के बारे में बताएगें। मैं इस सबका वर्णन नही करना चाहता। मैं केवल सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह न कहां जाए कि श्री सैकिया बुरे हैं तथा फलां फलां व्यक्ति अच्छा है। कांग्रेस से कोई और सैकिया आ जाएगा या कोई अन्य व्यक्ति आ जाएगा। यह समस्या का हल नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कांग्रेस सैकियों से भरी हुई है। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : पूर्वोत्तर का होने के नाते मैं इस माननीय सभा से अपील करना चाहूंगा कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का अत्यधिक आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए पहले ही दिन मौका दिया। इस संबंध में स्वयं आपने पूर्वोत्तर को यह संदेश भेजा था कि इस देश की संसद उन्हें नज़र अंदाज नहीं कर रही है। महोदय, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं, यह सच है। पहले दिन इसे उठाने से बारपेटा के दुखी लोगों को लगेगा कि इन सम्माननीय सभा द्वारा उन्हें महत्व दिया गया है।

हम सभी इन हत्याओं की निन्दा करते हैं। इस संबंध में जो भी दोषी हैं उसे दंड दिया जाना चाहिए। जैसा कि श्री जसवंत सिंह जी ने कहा है हम पूर्वोत्तर से दूरी बनाए हुए हैं। वह पूर्वोत्तर गए हैं और वह यह जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि यह निर्णय लें कि हम दलगत भावना से हटकर पूर्वोत्तर की समस्या मिलकर सुलझाएगें। यह नहीं देखेंगें कि कौन दोषी हैं और कौन नहीं है। सभी राजनैतिक दलों का अपना योगदान है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई दोष है तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का है; और यदि कोई श्रेय दिया जाता है तो यह पूर्वोत्तर के लोगों को दिया जाता है लेकिन मैं पूर्वोत्तर की ओर से कह सकता हूं कि अभी भी पूर्वोत्तर से 80 से 90 प्रतिशत लोग राष्ट्रवादी हैं। वे इन क्षेत्रीय गतिविधियों में विश्वास नहीं रखते।

हम बहुत से प्राध्यापकों से मिले हैं। हम बहुत से सरकारी अधिकारियों से मिलें हैं और उन्होंने हमें बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं। जो श्री जसवन्त सिंह ने कहा उस पर भी मणिपुर में चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में केन्द्र की एक निगरानी समिति यह देखने के लिए गठित की जाए कि मिलने वाले एक-एक पैसे का उचित उपभोग किया जाता है। वे यह नहीं कह रहे हैं। कि ऐसा नहीं करें। वह कह रहे हैं कि इस पर निगरानी रखें। विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में क्योंकि हमें 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है। हम पर ध्यान दिया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं सभापति से अपील करता हू कि पूर्वोत्तर राज्य के हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव न करें जैसे कि हम आपके बिगड़े हुए बच्चे हों। मैं पूर्वोत्तर राज्यों का नमूना हूं। हम यहां हैं हमारी कुछ खामिया हैं। हममें कुछ खामियां हैं जिनमें आपको सुधार कराना चाहिए और इसके लिए हम आपका आर्शीवाद चाहते हैं, हम आपसे पथ-प्रदर्शन चाहते हैं। हम आपसे फटकारे जाना नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि आप हमें नरक में जाने को कहें। हम बुलाएं, हम आपके साथ बैठेगें और आपसे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त इस पर वाद-विवाद किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे हैं अन्यथा मुझे और भी कहना था।

महोदय, अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं केवल तीन मिनट लूंगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए हैं जिनसे मैं सहमत हूं। महोदय, इस अवसर को प्राप्त करने की मेरी विशेष मंशा यह थी कि मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा किए गए पेय इस स्थगन प्रस्ताव का समर्पण करूं और शिकार हुए लोगों के प्रति अपने दल की ओर से गम्भीर चिंता

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

और बोडो सुरक्षा बल के उग्रवादियों द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध की निन्दा करना चाहता हूं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमें बहुत ही बुरी लगी वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लगभग दो-तिहाई सदस्य जो कि घटना स्थल से केवल 15 कि.मी. की दूरी पर थे, इस घटना को रोक नहीं सके और वह भी कि लगभग दो घंटे तक यह हत्याकाण्ड चलता रहा तथा शिविरों के दुर्भाग्यशाली लोगों की रक्षा कोई नहीं कर पाया। महोदय, यह बहुत ही निन्दीय है। यहां मैं दो बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रथमतः इस बोडो समझौते में जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सिविल और पुलिस सेवाओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की किसकी जिम्मेदारी है। इसमें केवल यह कहा गया है। मैं उध्दृत करता हूं :

> "बोडो स्वायत्त परिषद क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी अपने कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनके कार्य के मूल्यांकन का रिकार्ड बोडो स्वायत्त परिषद प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है।"

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : कृपया अगला वाक्य देखिए जिसमें कहा गया है बोडो स्वायत्त परिषद प्राधिकारियों द्वारा किए गए उनके कार्य के मूल्यांकन को राज्य सरकार द्वारा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

श्री शोभनादीशवर राव वाड्डे : मैं माननीय राज्य मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वह स्पष्ट रूप से बताएं कि बोडो स्वायत्त परिषद क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाएं रखने की किसकी जिम्मेदारी है। या यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है यदि बोडो स्वायत्त परिषद को विकास और लोगों को सुरक्षा देने का कार्य सौंपा गया है तो अवश्य ही यह जिम्मेदारी बोडो स्वायत्त परिषद की ही होनी चाहिए।

यही बात मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा।

दूसरा मुद्दा जो मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाऊंगा, श्री संतोष मोहन देव ने भी इसका उल्लेख किया है कि अनेक युवा आई.एस.आई. अथवा कोई अन्य संगठन या कुछ विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं वे बेरोजगार हैं और इसी स्थिति के कारण वे प्रभावित हो रहे हैं।

यद्यपि योजना आयोग ने असम की वार्षिक योजना के लिए 960 करोड़ रुपया तय किया है पिछले वर्षों ही लगभग 700 करोड़ रु. की बकाया राशि की इसमें से कटौती दी गई है जिससे पूरे राज्य के विकास कार्य के लिए असम सरकार के पास केवल 208 से 300 करोड़ रु. ही बचते हैं। क्या यह पर्याप्त होगा ? एक और चिन्ताजनक मुद्दा यह है कि यद्यपि 25 करोड़ रु. बाढ़ राहत कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है इसमें से 24.6 करोड़ रु. वे राज्य सरकार की पिछली बकाया राशि के रूप में काट लिया गया है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस मामले पर पुनः विचार करें और बकाया राशि वसूलना स्थगित करें तथा असम सरकार तथा बोडो स्वायत्त परिषद को पर्याप्त धनराशि दें ताकि वे क्षेत्र का वास्तव में विकास कर सकें। सिर्फ बोडो स्वायत्त

परिषद बना देने से स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बोडो अथवा गैर-बोडो को मदद नहीं मिलेगी। आपको उनकी वास्तविक प्रगति और विकास के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करनी होगी जिससे कि कम-से-कम कुछ हद तक ये युवा इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के शिकार नही होंगे मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि सभी पार्टियों का एक प्रति निधिमंडल इस स्थान का दौरा करे तथा इन घटनाओं की जांच करे और आपको प्रतिवेदन दें।

महोदय इस सत्र के पहले दिन इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री वालिन कुली (लखीमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

असम में जो हुआ वह काफी दुःखद है। हमें इस पर लज्जा है और यह लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक है। यह सभा आज इस विषय पर चर्चा कर रही है और सदस्यगण इस पर अपनी चिन्ता भी जाहिर कर रहे हैं, इस मामले पर हमारी चिन्ता भी वही है। माननीय सदस्य एक बात का उल्लेख करना भूल गए और ऐंसी घटना के बार-बार होने का कारण क्या है। श्री इन्द्रजीत और श्रीमती बिमु कुमारी देवी ने इस समस्या का विश्लेषण किया है। जनजातियों के असंतोष तथा पूर्वोत्तर में विद्रोह के कुछ कारण हैं। उन कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। समझौते से बोडो संतुष्ट नहीं हैं असंतोष के अनेक कारण हैं। इस समझौते से न तो असम के लोग संतुष्ट है और न ही बोडो इससे असम के लोग भ्रम में पड़ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समझौते की असफलता का यही प्रत्यक्ष कारण है। केन्द्र सरकार तथा विपक्षी दल राज्य सरकार पर इसे थोपना चाहते हैं राज्य सरकार को सीमित अर्ध सैनिक बलों की मद से असम में सभी उग्रवादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उल्फा एनक्ससीएन बोडो में उग्रवादी हैं तथा अन्य प्रकार के जातीय और क्षेत्रीय बल हैं। सीमित बल से राज्य सरकार किस प्रकार ये सभी व्यवस्था कर सकती है। जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अर्ध सैनिक बल न भेजें स्थिति पर नियंत्रण करना कठिन है।

मैं पुन एक उदाहरण देना चाहूंगा। पंजाब में अर्ध सैनिक बल की 350 कंपनियां हैं जबकि असम में सिर्फ 50 हैं। यह पर्याप्त नहीं है। बोडोलैण्ड से भूटान सीमा तक 21 सड़कें हैं जिससे बोडो उग्रवादी अपना कार्य करते हैं। राज्य सरकार ने भूटान सीमा बंद करने के एक वर्ष पहले ही केन्द्र सरकार से कहा था। परंतु अब तक बार्डर सील नहीं किया गया। अतः असम सरकार अथवा अर्धसैनिक बल उग्रवादियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते।

कुछ माननीय सदस्यों विशेषकर श्री जसवन्त सिंह ने अपनी चिन्ता जाहिर की कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट शब्द का व्यापक अर्थ है। उन्होंने पूरी तरह यह स्पष्ट नहीं किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग यौन के मामले में भ्रष्ट हैं या पैसे या सामाजिक रूप से भ्रष्ट हैं। यद्यपि श्री संतोष मोहन देव ने समुचित उत्तर दिया है फिर भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग तुलमोहन राम और वी. रामास्वामी जैसे लोग नहीं है जिनके बारे में सभा में चर्चा दी गई थी। वे लोग पूर्वी क्षेत्र के नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग देश के इस भाग के लोगों से भ्रष्टाचार सीख रहे हैं। मात्र प्र.से. अधिकारी व्यापारी, प्रशासक तथा राज्यपाल सभी देश के इस भाग से हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग इनसे भ्रष्टाचार सीख रहे हैं। यदि आप इन लोगों को वापस बुलाये तो आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के लोग या जनजातियों के लोग कितने भ्रष्ट अथवा ईमानदार है।

[श्री वालिन कुली]

श्री चन्द्रजीत यादव ने एक बात और भी कही थी कि असम सरकार ने हत्यारों को करोड़ों रुपये कारें, व्यापार और रोजगार दिया है। असम सरकार के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना भी उचित नहीं है। किन्हीं एक दो घटनाओं के लिए असम की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को भंग या स्थगित नहीं किया जा सकता है। श्री सैकिया के नेतृत्व मे यह कांग्रेस सरकार अनेक समस्याओं के तहत काम कर रही है। यह सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर रही है। भ्रष्टाचार उग्रवादी तत्वों के खिलाफ और राष्ट्रीय हित के लिए लड़ रही है। यह श्री सैकिया ही हैं जो राष्ट्र के हित के लिए सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

उन्हें भाजपा. जैसी अन्य राष्ट्रीय पार्टिया मदद नहीं दे रही हैं, जो असम के लोगों को हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बांट रही है। कहां असम गण परिषद जैसी भी क्षेत्रीय पार्टी है वह असम को भारत से अलग करना चाहती है कांग्रेस पार्टी और असम सरकार सभी समस्याओं से जूझ रही है। यदि राष्ट्रीय दल और यह सभा की सहायता नहीं करते तब श्री सैकिया अकेले इन सभी समस्याओं से नहीं लड़ सकते हैं।

आतः मैं इस सभा के सदस्यों से तथा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सभा को भंग करने अथवा विधान सभा को निलंबित करने की बात न करें बल्कि उन्हें राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए और भारत के साथ असम को बना रखने के लिए सभी उग्रवादी तत्वों से लड़ने में राज्य सरकार का समर्थन करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमने काफी लंबे समय तक चर्चा की। मेरे पास दो या तीन सदस्यों के नाम हैं और मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। परंतु मैं अनुरोध करता हूं कि वे कृपया काफी संक्षेप में बोलें। अब श्री शिबू सोरेन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को असम राज्य के बारपेटा में जो घटना हुई है, वह आदिवासियों से सम्बन्धित है। मैं भी आदिवासी हूं और ऐसी समस्या के लिए जनता ने चुनकर हम लोगों को यहां भेजा है।

इतनी बड़ी जो घटना हुई है, राज्य सरकार को इसकी जानकारी नही थी, ऐसी बात नहीं है। गांव में जो घटना घटती है तो किसी न किसी को मालूम होता है। इसलिए समझने की बात है कि ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ। हाल ही में वहां के विकास के लिए जो बोडोलैंड बनाया गया, वह वहां शांति कायम करने के लिए बनाया गया था, इतनी बड़ी घटना घटने के लिए नहीं बनाया गया है। इस घटना को घटाया गया है। हम आदिवासी लोगों की जो मंशा है, उसमें गांव में विचार होता है।

1982 में मैं असम गया था, चूंकि मैं संथाल हूं और सारे संथाल लोग दुमका से, रांची से, उड़ीसा से वहां गये हैं और करीब सौ साल उन लोगों को वहां गये हो रहे हैं। वहां के लोगों से बातचीत करने का मौका हफ्ता दस दिन तक लगा तो वहां के पढ़े हुए नौजवान लड़के भी

आकर हमसे मिले थे तो बड़ा असन्तोष व्यक्त करते थे और एक लाइन की बात वह लोग बोलते थे कि सरकार हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं करेगी। जान बूझकर सरकार नहीं चाहती है कि हम लोगों को अधिकार दे, हम लोगों को जीने की स्वतंत्रता दे या हम लोगों को नौकरी दे, बहुत सारे क्वालीफाइड लड़के थे तो उन लोगों की मंशा मैंने पूछी कि आप क्या करना चाहते हैं तो वह लोग बोलते थे कि अब कोई उपाय नहीं लगता है।

हम लोग भी इसी पीड़ा से पीड़ित हैं, हम लोग भी बिहार में झाड़खण्ड की मांग करते हैं, विकास की बात करते हैं और हमारी जो जमीन लूटी गई है, उसको वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आदिवासियों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आदिवासी लोग न बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, न उनको पर्याप्त मात्रा में नौकरी ही मिल सकती है। रिजर्वेशन राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में नाम का है लेकिन उसका भी फालो अप नहीं होता। हम लोग सुनते थे कि पढ़ने-लिखने से नौकरी मिलेगी लेकिन अब तो बहुत से लोग पढ़ने-लिखने के बाद भी कहीं नौकर नही हैं इसलिए असंतोष तो है ही। हमको लगता है कि इसी कारण वहां के नौजवानों ने इस प्रकार का गलत कदम उठाया है। सारे देश में आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। चाहे वह राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे असम हो या आन्ध्र प्रदेश, सब जगहों पर आदिवासी मारे जाते हैं। कहीं पर चाहे कुछ हो, मारा जाना हमारा काम। हम लोग अफसोस जाहिर करते हैं, यह हमारे यहां कभी भी न हो। हम लोग रोज ही मारे जाते हैं। इस बारे में जानकारी सरकार को ही हो सकती है। यहां पर सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। हम आदिवासी लोगों का सहारा जंगल है जंगल उजड़ गए, तो हम लोगों ने जमीन खेती के लिए बना कर रखी, तो चालाक लोगों ने उसको अपने नाम लिख ली। बहुत तरह के कानून बनाए गए, लेकिन एक भी कानून का लाभ नहीं हुआ। जब भी कोई घटना घटती है, सरकारी आफिसर लोग पहुंच जाते हैं, विचार विमर्श होता है, लेकिन होता-जाता कुछ नहीं है। कम्पैंसेशन के रूप में हजार-दो हजार रुपए दे दिए जाते हैं। यही आज तक इस देश में होता रहा है। हम आदिवासी लोग कोई अलग बात नहीं चाहते हैं, हम तो राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ मिल कर चलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत बड़े प्रश्न की ओर जा रहे हैं।

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : महोदय, मैं कम ही समय ले रहा हूं। हमारी जो समस्या है, उस पर कोई विचार नहीं करना चाहता है। हम लोग पढ़ लिख कर भी बेकारी कर रहे हैं। एक गांव में कोई आदिवासी है, उसको लाभ है, लेकिन दूसरी जगह पर दूसरे को लाभ नहीं देते हैं। आदिवासी और गैर आदिवासी, हमारी कोई गलती है, तो उको साबित करना चाहिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसको समाप्त करना चाहिए। हर सरकार कहती है, कि आदिवासियों की समस्या है, मैं पूछता हूं, क्या समस्या है ? समस्या है, तो उसका कोई निदान नहीं हुआ है और निदान होने नहीं देते हैं। बोडो जैसी समस्या समूचे देश में फैलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ए.के.-47 कहां से आ रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। आदिवासी कम पढ़ा-लिखा है, कम समझदार है। चाहे कोई हथियार दे दे, खाना दे दे, चाहे कोई कुछ करवा ले, बस हो गई बात खत्म। हम लोग राजनीति में आए, MLAs, MPs बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। यही हम लोग यहां आकर देखते हैं, हमारे आदिवासी मंत्री की हैसियरत नहीं है कि वह कुछ करवा ले। यह कोई सुनाने की बात नहीं है। हमारे बिहार की बात

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : मैं कहता हूं कि क्या होगा देश का। बरसों से हम लोग चिल्ला रहे हैं। जैसे असम में घटना घटी, हो सकता है कि हमारे यहां भीं हो जाए। किसी भी राज्य में हो सकती है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अब भाषण समाप्त करना चाहिए। मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन (दुमका) : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, समय कम है, इसलिए मैं प्रश्नवाचक बातें कहूंगा। इस अमानुषिक और अमानवीय घटना में जो लोग मारे गए हैं, उनके आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं। मंत्री जी उसको बताने का कष्ट करें ? बोडो समझौते के बाद माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति से 14 मई, 1993 को असम गजैट नोटिफिकेशन में एक एक्ट नोटिफाई हुआ है. उस की धारा 51-52 के अनुसार, जिसमें कहा गया है :

बोडो लैण्ड स्वायत्त परिषद के गठन की तारीख से परिषद क्षेत्र के अंदर गैर-जनजातीय नागरिकों की भूमि तथा उनकी भाषा से संबंधित सभी अधिकार और हित सुरक्षित किए जाएंगे। यदि ऐसा काउंसिल न कर सके तो काउंसिल को भंग करके राज्यपाल उसके सारे अख्तियार अपने अंतर्गत ले लेंगे, यह उसकी बारहवीं धारा है। इस दृष्टि से राज्यपाल ने वहां क्या किया यह माननीय मंत्री जी अपने जवाब में हमको बतायेंगे।

तीसरी बात बोडो अकार्ड होने के बाद भारत सरकार के गृह विभाग की ओर से अनेक वक्तव्य आए हैं और पी.टी.आइ. को इंटरव्यू देते हुए भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने यह साफ तौर पर कहा है–

इन सभी बातों पर ध्यान दिए बगैर बोडो समझौता किया गया। श्री चव्हाण ने पत्रकारों से कहा कि यही कारण है कि बोडो स्वायत्त परिषद की सीमा निश्चित नहीं करना बहुत दुष्कर कार्य सिद्ध हो रहा है।

चव्हाण ने कहा—

अध्यक्ष महोदय : हम समाचार पत्रों का उल्लेख नहीं करते हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : श्रीमान् कहने का मतलब यह है कि स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो बोडो समझौता हुआ वह जल्दबाजी में हुआ

और उसके बाद गृह मंत्री जी कहते हैं कि बोडो नेतृत्व में स्पलिट हो गई है, कुछ उग्रवादी नये आ गये हैं और जिनको इन्होंने वहां का अध्यक्ष बनाया उसको दूसरे जो उग्रवादी संगठन हैं वे मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने जो समझौते का एक पक्ष है, बोडो समझौते की आज की तारीख में क्या स्थिति है यह माननीय मंत्री जी को हमें स्पष्ट करना चाहिये। एक बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि 17 जून को माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी, वह सरकारी कमेटी है जिसमें मंत्री स्तर के लोग हैं वे पूरे नार्थ-ईस्ट का दौरा करके वहां की समस्याओं के संबंध में अध्ययन करके एक रिपोर्ट भारत सरकार को देगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने भी रखी जाये और उसके संपूर्ण विवरण के बारे में इस सदन में चर्चा हो ताकि यह सदन भी अपनी राय जाहिर कर सके कि नार्थ-ईस्ट की समस्याओं के बारे में इस सदन की राय क्या है।

चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन हजार करोड़ का कर्ज क्योंकि जब भी वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उनके नियंत्रण के लिये भारत सरकार की ओर से मदद जाती है वह मदद नहीं है, राज्य के ऊपर कर्ज की शक्ल में होती है। वहां पर जो भी आंदोलन हुए उसको दबाने या समाप्त करने के लिये भारत सरकार का आज की तस्वीर के अनुसार तीन हजार करोड़ का कर्ज असम सरकार के ऊपर है इसलिये विकास के काम नहीं हो पाते। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो असम के ऊपर कर्ज है जिसके कारण विकास के काम में बाधा पड़ती है, वहां की समस्याओं के समाधान के लिये सरकार क्या कर रही है ? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो मैं भाषण न करके प्रश्न की शक्ल में पूछना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है और अध्यक्ष जी, आप चाहते है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं इसलिये मैं इतने में ही अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मूंगेर) : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को असम बारपेटा में घटना घटी उसमें काफी लोगों की हत्या कर दी गई। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी इसमें थे। इसकी जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है लेकिन यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है इसका मैं समर्थन करता हूं और इसका समर्थन करते हुए जो कुछ भी इस सदन में कहा गया उससे ऐसा लगता है कि इस घटना की जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिये तैयार नहीं है। राज्य सरकार भी लेने के लिये तैयार नहीं है, केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है, कोई भी दल जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। फिर लगातार वर्षों से ये घटनाएं क्यों घटती चली जा रही हैं। अभी हमारे बर्मन जी ने सिलसिलेवार ढंग से घटनाओं का जो एक सिलसिला है वह उन्होंने बताया। 19 तारीख से ही घर जलाए जा रहे थे, लूटे जा रहे थे, हत्याएं की जा रही थी। मुख्य मंत्री जी वहां मौजूद थे, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घटी। आर्थिक सवाल भी यहां पर उठाए गए, अभी जैसा कि शिबू सोरेन जी ने कहा कि जो आदिवासी जनता है वह शोषित, पीड़ित और दलित है, उनकी आर्थिक मांगों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए वहां पर उग्रवाद जन्म लेता है। घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं की हम निंदा करते हैं, यहां पर बहस करते हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान करने के लिए हम आगे नही आते हैं। जिनकी यह जिम्मेदारी है, वे उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार नही हैं। यही कारण है कि लगातार इस तरह की घटनाएं घटती चली जा रही हैं, जो देश के लिए नुक्सानदेह हैं।

मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आर्थिक समस्याओं पर बोडो उग्रवादियों,

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से बातचीत की जानी चाहिए और कानून व्यवस्था ठीक कर के सरकार को सब की सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। सरकार के रहते हुए यदि लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो पाती है तो फिर सुरक्षा की गारंटी और कौन करेगा ? वहां पर कानून का राज्य हो, उग्रवादी शक्तियों पर अंकुश लगे, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो सेना का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए, तभी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। इस घटना की सूचना राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भी थी कि इस तरह की घटना घट सकती है, लेकिन सरकार समय रहते कारगर कदम नहीं उठा सकी। इसलिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को तो वहां से हटना ही चाहिए, साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी गलतियों को कुबूल करना चाहिए। बिना गलतियों को कुबूल किए हुए उनमें सुधार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि यह बहुत दुःख और पीड़ा की बात है, सैकड़ों लोग मारे जाते है, नर-संहार होता है, बहस की जाती है, लेकिन जो मूल समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जाती। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रमोथेस मुखर्जी (बरहामपुर) : मैं इस सभा के लिए नया सदस्य मात्र हूं। क्या मुझे इस विषय पर कुछ बोलने की अनुमति मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति मिलेगी। परन्तु आप कृपया बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य दें।

श्री प्रमोथेस मुखर्जी : मैं माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह केवल इसलिए कि बारपेटा में अनेक व्यक्तियों की जानें गईं और कीमती सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को खतरा पैदा हो गया है। स्थिति इतनी नाजुक है कि इससे देश भर में साम्प्रदायिक तनाव तथा दंगे भड़क सकते हैं। दुर्भाग्यवश मेरा यह मानना है कि राज्य प्रशासन तथा असम सरकार स्थिति पर काबू पाने में पूरी तरह असफल रही है। वे स्थिति की गंभीरता का पूर्वानुमान नहीं लगा सके और इसलिए स्थिति पर काबू पाने में असफल रहे। मैं यह सुझाव नहीं देता कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए परंतु इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि असम सरकार का सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक या सामाजिक अधिकार नहीं है।

आपकी अनुमति से कोकराझार तथा बोंगाइगांव के दुखद नरसंहार काण्ड की याद दिलाना चाहूंगा। मेरे विचार में बारपेटा काण्ड से मानव जाति के दुखद इतिहास में एक और नई घटना जुड़ गई जहां मानव की मानव द्वारा हत्या की गई। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि वहां के स्थानीय लोगों विशेषतः अल्पसंख्यकों का यह मानना है कि उनका अस्तित्व वहां खतरे में है। उनकी भावनाओं की अनदेखी की गई है। उनकी भावनाओं को निर्दयतापूर्वक आहत किया गया

है। वहां स्थिति इतनी नाजुक है कि जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों-बंगलादेश तथा भारत के बीच गलतफहमी को बढ़ा सकती है। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र ने एक ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है जो किसी भी क्षण फट सकता है। ऐसा भारत सरकार द्वारा गत तीन या चार दशकों के दौरान स्थिति से गलत ढंग से निपटने के कारण हुआ है। यदि बारपेटा में व्याप्त गंभीर स्थिति पर अभी काबू नहीं पाया गया, तो यह ज्वालामुखी के फटने की सूचक हो सकती है, जो कि वांछित नहीं है। इसलिए, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा आपका आभारी हूं कि आपने इस ज्वलनत समस्या पर मुझे बोलने की अनुमति दी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरुणाचल पूर्वी) : महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके साथ साथ, मैं बारपेटा में निर्दोष व्यक्तियों के बर्बरतापूर्ण तथा अन्धाधुन्ध संहार की निन्दा करता हूं। इस घटना का यदि किसी व्यक्ति को दुःख हुआ है तथा वह सचमुच इसके प्रति चिन्तित है तो वह श्री हितेश्वर सैकिया ही हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उनके विरुद्ध बहुत से भयंकर आरोप लगाए गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि श्री सैकिया छुट्टी पर नहीं थे। वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ उस रात बारपेटा में कोई आमोद प्रमोद कार्य नहीं कर रहे थे जब यह घटना हुई। वह बेहद चिन्तित थे। उन्होंने स्थिति पर काबू पाने के लिए सभी प्रयास किए, परन्तु इसके बावजूद दुर्भाग्यवश उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। यही नहीं, जब हम उनके जीवन काल पर दृष्टि डालते तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में बहुत से बलिदान किए हैं जो कि मैं समझता हूं कि हमारे में से किसी ने नहीं किए होंगे। इसलिए हमें श्री सैकिया पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि हमें इसका समाधान खोजना चाहिए और ऐसा करते हुए हमें पूर्ण सावधानी बरतनी होगी। मैंने अपने साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि ऐसा निरन्तर घुसपैठ के कारण हुआ है। परन्तु मैं समझता हूं कि मुझे यह बात दूसरे शब्दों में कहनी चाहिए। ये सब भूमि पर कब्जा तथा शोषण के जारी रहने के कारण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ये सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। गैर जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय लोगों का शोषण करने तथा उनकी भूमि हथियाने से ही यह स्थिति उत्पन्न हुई। जनजातीय लोगों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उनकी अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा इससे भी बढ़कर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आप उनको इनसे केवल इसलिए वंचित नहीं रख सकते क्योंकि आप बहुसंख्या में हैं। यह एक बात है, दूसरी बात जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने उचित ही कहा कि यह सत्ता में रह रहे लोगों की अज्ञानता के कारण है।

जो व्यक्ति अपने जीवन-काल में एक बार भी पूर्वोत्तर में गया होगा, वह वहां का अधिकारी विशेषज्ञ बन जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुझे यह कहना चाहिए कि जब भी कोई समस्या होती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल पूर्वोत्तर की समस्या ही हो बल्कि किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से समस्या पर विचार-विमर्श करना बेहतर है पूर्वोत्तर में अनेक समस्याएं हैं। मैं गत पांच वर्षों से यहां पर हूं और मैंने कभी भी इस सरकार को या किसी अन्य सरकार को उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ समस्या पर चर्चा करते हुए कभी नहीं पाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अधिकारी-वर्ग ही हर मामले में निर्णय लेता है। अब, मुझे यह कहना चाहिए कि श्री हितेश्वर सैकिया ने अपनी तरफ

[श्री लाईता उम्ब्रे]

से सर्वोत्तम कार्य किया। परन्तु शायद उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए हो। उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने साथियों से सुझाव लेने चाहिए। अपने राज्य में विरोधी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने में कोई बुराई नहीं है।

तथापि, मेरा अन्तिम पर इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पूर्वोत्तर की समस्या बदतर होती जा रही है क्योंकि जनजातीय लोगों की भावनाओं को उचित ढंग से समझा नहीं जाता और न ही उनसे सही तरीके से विचार-विमर्श किया जाता है। मुझे आशा है कि आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट जो कि काफी लोकप्रिय हैं तथा जो संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र से सुपरिचित हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई कूटनीतियां, नई नीति बनाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, इस घटना के संबंध में सभा द्वारा व्यक्त की गई वेदना तथा चिंता बडे भारी मन से मैं भी शरीक हूं और मेरे विचार से इस मंत्रालय का कोई भी मंत्री भगवान से सदैव यही प्रार्थना करेगा कि इस प्रकार के वाद-विवाद का जवाब न देना पड़े। मैंने सभी के विचारों को सुना और मैं राज्य सरकार से प्राप्त हुई कुछ जानकारी सभा को देना चाहता हूं ताकि रिकार्ड सही किये जा सकें।

माननीय प्रधान मंत्री इच्छानुसार मैं अपने सहयोगी श्री सईद और श्री तरूण गगोई तथा अन्य कुछ मौजूद सांसदों के साथ गुवाहाटी से होते हुए बारपेटा स्थित शिविर में गया। मुख्यमंत्री उनके सभी सहयोगी राज्य सरकार के अधिकारी वहां मौजूद थे। हमने उनके साथ चर्चा की। उन्होंने हमें बताया कि 19 जुलाई को बोडो सिक्योरिटी फोर्स के कुछ लोगों ने बारपेटा जिले के कुछ गांवों में कुछ गड़बड़ी करनी शुरू कर दी और पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई 20 तारीख की रात को उन्होंने करीब 250 गांवों को आग लगा दी और 19 जुलाई और 21 जुलाई के बीच लगभग 16 लोग मारे गए। यह भी बताया गया कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में तीन बदमाश भी मारे गये। पुलिस 19 से 21 जुलाई तक सक्रिय थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों तथा राज्य प्रशासन के अधिकारियों से बात करने पर मुझे यह महसूस हुआ कि 21 जुलाई तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। जब उन्होंने अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए 21 से 23 जुलाई की रात तक कुछ सुरक्षाबलों को बुलाया तब तक वहां सभी कुछ ठीक-ठाक रहा और कोई वारदात नहीं हुई। 23 जुलाई की रात और 24 जुलाई की सुबह लगभग 1 बजे के दौरान भूटान सीमा के कुछ लोग बांसबारी, जो भूटान सीमा से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर के असैनिक शिविर में आए। तब तक लोगों ने प्रभावित क्षेत्रों से इन शिविरों की ओर आना शुरू कर दिया था भूटान सीमा की ओर से आए इन लोगों ने पहले पुलिस चौकी पर गोलियां चलाईं जो शिविरों में रह रहे लोगों की रक्षा के लिए तैनात थी और फिर शिविरों में रह रहे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं। इस प्रकार यह दुःखद घटना हुई। उस रात लगभग 35 लोग मारे गये तथा 24 जुलाई की सुबह तक लगभग 70 लोग घायल हुए।

मुख्य समस्या यह रही कि उस समय हमारे पास पर्याप्त सुरक्षाबल और हथियार नहीं थे

जबकि बोडो सिक्योरिटी फोर्स के पास एल.एम.जी., ट्रेसर सहित ए.के 47 और एस.एल.आर. सभी हथियार उपलब्ध थे। वहां मुझे राज्य के अधिकारियों में बताया कि ऐसी स्थिति में भी पुलिस ने उनका सामना किया और लगभग दो घंटे तक गोलाबारी होती रही जिसके दौरान सीमा सुरक्षा बल के तीन कर्मचारी हताहत हुए। लेकन उस समय तक नुकसान हो चुका था। उस क्षेत्र में 'फ्लैग मार्च' के लिए सेना 20 तारीख को पहले से ही बुलाई हुई थी। लेकिन उन्हें स्थलों पर तैनात नहीं किया गया था। उन्होंने सोचा कि 'फ्लैग मार्च' का असर पडेगा और पुलिस स्थिति को संभाल लेगी।

उन्होंने हमें बताया कि 26 विभिन्न शिविरों में कुल 54707 व्यक्तियों ने आश्रय लिया है और बारपेटा तथा उसके आस-पास के जिलों में स्थिति तनाव में है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके सहयोगियों के साथ बात करते रहे. मैंने स्थानीय नेताओं के साथ भी विस्तार से चर्चा की थी। जब हम शिविर में गये तो हमने शिविर में रह रहे लोगों से भी बात की। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, शिविर में रह रहे कुछ लोगों ने यह बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। मुझे सभा में यह बात छुपानी नहीं चाहिए। मुख्य मंत्री जी के साथ हुए वार्तालाप के दौरान मैंने यह बात कही थी कि जो लोग प्रशासन से संबंधित हैं और वहां के लिए उत्तरदायी है उन्हें इस आशंका को समझते हुए कुछ हद तक 19 ओर 20 जुलाई को कार्रवाई करनी चाहिए थी तथा अतिरिक्त सैन्य सहायता की व्यवस्था कर सकते थे। मैंने डी.सी. से भी पूछा था कि क्या उन्हें इस बात की कोई आशंका थी कि यह घटना और अधिक गंभीर हो सकती है। उन्होंने हां भी कहा और नहीं भी कहा-वे मुझे सही उत्तर नहीं दे सके। मैंने अपने आई.बी. अधिकारी को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने गंभीर घटनाएं होने की संभावित आशंका के बारे में राज्य प्रशासन को सूचना दी थी।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम सभी राज्य सरकारों से यह कहते रहे कि आसूचना एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की स्थितियों से बचा जा सके। यही कारण है कि हमने एक वर्ष पहले ही निर्णय ले लिया था। मैंने सभी माननीय मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि हमारा आसूचना ब्यूरो अधिकारी पूरे राज्य के बारे में डी.सी. और एस.जी. को हर हफ्ते, आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक को 15 दिनों में एक बार और मुख्य सचिव तथा महानिदेशक को महीने में एक बार जानकारी देगा ताकि जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के प्रत्येक अधिकारी को इस बात की जानकारी हो कि उनके संबंधित जिले तथा संबंधित राज्य में क्या हो रहा है। इस समन्वय का वहां अभाव था, मैं यह स्वीकार करता हूं। इसीलिए अतिरिक्त बल तथा अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जा सकीं जिनका मैंने वहीं मौके पर माननीय मुख्य मत्री जी को उल्लेख किया था। जब हम शिविर में गये तो वहां वह सभी सहायता प्रदान की जा चुकी थी जो राज्य सरकार प्रदान कर सकती थी। लेकिन सभी की मुख्य रूप से मांग यही थी कि सेना को बुलाया जाना चाहिए।

वहां जाने से पहले मेरी माननीय प्रधान मंत्री जी से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से इस बारे में संदेश पहले ही मिल चुका था राज्य सरकार को इस प्रकार के कार्यों के लिए सेना बुलाने संबंधी सभी औपचारिकताएं अवश्य पूरी करनी चाहिए। जब मैंने वहां के लिए प्रस्थान किया, तब तक औपचारिकताएं पूरी हो गई थी और जब मैं वहां पहुंचा ब्रिगेडियर वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वे उन सभी स्थानों पर जा रहे हैं जहां जाने के

[श्री राजेश पायलट]

लिए राज्य सरकार ने उन्हें कहा है। अभी एक घंटा पहले ही, मुझे यह जानकारी मिली है कि पूरी ब्रिगेड आज दोपहर तक पहुंच जायेगी। इसके अलावा वहां हमारी जितनी भी बटालियन थीं–उन क्षेत्रों में हमारी एक या दो बटालियन तैनात थीं–उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के अर्द्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां भी वहां पर तैनात थीं। वे 15 और कंपनियां चाहते थे। लेकिन गुवाहाटी के निकट हमारी पांच कंपनियां तैनात थी उन्हें हमने बारपेटा भेज दिया है अब वह राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन हैं।

यद्यपि इस समय स्थिति नियंत्रण में है फिर यह काफी दुख की बात है, और इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसी वारदातों के लिए क्षेत्र में यह मेरा तीसरा दौरा है। मैं पहले दो बार मुझे कोकराझार और बोगाईगांव में हुई घटनाओं के कारण वहां जाना पड़ा।

अधिकांश सदस्यों ने समझौते का उल्लेख किया है। इस संबंध में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। असम में वर्ष 1991 में हम कहां थे ? असम में स्थिति किस प्रकार की थी ? मैं कुछ खास वर्षों के आंकड़ों की तुलना नहीं करना चाहता, बोडो आंदोलन में कई लोग मारे गये थे और अब भी कई मारे गये है। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब 1991 में हमने सत्ता संभाली, असम में स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी।

9.00 म.प.

वर्ष 1989-90 में बोडो गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर थीं। मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता। वे चौंकाने वाले हैं। वर्ष 1989-90 में संपूर्ण क्षेत्र तनावपूर्ण था। बाद में जब हमने 1985 से सत्ता संभाली, तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे। मुझे अभी तक याद है कि बातचीत चल रही थी ताकि हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते और शांति कायम रखी जा सकती।

स्वर्गीय राजीव जी के बाद, श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री बने। उस सरकार ने भी उसी तरह बातचीत जारी रखी। जब हम सत्ता में आये, तो बाद की सरकारों के बीच जो बातचीत हुई थी, हमने भी उसी प्रवृति को अपनाया। हमने उन्हें बोडोलैंड की मांग के स्थान पर बोडोलैंड आयेनोमस काउंसिल पर राजी करा लिया। वह एक आधार थी। हम उन्हें काउंसिल में लाना चाहते थे। हमने कहा यदि "आप अपना विकास चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी संस्कृति बनी रहे।" हम आपको स्वायत्त काऊंसिल दे सकते हैं बोडोलैंड सरकार को स्वीकार नहीं था। ताकि आप बोडोलैंड स्वायत्त काउंसिल के माध्यम से जो आप पाना चाहते हैं, वह प्राप्त कर सकें। उस आधार पर मेरी और माननीय मुख्य मंत्री श्री सैकिया जी की उनके साथ लंबी बातचीत हुई। तब समझौते पर सहमति हुई और उस पर हस्ताक्षर किये गये।

कोई भी समझौता अपने आप में पूर्ण नहीं है। किसी भी समझौते को किसी समस्या का सर्वोत्तम समाधान नहीं कहा जा सकता है। समाधान सबसे निकट पहुंचने का समझौता एक माध्यम होता है। आप असम समझौता, मिजोरम समझौता किसी भी समझौते को लें। कश्मीर के संबंध में हमने श्री फारूख अब्दुलाह के साथ एक समझौता किया था। हमने समाधान के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया था। सभी ने यह कहा है कि इस समझौते पर राजनैतिक छाप थी। जहां तक

कांग्रेस पार्टी का संबंध है, मुझे अभी तक याद है कि वर्ष 1986 में जब स्वर्गीय राजीव जी प्रधान मंत्री थे, असम में मुख्य मंत्री श्री सैकिया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी श्री सैकिया जी के त्यागपत्र देने के बाद भी हमने समझौते की उन सभी बातों को पूरा किया जिनकी मांग की गई थी।

इसी तरह मिजोरम में, जैसाकि श्री संतोष मोहन देव ने कहा है, हमारी सरकार निर्वाचित सरकार थी। हमने इस क्षेत्र को समान्यतः स्थिति लाने के लिए बलिदान दिया था। आप पूर्वोत्तर का सम्पूर्ण इतिहास देखिए। केन्द्र की सभी सरकारों का उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास रहा है। आज सरकार का मुख्य कार्य यह देखना है कि कैसे पूर्वोत्तर के प्रत्येक भाग को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। हमें प्रत्येक राज्य में बात-चीत करने में समस्याएं आती हैं चाहे वह नागालैण्ड हो, मणिपुर हो अथवा त्रिपुरा अथवा अरुणाचल प्रदेश हों असामान्य राज्यों में असामान्य समस्याएं हैं। हमारा सामान्य दृष्टिकोण यह है कि जिसको भी इस बात की आगे जानकारी नहीं दी गई है तो हमने उसके साथ भी खुले दिलों से बात की है। जहां कहीं सरकार ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है वहां हम उन लोगों एक साथ अपनी मुख्यधारा में ला सकते हैं ' हम उस दृष्टिकोण की बात करते रहे हैं।

जहां तक विद्रोह का संबंध है हम विद्रोह के विरुद्ध बहुत बड़ा रुख अपनाते रहे हैं। हमने काफी हद तक विद्रोह को रोकने का प्रयास किया है। हमें काफी हद तक नागालैण्ड, मणिपुर में और कुछ हद तक असम में इसमें सफलता मिली है। अतः समझौता उसी भावना से किया गया था श्री चन्द्रजीत यादव ने जो कहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री सैयद शहाबुद्दीन ने भी कहा था कि जब उन्होंने समझौता किया तो वे एक टीम नहीं थे। वे सभी एक साथ थे। उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वह सब एक अच्छी भावना से आगे बढें। मुझे याद है कि 1993 के अंत में जब मैं एक जनसभा में गया था वहां वास्तव में 10 लाख लोग थे। वह सब पैदल जनसभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा थे। सभी इस समझौते से खुश थें लोगों की शंका बोडो ओर गैर-बोडो लोगों के बारे में थी। दुर्भाग्यवश, चुनाव न हो सके। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं यह तदर्थ निकाय है जो कार्य कर रहा है। इसे निर्वाचित निकाय समझा जाना चाहिए। हमने गैर बोडो लोगों को इसमें नाम निर्दिष्ट किया है ताकि वे इसके कार्य करने में नीतियों के कार्यान्वित में और विकास में अपनी अपनी बात कह सकें। यही कारण है कि यह अनुपात रखा गया।

जहां तक क्षेत्र सीमा-निर्धारण का संबंध है, जहां बोडो जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है अथवा जिन क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम है लेकिन आस-पास के इलाकों में यह लोग हैं वह क्षेत्र इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। इसी भावना से अथवा इस मानदण्ड से हमने सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया है।

वे मुझसे लगभग एक माह पहले मिले थे। दोनों ग्रुपों ने कहा था कि यह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमने कहा "कि ठीक है, हम आपके साथ बातचीत करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होगी हम उन्हें सुलझाने को तैयार हैं लेकिन आप शान्ति बनाए रखें।

[श्री राजेश पायलट]

बोडो सुरक्षा बल, समझौते का काम नहीं था। बोडो सुरक्षा बल कभी भी समझौता करना नहीं चाहता था क्योंकि वे लूटी हुई सम्पत्ति पर निर्वाह कर रहे है। वह अपना अनेक तरह से निर्वाह कर रहे हैं। वह लोगों को मार रहे हैं और उनका अपना जीवन निर्वाह का तरीका है। अतः बोडो सुरक्षा बल कभी भी समझौते से खुश नहीं थे। लेकिन ए.ए.पी.एस.यू. और पी.पी.पी. शुरू से समझौते के विरुद्ध थे। उस समय यह बोडो लैंड एक्शन कमेटी और अब इसका नाम बोडोलैंड पीपुल्सपार्टी है। वे कभी इस बात से सहमत रहे थे कि वे देखेंगे कि शान्ति बनी रहे। महोदय, उन्हें एक समान मंच के आंसपास लाने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे समान अधिकार क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में विकास केवल तभी हो सकता है जब वहां शान्ति और सामन्य स्थिति हो।

अनेक माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि हम स्थिति के बारे में क्या कर रहे हैं। श्री इन्द्रजीत ने कहा है कि पूर्वोत्तर में स्थिति अधिक तनावपूर्ण होती जा रही है। जी हां, कुछ हद तक यह ठीक है। कल भी हमें सूचना मिली है कि जीप पर जाते हुए एक कर्नल पर एक छुपे हुए उग्रवादी ने गोली चलाई और वह मारा गया। यदि आप नागालैण्ड और मणिपुर का इतिहास देखें तो हम देखेंगे कि गत अनेक वर्षों से हम इन राज्यों में विद्रोह की समस्या का सामना कर रहे हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या इस क्षेत्र में आई.एस.आई. का हाथ है। जी, हां हमें सूचना मिली है कि कुछ ग्रुप आई.एस.आई. से मिले हुए हैं और वे चटगांव पर्वत के रास्ते से बंगलादेश अथवा थाईलैंड को अपना माध्यम बना रहे हैं और हमारे देश में विद्रोह को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें इसकी जानकारी है और इसका मुकाबला करने के लिए उपाय कर रहे हैं। हमें अनके प्रयास से सफलता मिली है जहां वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए है।

पूर्वोत्तर को हमने विशेष महत्व देते हुए उनके पुलिस बलो, हथियारों, वाहनों, संचार प्रणाली इत्यादि के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें विशेष राशि आवंटित की है।

असम में भी हमने 500 ए.के-47 राइफलें दी हैं ताकि हमारे पुलिस बल में शस्त्र उतने ही अच्छे हों और उग्रवादियों के पास हमसे बेहतर हथियार न हो। संचार सुविधाओं को आधुनिक और उन्नत बनाने का काम भी चल रहा है। मुझे बताया गया कि ज्यादातर राज्य अपने पुलिस बलों को आधुनिक बना रहे हैं या ये इनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जारी है।

हमने एक और निर्णय लिया पूर्वोत्तर एक काफी संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उस क्षेत्र के लिए हमें जितने भी अर्धसैनिक बल मिले पूर्वोत्तर के लिए उसका हमने एक अलग जोन बनाया है तथा गुवाहाटी में ही एक रिजर्व उपलब्ध हैं जो सभी सात राज्यों को देख सकते हैं। हमने इसे एक स्थायी जोन बनाया है ताकि हमें देश के उत्तर या दक्षिण भागों से सुरक्षा बलों को ढोकर पूर्वोत्तर न ले जाना पड़े। हम पूर्वोत्तर में कुछ पुलिस बल बराबर उपलब्ध रखते हैं। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सेना ने उन क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य किया है। उनकी वहां के लोगों से काफी मित्रता हो गई है तथा उसने इन राज्यों में लोगों को मुख्यधारा में लाने में उनकी काफी मदद की है।

यह एक और बात उल्लेखनीय है तथा इसे मैं सभा को बताऊंगा। पहले बहुत ज्यादा

समन्वय नहीं था और हमारी प्रणाली की यह एक खामी थी। यह समस्या सभी सात राज्यों में है और जो नागालैंड में हो रहा है वह असम में पता नहीं था तथा जो असम में हो रहा है वह मणिपुर में पता नहीं था। पिछले चार महीने पहले हमने सभी सात राज्यों के साथ समन्वय किया तथा हमने शिलांग में एक समन्वय केन्द्र शुरू किया है ताकि असम के मुख्य मंत्री जाने कि मणिपुर में क्या हो रहा है और मणिपुर प्रशासन जाने कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। सभी सात राज्यों को आपस में समन्वय करना चाहिए और एक दूसरे से संबंध रखना चाहिए और तभी हम एक दल के रूप में विद्रोह से मुकाबला कर सकते हैं। चूंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है इससे उसी भावना से लड़ना होगा। इसका हिसाब लगाया जा रहा है। यह कार्य अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू किया गया है इसे परिपूर्ण बनाने में अभी कुछ और समय लगेगा। समन्वय कार्य के एक बार ठीक होते ही इसमें पूर्वोत्तर की हमारी आधी समस्या कम हो जाएगी। मुझे राज्य सरकार से इस बात की जांच करनी होगी। विभिन्न दलों के अनेक सदस्यों के अनेक मुद्दे आए हैं। मैंने सदस्यों द्वारा और सभी मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैंने सभी मुद्दों को नोट कर लिया है।

मे.ज. (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : परंतु राज्य सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : मुख्य मंत्री ने मेरे सामने यह बात स्वीकार की है कि जहां कहीं भी लापरवाही हुई वह संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जहां तक मेरे सहकर्मियों द्वारा उल्लेख किए अन्य बातों का संबंध है मैं राज्य सरकार से उसकी निश्चित जांच करवाऊंगा और सभा को इसकी जानकारी दूंगा। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करें। पूर्वोत्तर हमारे देश का एक काफी संवेदनशील भाग है। वहां के लोग काफी संवेदनशील प्रकृति के हैं। वे लोग सीधे-साधे और बहुत ही स्नेही स्वभाव के हैं, सरकार ने उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने पर ही मुख्य रूप से बल दिया है। मुझे आज भी एक फोन आया कि वे लोग एच.पी.सी. की समस्या का समाधान कर रहे हैं, हमने उनके विचारों को यथासंभव समझने का तथा क्षेत्र के उस भाग में सामान्य स्थिति लाने और शांति बहाल करने का अलग प्रयास किया। अन्यथा इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा। जसवंत सिंह जी ने कहा है कि भौगोलिक रूप से और भावुकतावश के महसूस करते है कि वे देश के अन्य भागों से दूर हैं। हमने देश के इस क्षेत्र को रेल से जोड़ने का निर्णय लिया है तथा यहां तक कि हमने कम से कम इन राज्यों के राज्य मुख्यालयों अथवा राजधानियों को एअरलइनों से जोड़ने के लिए कहा है।

केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर को सर्वदा एक विशेष क्षेत्र के रूप में माना है। उन्हें धनराशि आवंटित करने का एक अलग क्षेत्र है, ताकि हम उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। हमने उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्य रूप से बल दिया है। हमारा बल इस बात पर है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई और बहनें ऐसा महसूस न करें कि वे हमसे काफी दूर हैं। यह देखने के लिए हर समय प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दुबारा न हों। हमारा दृष्टिकोण प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। हम निश्चित रूप से यह देखेंगे कि उन्हें मुख्यधारा में लाया जाय।

कुमारी ममता बनर्जी : मुआवजा का क्या हुआ ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उनके प्रश्न का उत्तर दें तथा अन्य प्रश्नों के उत्तर न दें।

श्री राजेश पायलट : राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सभी पीड़ित व्यक्तियों को उचित राहत तथा मुआवजा दिया जाएगा।

इन शब्दों के साथ, विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए मैं श्री चन्द्रजीत यादव से अपना प्रस्ताव वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। हम सभी एक हैं। विपक्ष तथा सत्ताधारी दल में कोई अन्तर नहीं है। हम सभी इस समस्या के प्रति समान रूप से चिन्तित हैं। हमने इस दिशा में प्रयत्न किए चाहे वे आपको दिखाई न दे रहे हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही वे आपको अधिक स्पष्ट हो जाएंगे और आप यह महसूस करेंगे कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां कहीं भी हमने गलती की, हम निश्चित रूप से उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे। हम सबकी समान भावना है, और वह है स्थिति को सुधारना। इसलिए इसके द्वारा राष्ट्र को यह संदेश जाना चाहिए कि हम ऐसी शक्तियों का मुकाबला करेंगे तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाएंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते जब उन्होंने नागालैंड में कहा था "यहां पर मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है मैं नागालैंड के लोगों का भारत के लिए समर्थन चाहता हूं। कांग्रेस तो दूसरा अंश है पहला अंश तो नागालैंड के लोगों का भारत का साथ होना है।" लोगों में ऐसी भावना होनी चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपने बहुत सही बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव से अनुरोध करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापिस लें।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मुझे अपना उत्तर आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आरम्भ करना चाहिए क्योंकि यदि आपने स्वीकृति नहीं दी होती तो यह चर्चा न होती। जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने बिल्कुल सही कहा है कि इस वाद-विवाद से उस दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह संदेश पहुंचा है कि यह सभा देश के किसी भी भाग में होने वाली किसी भी ऐसी घटना पर चिन्ता महसूस करती है। हमारा मुख्य उद्देश्य तत्काल चिन्ता व्यक्त करना था। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव उन बिरले प्रस्तावों में से एक है जिस पर दलगत विचारों से ऊपर उठकर चर्चा की गई। अधिकांश सदस्यों ने इस समस्या पर समान रूप से चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने न केवल कमजोरियों तथा त्रुटियों का उल्लेख किया बल्कि स्थिति में सुधार के लिए अनेक रचनात्मक सुझाव भी दिए। मुझे खुशी है कि गृह राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट ने यह स्वीकार किया है कि तालमेल की कमी थी, कुछ त्रुटियां थीं तथा सूचना मिलने पर भी क्षेत्रिय प्रशासन ने शीघ्रता से कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि गुप्तचर एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि सरकार को चर्चा में

उठाए गए मुद्दों पर और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमने कहा है कि बोडोलैंड के वास्तविक क्षेत्र के संबंध में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसा पाया गया है कि लगभग 100 गांव बोडो बहुसंख्यक न होते हुए भी बोडोलैंड का भाग बना दिए गए हैं। यह एक गंभीर चिन्ता है।

बोडो लोगों में एक और भावना व्याप्त है कि भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र उनसे छीन लिए गए हैं। इस बारे में कुछ शंकाएं थी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है। ये क्षेत्र उनसे क्यों ले लिए गए हैं ? जबकि दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वे सभी क्षेत्र उक्त राज्यों के पास हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके अपनी गलती को सुधारना चाहिए।

[अनुवाद]

एक अन्य बात जो गृह मंत्री ने स्वयं स्वीकार की है वह यह है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बोडो में दो दल हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि राजनीतिक हितों के कारण संगठन में प्रतिद्वन्द्विता का अपने हितों के लिए उपयोग किया गया है मेरे विचार में जब राष्ट्रीय हित की बात हो, तो ऐसी छोटी-मोटी राजनीति या पार्टियों के तुच्छ हितो पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह ने एक बहुत ही उपयुक्त वाक्य कहा है कि हमारे लोगों और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एक प्रकार की भावनात्मक दूरी है। मेरे विचार मे केवल आर्थिक उपाय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य उपाय भी करने होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने उन क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों की सहायता हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए भी एक नौ-सदस्यीय सशक्त मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने स्वयं ही-लालकिले पर अपने दल की रैली को सम्बोधित करते हुए-यहां कहा था कि अनेक लोग यह महसूस करते हैं कि अब वह बहुमत में हैं और इसलिए वह सर्वसम्मति का रास्ता छोड़ देंगे परन्तु उन्होंने कहा कि वह यह रास्ता नहीं छोडेंगे।

लेकिन, मेरा मानना है, कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां हैं। जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं सरकार को न केवल मंत्रियों को विश्वास में लेना चाहिए और प्रभावित स्थानों को भेजने के लिए एक समिति या टीम का गठन करना चाहिए-क्योंकि अन्ततः प्रशासनिक उपाय सरकार को ही करने होते हैं-बल्कि मेरे विचार में ऐसे मुद्दों पर और व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए। मेरे विचार में संसद में सभी दलों के नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अत्युत्तम सुझाव देंगे और सभी समस्याओं को हल करनें के लिए हमें जादू की छड़ी मिल जाएगी।

परन्तु इससे स्वयं ही एक संदेश मिलता है। इससे यह उद्देश्य भी हल होता है कि इसे एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लिया जा रहा है और दूसरे दलों के लोग शामिल हैं। मेरी समझ में सरकार ने जिन कमजोरियों का पता लगाया है, मझे विश्वास है कि उनको दूर करने के लिए तत्काल और शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, परन्तु मेरे विचार में सरकार को उन पर विचार अवश्य करना चाहिए। जहां तक गृहमंत्री की अपील का सम्बंध है, मैं यह कहूंगा कि मैं मत विभाजन की मांग नहीं कर रहा हूं न ही मैं इस पक्ष के सभा के अन्य सदस्यों से मत

[श्री चन्द्रजीत यादव]

विभाजन की मांग करने का अनुरोध करूंगा। परन्तु इस चरण में प्रस्ताव को वापस लेना मेरे लिए कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को सभा मे मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि अब यह सभा स्थगित हो"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

9.21 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पत्तन और गोदी कामगारों के वेतन में संशोधन

जल-भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महापत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के श्रेणी III और श्रेणी IV के कामगारों और कर्मचारियों के वेतनों में 1-1-1993 में संशोधन करते हुए उनमें वृद्धि की जानी थी। अध्यक्ष, बंबई पत्तन न्यास की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय वेतन समझौता समिति, जिसमें कामगारें के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, कुछ समय से वेतन वृद्धि के बारे में समझौता वार्ता करती रही है। 24-7-1994 को महापत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों के प्रबंध मंडलों तथा पत्तन और गोदी कामगारों के 5 अखिल भारतीय महासंघों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ अब यह समझौतावार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस समझौता ज्ञापन, में वेतन बिल में लगभग 19% की वृद्धि के साथ कामगारों के वेतन में एक न्यायोचित वृद्धि की गई है। यह वेतन वृद्धि अगले 5 वर्षों तक के लिए वैध होगी।

यह समझौता ज्ञापन बिना किसी हड़ताल अथवा औद्योगिक अशांति के तथा एक भी कार्य दिवस गंवाए बिना किया गया है जबकि पिछले दो वेतन संशोधनों के समय ऐसा नहीं हुआ था। यह वास्तव में एक ऐतहासिक उपलब्धि है। पत्तन पहला ऐसा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जहां कामगारों के वतन संशोधन के चालू दौर में वेतन समझौता किया गया है।

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गैंग शिफ्ट बर्थडे आउटपुट जैस उत्पादकता मानदंडों में 7% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की व्यवस्था की गई है ताकि जहाजों के टर्न राउंड समय को कम करके कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सके तथा भीडभाड़ को कम किया जा सके। इसके अंतर्गत अधिक बड़े आधार तथा प्रोत्साहन योजनाओं में तेजी लाने का भी प्रावधान है गैर-उत्पादक कार्यों को बंद किया जाना है। इससे तथा जनशक्ति को युक्तिसंगत तरीके से काम पर लगाने से प्रचालन की प्रति यूनिट लागत को वर्तमान स्तर पर रखा जा सकेगा।

पत्तनों और गोदियां कार्यरत सभी अखिल भारतीय परिसंघों के भरपूर सहयोग के कारण ही ऐसी सकारात्मक विशेषताओं वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो पाए हैं, जिसके लिए मैं श्रमिक

नेताओं और कामगारों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास और आशा है कि शांति के वातावरण में तथा और अधिक उत्पादकता के साथ अन्य औद्योगिक वर्गों के लिए, वेतन संबंधी समझौतों के मामले में माननीय प्रधान मंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में यह समझौता एक अग्रदूत का काम करेगा।

9.24 म.प.

कार्यमंत्रणा समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

जल संसाधान मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कार्यमंत्रणा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को अपना पूरा सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। सभा कल 26 जुलाई, 1994 को 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

9.25 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 जुलाई, 1994/4 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।
